लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATE

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 3-2-84
Parliament Library

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 60.C(A.)
Date 16.11.2

[खंड 51 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

शुद्धि-पत्र

लोक-सभा वाद-विवरण का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

18 मई, 1970 । 28 वैशाख , 1892 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
xviii	पैक्ति 6 , `पुर्न: स्थापित `के स्थान पर `पुर:-स्थापित `पढ़िये ।
14	नीचे से पैक्ति 6, `जीवेयर `के स्थान पर `जैवियर `पढ़िये ।
87	पैक्ति 2 , `पापड़िया `के स्थान पर `तापड़िया `पढ़िये ।
115	पैक्ति 8 , वेपोशंकर `के स्थान पर `वेणि शंकर `पढ़िये ।
135	नीचे से पैक्ति 9 , ` Bansi ` के स्थान पर ` BANSH पढ़िये ।
175	नीचे से पैक्ति 12 , `वीरेश्वर `के स्थान पर `धीरेश्वर `पढ़िये ।
209	पैक्ति 25 , (Shri K.N. Tiwari in the Chair) के ~~पैक्ति 25 से नीचे इस प्रकार पढ़िये~~ : `श्री क .ना.तिवारी पीठासीन हुए ` Shri K.N. Tiwary in the Chair '
232	पक्ति 18 तथा 19 को इस प्रकार पढ़िये : `इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार 19 मई, 1970 । 26 वैशाख , 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

अंक 60, सोमवार, 18 मई 1970/वैशाख 28, 1892 (शक)

No. 60, Monday, May 18, 1970/Vaisakha 28, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1681.	आवर्तक निधि के संचालन के बारे में मद्रास में मेयरों द्वारा की गई मांग Demand made by Mayors in Madras *Re.* Operation of Revolving Fund	1—3
1682.	प्रमुख बैंक (लीड बैंक) योजना Lead Bank Scheme	3—8
1683.	चालू वित्तीय वर्ष में बाजार से उधार Market borrowings during the current Financial Year	8—9
1685.	बैंक राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों के बारे में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष का वक्तव्य Statement made by chairman of Indian Banks Association Regarding objective of Bank Nationalisation	9—17
1686.	दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन अनधिकृत बस्तियों का निर्मित क्षेत्र Built-up Area of Unapproved colonies under D.D.A.	17—19
1688.	परिवार नियोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में उद्देश्य की पूर्ति Cost effectiveness of Family Planning	19—22

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

35.	दिल्ली में देसी गेहूं के मूल्य में वृद्धि Increase in Price of Indigenous Wheat in Delhi.	22—30

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

1684.	देश में पीलिया की महामारी Jaundice Epidemic in the country	30
1687.	पीयर्सन आयोग का प्रतिवेदन Report of Pearson Commission	31
1689.	सस्ते तथा टिकाऊ मकान Cheap and Durable Houses	31—32

किसी नाम पर अंकित यह +इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1690.	कार्यालयों का फरीदाबाद को स्थानान्तरण	Shifting of Offices to Faridabad	32
1691.	राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति	Implementation of Family Planning Programme in the States .	32-33
1692.	गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों द्वारा नेपथा की बजाय साधन के रूप में घटिया गन्धक (लो सल्फर हेवी स्टाक) का प्रयोग	Use of low sulphur heavy stock as feed Stock instead of Neptha by private sector fertilizers units	33
1693.	भारत में तेल-निक्षेप	India's Oil Reserves	34
1694.	सरकार द्वारा बन्द पड़ी कोयला खानों को अपने अधिकार में लेना	Taking over of Abandoned Coal Mines by Government . .	34-35
1695.	सरकारी उपक्रमों के निदेशक बोर्डों में निदेशकों के चयन के लिए तालिका	Penal for selection to Board of Directors of Public Undertakings	35-36
1696.	हृदय-रोगियों द्वारा एस्पीरीन का प्रयोग	Use of Aspirin by Heart Patients	
1697.	क्षय रोग की रोकथाम सम्बन्धी अध्ययन के लिए धन की कमी	Paucity of Funds for study of Tuberculosis Prevention . .	36-37
1698.	मध्य प्रदेश में समुचित जल सप्लाई के लिए मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for adequate Water supply in Madhya Pradesh	37
1699.	एशियाई विकास बैंक	Asian Development Bank	38
1700.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मछुआ समितियों को ऋण	Loans to Societies of Fishermen by Nationalised Banks . .	38
1701.	गुजरात के तेल शोधक कारखाने के विस्तार के लिए आयातित अशोधित तेल पर निर्भरता	Dependence upon imported Crude for expansion of Gujarat Refinery	38-39
1702.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में बदले गये शिशुओं को उनके माता पिता को सौंपना	Handing over of Wrong Babies to Parents in A.I.I.M.S., New Delhi	39-4

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1703.	राज्यों में पीने के पानी की अत्यधिक कमी	Acute Shortage of Drinking water in States	41
1704.	पलाई सैंट्रल बैंक के जमाकर्त्ताबैंओं को दिया गया लाभांश	Dividend paid to Depositors of Palai Central Bank . . .	41
1705.	भारतीय रेलवे के मुख्य लेखा-परीक्षकों द्वारा सैलूनों का प्रयोग	Use of Saloons by Chief Auditors of Indian Railways . . .	42—43
1706.	कलकत्ता में जीवन बीमा निगम के फ्लैट	L.I.C. Flats in Calcutta .	43—44
1707.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में क्लर्कों की भरती	Recruitment of Clerks in Nationalised Banks	44—45
1708.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में अजित कुमार नाम के एक बालक की मृत्यु	Death of a Child namely Ajit Kumar in A.I.I.M.S., New Delhi.	45—46
1709.	संयुक्तराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आयात निधि के सहयोग से पानी की कमी वाले चट्टानी क्षेत्रों में ग्रामीण पेय जल योजना	Rural Drinking water Scheme in Hard Rock Water Scarcity Areas in Co-operation with UNICEF	46—47
1710.	अनुवादकों की तुलना में सहायकों के वेतनमान	Pay Scales of Assistants Vis-a-Vis Translators	47—48
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		UNSTARRED QUESTION	
9945.	शराब की तस्करी के लिए प्रयोग में लाये जाने वाला बो बे फ्लाइ क्लब का पाइपर विमान	Piper Aircraft of Bombay Flying Club used for Smuggling Liquor	48—49
9947.	साहू जैन फर्म समूह की ओर बकाया केन्द्रीय कर	Central Taxes due from Sahu Jain group of concerns . . .	49
9948.	गुजरात को सहायता	Assistance to Gujarat	49—50
9949.	गुजरात राज्य में परिवार नियोजन के नये केन्द्र	New Family Planning Centres in Gujarat State	51

अता० प्र० संख्या U. S. Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9950.	गुजरात में चौथी पंचवर्षीय योजना में गांवों को पानी की सप्लाई	Rural Water Supp y during the Fourth Plan for Gujarat	51—52
9951.	गुजरात के कैरा जिले में आय-कर और उत्पादन शुल्क की वसूली	Collection of Income Tax and Excise duty from Kaira District (Gujarat)	52
9952.	गुजरात के तम्बाकू के कारखानों द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की चोरी	Evasion of Central Excise duty by Tobacco Factories in Gujarat	52—57
9953.	नागपुर तथा काम्पटी में गृह निर्माण सहकारी समितियां	Cooperative Housing-Building Societies at Nagpur and Kamptee	57
9954.	दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समितियां	Cooperative House Building Societies in Delhi	57—59
9955.	दिल्ली में बिना बारी के आबंटन पर रोक	Ban on out-of-turn allotment in Delhi	60
9956.	प्रतिनियुक्ति पर गये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर	Deputation of C. P. W. D. Engineers	60—61
9957.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुभाग अधिकारियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीकरण के लिए अनापत्ति पत्रों का दिया जाना	No objection certificates to sectional officers in C.P.W.D. for Registration with Employment Exchanges	61
9958.	सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों का योगदान	Workers Participation in Management of Public Sector undertakings	61—62
9959.	पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा ट्रक्टरों की खरीद	Purchase of Tractors by D.G.S. & D.	62
9960.	गुजरात राज्य उर्वरक निगम का कार्यकरण	Working of Gujarat State Fertilizer Corporation	62—63
9962.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से गुजरात राज्य उर्वरक निगम को ऋण	Loans given to Gujarat State Fertilizer Corporation by I.D.B.I.	63—65
9963.	सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन विभाग में सिपाही	Sepoys in Customs and Central Excise Department	65—66

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9964.	संसद भवन में काम करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिफ्ट चलाने वालों के लिये समायोपरि भत्ते की मंजूरी	Grant of overtime allowance to Liftdrivers of C.P.W.D. Working in Parliament House . .	66
9965.	ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई	Water Supply in Rural Areas	67-68
9966.	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme	68-69
9967.	सरकारी अभिकरणों के माध्यम से औषधियों की बिक्री	Sale of Drugs through Public Sector Agencies	69-70
9968.	अतिरिक्त आयकर आयुक्त	Additional Income-tax Commissioners	70-71
9969.	सरकारी सम्पदाओं के प्रबन्धक अधिकारियों की सेवाओं का सदुपयोग	Utilisation of services of officers Managing the Government Estates	71-73
9970.	सम्पदा निदेशालय के कार्य में वृद्धि	Increase in volume of work in Directorate of Estates . .	73-74
9971.	खाद्य तथा कृषि मंत्री से उपहार कर की वसूली	Realisation of Gift-tax from Minister of Food and Agriculture .	74
9972.	विदेशों के साथ व्यापार पर प्रतिबन्ध तथा विदेशी सहायता	Foreign Aid and Restriction on Trade with Foreign Countries .	74-75
9973.	खम्भात की खाड़ी के उथले समुंद्र में तेल-खुदाई उद्घाटन समारोह पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on performance of inaugural ceremony of off-shore drilling in Gulf of Cambay . . .	75-76
9974.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन	Re-organisation of Oil and Natural Gas Commission . .	76
9975.	असैनिक पद में पैंशन के लिये युद्ध-सेवा की गणना	Counting of war service for pension in Civil Post . . .	76-77
9976.	उत्तर बिहार का फोटो-भूतत्वीय अध्ययन	Photogeological study of North Bihar . . .	77
9977.	औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा एल्यूमीनियम के मूल्यों का नियत किया जाना	Fixation of Aluminium price by Bureau of Industrial costs and Prices . . .	77-78

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9978.	शीरे का उत्पादन	Production of Molasses	78-79
9979.	तरल "प्रोपेन गैस" का प्रयोग तथा विपणन	Marketing and use of liquid Propane Gas	79
9980.	हरियाणा के लिये तेलशोधक कारखाना	Oil Refinery for Haryana	79-80
9981.	आयकर अधिकारियों की पदोन्नति	Promotion of Income Tax Officers	80
9982.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगे	Demands of Central Government Employees	80-82
9983.	अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की तालिका का आर्थिक नीति के बारे में प्रतिवेदन के आधार पर मितव्ययता वाले उपायों का अपनाया जाना	Adoption of Austerity Measures on basis of Report of A.I.C.C. Pandel on Economic Policy	82
9984.	राष्ट्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली में अन्त:सहयोग विनियोजन और ऋण देना	Inter corporate Lending and Investment in Nationalised Banking System	82-84
9985.	दिल्ली में नगर के कूड़ा-कचरे से पानी का गन्दा होना	City sullage main cause of water pollution in Delhi	84
9986.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादन के किस्म	Quality of Production of Public sector Undertakings	84-85
9987.	कलकत्ता तथा बम्बई में नेशनल टैस्ट हाउस की प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण	Modernisation of Laboratories of National Test House at Calcutta and Bombay	85-86
9988.	'बि-ट्विल बैग्स' की सप्लाई	Supply of B-Twill Bags	86
9989.	लघु उद्योगों पर वित्तीय उपायों का प्रभाव	Impact of fiscal measures on small scale industries	87
9990.	फोर्ड फाउन्डेशन से सहायता के लिए करार	Agreement for Aid from Ford Foundation	87-88
9992.	कृषि-सम्पत्ति कर	Agricultural Wealth Tax	89

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
9993.	राजस्थान के अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में केन्द्रीय समिति का प्रतिवेदन	Report of Central Committee on Famine Stricken Areas in Rajasthan	89
9994.	सीमा शुल्क मूल्यांकन पद्धति	System of Customs Evaluation .	90
9995.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की मूल्य नीति	Price Policy of Public Sector Undertakings . .	90-91
9996.	भारतीय लोक प्रशासन संस्था के लिए चयन समिति द्वारा सुझाये गये नाम	Names suggested by Selection Committee for Indian Institute of Public Administration . .	91-92
9997.	विदेशी मुद्रा गिरोह का पता लगाने के लिये छापे	Raids of Unearth Foreign Exchange Racket	92
9998.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में प्रतिनियुक्त व्यक्ति	Deputationists in National Mineral Development Corporation	92-93
9999.	बिहार और उड़ीसा में लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के लिए सर्वेक्षण	Survey for Iron and Manganese ores in Bihar and Orissa . .	94-95
10000.	संसद् सदस्यों को अलाट करने के लिए रामकृष्णपुरम में भूमि का अर्जित किया जाना	Land acquired at R. K. Puram for allotment to M.Ps. . .	96
10001.	खाद्य-अपमिश्रण के मामलों में वृद्धि	Increase in Adulteration of Food .	96-97
10002.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज, नई दिल्ली में आरक्षित स्थानों के लिए दाखिला	Admission against the unreserved seats in Lady Hardinge Medical College, New Delhi . .	97-98
10003.	परिवार नियोजन अभियान के दोषों को दूर करना	Removal of defects from family Planning Campaign . .	98-99
10004.	डेरियस आशोधित तेल का मूल्य घटाने के लिए नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी के साथ हुए समझौते का पुनरीक्षण	Revision of agreement with national Iranian Oil Company for reduction in price of Daries crude . .	99-100
10005.	मकानों के लिये पूर्व निर्मित ढांचे बनाने के नए कारखाने के निर्माण के प्रस्ताव की जांच करने के लिए नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति के कार्यकाल को बढ़ाना	Extension given to expert committee appointed to examine proposals for new pro-fabricated Housing factories .	100

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10006.	मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा मद्रास में दिया गया वक्तव्य	Statement made by the Prime Minister in Madras *re* Price rising trend	101
10007.	पेट्रोल और मिट्टी के तेल के दामों में वृद्धि	Increase in prices of Petrol and Kerosene .	101-102
10008.	ग्रीन पार्क तथा ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली में मकानों के नम्बर अनियमित ढंग से देना	Irregular numbering of houses in Green Park and Green Park Extension New Delhi	102
10009.	दिल्ली में हरिजनों को दिए गये प्लाटों के स्वामित्व अधिकार	Ownerships rights of Plots alloted to Harijans in Delhi .	102
10010.	अखिल भारत नेत्र सुधार संघ, लाजपत नगर, नई दिल्ली	Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh, Lajpat Nagar, New Delhi .	102-103
10011.	कोटला मुबारकपुर क्षेत्र के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना का प्रारूप	Draft Scheme of D.D.A. for Kotla Mubarakpur Area .	103
10012.	कोटला मुबारकपुर, दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई	Supply of drinking water in Kotla Mubarakpur, Delhi .	104
10013.	पंचकुइयां रोड स्थित क्वाटरों में बिजली लगाना	Electrification of Panchkuin Road Quarters	104-105
10014.	कनाडा के साथ ऋण सम्बन्धी करार	Local agreement with Canada .	105-106
10015.	पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जिले में तांबा क्षेत्र का पता लगाना	Discovery of Copper bearing zone in Purulia District, West Bengal .	106
10016.	फिल्म उद्योग से करों की बकाया राशि की मांग	Impact of demand for Arreasrs of taxes from the Film Industry	106-108
10017.	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे लोगों को ऋण लेने की सुविधाएं दिया जाना	Extending of facilities to Small Borrowers by Nationalised Banks	108
10018.	उत्पादन शुल्क के स्थान पर बिक्री कर लगाना	Replacement of excise duty by Sales Tax	108-109

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10019.	भारतीय तेल निगम द्वारा भारत-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी तथा एस्सो के प्रति कथित पक्षपात	Alleged favour shown to I.B.P. and ESSO by Indian Oil Corporation . . .	109
10020.	उत्तर बिहार में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी	Scarcity of Kerosene oil in North Bihar . .	109-110
10021.	जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन	Re-organisation of L.I.C. .	110
10022.	ऋण राशियों के अप्रयुक्त भाग पर बचनवद्धत शुल्क लगाना	Commitment charge on unutilised portion of credit limits	110-111
10023.	सब्जी मंडी, दिल्ली के दुकान-दारों की ओर बकाया ब्याज	Arrears of interest against shop-keepers of Subzimandi, Delhi .	111-112
10024.	आज़ादपुर, दिल्ली में फल तथा सब्जी की नई मार्कीट	New fruit and Vegetable Market at Azadpur, Delhi . .	112-113
10025.	अधिकारियों द्वारा आयकर विवरण पेश करना	Filing of Income-Tax Returns by Officers	113
10026.	मध्य प्रदेश में आयकर की बकाया राशि को बट्टेखाते में डालना	Writing off of arrears of Income-tax in Madhya Pradesh . . .	113
10027.	मूल्यों में उतार-चढ़ाव	Increase/Decrease in Prices . .	113-114
10028.	भारतीय उर्वरक निगम के नामरूप कारखाने को दी गई प्राकृतिक गैस के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Natural Gas supplied to Namrup unit of Fertilizer Corporation of India	114-115
10029.	कुष्ठ रोगियों के लिए लाभ-कारी व्यवसाय	Gainful occupation for Leprosy Patients	115
10030.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	National Malaria Eradication Programme	115-116
10031.	दिल्ली स्थित आयकर विभाग में कर्मचारी	Staff in Income-tax Department Delhi .	116-117
10032.	आय-कर विभाग, दिल्ली में पदोन्नतियां	Promotions in Income-tax Department Delhi .	117-118

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10033.	गैर-सरकारी संस्थाओं द्वार किसानों को ऋण दिया जाना	Providing of loans to farmers by Private Institutions . .	118–119
10034.	डेरा इस्माइल खां कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली को अलाट की गई भूमि का विकास	Development of Land Allotted to Dera Ismail Cooperative House Building Society, Delhi . .	119
10035.	डेरा इस्माइल खां कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली की वार्षिक बैठक	Annual Meeting of Dera Ismail Khan Cooperative House Building Societies, Delhi . . .	120
10036.	बरौनी तेल-शोधक कारखाने में स्थानीय लोगों को काम पर लगाया जाना	Employment of Local People Barauni Oil Refinery . . .	120
10037.	भारतीय तेल निगम द्वारा हिन्द गैलवनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी पर दायर किये गये दावे की राशि	Amount of Claim filed by Indian Oil Corporation for recovery from Hind Galvanising and Engineering co.	121
10038.	आयकर अधिकारियो की विभागीय परीक्षाएं	Departmental Examination of Income Tax Officers . . .	121–122
10039.	पैट्रोल पम्पों में नकली हाई स्पीड डीजल तथा पेट्रोल की बिक्री	Sale of Spurious High Speed Diesel and Petrol at Petrol Pumps .	122
10040.	हिमालय तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पाये जाने वाले खनिज	Minerals Found in Areas of Himalayas and U.P. . .	122
10042.	संसद् सदस्यों को 'पी' फार्म की अनुमति तथा विदेशी मुद्रा की मंजूरी	Grant of 'P' Forms and release of foreign exchange to M.Ps. .	123
10043.	मंत्रियों के विदेशों के दौरे	Visits by Ministers Abroad	123
10044.	राष्ट्रीयमंडल विकास निगम द्वारा सहायता	Assistance from Commonwealth Development Corporation .	123–125
10045.	अमरीका और रूस से सहायता	Aid from U.S.A. and U.S.S.R.	125–127
10046.	झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की स्वामित्व अधिकार के बारे में प्रधान मंत्री के निवास के सामने प्रदर्शन	Demonstration before Prime Minister's Residence *re.* ownership Rights to Jhuggi Jhonpri Dwellers	127–128

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10047.	ग्रामीण ऋण को सहकारी ऋण तथा अन्य बैंकों के ऋण से सम्बद्ध करने का प्रस्ताव	Proposal to Integrate Rural Credit with cooperative Credit and Credit from other Banks	128-129
10048.	विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के कारण ओबराय इन्टरकांटिनेंटल पर छापे	Raids on Oberoi Intercontinental for Violation of Foreign Exchange Regulations	129
10049.	तेल व प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात तथा आसाम में अशोधित तेल के भण्डारों का अनुमान	Assessment of Crude Reserves in Assam and Gujarat by O.N.G.C. . .	130
10050.	दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय	C.G.H.S. Dispensaries in Delhi .	130-131
10051.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये गये प्लाट	Plots developed by Delhi Development Authority . . .	131
10052.	रामकृष्णपुरम् नई दिल्ली में पेय जल की कमी	Acute Shortage of Drinking Water Supply in R. K. Puram, New Delhi . . .	132-133
10053.	दिल्ली के झुग्गी निवासियों के लिये बहुमंजिले मकान	Multi-Storeyed Tenements for Jhuggi Dwellers of Delhi .	133
10054.	ईस्ट इण्डिया होटल को दिल्ली में रियायती दरों पर भूमि का दिया जाना	Lands to East India Hotel, Delhi at Concessional Rate . .	133-134
10055.	होम्योपेथिक केन्द्रीय परिषद् विधेयक	Homoeopathic Central Council Bill	134
10056.	प्रमुख नगरों में गन्दी बस्ती सफाई योजना	Slum clearance schemes in Capital Cities	134
10057.	पटेल नगर-दो दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय के हिताधिकारियों को परेशान करना	Harassment caused to beneficiaries of C.G.H.S. Dispensary in Patel Nagar, II, Delhi . . .	134-135
10058.	आर्थिक कार्य विभाग में आर्थिक अनुसंधाता	Economic investigators in the Department of Economic Affairs .	135-136
10059.	पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट, चण्डीगढ़ द्वारा अनुसंधान कार्य के लिए और अधिक धन की मांग	Demand of more Funds for research work by the post Graduates Institute Chandigarh . .	136-137

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10060.	स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़ के रोगियों के परिचरों के लिये धर्मशाला	Dharamsala for Attendents of Patients of Post Graduates Institute, Chandigarh	137
10061.	गैर-सरकारी खान मालिकों द्वारा खनिज संसाधनों का दुरुपयोग	Misuse of Mineral resources by Private Mine Owners . .	137-138
10062.	केन्द्रीय लोक निमार्ण विभाग में नक्शानबीसों (ड्राफ्ट्समैनों) के पद	Posts of Draftsmen in C.P. W.D. . . .	138-139
10063.	केन्द्रीय डिज़ायन संगठन का पृथक् एकक	Separate Unit of Central Designs Organisation	139
10064.	बिहार में मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Kerosene Oil in Bihar	140
10065.	राज्यों से करों के रूप में आय	Tax Revenue from States	140
10066.	सामान्य पूल से क्वाटरों के अधिग्रहण में डाक्टरों तथा चतुर्थ क्षेणी के कर्मचारियों के बीच भेदभाव	Discrimination between Class IV Staff and Doctors in acquiring Quarters from General Pool .	140-141
10067.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों के लिये छुट्टियां	Holidays for chowkidars of C.G. H.S. Dispensaries . . .	141
10068.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत	Interim Relief for Central Government Employees . . .	141-142
10069.	कुनैन का उत्पादन	Production of Quinine	142
10070.	नई दिल्ली के मिण्टो रोड में फ्लैटों का निर्माण	Construction of Flats in Minto Road, Area, New Delhi . .	143
10071.	शारदा अधिनियम को लागू करना	Enforcement of Sharda Act .	143
10072.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना में दवाईयों की चोरी	Pilferage of Medicine in C.G.H. Scheme	143-144
10073.	कैंसर के इलाज के लिये नयी प्रतिजीवाणु औषधि	New antibiotic for Cancer .	145

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10074.	बम्बई तथा कलकत्ता में आयकर आयुक्तों द्वारा निपटाई गई पुनरीक्षण याचिकाएं	Revision petitions disposed by commissioners of income tax in Bombay and Calcutta .	145
10075.	आयकर अपवंचन की सूचना देने वाले व्यक्ति	Informants of Income-tax evasion . . .	145-146
10076.	अध्ययन दल का आयकर निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report on Study Team on Income-tax assessment . . .	146-147
10077.	त्रिपुरा में आंत्र शोध महामारी	Gestro enteritis epidemic in Tripura	147
10078.	दक्षिण दिल्ली में खादानों का सर्वेक्षण	Survey of Quarries in South Delhi	148
10079.	नई दिल्ली स्थित त्यागाराजा नगर के निवासियों की शिकायत	Grievances of Residents of Tyagaraja Nagar, New Delhi . .	148-149
10081.	सिलेक्शन ग्रेड के दफ्तरी	Selection Grade Daftries	150
10082.	करापवंचन के लिये दंड देना	Punishment for Evasion of Taxes .	150-151
10083.	साउथ एवेन्यु स्थित संसद् सदस्यों के फ्लैटों के निर्माण सम्बन्धी नया कार्य	New Construction Work in M.P. Flats at South Avenue . .	151
10084.	आयुर्विज्ञान संबंधी उच्चत्तर अध्ययन के लिये भारतीय विद्यार्थियों को विदेशी छात्रवृत्तियां	Foreign Scholarships for Higher Studies in Medicine to Indian Students . . .	151-152
10085.	विलिंगडन अस्पताल का नाम डाक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर रखा जाना	Renaming of Willingdon Hospital after Dr. Ram Manohar Lohia	152
10086.	आयकर विभाग में विशेष कार्य प्रणाली	Functional System in Income-Tax Department	153
10087.	बिहार में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme in Bihar	153-154
10088.	उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर 1969-70 में हुआ व्यय	Expenditure on Family Planning Programmes in U. P. during 1969-70	154

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10089.	देश में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres in the Country	155
10090.	दिल्ली में विदेशी शासकों की मूर्तियां	Statues of Foreign Rulers in Delhi	155
10091.	कोयला खानों के मालिकों द्वारा डाइनेमाइट के प्रयोग के कारण मकानों को क्षति	Houses demaged due to Use of Dynamite by Colliery Owners	156
10092.	अल्यूमीनियम पर मूल्य नियंत्रण	Price Control on Aluminium	156-157
10093.	पूजा करने के लिये अधिकारियों को डी-दो टाईप फ्लैटों का आवेदन	Allotment of D-II Type Flats to Officials for Performing Pooja	157-158
10094.	तस्करी गिरोह में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के आचरण की जांच	Enquiry into Conduct of Officers Involved in Smuggling Racket	158
10095.	अधिकारियों को अपनी पत्नियों से ऋण लेने की अनुमति देना	Grant of Permission to Officers for Accepting Loans from their wives	158-159
10096.	कलकत्ता में सुरेन्द्रनाथ पार्क को लैनिन पार्क नया नाम देना	Renaming of Surendranath Park in Calcutta as Lenin Park	159
10097.	विंडसर प्लेस नई दिल्ली स्थित सदस्यों के सेवकों के क्वार्टरों में बिजली की व्यवस्था	Electricity in Servants Quarters of M.Ps. at Windser Place, New Delhi	159-160
10098.	राष्ट्रीय अल्प बचत योजना	National Small Savings Scheme	160
10099.	संसद् सदस्यों के सेवकों के क्वाटरों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति	Posting of C.P.W.D. Sweepers in Servant Quarters of Members of Parliament	161
10100.	गोवा उर्वरक परियोजना म विदेशियों और भारतीयों के शेयर	Shares of Foreigners and Indians in Goa Fertilizer Project	161-162
10101.	खनिज तेलों का आयात	Import of Mineral Oils	162
10102.	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि योजना के अधीन वित्तीय सहायता	Financial assistance under UNICEF Scheme	162-163
10103.	तीमारपुर कालोनी, दिल्ली में जल सप्लाई की कमी	Shortage of Water Supply in Timarpur Colony, Delhi	163-164

अता० प० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
10104.	गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण दिया जाना	Loans advanced to Private Sector Concerns	164
10105.	वायु सेना लेख में कार्य करने वाले एक सहायक लेखा अधिकारी का एक स्थान पर कार्य करना	Stay of an Assistant Accounts Officer at one Place in Air Force Accounts	164—165
10106.	वायु सेना (लेखे) के कुछ लेखा अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaint against some Accounts officers of Air Force (Accounts)	165—166
10107.	देश में तस्करी की मात्रा की जांच के लिए आयोग	Commission to enquire in to extent of smuggling in the country	166
10108.	नेपाल से चांदी की तस्करी	Smuggling of Silver from Nepal	166—167
10109.	पोलीएस्टर फाइबर के संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Polyster Fibre Plants	167—168
10110.	बकाया करों की वसूली	Recovery of Tax Arrears	168—169
10111.	कोका कोला कम्पनी के मालिकों द्वारा धन बाहर भेजना	Repatriations of Money by Proprietors of Coca Cola Co.	169
10112.	नया मोती नगर, नई दिल्ली, में पानी की सप्लाई	Water Supply in New Moti Nagar, New Delhi	169—170
10113.	अधिक मात्रा में गंधक का प्रयोग किये बिना फोसफेटिक उर्वरक के उत्पादन की प्रक्रिया	Process for Production of Phosphatic Fertilizers without using Large Quantity of Sulphur	170—171
10114.	विभिन्न मंत्रालयों में द्विवभाषिये	Interpretors in various Ministries	171
10115.	दस रुपये वाले महात्मा गाँधी स्मृति सिक्के	Ten-Rupee Mahatma Gandhi Commemorative Coin	171
10116.	कस्टम्स हाउस, कलकत्ता के निवारक अधिकारी	Preventive Officers of Customs House Calcutta	172
10118.	तीसरे वेतन आयोग के सदस्यों के चयन के बारे में सिद्धान्त	Principles *re* Choosing Members of Third Pay Commission	172
10119.	आसाम, त्रिपुरा तथा मनीपुर में कर-अपवंचन के मामले	Cases of Tax Evasion in Assam, Tripura and Manipur	172

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय / Subject	पृष्ठ/Pages
10120.	इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाना Suit Filed by I.O.C. against Hind Galvanising and Engineering Co.	173
10121.	इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा हिंद गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंगकम्पनी के साथ कथित पक्षपात Alleged under Favour Shown to Hind Galvanising and Engineering Company by I.O.C.	173—174
10122.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारी Employees in Nationalised Banks	174
10123.	तेल कम्पनियों द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों पर कमीशन में संशोधन Revision of Commission on Petroleum Products by Oil Companies	174
10124.	गारो की पहाड़ियों में तेल निकालने का अभियान Oil drilling Operation in Garo Hills	174
10125.	भारतीय प्राइवेट डाक्टर संघ की मांगें Demand of the Private Medical Practitioner's Association of India	175
10126.	आयकर निगम में चपरासियों की नियुक्ति Appointment of peons in Income-tax Department	175—176
10127.	चिकित्सा स्नातक Medical graduates	176
10128.	पैट्रोलियम तथा इससे सम्बद्ध उत्पादों का उत्पादन Production of Petroleum and Allied Products	176—177
10129.	बुडला चिकित्सा कालेज, उड़ीसा को मान्यता Recognition of Burla Medical College Orissa	177—178
10130.	चलचित्रों की तस्करी Smuggling of Films	178—179
10131.	मैसूर राज्य के खान मालिक श्री पोतदार से वसूल किया गया आयकर Income-tax collected from Shri Potdar, Mines Owner of Mysore State	179
10132.	संसार के विभिन्न देशों में प्रत्यक्ष कराधान का भार Burden of Direct Taxation in various countries of the world	179—180
10133.	तीन भारतीय तेल निगमों के तेल शोधक कारखानों की तुलना में गोहाटी तेल शोधक कारखाने के कच्चे तेल के उत्पादन में कमी Decline in crude output at Gauhati Refinery *Vis-a-vis* three Indian Oil Corporation's refineries	180—181
10134.	इरविन अस्पताल, नई दिल्ली में महिलाओं का पुरुष डाक्टरों द्वारा परीक्षण Examination of ladies by male Doctors in Irwin Hospital, New Delhi	181

विषय	Subject	PAGES
10135. कोचीन तथा कलकत्ता के सीमाशुल्क विभाग के कर्मचारी	Employees of Customs Department at Cochin and Calcutta	181-182
10136. कोचीन के केन्द्रीय सीमाशुल्क विभाग में कलक्टर की नियुक्ति	Appointment of Collector in Department of Customs and Central Excise, Cochin	182-183
10137. बिहार के जिला अस्पताल में प्रसूति बिस्तर	Maternity Beds in District Hospital of Bihar	183
10138. संसद् सदस्यों द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका में जमा की गई जमा राशि की वापस अदायगी	Refund of Security Deposited by Member of Parliament with N.D.M.C.	183-184
10139. भारत सरकार के फार्म स्टोर एण्ड प्रैस, कलकत्ता के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कार्य	Duties performed by class IV Employees of Government of India Forms Store and Press, Calcutta	184
10140. ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड द्वारा प्राप्त ऋणों के लिए गारंटी	Guarantee for loans received by East India Hotels Ltd.	185
10141. सरकारी अधिकारियों का नवाब रामपुर के निवास स्थान पर जाना	Government Officials Visit to Residence of Nawab of Rampur	185-186
10142. बेगम रामपुर की मूल्यवान वस्तुएं	Valuables belonging to Begum of Rampur	186
10143. चीन और पाकिस्तान से चोरी-छिपे माल का लाया जाना	Smuggling from China and Pakistan	186-187
10144. फिल्मी सितारों से आयकर	Income-tax due from Film Stars	188
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
वैदेशिक व्यापार मंत्री द्वारा दिया गया कथित वक्तव्य	Reported statement of the Minister of Foreign Trade.	188-194
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	194
विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill	197
मद्रास में रेलवे फायरमैनों की हड़ताल के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया	Statement Re. Strike by Railway Firemen at Madras—Laid on the Table	197-199
श्री नन्दा	Shri Nanda	197-199

विषय	Subject	PAGES
मद्रास पत्तन पर गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement *Re.* Strike by Dock Workers at Madras Port .	199
श्री संजीवैया	Shri D. Sanjivayya	199
संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक, 1970	Contitution (Twenty-Forth Amendment Bill) 1970 . .	200-205
पुर्नःस्थापित करने का प्रस्ताव—	Motion to Introduce—	—
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan . .	200
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo .	200-203
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh .	203
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	203
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha .	204
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	204
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon . .	205
रेलवे अभिसमय समिति के बारे में संकल्प	*Resolution Re.* Railway Convention Committee . .	206-209
तेलगांना समस्या पर चर्चा	Discusion *Re.* Telengana Problem . . .	209-232
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal .	209-210
श्री नारायण रेड्डी	Shri M. N. Reddy . .	210-214
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikantamma .	214
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua .	214-215
श्री जी० एस० रेड्डी	Shri G. S. Reddi . .	215-217
श्री आ० त्रि० शर्मा	Shri A. T. Sarma . .	217-218
श्री को० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana .	218-219
श्री कन्डप्पन	Shri S. Kandappan . .	219-220
श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai .	220-221
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair . .	221-223
श्री जी० वेंकटस्वामी	Shri G. Venkataswamy	223
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray .	223-224
श्री के० रमानी	Shri K. Ramani . .	224-226
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ail Mirza . .	226-228
श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	228
श्री दत्तात्रय कुंटे	Shri Dattatraya Kunte .	228-230
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan . .	230-232

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 18 मई, 1970/28 वैशाख, 1892 (शक)

Monday, May 18, 1970/*Vaisakha* 28, 1892 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आवर्तक निधि के संचालन के बारे में मद्रास में मेयरों द्वारा की गई मांग

*1681. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मेयरों ने मद्रास में यह मांग की थी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली आवर्तक निधि के संचालन में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने की पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए और इस सम्बन्ध में कोई कठोर सिद्धान्त नहीं बनाया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) इस बारे में, मेरे मंत्रालय में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मंत्री महोदय का जबाब बहुत विचित्र मालूम होता है । वे कहते हैं कि महापौरों के सम्मेलन से कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है । 22 अप्रैल के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में इसके संबंध में जो समाचार छापा गया था, उसमें से मैं एकाध वाक्य उद्धृत करूंगा : "महापौरों के अखिल भारतीय परिषद् ने अपनी नवीं बैठक में एक संकल्प पारित कर इस बात से खेद प्रकट किया कि सरकार द्वारा किय गए आवर्ती निधि संबंधी प्रस्ताव में विनियोजित पूंजी से ोध प्रतिकूल प्राप्त करन पर जोर दिया गया है । उन्हें यह महसूस हुआ कि सरकार का यह रवैया बाहरी इलाकों में गंदी बस्तियों के हटाने और बिगड़ती आवास संबंधी समस्याओं के हल के लिए सहायक न होगा ।"

इस में आगे यों कहा गया है :

"परिषद् ने एक अन्य संकल्प में सरकार से अपील की है कि मनोरंजन कर, शिक्षा संबंधी कर जैसे कुछ कर उन नगर निगमों को उपलब्ध कर दिये जाएं जिन्हें इस समय वह उपलब्ध नहीं होता ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में, आप को इन सारी बातों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं । आपका प्रश्न क्या है ?

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण विषय है, मगर सरकार कहती है कि उन्हें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । मेरी पहली दलील यह है कि सरकार को समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट से अवगत होना चाहिए था । आवास की समस्या बहुत अधिक गंभीर हो गई है सरकार के रिपोर्ट से मुझे पता लगा है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए 837 लाख मकानों की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछ लीजिये । मैं इस तरह की बातें चलने नहीं दूंगा ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : प्रश्न यह है । दो साल पूर्व अमरीका के सिनेटरों ने भारत सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था कि भारत में 4 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए वे 250 लाख डालर ऋण के रूप में देंगे, मगर सरकार ने इस को अस्वीकृत किया । इस का मतलब यह है कि सरकार इस समस्या को सुलझाने में तत्पर नहीं थी ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस समय वाद-विवाद मत कीजिये । आप अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : ऐसा लगता है कि सरकार ने इस समस्या को विस्तार से समझा नहीं, इसीलिए हमें इस की पृष्ठभूमि देनी पड़ती है । इस प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि इस के हक के लिए सरकार क्या उपाय सोच रही हैं ? 200 करोड़ रूपए की आवर्ती निधि से क्या इस समस्या का समाधान किया जा सकता है ? क्या केवल कलकत्ता, मद्रास, बम्बई जैसे महानगरों को ही राहत पहुंचाने का सरकार का विचार है ? ग्रामीण इलाकों में आवास की सुविधायें प्रदान करने के लिए इस आवर्ती निधि में से कितना अंश खर्च किया जाएगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है, मगर माननीय सदस्य की जानकारी के लिए, मैं उन से कहूंगा कि 250 लाख डालर से 200 लाख मकानों का निर्माण करना संभव नहीं है । हमें 8.37 करोड़ आवास एककों की आवश्यकता है और उस में 33,000 करोड़ रुपए की लागत होगी । यह केवल आवर्ती निधि द्वारा ही संभव होगा । अतः मैं इस संबंध में महापौरों की बैठक से कुछ सूचना की प्रतीक्षा कर रहा हूं । यहां भी मैं माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि महापौरों का यह

सम्मेलन मंत्रालय द्वारा बुलाई गई महापौरों की बैठक से भिन्न है। पहले महापौरों की दो दिवसीय बैठक हुई और उसमें उन्होंने कुछ संकल्प पारित किये। उसके बाद आवास मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक मद्रास में हुई। जैसा मैंने अभी कहा, मैं उनके संकल्प की प्रतीक्षा गर रहा हूं। अनौपचारिक तौर पर मैंने उनसे इस संबंध में विचार विमर्श किया और उनकी शंकाओं के निवारण करने की कोशिश की। मैंने उनको बता दिया है कि गन्दी बस्तियों को फिर कैसे शीघ्र हटाया जा सकता है और इस कार्य में लगाई गई पूंजी से कैसे शीघ्र प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि जब यह कार्य आरंभ होगा, तो माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह सपस्ट हो जाता है कि वे जानते है कि मद्रास में हुई अखिल भारतीय महापौरों की बैठक का क्या परिणाम निकला। हाल में कलकत्ता नगर निगम के महापौर ने एक वक्तव्य में कहा कि "कलकत्ता में कुछ और मकानों के निर्माण के लिए और गंदीबस्तियों के हटाने के लिए हम कुछ राशि मांग रहे हैं। अगर भारत सरकार मांगी गई राशि तीन महीनों के अन्दर नहीं देती है, तो हमें कुछ अन्य कार्रवाई अपनानी चाहिए।" यह एक खुला हुआ वक्तव्य है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार का क्या मत है। क्या वे कलकत्ता की गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए महापौर द्वारा मांगी गई राशि दे रही है यदि नहीं, तो न केवल कलकत्ता में, बल्कि अन्य स्थानों में भी, महापौरों की धमकी और दबाव के वशीभूत हुए बिना चन्द लाख मकानों का निर्माण करने की सरकार की क्या योजना है?

श्री के० के० शाह : मुझे खेद है कि मेरे मननीय मित्र अब तक तत्संबंधी जानकारी से अवगत नहीं हैं। इस पर चर्चा हुई थी, और प्रधान मंत्री ने गंदी बस्तियों को हटाने, मकान का निर्माण करने, जल सप्लाई और मलजल को हटाने संबंधी कार्यों की देखरेख के लिए मंत्रिमंडलीय सचिव को नियुक्त किया है। मेरे दो सचिव वहां गए और तत्संबंधी योजना निर्धारित की है।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : क्या आप उस योजना का ब्यौरा दे सकते हैं ?

श्री के० के० शाह : जैसा मैंने पिछली बार बताया था, चौथी योजना के कुछ आवटन में से 40 करोड़ रूपए इस के लिए निश्चित किये गए और अतिरिक्त राशि की व्यवस्था के संबंध में विचार किया जाएगा।

प्रमुख बैंक (लीड बैंक) योजना

*1682. **श्री रवि राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष नवम्बर में नारीमन समिति ने 'लीड बैंक स्कीम, की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बैंकर्स की स्थायी समिति ने उन सिफारिशों का समर्थन किया था; और

(ग) इस सम्बन्ध में नारीमन समिति ने क्या सिफारिशें की थीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी): (क), (ख) और (ग) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

जुलाई 1969 में 14 मुख्य भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के शीघ्र बाद "सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शाखा-विस्तार कार्यक्रमों में तालमेल बिठाने के उद्देश्य से इन कार्यक्रमों की जांच करने के लिए" रिजर्व बैंक द्वारा श्री एफ० के० एफ० नारीमन की अध्यक्षता में बैंककरों की एक समिति नियुक्त की गयी थी। समिति ने नवम्बर, 1969 में अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को पेश कर दी थी। समिति की एक सिफारिश यह थी कि बैंकों को विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भाग लेना चाहिये और इस नयी भूमिका को निबाहने के लिये प्रत्येक बैंक को कुछ खास खास जिलों में अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये और उन जिलों में इसे 'नेता बैंक' (लीड बैंक) के रूप में काम करना चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये समिति ने, वृहद बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के महानगरों तथा चंडीगढ़, दिल्ली और गोआ के संघीय राज्य क्षेत्रों को छोड़कर भारत संघ के सभी जिलों को, भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंकों, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों अर्थात आन्ध्र बैंक लिमिटेड और बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड के बीच बांट दिया।

2. "नेता बैंकों" के सिद्धान्त की सिफारिश करने में, नारीमन समिति ने उस "क्षेत्रीय दृष्टि-कोण" का अनुसरण और निरूपण किया था जिसका प्रतिपादन पहले राष्ट्रीय ऋण परिषद द्वारा योजना आयोग के उपाध्यक्ष, प्रो०डी०आर० गाडगिल की अध्यक्षता में नियुक्त किये गये अध्ययन दल द्वारा कया गया था। बैंकिंग व्यवस्था के विद्यमान ढाचे और ऋण संबंधी कमियों के स्वरूप का विश्लेषण करने के बाद, अध्ययन दल ने सिफारिश की थी कि इस बात का ध्यान रखते हुए कि वाणिज्यिक बैंकों के क्रिया कलापों का क्षेत्र कौन-सा है और वे कहां पर स्थित हैं, इन बैंकों को किसी एक क्षेत्र में खास-खास जिले सौंपे जाने चाहिएं जहां उन्हें समन्वित बैंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने में अग्रणी के रूप में काम करना चाहिए और इस प्रकार देश के सभी जिलों को इस योजना के अन्तर्गत लाना चाहिए।

3. नारीमन समिति की सिफारिशों पर बैंकरों की स्थायी समिति की बैठक में विचार किया गया था जो 12 दिसम्बर, 1969 को रिजर्व बैंक के गवर्नर के सभापतित्व में हुई थी। उक्त बैठक में नारीमन समिति की रिपोर्ट में, जिलों के प्रस्तावित आवंटन के बारे में काफी असन्तोष प्रकट किया गया। इसके बाद, रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के अध्यक्षों। अभिरक्षकों से यह कहा गया कि जिलों के प्रस्तावित आवंटन में यदि वे कोई परिवर्तन करना जरूरी समझते हों तो उस संबंध में अपने सुझाव दें। विभिन्न बैंकों के अध्यक्षों। अभिरक्षकों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने जिलों के आवंटन में, जिसकी सिफारिश नारीमन समिति ने की थी, कुछ फेरबदल कर दिये। सम्बद्ध बैंकों के बीच जिलों का फिर से आवंटन करने में, रिजर्व बैंक ने दो मुख्य कसौटियां अपनायीं। पहली यह कि किसी बैंक-विशेष को जो जिले सौंपे जायं वे, जहां तक सम्भव हो, एक दूसरे

के साथ जुड़े हुए हों ताकि बैंक किसी क्षेत्रविशेष में अपनी शक्ति उपयोगी ढंग से लगा सके। दूसरी यह कि किसी बैंक को आवंटित जिलों की संख्या, उस बैंक में जमा रकमों और शाखाओं की विद्यमान संख्या के बारे में बैंक की सापेक्ष शक्ति के अनुपात में होनी चाहिए। नेता बैंकों को जिलों का जो आवंटन किया गया है वह वित्त मंत्रालय की वर्ष 1969-70 की रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 97 से 101 तक में दिखाया गया है इस रिपोर्ट की प्रतियां माननीय सदस्यों को कुछ सप्ताह पहले मिल चुकी हैं।

4. नारीमन समिति की अन्य मुख्य सिफारिशें, संक्षेप में, नीचे दी गयी हैं:—

(1) 31 दिसम्बर, 1970 से पहले देश के सभी बैंक-रहित कस्बों (1961 की जनगणना रिपोर्ट में वर्गीकृत 'कस्बों') में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों की स्थापना कर दी जानी चाहिए।

(2) शेष गैर-बैंकिंग राजकोषों और उप-राजकोषों को, जितनी जल्दी हो सके, बैंकिंग राजकोषों और उप-राजकोषों में बदलने के उद्देश्य से, समिति ने सिफारिश की कि रिजर्व बैंक को इन राजकोषों और उप-राजकोषों के आवंटन के संबंध में जल्दी ही अन्तिम रूप से फैसला करना चाहिये।

(3) समिति ने रिजर्व बैंक द्वारा पेश की गयी इस योजना का अनुमोदन किया कि सरकारी क्षेत्र के बैंक आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य-प्रदेश, मैसूर और उत्तर प्रदेश के चुने हुए जिलों में प्राथमिक ऋण समितियों को सीधे वित्त प्रदान करें और इस प्रकार सहकारी क्षेत्र के प्रयत्नों की अनुपूर्ति करें।

इस सिफारिशों को मोटे रूप से स्वीकार कर लिया गया है और इन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है।

SHRI RABI RAY: Under existing procedure in Banks, people in villages have to experience a lot of difficulties as regards drawing of loans. Has the hon. Minister paid his attention towards this recommendation of Gadgil Study Team.

"ऋण गारन्टी योजना की वर्तमान कार्यप्रणाली का परीक्षण किया जाना चाहिये और एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये जिससे ऋण सम्बन्धी सुविधाओं में कुछ सरलता आ जाय, और इन्हें नए क्षेत्रों में लगाया जाना चाहिये जिस से बैंक एंव ऋण देने वाली संस्थाओं को छोटे एंव निर्धन क्षेत्रों को सहायता देने में सुविधा मिल सके"।

As has been done in Japan, would the hon. Minister in view of the above recommendation try to formulate Lead Banks in such a way as to make a provision —Credit Guarantee Scheme to small farmers and small industrialists?

श्री प्र० चं० सेठी: कार्य समिति की यह सिफारिश हमारे मस्तिष्क में है और हम ऋण देने के परम्परागत तरीकों में परिवर्तन करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे जहां तक छोटे किसानों एवं छोटे उद्योगों की सुरक्षा का प्रश्न है, जहां तक भी सम्भव हो इसे सरल बनाया जा सके। परम्परागत तरीकों को दूर करने के लिये हम कार्यवाही कर र हैं। इस में कुछ समय लगेगा।

SHRI RABI RAY: Have the Government identified all the unbanked areas in the country at present? In how many rural areas, the Government have decided to start the Lead Bank branches by December 1970? What difficulties the Government are facing in this regard and the steps being taken to remove them?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक ऐसे क्षेत्रों का सम्बन्ध है जहां बैंकों की सुविधायें नहीं हैं, 1961 की गणना के अनुसार ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं। हम उन क्षेत्रों में शाखायें खोल रहे हैं और 600 शाखायें 30 जून 1970 तक खोली जायेंगी। जो 1400 शाखायें खोली जा रही हैं उनमें से अधिकतर उन ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जायेंगी जो बैंक रहित क्षेत्रों से अलग हैं।

SHRI RABI RAY: Has it not been identified by the Government that in which part of the country and in which district these unbanked areas exist?

श्री प्र० चं० सेठी : हमारे पास इसका ब्यौरा नहीं है। हमने देश के सभी राज्यों के प्रत्येक ज़िले में इन बैंकों की व्यवस्था की है।

SHRI K. N. TIWARY: As regards the banks you are going to open would you tell us as to what would be the employment potential and the expenditure there on?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न के क्षेत्र से यह बात बिल्कुल अलग है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार: क्या मैं जान सकता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लीड बैंकों का विस्तार वहां की ऋण सम्बन्धी समस्याओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है और लीड बैंकों की इस योजना से कहां तक इस समस्या को हल किया जा सकता है?

श्री प्र० च० सेठी : लीड बैंक योजना की सिफ़ारिश गैडगिल समिति ने की थी और उसके पश्चात नारीमन समिति ने। नारीमन समिति की सिफ़ारिशों के उपलब्ध होने के पश्चात इस समस्या को आगे रिज़र्व बैंक ने विचार विमर्श द्वारा सुलझाया क्योंकि कुछ अन्य बैंकों ने अपने अपने सुझाव दिये थे। अभी से इसकी सफ़लता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लीड बैंक एक विस्तृत दृष्टिकोण से क्षेत्रों का सर्वेक्षण करेगा और किसान को इस समस्या से कि वे साहूकारों को ऊंची दर पर ब्याज दे रहे हैं, मुक्ति दिलाने का प्रयत्न करेगा।

SHRI MADHU LIMAYE: The hon. Minister might certainly be knowing that all the areas in India are un-equally developed so far as the question of bank deposits is concerned, for example, the number of deposits in South Kanara district alone is so large that it exceeds even to the total number of Orissa State. The areas of Bihar and Rajasthan are also lagging behind. I would like to know from the hon. Minister whether the scheme under Nationalisation and he intends to bring before the House would be brought forward before the end of the Sessions and whether the Government would provide all the details regarding unequal deposits in order to be relieved of the problem? To make deposits, is a way to increase savings of the people, whether he would inform the House regarding the same?

SHRI P. C. SETHI : Mr. Speaker, It is a fact that certain areas are backward from banks point of view and lagging behind as regards the mobilization of their deposits. The hon. Member has specially made a reference to the areas of Bihar. I would like to seek his co-operation so far as the mobilization of deposits in Bihar is concerned.

As regards the scheme, it is not possible to bring it before the House by the end of Session, but we are trying to bring it in near future.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में आशा का संचार हुआ है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि किसानों को लम्बी अवधि की व्यवस्था पर अग्रिम धनराशि दी जायगी और किसानों से वसूल की जाने वाली ब्याज की दर क्या होगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : ब्याज की दर इस बात पर निर्धारित की जायगी, कि क्या ऋण दीर्घ अथवा अल्प अथवा बीच की अवधि के लिये दिये जाने हैं। दिये जाने वाले ऋण की शर्तों एवं अवधि के देखते हुए, ब्याज की दर लगभग 9 प्रतिशत होगी।

श्री हेम बरुआ : कुछ समय पहले यह कहा गया था कि कुछ बैंक दिल्ली में स्कूटर चालकों को मीटर खरीदने के लिये ऋण देने की व्यवस्था कर रहे हैं और कुछ समाचार पत्रों में ऋण प्राप्त करते हुये स्कूटर चालकों के साथ प्रधान मंत्री का चित्र छपा था। मैं जान सकता हूं कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-उपकरणों के वितरण के सम्बन्ध में भी कोई ऐसी ही व्यवस्था करने का विचार किया जा रहा है अथवा नहीं ? और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या ये ऋण दीर्घकालीन नियमों पर आधारित होंगे, क्योंकि किसान गरीब हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक कृषि के लिये ऋण दिये जाने का प्रश्न है, अल्प कालीन ऋण 1 अथवा 2 वर्ष के लिये, इसके पश्चात मध्यावधि ऋण 1 वर्ष के लिये और दीर्घ-कालीन ऋण चार से पांच वर्षों के लिये दिये जायेंगे। ट्रैक्टरों और कृषि-उपकरणों की खरीद के लिये दीर्घ-कालीन ऋण दिये जायेंगे।

श्री एस० जेवियर : क्या यह सच है कि सरकार अथवा रिज़र्व बैंक ने आदेश ऐसे दिये कि बैंक कुछ समय के लिये छोटे व्यवसायों को ऋण देने की स्वीकृति को स्थगित रखें।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नारीमन समिति से आरम्भ हुआ और विषय से बहुत दूर चला गया है। कृपया अगला प्रश्न लें। श्री बिड़ला,

एक माननीय सदस्य : यह बहुत महत्व पूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका महत्व कम नहीं समझता परन्तु मुख्य प्रश्न पूर्णतया भिन्न था।

श्री एस० जेवियर : लोग ऋण लेने जाते हैं और शिकायत करते हैं कि बैंक ऋण नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगले प्रश्न के लिये कहा है । आपका प्रश्न वार्ता से असम्बद्ध है और फिर भी आप उत्तर पाने के लिये बल दे रहे हैं ।

श्री एस० कन्डप्पन : यह बिल्कुल संगत है । जब सरकार यह कहती है कि वे बैंकों की गतिविधियों का विस्तार कर रहे हैं और बैंक-रहित क्षेत्रों में ऋण सुविधाओं का प्रबन्ध कर रहे हैं तो सरकार से यह पूछना बहुत संगत है कि रिज़र्व बैंक ने कुछ ऋणों को स्थगित रखने के आदेश क्यों दिये है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

चालू वित्तीय वर्ष में बाजार से उधार

*1683. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में बाजार से उधार ली जाने वाली कुल राशि बजट में लगाये गये अनुमानों से अधिक होगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाजार से ये राशियां किन रीतियों से उगाही जाती हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार से ऋण लिये जाने का पहला दौर ही पूरा हुआ है । इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि वर्ष के बाकी समय में ऋण की राशि बजट अनुमानों से अधिक हो जाएगी ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) सरकार लोक निर्गमों (पब्लिक इश्यू) के रूप में ऋण लेती है और उन निर्गमों का ब्योरा गज़ट तथा समाचार-पत्रों में अधिसूचित किया जाता है । जारी किये जाने के बाद, उन अधिसूचनाओं की प्रतियां सभा की मेज पर रख दी जाती हैं ।

श्री रा० कृ० बिड़ला : केन्द्र की अपेक्षा राज्यों के प्रसाधन कम हैं । इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ऋण जारी करने के श्रोतों को राज्य सरकारों के लिये सुरक्षित कर देगी और क्या केन्द्र सरकार जैसा कि इस समय कर रही है बाज़ारों से ऐसे ऋण नहीं लेगी ।

श्री प्र० चं० सेठी : राज्यों को भी सुविधा पूर्वक बाज़ारों से ऋण मिलता रहा है । केन्द्र एंव राज्यों को बाज़ार ऋण सम्बन्धी आवश्यकतायें समान रूप से पूरी होनी चाहियें क्योंकि धन-राशि की दोनों ही सरकारों को आवश्यकता है ।

श्री रा० कृ० बिड़ला : मेरा प्रश्न यह था कि क्या केन्द्र सरकार ऋण लेने के इन श्रोतों को केवल राज्यों के लिये सुरक्षित कर देगी । कृपया उत्तर हां या ना में दें ।

श्री पीलू मोडी : आप 'ना' कहने से क्यों घबराते हैं ।

श्री प्र०चं० सेठी : ना ही मैं ना कहूंगा और ना ही हां । राज्य सरकारों ने रिज़र्व बैंक से कहा है और रिज़र्व बैंक इस पर विचार करके निर्णय देगा ।

श्री रा० कृ० बिड़ला: गत वर्ष एवं इस वर्ष केन्द्र सरकार को वित्तीय संस्थाओं, जैसे रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीयकृत-बैंक, गैर-सरकारी क्षेत्र के कारोबारों से और बड़े-बड़े पूंजीपतियों से, किस अनुपात में ऋण प्राप्त हुये हैं ।

श्री प्र० चं० सेठी : इस समय मेरे पास इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह सूचना दे दूंगा ।

बैंक राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों के बारे में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष का वक्तव्य

*1685. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष द्वारा संघ की वार्षिक आम सभा में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि बदली हुई परिस्थितियों में अब संघ बैंकिंग उद्योग के केन्द्रीय व्यावसायिक संगठन और बैंक राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की पूर्ति के एक साधन के रूप में कार्य करेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है, जिसके अन्तर्गत छोटे बैंक बड़े बैंकों से अनुभव, प्रतिभा और संसाधन प्राप्त कर सकें और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि अर्थ-व्यवस्था के सभी वर्गों से ऋण के लिये बैंक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है ;

(घ) बैंकों में इस समय जमा राशि में वृद्धि और मांग में वृद्धि की क्या तुलना है ; और

(ङ) वे कौन से प्राथमिकता-क्षेत्र हैं, जिन्हें बैंकों से अधिक ऋण प्राप्त होंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्र० चं० सेठी : (क) और (ख) सरकार ने भारतीय बैंक संघ की 17 अप्रैल, 1970 को हुई 23वीं वार्षिक आम सभा में संघ के अध्यक्ष द्वारा दिये गये वक्तव्य को देखा है जिस में उन्होंने कहा था कि संघ छोटे बैंकों के लिये बड़े बैंकों के संसाधनों, उनकी प्रतिभा और अनुभव उपलब्ध करके उनका मार्गदर्शन करने और उनकी सहायता करने में विशेष भूमिका अदा करेगा । ऐसा समझा जाता है कि संघ अपने सदस्य बैंकों के लिये ऐसी कोई योजना बना रहा है । परन्तु सरकार ने उपर्युक्त प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई है ।

(ग) और (घ) : सम्भवत: प्रश्न का संकेत 1969-70 के अधिक कामकाज के मौसम की ओर है । सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 31 अक्तूबर, 1969 से 24 अप्रैल, 1970 तक की अवधि में दिये गये ऋणों में लगभग 529 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि में कुल जमा रकमों में 308 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी । अत: बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से लगभग 203 करोड़ रुपया उधार लेना पड़ा ।

(ङ) बैंकों को विभिन्न उत्पादन कार्यों में लगे छोटे आदमियों जैसे छोटे किसानों, लघु-उद्योगों, छोटे दुकानदारों, छोटे परिवहन चालकों, स्व-नियोजित व्यक्तियों आदि की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विशेष प्रयास करने के लिए कहा गया है । इसके अलावा निर्यात को भी उच्च प्राथमिकता दी गयी है ।

SHRI VALMIKI CHOUDHARY: I would like to know from the hon. Minister the basis on which these preferences have been assessed? Has it been taken into account—that the loans be extended to those Small-Scale industries which may render the nations economically self-sufficient and may contribute according to the requirements of big industries?

श्री प्र० चं० सेठी : इस सम्बन्ध में कोई विभाजन रेखा खींचना बहुत कठिन है । आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार विनम्र दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है । छोटे एंव बड़े उधोगों के उत्पादन कार्यों के बारे में विचार करना है । छोटे उद्योगों, कृषि क्षेत्रों एंव छोटे व्यापारों को आवश्यक सीमा तक प्राथमिकतायें प्रदान की जा रही हैं और उसी सीमा तक समाज के इन क्षेत्रों को ऋण देने की व्यवस्था की गयी है ।

SHRI VALMIKI CHOUDHARY: Secondly, my supplementary question is, whether the banks custodian has been instructed to deal with the people in the language of their own, in view of public feelings behind Bank Nationalisation?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है रिज़र्व बैंक ने उनसे कहा है कि जहां भी उनके लिये सम्भव हो प्रादेशिक भाषा अपनायी जानी चाहिये । इस परिवर्तन में थोड़ा समय लगेगा ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Mr. Speaker Sir, the banks before nationalisation were merely examining the credit worthiness. But the criteria is to be amended now. In Fourth Plan you have provided a preference to major irrigation and big industries. Then, I would like to ask the hon. Minister whether he would instruct the banks according to basis of the priorities fixed in Fourth Plan or ask them to assist the Small Scale Industries? How would be explain the contradiction that exists amongst both of them? And how many resources would the Government are getting from the banks for the Fourth Plan?

श्री प्र० चं० सेठी: जहां तक चौथी योजना के अन्तर्गत कुल जमा राशि (Mobilization of Deposits) का सम्बन्ध है यह अनुमान लगाया गया है कि कुल जमा राशि लगभग 4000 करोड़ होगी । जैसाकि मैंने अभी बताया है कि हमें अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन विभागों की ओर ध्यान देना है । जहां तक छोटे उद्योगों के क्षेत्र का कृषि एवं किसानों का सम्बन्ध है, कृषि के विभिन्न उपकरणों जैसे उर्वरकों, बीजों और छोटे सिंचाई प्रसाधनों के लिये उनकी मांगे पूरी की जायेंगी और ऋण दिये जायेंगे ।

SHRI KANWAR LAL GUPTA: My question was that you are giving priorities to major irrigation and big industries in the Fourth Plan and here you are stating that the preference will be given to minor irrigation and small industries. This is a contradicts and how would you explain it?

प्रधान मंत्री, वित मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी): इस में किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। हम छोट और मध्यम श्रेणी के उद्योगों एवं सिंचाई कार्यों दोनों को ही महत्व दे रहे हैं।

श्री रंगा : उनका प्रश्न यह था, कि जब दो बातों में टकराव हो तो आप किसे प्राथमिकता देंगे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह किसी योजना अथवा परियोजना पर निर्भर करता है। इसके बारे में कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता।

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Kindly intimate, which of the two, that is, either major irrigation and big industry or minor irrigation and small scale industries is being given preference in the Fourth Plan?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: The question is, how you are going to devide the resources between major and minor irrigation and industries? This is not enough to say that there is in contradiction.

श्री प्र० चं० सेठी : स्थिति इस प्रकार है, कि जहां तक सिंचाई की बड़ी योजनाओं का सम्बन्ध है उन्हें केन्द्र अथवा राज्यों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं में लिया जायगा। जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है वे निश्चित ही प्राथमिकता देंगे--(**व्यवधान**) विरोधाभास कहां पर है? चौथी योजना कोई एकपक्षीय योजना तो है नहीं, यह एक बहुत बड़ी योजना है जिसमें कृषि की आर्थिक स्थिति के चहुमुखी विकास का ध्यान रखा गया है। इसके अन्तर्गत छोटी एंव बड़ी दोनों ही प्रकार की सिंचाई योजनायें सम्मिलित हैं।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : रिज़र्व बैंक ने लगभग $2\frac{1}{2}$ महीने पहले सभी अनुसूचित बैंकों के नाम एक परिपत्र जारी किया जिसमें छोटे उद्योगों के लिये ऋण स्थगित करने के लिये कहा गया है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद मुझे ज्ञात नहीं है, क्या रिज़र्व बैंक में कुछ ऐसे लोग कार्य कर रहे हैं जो राष्ट्रीयकरण की प्रतिष्ठा भंग करना चाहते हैं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात ऐसी घटनायें हो रही हैं और समस्त देशवासी इस बात से चिढ़े हुये. हैं कि राष्ट्रीयकरण से छोटे व्यवसायियों को ऋण सुविधा के सम्बन्ध में कोई लाभ नहीं पहुंचा है। क्या मंत्री महोदय रिज़र्व बैंक की स्थिति का स्पष्टीकरण करेंगे और रिज़र्व बैंक से कहेंगे कि उन्होंने छोटे व्यवसायिकों के लिये ऋण प्राप्ति के सम्बन्ध में जो रोक लगाई है उसे समाप्त कर दिया गया।

श्री प्र० चं० सेठी : रिज़र्व बैंक के रोक सम्बन्धी आदेश छोटे व्यवसायिकों के लिये नहीं है। वास्तव में 1969 में जून के अन्त तक खातों की संख्या 28,037 थी। अब कुल खाते (**व्यवधान**)

श्री बी० कृष्णामूर्ति : वह 5 अथवा 10 रुपये वाले जमा खातों के विषय में कह रहे हैं। श्रीमानजी आप उनसे यह पूछिये कि क्या रिज़र्व बैंक ने ऐसे आदेश दिये थे या नहीं।

श्री प्र० चं० सेठी : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये। यदि कोई बात मुझसे छूट जाय तो आप मुझ से उसके बारे में पूछ सकते हैं। जहां तक छोटे व्यापारियों के

खातों का सम्बन्ध है, उनकी संख्या 28,000 से बढ़कर 51,000 हो गयी है । जहां तक ऋणों का सम्बन्ध है, रिज़र्व बैंक ने कुछ रोक सम्बन्धी आदेश दिये हैं । ये आदेश कुछ वस्तुओं के संग्रह करने के संबन्ध में हैं । उदाहरण के लिये रूई की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और रूई का संग्रह किया जा रहा है । इसी उद्देश्य से ऐसी कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में जिन की सट्टा-बाज़ार में खरीद बेच होती है और जिनका संग्रह किया जा रहा है, रिज़र्व-बैंक ने प्रतिबन्ध सम्बन्धी आदेश दिये हैं और ये देश के हित में हैं ।

श्री० वी० कृष्णामूर्ति : श्रीमान जी, मुझे पता है कि रिज़र्व बैंक ने एक परिपत्र जारी किया और इसी कारण से छोटे व्यवसायिकों के लिये सभी प्रकार के ऋण बन्द कर दिये गये । पता नहीं, रिज़र्व बैंक ने प्रधान मंत्री को भी उचित सूचना दी है । इस आशय का प्रधान मंत्री को एक विरोध पत्र भी भेजा गया है । ये आदेश संग्रह आदि के बारे में नहीं हैं । रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार ही छोटे व्यवसायिकों के लिये 1 लाख रुपये तक के ऋण स्थगित कर दिये गये हैं । यदि राष्ट्रीयकरण से पूर्व ऐसा किया गया होता तो हमें आपत्ति नहीं थी । परन्तु राष्ट्रीयकरण के पश्चात छोटे व्यवसायिकों के लिये ऋण व्यवस्था पर प्रतिबन्ध लगाना निश्चय ही आपत्तिजनक है--प्रगति में बाधक है ।

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, छोटे उद्योगों एवं व्यवसायिकों के लिये ऋण व्यवस्था समाप्त नहीं की गयी है । रिज़र्व बैंक ने जो कुछ किया है वह यह है कि 5 लाख से अधिक राशि वाले ऋणों की जांच उनके द्वारा की जायगी, इसके साथ-साथ जैसा मैंने कहा है कुछ वस्तुओं पर ऋण सम्बन्धी नियंत्रण भी लगाये गये हैं । छोटे उद्योगों एवं व्यवसायियों को ऋण प्राप्त करने से रोका नहीं गया है । ऐसी कोई भी हिदायत रिज़र्व बैंक ने नहीं दी है ।

श्री को० सूर्यनारायण : मंत्री महोदय प्रश्न के (ङ) भाग के उत्तर में बताया है कि छोटे किसानों को बैंकों द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है । छोटे किसान की परिभाषा क्या है ? उदाहरण के लिए उनके पास कितनी-कितनी सिंचाई भूमि तथा गैर-सिंचाई भूमि होनी चाहिये । मैं केवल यही जानना चाहता हूं ।

श्री प्र० चं० सेठी : छोटे किसान की एक परिभाषा निश्चित करना बहुत कठिन है । यह क्षेत्रवार एंव राज्यवार, भूमि के प्रकार जैसे शुष्क अथवा नम, सिंचाई वाली अथवा गैर-सिंचाई वाली, भूमि के मूल्य, उत्पादन क्षमता आदि पर निर्भर करता है । अत: इसकी एक निश्चित परिभाषा देना संभव नहीं है ।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Mr. Speaker Sir, is it a fact that loans were liberalized when the decision regarding take-over of private banks was taken by the Government. But now subsequent to instructions issued by the Reserve Bank, it is not possible for small farmers, artisans and taxi-owners to draw loans without surities ? Would the hon. Minister be kind enough to produce the copies at all the restrictive orders issued by the Reserve Bank ?

SHRI RABI RAY: I also support Mr. Vajpayee, all the circulars issued by the Reserve Bank should be placed on this Table of the House.

श्री प्र०चं०सेठी : जहां तक रिज़र्व बैंक द्वारा दिये गये प्रतिबन्ध सम्बन्धी आदेशों का प्रश्न है, निश्चित रूप से यह सूचना माननीय सदस्य को दे दी जाएगी। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि रिज़र्व बैंक ने ऋण देने की शर्तों को कठोर नहीं बनाया है और नाही ऐसे आदेश जारी किये हैं जिनमें यह कहा गया हो कि छोटे व्यवसायिकों और किसानों को ऋण नहीं दिये जाने चाहिये। इसके विपरीत जैसा कि मैंने पहले प्रश्न के अपने उत्तर में बताया है कि जहां तक जमानत आदि का सम्बन्ध है वे अधिक सरल नियम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक रिक्शावालों, स्कूटर वालों को ऋण देने का प्रश्न है इसके लिये 20 से 80 प्रतिशत तक की कोई सीमा होनी आवश्यक है जिसका निश्चय ऋण के प्रकार पर निर्भर होगा और तब ऋण दिया जायगा। यह कहना उचित नहीं है कि रिज़र्व बैंक ने कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं।

श्री स० कुण्डू : मैं विशेषतया छोटे व्यक्तियों के बारे में पूछना चाहता हूं क्योंकि प्रश्न छोटे व्यक्तियों के सम्बन्ध में किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सीधे प्रश्न पर आइये किसी प्रस्तावना एंव रूपरेखा की आवश्यकता नहीं है।

श्री स० कुण्डू : मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं। रिज़र्व बैंक जब छोटे बैंकों, सहकारी बैंकों तथा अनूसूचित बैंकों को ऋण देता है तो ब्याज की दर 2 या $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत होती है। परन्तु जब ये बैंक रुपया बांटते हैं तो 9 से 11 प्रतिशत तक ब्याज वसूल करते हैं। इस के द्वारा सर्वाधिक हानि छोटे किसानों एवं व्यापारियों को होती है। इसलिये, क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यह भी बताया जाय कि ऋण योजना (Credit worthiness) छोटे किसान और छोटे व्यापारियों से क्या तात्पर्य है ? ये कितने छोटे होने चाहियें आप किस प्रकार निश्चित करेंगे कि अमुक किसान, व्यापारी छोटा है ? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक हरिजन और एक मुसलमान ने क्रमश: 5,000 और 1,500 रुपये के ऋण की प्रार्थना की, अभी तक उन्हें ऋण नहीं मिला है। मैंने मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि वह इस मामले की जांच करायेंगे। कृपया मंत्री महोदय इन दोनों प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दें।

श्री प्र० चं० सेठी : जहां ऋण देने के लिए मानदण्ड का प्रश्न है, अनेक बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे उत्पादन क्षमता और जो व्यक्ति ऋण ले रहा है, उसकी ईमानदारी आदि। जो ऋण दिया जाय, वह वसूल भी अवश्य किया जाना चाहिए और उस दृष्टि से किसी मानदण्ड का पालन करना होगा। परन्तु, साथ ही साथ माननीय सदस्य ने कुछ मामलों की ओर संकेत किया है और जैसा कि मैंने आधे घंटे की चर्चा के दौरान बताया कि मैं मामले की जांच कर रहा हूं और इस बारे में माननीय सदस्य को फिर लिखूंगा।

श्री स० कुण्डू : रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों और छोटी बैंकों को दिये जाने वाले ऋण के बारे में क्या उत्तर है ?

श्री प्र० चं० सेठी : विभिन्न वाणिज्यिक अथवा अनुसूचित बैंकों के बारे में ब्याज की दर $4\frac{1}{2}$ अथवा $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत है । बैंक के कार्य-संचालन के आधार पर बैंकों को कुछ सीमा रखनी पड़ती है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन सब बातों को ध्यान में देखते हुए, ऋण की दीर्घकालिकता के आधार पर 8 प्रतिशत से 9 प्रतिशत की दर पर ऋण दिये जाते हैं ।

श्री शशि रंजन : उत्तर देते हुए, मन्त्री महोदय ने कहा कि आज बैंक अपना कारोबार स्थानीय भाषाओं में करती हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को पता है कि स्टेट बैंक आज भी सिवाय अंग्रेजी के अन्य किसी भाषा में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं करती ? स्टेट बैंक और अन्य बैंकों हिन्दी के अलावा अन्य किसी भाषा के हस्ताक्षरों के मामले में गलत अदायगी के बारे कोई गारंटी नहीं देतीं । इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों को स्थानीय भाषाओं में हस्ताक्षर स्वीकार करने के बारे में आदेश जारी करेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं समझता हूं कि मैंने यह भी कहा है कि हमने आदेश जारी कर दिये हैं । वे यथासम्भव ऐसा कर रहे हैं । मगर, स्थानीय भाषाओं में काम शुरू करने में कुछ समय लगेगा । मैंने यह भी कहा है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : श्रीमान् जी, मन्त्री महोदय ने अभी अभी कहा कि प्रत्येक राज्य में गरीब किसान की स्थिति अलग-अलग है । क्या वह इस बात को महसूस करते हैं ? अगर यह परिपत्र सरकार ने बैंकों को जारी किया है, तो कहीं पर भी किसी भी गरीब किसान को अनिवार्यतः लाभ नहीं मिल सकेगा । इस बात का निश्चय कौन करेगा कि कौन गरीब किसान है जो ऋण पाने का हकदार है ? अगर यह निश्चय करने का काम सम्बद्ध अधिकारी पर छोड़ दिया गया, तो मेरे विचार में कहीं भी किसी भी गरीब किसान को लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा । इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इस प्रकार का कोई परिपत्र जारी करने जा रहे हैं जिसमें गरीब किसान की परिभाषा दी गई हो, और जो ऋण प्राप्त कर सके ? क्या वह यह कार्य करने जा रहे हैं अथवा इसे अधिकारी की मर्जी पर ही छोड़ रहे हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : ऋण सबसे अधिक गरीब को दिया जाना चाहिए । और गरीब किसानों को ऋण देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता । हम सबसे अधिक गरीब की मदद करना चाहते हैं ।

श्री एस० जोवेयर : बैंक ऋणों के लिये अनेक आवेदन पत्र ऐसे व्यक्तियों के हैं जो लघु उद्योग चलाना चाहते हैं । मगर, किसानों के आवेदन पत्रों को इस आधार पर रद्द कर दिया जाता है कि उनके साथ समुचित और पर्याप्त जमानत नहीं होती ।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह जमानत से सम्बन्धित शर्तों को उदार बनाने के बारे में स्थानीय एजेन्टों को आदेश जारी करेगी ? अन्यथा ऋण देने का कोई अर्थ ही नहीं है । क्या सरकार जमानत की शर्तों को उदार बनाने के लिए तैयार है ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं सदस्य महोदय की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि जहां तक ऋण के लिए आवेदन पत्रों का सम्बन्ध है, उन पर इस प्रकार कार्यवाही की जानी चाहिए कि उनका शीघ्र से शीघ्र निपटान हो। इस दृष्टि से हमने पहले ही रिजर्व बैंक से कहा है कि वह देश की सभी बैंकों को निर्देश और समुचित मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करे कि आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने में देरी न हो। आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने में निश्चित रूप से समय लगता है। यह विषय रिज़र्व बैंक और सरकार के विचाराधीन है।

श्री एस० कन्डप्पन : मुख्य प्रश्न के उत्तर में, मन्त्री महोदय ने कहा है कि छोटी बैंकें वांछित मात्रा में धन जमा करने में सफल नहीं रही हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त सम्पत्ति के बैंकों में जमा किये जाने की बात करते हैं और जमा राशि पर दिये जाने वाले ब्याज की कम दर की मुख्य कठिनाई को देखते हुए क्या कभी सरकार ने जमा राशि पर ब्याज की दर बढ़ाने पर विचार किया है। यदि हां, तो इस बारे में क्या स्थिति है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जो कुछ आंकड़े मैंने दिये हैं, वे व्यस्त मौसम के बारे में हैं। 28 मार्च 1969 को पिछले वर्ष की तुलना में, जबकि जमा राशि 318 करोड़ रुपये थी, इस वर्ष 27 मार्च, 1970 को जमा धनराशि 339.9 करोड़ रुपये है। यद्यपि मैंने इस अवधि के लिये आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, मगर जमा धनराशि में काफी मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है।

श्री एस० कन्डप्पन : मेरा प्रश्न थोड़ा भिन्न प्रकार का है। ग्रामीण क्षेत्रों में सूद-खोर महाजनों द्वारा काफी मात्रा में धन दिया जाता है। वे बहुत ज्यादा ऊंची ब्याज की दर वसूल करते हैं। वे विभिन्न बैंकों में अपना पैसा जमा नहीं करते, क्योंकि वहां जमाराशि पर बहुत कम ब्याज मिलता है। यह किसानों के लिए भी कतई आकर्षक नहीं है। इस सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों को एकत्रित करते समय क्या सरकार ने इस पहलू पर विशेष रूप से विचार किया है कि ब्याज की दरों में वृद्धि की जाय जिससे जनता को सूदखोर महाजनों का शिकार न बनना पड़े।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं माननीय सदस्य महोदय से सहमत हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक ने ब्याज दर आधा प्रतिशत बढ़ा दी है।

श्री एस० कण्डप्पन : अब क्या दर है ? आंकड़े भी तो बताईये।

श्री प्र० चं० सेठी : जमा धनराशी पर अब दिये जाने वाले ब्याज की दर से संबंधित सूचना मेरे पास तत्काल उपलब्ध नहीं है। मगर मुख्य प्रश्न तो यह है कि अगर ज्यादा धन राशि को जमा कराया जाना है, तो दर में वृद्धि करनी होगी ; अगर दर में काफी वृद्धि की जानी है, तो प्रश्न यह उपस्थित होगा कि स्वतः या एक समान अनुपात में ऋणों पर वसूल किये जाने वाले ब्याज में भी वृद्धि हो जायगी। एक ओर तो दर में कमी किये जाने की मांग की जाती है और दूसरी ओर, जमाराशि में वृद्धि किये जाने की मांग की जाती है. . . .

श्री एस० कण्डप्पन : मगर ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान दर 20 से 25 प्रतिशत है । यह ब्याज की दर महाजनों द्वारा वसूल की जाती है ।

श्री क० लकप्पा : बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जो समस्या हमारे सामने आई है, उसका हमें गम्भीरतापूर्वक सामना करना होगा । यह अत्यधिक निन्दनीय है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सरकार सम्पूर्ण कार्य को संभालने में असफल रही है । केवल रिजर्व बैंक अकेले ही किसानों, लघु उद्योगकर्ताओं और रिक्शाचालकों को ऋणों का प्रबन्ध नहीं कर रही, मगर इस कार्य को अफसरशाही ही कर रही है । ये अफसर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भी वहां कार्य कर रहे हैं और राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को समाप्त करने का षडयन्त्र कर रहे हैं और सभी जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है । बिना कुछ पैसा वसूल किये, ये किसी किसान को ऋण ही नहीं देते । यह सब स्वयं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र गुब्बी में, जो एजेन्ट बैंक में कार्य कर रहा है, वह किसान के प्रत्येक आवेदन पत्र के लिए धन की मांग करता है और सैकड़ों किसानों को ऋण प्राप्त करने के लिए पैसा देना पड़ा है । यह राष्ट्रीयकरण के बाद की तस्वीर है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वह राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने लिए उन सभी कर्मचारियों की भर्त्सना करेगी जो वहां कार्य कर रहे हैं और राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं ? सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को विफल करने के किसी भी प्रयास के साथ हम दृढ़तापूर्वक पेश आयेंगे । वास्तव में, कुछ इस प्रकार की शिकायतें सरकार के ध्यान में आई हैं और हमने इसे एक मामला माना है तथा हम मामले की जांच कर रहे हैं । जैसा कि मैंने बताया, हमने अभी हाल में ऋण आवेदनपत्रों के निपटान की समस्त प्रणाली को सुवाहय बनाने के लिए रिजर्व बैंक से कहा है जिससे इस प्रकार की शिकायतों का मौका न आये । मगर, बैंक राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने के लिए हम माननीय सदस्यों के इच्छुक हैं ।

श्री नम्बियार : जबकि सरकार की नीति यह है कि किसानों और लघु उद्योगकर्त्ताओं को ऋण देने के कार्य को उदार बनाया जाय और बड़े व्यापारियों को ऋण देने पर रोक लगाई जाय ताकि वे खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं का संग्रह न कर सकें, परन्तु मुझे बताया गया है कि बड़े व्यापारी और बड़े उद्योगपति बैंकों से ऋण प्राप्त कर रहे हैं, ताकि वे खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं का उसी प्रकार से संग्रह कर सकें जिस प्रकार वे राष्ट्रीयकरण से पूर्व किया करते थे । क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार थी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाय, ताकि ऐसे उद्योगपति कोई भी ऋण प्राप्त न कर सकें और उससे फिर इस देश की जनता के साथ लूट खसोट न कर सकें ?

श्री प्र० चं० सेठी : श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री वी० कृष्णमूर्ति तथा श्री नम्बियार द्वारा की गई मांगों में परस्पर विरोध है । रिजर्व बैंक ने पहले ही कार्यवाही की है और वस्तुओं के बारे में प्रतिबन्धात्मक आदश जारी किये हैं, परन्तु छोटे व्यापारियों किसानों और उद्योगकर्ताओं को ऋण देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है ।

श्री बलराज मधोक : राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यचालन पर बहस होनी चाहिए । वे भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन अनधिकृत बस्तियों का निर्मित क्षेत्र

*1686. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**
श्री बृजराज सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री शारदा नन्द :
श्री टी० पी० शाह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ज़ोन (खंड) ई० 8 और ई० 12 में, पटपड़गंज सड़क पर स्थित, दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन अनधिकृत बस्तियों के निर्मित क्षेत्र को सहकारी आवास समितियों को अलाट की जाने वाली भूमि में से निकाल देने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्वी ज़ोन से सम्बन्धित सहकारी गृह निर्माण समितियों को दी जाने वाली भूमि सम्बन्धी आवंटन योजना में इसी के अनुरूप संशोधन किया जा रहा है ;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन किसी ऐसी योजना पर विचार कर रहा है, जिसके अन्तर्गत विकास खर्च वसूल करके पहले से निर्मित मकानों में कम से कम फेरबदल कर इन बस्तियों का विकास किया जाये ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) वर्तमान नीति के अधीन फरवरी, 1967 से पूर्व बन चुकी अनधिकृत बस्तियों के निर्मित क्षेत्र ही केवल, सहकारी आवास समितियों को आवंटन के दायरे से बाहर रखे जाएंगे और यदि वे बृहत योजना में दिये गये भूमि उपयोग के अनुसार हों और वे उचित ले-आऊट/सेवा प्लान के अनुरूप बैठते हों तो उनके नियमित करने पर विचार किया जा सकता है ।

(ख) फिलहाल नहीं ।

(ग) जी, हां; केवल उन अनधिकृत कालोनियों को इस रूपरेखा पर विकासित किया जाएगा जो एक फ़रवरी, 1967 से पूर्व बन चुकी थी ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

SHRI YASHWANT SINGH KUSHWAH: I would like to know from the Hon'ble Minister if Delhi Administration had received applications from the residents of Patparganj area ? If so, whether a decision has been taken on them and what is the substance of the decision ? Would the Hon'ble Minister kindly also state if such improvements would be carried out ? How much expenditure on the improvement plan would be borne by the Government and how much would be shared by the owners of the houses ?

श्री के० के० शाह : 204 कालोनियों के नाम हैं । किसी विशिष्ट नाम को ढूंढ़ पाना मुश्किल है । अगर माननीय सदस्य उस सूचना को चाहते हैं, तो वह मुझे पत्र लिख कर पूछ सकते हैं । मैं उसे प्रस्तुत कर दूंगा ।

जहां तक विकास सम्बन्धी खर्चों का सम्बन्ध है, पहले उन्हें 7·50 रु० निर्धारित किया गया था । परन्तु अब बढ़ी हुई कीमतों के कारण, उन्हें अब 15 रु० निर्धारित किया गया है ।

SHRI YASHWANT SINGH KUSHWAH: Mr. Speaker, I had asked for this information in part (a) of the original question but now hon'ble Minister is saying that he would furnish it later on. I want to know from the hon'ble Minister whether any Master Plans have been prepared for the development of unauthorised colonies and for solving Jhuggi-Jhopari problem ? If so, how much time would it take to solve this problem ?

श्री के० के० शाह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर इस सदन में अनेक बार चर्चा हो चुकी है । अनधिकृत बस्तियां झुग्गी झोपड़ियों से पूर्णतया भिन्न हैं । वे इस प्रकार की बस्तियां हैं, जो उन स्थानों पर अस्तित्व में आई हैं, जो मकान मालिकों के स्वामित्व में हैं, परन्तु भूमि को प्लाटों में बांटने और इमारतों का निर्माण करने के लिये नगर पालिका अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण की अनुमति नहीं ली गई थी । झुग्गी और झोपड़ियां इस अर्थ में अनधिकृत हैं कि झुग्गी-झोंपड़ी वाले भूमि के मालिक नहीं हैं । उन्होंने अनुमति नहीं ली है और उस पर निर्माण कर लिया है । दोनों के बारे में ही, योजनायें बनाई गई हैं ।

SHRI BALRAJ MADHOK: The Hon'ble Minister has stated that the colonies which have come into existence prior to February, 1967 would be regularised. Such colonies fall in an area which is called 'green belt' under Master Plan and there are forty such colonies. I would like to know if Master Plan would also be amended so that built area thereon may also be regularised ?

I would like to know whether it is a fact that the Delhi Municipal Corporation and Delhi Metropolitan Council have sent resolutions passed unanimously, in which they have demanded for the amendment of the Master Plan ? If so, what is the Government's reaction thereto, so that the colonies which fall under green belt may also be regularised ?

SHRI K. K. SHAH: They have made a bit difference in the sense that they have asked for the modification of agricultural green belt and it is under consideration they have said nothing about Master Plan.

SHRI BALRAJ MADHOK: How much time would it take ?

SHRI K. K. SHAH: We will do it at an early date.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: The Hon'ble Minister has stated that unauthorised colonies have come into existence and houses have been built up without the permission of Municipal Corporation. Several unauthorised colonies have come up without prior sanction from the Corporation, but water, electricity and telephone connections have been provided there. The owners pay house-tax and even then it is said that these colonies are unauthorised. I want to know that why an electricity connection was given to them, when they were unauthorised? Why a telephone line and a water connection was given to them? Why do you realise house-tax from them? In spite of all these things it is said that these colonies are unauthorised. I would like to know whether Government has prepared any plan to regularise the such numerous colonies which have come up in Delhi.

SHRI K. K. SHAH: In Delhi there are 204 such colonies in all. Nearly 103 of them have already been regularised and nearly half of the remaining hundred and are about to be regularised. As I have already stated in reply to the original question that the problem of regularisation of unauthorised colonies, which had come into existence prior to February, 1967, would be given due consideration, but these colonies also will have to conform to the land use prescribed in the Master Plan *e.g.* we will have to take land from these colonies for construction of roads and schools.... (*Interruptions*) The demand for electricity and water connections had been made since many years back.... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Now, pleast stop. I have called for the next question.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: They work only when we pursue them.

परिवार नियोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में उद्देश्य की पूर्ति

*1688. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री सूरज भान :

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में हुई उद्देश्य की पूर्ति का कोई हिसाब लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि कहां तक रोकी जा सकी तथा उक्त अवधि में परिवार नियोजन पर कितना व्यय हुआ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर): (क) समस्त देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर होने वाले व्यय के अनुपात में हुई उद्देश्य की पूर्ति का अभी तक कोई हिसाब नहीं लगाया गया है। यद्यपि इस सम्बन्ध में तदर्थ अध्ययन किये गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अनुमान है कि वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के दौरान 31.65 लाख जन्म रोके गये हैं। इस अवधि में कुल 9633.85 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। 1969-70 तक किये गए परिवार नियोजन कार्य के परिणाम-स्वरूप सम्भावना है कि 1978-79 तक रोके जाने वाले जन्मों की कुल संख्या 186 लाख हो जाएगी।

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Mr. Speaker, Family Planning Programme is a very big programme. But it is a matter of shame that Government has not so far found out cost effectiveness of this programme. You have carried out studies on *ad hoc* basis, but what is the result of those *ad hoc* studies and whether it is a fact that Government does not want to disclose the results of the studies carried out by it, because the results obtained are not consistent with the amount spent on family planning programme?

Secondly, I would like to know from the Hon'ble Minister whether it is a fact that birth rate in India is the highest and to what extent would it be reduced after the implementation of Fourth Five Year Plan?

डा० चन्द्रशेखर: हमने अनेक बहुत विस्तृत अध्ययन किये हैं, और आपकी अनुमति से तथा यदि माननीय सदस्य की इसमें रुचि हो, तो मैं उन्हें सभा पटल पर रखना चाहूंगा, क्योंकि उसमें हमने अनेक निबन्धों और पत्रों का उल्लेख किया है तथा गणित के अनुसार शुद्ध गणना की है। मेरे विचार में माननीय सदन का समय लेना उचित नहीं होगा, परन्तु मैं श्री गुप्ता को यह बताना चाहूंगा कि इस बात में लगभग सभी सहमत हैं कि सभी खर्चों को हिसाब में लेने के पश्चात् लागत लगभग 130 रुपए आती है। अगर कार्यक्रम बहुत विशाल पैमाने पर किया जाय, तो हम इसे कम कर सकते हैं। साथ ही साथ, हम इस बारे में भी आश्वस्त होना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को दूर किया जाय।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये अन्य प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं उन्हें कुछ मोटी रूप रेखा देना चाहूंगा जिसके द्वारा वह स्वयं हिसाब लगा सकते हैं। ऐसा समझा जाता है कि एक नसबन्दी आपरेशन से दस वर्षों में 1.5 जन्मों के रोकने में सहायता मिलती है, एक लूप से पांच वर्षों में 0.5 जन्म और 72 कण्डोमों से दो वर्ष में 0.125 जन्मों के रोकने में मदद मिलती है और 500 से 1 जन्म के रुकने में मदद मिलती है। अगर हमने 70 लाख नसबन्दी आपरेशन कर दिये और प्रत्येक नसबन्दी आपरेशन से 1.5 जन्मों पर रोक लगती है, तो आप कह सकते हैं कि हमने 1 करोड़ जन्मों पर रोक लगा दी है।

श्री कंवर लाल गुप्त: क्या जन्म दर चौथी योजना में कम हो जायेगी?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : अगर वर्तमान योजनायें उसी प्रकार चलती रहीं जिस प्रकार से वे अभी चल रही हैं--कभी नसबन्दी आपरेशन अधिक होने लगते हैं, तो कभी लूप लगने की दर कम हो जाती है--और यह आशा करते हुए कि वर्तमान गति को इसी स्तर पर कायम रखा जायगा, हमें आशा है कि जन्म दर में अवश्य कमी होगी। भारत के कुछ हिस्सों में, पहले ही जन्म दर कम हो गई है, परन्तु ये केवल छोटे से क्षेत्र हैं जहां तीव्र गति से कार्य हुआ है। हमें आशा और विश्वास है कि लगातार कार्य के परिणाम स्वरूप, इन छोटे से क्षेत्रों के कार्य समस्त देश में प्रचार हो जाएगा और हम 1974 तक जन्म दर में एक निश्चित कमी कर सकेंगे।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : The Family Planning Programme is generally restricted to urban areas and has not yet been made popular in rural areas especially this programme has not been extended to Scheduled Castes and Scheduled Tribes areas and as a result they have not been benefited by the programme. Has the Government carried out any study as to what has been the impact of the family planning programme on villages and in the backward areas where Scheduled Castes and the poor people reside and whether Government would bring forward any legislation to limit the size of the family and fix a ceiling on the number of children. I want to know whether Government would fix a ceiling of children for those persons who could fight the election for the office of the President or who could be appointed as Governor ?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : माननीय सदस्य ने अनेक प्रश्न पूछे हैं। जहां तक उनके पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं सदस्य महोदय के साथ सहमत हूं कि ग्रामीण जनता की अपेक्षा शहरी जनता में हमारा कार्यक्रम अधिक सफल रहा है। परन्तु माननीय सदस्य को यह जानकर आश्चर्य होगा कि अधिकांश नसबन्दी आपरेशन ग्रामीण क्षेत्रों में ही किये गये हैं, न कि शहरी क्षेत्रों में। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि पिछले क्षेत्रों के व्यक्ति इस कार्यक्रम को अपनाने के लिए आगे क्यों नहीं आते, इसका कारण आसान है। अधिक आय, उच्च शिक्षा, श्रेष्ठ बौद्धिकता और उच्च महत्वाकांक्षायें उच्च प्रेरणा की ओर अग्रसर करती हैं। जिन व्यक्तियों में इनका अभाव होगा, वे स्वभावतः आगे नहीं आयेंगे। हमारे पास अनेक योजनायें हैं, परन्तु उन सब का अभी ब्यौरा देने का मेरे पास समय नहीं है। तीसरा प्रश्न विधान से सम्बन्धित था।

श्री कंवरलाल गुप्त : बच्चों की संख्या की सीमा-निर्धारण।

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : वह सम्भव नहीं है। कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया था कि जिन व्यक्तियों के तीन अथवा अधिक बच्चे हो चुके हैं, उनके लिए नसबन्दी आपरेशन अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। विधि मन्त्रालय की राय यह थी कि हम ऐसा नहीं कर सकते और हम भी इस मामले में बल-प्रयोग के पक्ष में नहीं है... **(अन्तर्बाधायें)**

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा अन्तिम प्रश्न राज्यपालों और उन उच्च पदाधिकारियों के बारे में था जिनके एक दर्जन बच्चे हैं। मुझे उनका नाम बताने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं उन्हें जानते हैं। एक भूतपूर्व लोक-सभा अध्यक्ष के एक दर्जन बच्चे थे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह कमी पूरी कर दी है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : हम आप पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहते ।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद ।

श्री सोनावने : प्रश्न पूछते समय जनसंघ का प्रवक्ता अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों पर सीमा प्रतिबन्ध लगाने का उत्सुक था ....

श्री कंवरलाल गुप्त : कतई नहीं । वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं ।

श्री सोनावने : क्या जाति, वर्ग और धर्म के भेदभाव के बिना कोई सीमा-निर्धारित की जाएगी और यदि हां, तो क्या कोई विधेयक इस बारे में लाया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : वह उस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुके हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : यही तो मेरा भी सवाल था ।

श्री सोनावने : आप अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के खिलाफ थे---(**अन्तर्बाधायें**)

SHRI MOLHU PRASAD: The Government has adopted artificial measures to bring about family planning. I want to know from the Hon'ble Minister whether Government has adopted any self-restraint methods in addition to artificial measures and if so, what are those methods so that by adopting self-restraint, this could be achieved.

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : हमारी योजनाओं के अन्तर्गत केवल वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किये गये और स्वीकृत विधियों का ही प्रचार किया जाता है और वे चार ये हैं :— नसबन्दी आपरेशन, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही के आपरेशन शामिल हैं, लूप लगाया जाना, कण्डोम और खाने की गोलियां । हम ब्रह्मचर्य, अधिक आयु में विवाह और जैसा भी वह सोचें उन अन्य विधियों का भी समर्थन करते हैं ।

SHRI MOLHU PRASAD: Every person should have a separate house, a separate bed and a separate bedding. What efforts have you made for that?

डा० श्रीपति चन्द्रशेखर : यह कार्यवाही हेतु एक सुझाव है । हम इस पर विचार करेंगे ।

Increase in Price of Indigenous Wheat in Delhi

35. SHRI HARDAYAL DEVGUN:
SHRI BALRAJ MADHOK:
SHRI S. S. KOTHARI:
SHRI RAM SWARUP VIDYARTHI:
SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN:

Will the Minister of **FOOD AND AGRICULTURE** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have increased the price of indigenous wheat in Delhi by Rs. 6 per quintal with effect from the 6th May, 1970;

(b) whether it is also a fact that the Executive Councillor of Delhi has opposed the aforesaid increase; and

(c) if so, the reasons for this increase ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) The issue prices of red wheat including Mexican varieties produced indigenously have not been increased from last year's level and the same issue price of Rs. 78 per quintal continues. Only the price of amber-coloured and other superior indigenous varieties of wheat have been increased by Rs. 6.00 and fixed at Rs. 84.00 per quintal with effect from 3rd May 1970. This increase in price of the superior varieties applies to the whole country and not for Delhi alone. The Lok Sabha was informed of the proposed increase in price in a statement made by Minister of Food and Agriculture on 6th April, 1970.

(b) A letter from the Executive Councillor, Delhi, opposing the raise in the price of wheat in Delhi has been received on 4th May 1970. He also met Minister of Food and Agriculture on 8th May, 1970 when the position was explained to him.

(c) As the pooled economic cost of wheat has increased owing to reduction in the imported content of wheat and the issue price of Mexican variety is being maintained at Rs. 78 per quintal, the price of amber coloured and other superior wheat has been increased with a view to reduce the increasing burden of subsidy on the national exchequer.

SHRI HARDAYAL DEVGUN: In reply to the Calling Attention Notice regarding nationalisation of foodgrains trade, the Food Minister had stated that Food Corporation of India does not want to make profits. The Prime Minister had also assured that we would check price rise. But a burden of Rs. 6 per month has been forced on lacs of labourers of Delhi and the poor people of the country as a whole and on the persons who live in jhuggis and jhopris. This is the picture of their socialism. I want to know whether the wheat, whose price has been increased, is not being purchased at the same cost *i.e.*, Rs. 76. The Government has not given any share to the farmers. In view of the fact that not even a single paisa more is being given to the farmers, what are the reasons for putting this extra burden on the people ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मुझे अफसोस है । वह एक बुद्धिमान सदस्य हैं, मगर मेरे उत्तर को वह नहीं समझ पाये । मैं वास्तव में यह समझने में असमर्थ हूं कि समाज के निर्धन वर्ग पर यह किस प्रकार से बोझ है, क्योंकि लाल गेहूं और आयातित गेहूं की वही 78 रु० प्रति क्विंटल वाली कीमत सारे देश में जारी है । अगर आप बाजार जायें, तो आपको पता चलेगा कि अच्छे किस्म के गेहूं को ही महंगे भावों पर बेचा जाता है । मगर, उसके अलावा, राशन की दुकानों और उचित मूल्य की दुकानों पर सप्लाई किये जाने वाले गेहूं की कुल मात्रा में, अच्छा गेहूं केवल 10 अथवा 15 प्रतिशत ही होगा और वह भी वैकल्पिक है—हमें उम्मीद है कि अगले वर्ष हम 50 लाख टन गेहूं सप्लाई करेंगे और जिसमें इस प्रकार के गेहूं की मात्रा केवल 5 लाख टन होगी । इसका मतलब यह हुआ कि उन्ही उपभोक्ताओं को इसे लेने की जरूरत है जो ज्यादा कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं । जो व्यक्ति

बढ़िया गेहूं नहीं चाहते, उन्हें इसे लेने की कोई जरूरत नहीं। जहां तक समाज के निर्धन वर्ग का सम्बन्ध है, उन्हें गेहूं उसी कीमत पर उपलब्ध होता रहेगा जिस पर वह पिछले वर्ष खरीद रहे थे। गरीब लोगों के लिए ज्यादा कीमत का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो सारी समस्या को ही गलत ढंग से पेश करना है।

SHRI HARDAYAL DEVGUN: Mr. Speaker, the Hon'ble Minister has furnished wrong information, he wants that the poor people and people having fixed income should not eat this variety of wheat. The wheat was available in the open market at the rate of Rs. 80 per quintal. As the wheat supplied by the ration shops was not sufficient for the requirements, therefore, people used to purchase it from the open market. The price in open market has also been increased because of the increase announced by the Government. I want to know from the Government whether this anti-people decision, which has been taken in spite of the demand of Delhi Administration and Delhi's public, will be reconsidered and would this increase in price be withdrawn?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मुझे यह कहना पड़ेगा कि माननीय सदस्य जान बूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। सर्व प्रथम, मुझे यह नहीं पता कि इसमें क्या जनता-विरोधी बात है, क्योंकि 90% गेहूं का मूल्य स्तर पहले वाला ही है। इसके अतिरिक्त, माननीय सदस्य को यह भलीभांति पता है कि कलकत्ता और बम्बई के राशन वाले क्षेत्रों को छोड़ कर सारे देश में गेहूं के व्यापार और उसके लाने ले जाने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। दिल्ली शहर में गेहूं खुले बाजार में काफी मात्रा में उपलब्ध है। बात यह है कि जो व्यक्ति उचित दर दुकानों से खरीदने के इच्छुक हैं, वे अपनी मर्जी के अनुसार आयातित लाल गेहूं को उसी कीमत पर प्राप्त करते रहेंगे जिस कीमत पर वे पहले खरीदते थे। परन्तु, देश में उपभोक्ताओं की कुछ ऐसी भी श्रेणियां हैं, जो बढ़िया गेहूं खरीदना पसन्द करेंगी। वे ज्यादा आप वाले वर्ग जो बढ़िया गेहूं खरीदने के इच्छुक हैं, उन्हें उनकी इच्छानुसार अम्बर रंग का गेहूं 84 रु० प्रति क्विंटल के भाव पर मिल सकेगा।

SHRI HARDAYAL DEVGUN: I am not saying that. The previous price of the wheat has now been increased. How the poor people can now be benefited by this?

श्री बलराज मधोक : मन्त्री महोदय बहुत भोले भाले बनने की कोशिश कर रहे हैं और सारे देश तथा सभी पार्टियों को मूर्ख समझते हैं और सिर्फ अपने आप को ही बुद्धिमान समझते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब खरीद मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई, फिर गेहूं के बिक्री मूल्य में वृद्धि करने की क्या जरूरत थी? अगर आप उस गेहूं की कीमत बढ़ा रहे हैं जो केवल अमीर आदमियों के खाने के लिए हैं, फिर आप उस गेहूं को उचित दर दुकानों पर क्यों सप्लाई कर रहे हो, क्योंकि गरीब आदमी ही राशन की दुकानों और उचित दर दुकानों से सामान खरीदते हैं, न कि अमीर आदमी। अमीर और सम्पन्न व्यक्ति तो खुले बाजार से अपना सामान खरीदते हैं। इसलिए, इस ऊंची कीमत वाले गेहूं को राशन की दुकानों और उचित मूल्य की दुकानों पर सप्लाई मत कीजिए, क्योंकि राशन की दुकानों

और उचित दर दुकानें तो समाज के निर्धन वर्ग के लिए हैं। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं ? अमीर आदमी, अगर ऊंची कीमत वाला गेहूं खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें खुले बाजार से खरीदने दो।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं चाहूंगा कि सदस्य महोदय स्वयं मामले के तथ्यों को समझें। सबसे पहले, हम गेहूं 76 रु० के भाव पर वसूल करते हैं और यह निर्णय देश के मुख्य मन्त्रियों के परामर्श से लिया गया था, क्योंकि अन्न-उत्पादकों के हितों का भी ख्याल रखना था। अगर सदस्य महोदय वसूली करने की लागत तथा लाने ले जाने और अन्य खर्चों को हिसाब में लें, तो कीमत 96 रु० होती है। सच बात तो यह है कि सरकार समाज के निर्धन वर्ग के लिए बहुत अधिक अनुदान दे रही है। जिस गेहूं को 76 रु० के भाव से वसूल किया जाता है, उसके बेचने में अगर सरकार मितव्ययिता बरते, तो कीमत 96 रु० होनी चाहिए। परन्तु सरकार समाज के निर्धन वर्ग के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहती। इसी वजह से कम कीमतों को कायम रखा गया है और इसे आयातित गेहूं के साथ संग्रह किया गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार बेचे गये गेहूं से कुछ कमा रही है। भारत सरकार की नीति यह है कि गरीब उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए गेहूं को इस कीमत पर सप्लाई किया जाय।

SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN : It appears from the prices raised that there is something wrong. Time and again the Food Minister has been assuring that country's position in the matter of foodgrains is quite sound. The Agricultural Prices Commission had also recommended that there should be uniformity in the prices of wheat and had recommended certain rates also *e.g.*, price of wheat was fixed at Rs. 76. What steps have been taken to implement it ? It appear that an increase of Rs. 6 is discriminatory and this is in contravention of the assurances given. It is not a fact that it would adversely affect the interests of the poorer section of the society ? They talk about good variety of wheat. I would like to know from the Hon'ble Minister the names of the states which produce good quality of wheat ? Is it not a fact that they have made huge buffer stocks of wheat in Punjab, Haryana which produce most of the wheat. Now supply position of wheat is quite good. In spite of that a discriminatory increase of Rs. 6 per quintal has been made, which would adversely affect the interests of the poorer section of the society. They talk about socialism, but this action goes against their socialism. Would the Hon'ble Minister withdraw this increase in view of the above-mentioned facts ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : श्रीमान् जी, ये सभी प्रश्न राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित हो कर पूछे जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह कृषि-मूल्य आयोग की रिपोर्ट को ध्यान पूर्वक पढ़ें। कृषि मूल्य आयोग ने सिफारिश की है कि अम्बर रंग के गेहूं और लाल गेहूं के बिक्री मूल्य में अन्तर होना चाहिए। वस्तुतः, कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को सरकार ने मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया है। एक मात्र सिफारिश जो सरकार ने स्वीकार नहीं की है। वह यह है कि किसान से वसूली की जाने वाली कीमत को कम कर दिया जाय। इसे इसलिए स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वह कृषक समुदाय के हित में नहीं है। मेरे विचार में, यह भारत सरकार का बहुत

सही निर्णय है । जहां तक देश में पैदा किये गये गेहूं का सम्बन्ध है, स्थिति सर्व विदित है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से अधिक गेहूं पैदा कर रहे हैं, परन्तु हमारे देशी उत्पादन में भी 65% लाल गेहूं है ।

SHRI M. A. KHAN: The poor farmers of our country have tried to solve the food problem by producing more food-grains by their hard work and labour. It is the result of their hard work that more wheat has been produced. But if you look to the daily consumption goods of the farmers, you will find that their prices are increasing day by day. You have fixed Rs. 76 as price, but even those do not reach the farmer. He does not get full price. Now you have increased by Rs. 6 per quintal. I want to know as to how much portion would the farmer get from this increased price and wheat portion of the increase would be shared by the Government? I do not think it justified if you keep the entire amount with you. I would welcome it if the farmer also gets a part of it. Until the goods required by the farmers are not available at cheaper rates, no attempt should be made to reduce the price of wheat. Are you prepared to do so? Are you prepared to mention the prices and to give a part of the increased prices to the farmers?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मुझे अफसोस है कि उन्होंने मेरे वक्तव्य को नहीं सुना । इन सब बातों का खुलासा किया जा चुका है ।

SHRI M. A. KHAN: The prices have been increased by Rs. 6 per quintal. Whether farmer would also get a portion of it?

अध्यक्ष महोदय : वह पहले से ही अनुदान दे रहे हैं ।

SHRI M. A. KHAN: He should reply it.

श्री रंगा : मन्त्री महोदय को क्या कहना है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : मैं आश्चर्य चकित हूं कि प्रोफेसर रंगा भी श्री मुशीर अहमद खां का समर्थन कर रहे हैं। इस बात को मन्त्री महोदय ने बड़ी योग्यता-पूर्वक बताया है कि यद्यपि हम 76 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से वसूली कर रहे हैं, परन्तु वसूली करने की लागत लगभग 90 रु० आती है । इसकी गणना करना भी आसान है । हमें राज्य सरकार को खर्चा देना पड़ता है, जो लगभग 6 रु० आता है । उसके बाद हमें मण्डी के खर्चे और बिक्री कर आदि भी अदा करना होता है । बोरे की कीमत पहले 2 रु० थी, अब 3 रु० हो गई है। इन चीजों में कमी करने की कोई गुंजाइश नहीं है । मैं खाद्य निगम के संस्थापन व्यय, पूंजीगत ब्याज और गोदाम खर्चों की तो बात ही नहीं कर रहा । उसके अलावा, वे खर्चे हैं, जिन्हें हम घटा नहीं सकते । अगर हम इन सब चीजों को जोड़ लें तो जो कीमत हम वसूल कर रहे हैं, उससे ज्यादा लागत आती है । 84 रु० की कीमत पर भी सरकार अनुदान दे रही है । 78 रु० की कीमत पर निश्चित रूप से, ज्यादा अनुदान दिया जाता है । सफेद गेहूं की कीमत को क्यों बढ़ाया गया है, इसे पहले ही बताया जा चुका है । परन्तु लोग समाजवाद की चर्चा करते हैं । मुझे नहीं मालूम कि अमीर आदमी जो बढ़िया गेहूं खाते हैं उनकी वकालत करना भी समाजवाद की परिभाषा के अन्तर्गत आता है । मुझे इस पर आश्चर्य है ।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: The poor man also wants to eat superior wheat. Why do you want to prevent him from eating superior wheat?

श्री जगजीवन राम : अगर निर्धन वर्ग द्वारा उपभोग की जाने वाली गेहूं की कीमत पर अन्य वर्ग मदद दें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI: In view of the fact that the production is increasing in the country, even now you are importing wheat from foreign countries and also in view of the fact that the wheat whose production per acre is highest is encouraged and also in view of the fact that there is no restriction on the movement of wheat in the whole country excluding Bombay and Calcutta, why does Government not procure wheat at an uniform price? Why do you want to encourage the crop of superior wheat whose production per acre is lower. You should have no restriction on the citizens of Delhi to purchase superior wheat from open market or from any part of the country. Why do you not purchase wheat at an uniform rate? If you do not act like that, they would produce according to their desire.

श्री जगजीवन राम : मुझे अफसोस है कि सदस्य महोदय ने योजना को नहीं समझा । दिल्ली में कोई प्रतिबन्ध नहीं है । कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार मात्रा में दिल्ली गेहूं लाने को स्वतन्त्र है ।

SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI: Why do you want to procure superior variety of wheat?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य महोदय ने योजना को नहीं समझा । हम देश के गेहूं की बढ़िया किस्म को नहीं खरीद रहे हैं । हम जो गेहूं खरीद रहे हैं, वह अम्बर रंग का और बढ़िया गेहूं है और वह भी हम उसी भाव पर खरीद रहे हैं । हमारी इच्छा ज्यादा उपज देने वाली किस्म को प्रोत्साहन देने की है । इसीलिए, हम समान कीमत अदा कर रहे हैं । अगर किसानों को ज्यादा कीमत मिलती है, तो वे, निसन्देह, खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतन्त्र है और व्यापारी उसे खरीदने को स्वतन्त्र हैं । योजना वही है । जिसे सदस्य महोदय ने बताया है ।

SHRI MEETHA LAL MEENA: Previously when the Hon'ble Minister procured the wheat from the market, the prices were higher. Now they are going down day by day. The prices have gone down by Rs. 8 to Rs. 10. The Hon'ble Minister has stated that the wheat of superior variety is being purchased at the rate of Rs. 96. Are you prepared to purchase the same wheat, if it is available at the price of Rs. 90 per quintal?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मन्त्री महोदय इस बात का पहले ही खुलासा कर चुके हैं । अगर किसान बढ़िया गेहूं खुले बाजार में बेचकर ज्यादा कीमत प्राप्त करना चाहे, तो उस पर किसी भी तरह का प्रतिबन्ध नहीं है । वास्तव में, यही तो हो रहा है । एक वसूली करने का मूल्य है और समर्थन मूल्य भी है । किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए, सरकार ने किसानों को एक सामान्य आश्वासन दे दिया है कि जो भी कीमत बाजार में लगाई जायेगी, उसी मूल्य पर सरकार खरीद करेगी । विशेषत: जब उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि

हो रही हो, तब सरकार की ओर से इस प्रकार का आश्वासन बहुत आवश्यक है और यही कारण है कि कीमतें 76 रु० से नीचे नहीं गिर रही हैं यह आश्वासन किसानों के हितों की रक्षा के लिए दिया गया है।

SHRI TULA RAM: I want to know whether it is a fact that under rationing arrangement in the cities there is restriction of income, *e.g.*, only lower income people, or the persons having a certain fixed income, whether they be ordinary citizens, labourers or Government employees, would get their supplies from ration shops; if so, what are the reasons for doing so?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली और कलकत्ता के अलावा और कहीं भी राशनिंग नहीं है। अन्य स्थानों पर, केवल उचित मूल्य की दुकानें हैं। जिनमें खुले बाजार में खरीदने की क्षमता है, वे ऐसा कर सकते हैं और गरीब लोग उचित दर दुकानों से खरीद कर सकते हैं। मेरे विचार में, यह एक संतोषजनक व्यवस्था है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मन्त्री महोदय मेंने अपने उत्तर में बताया है कि खाद्य निगम गेहूं, 76 रु० प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदता है और बिक्री-मूल्य 96 रु० प्रति क्विंटल वसूल करता है। इसका मतलब यह हुआ कि खरीद-मूल्य और बिक्री-मूल्य में 20 रु० का फर्क है। क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि गेहूं की खरीद और बिक्री में 20 रु० का जो फर्क है, वह खाद्य निगम के खर्चों में चला जाता है। मन्त्री महोदय ने बोरों की ऊंची कीमत, लाने-ले जाने के ऊपर होने वाले खर्चे और राज्यों में खरीद-व्यवस्था पर होने वाले खर्चों की ओर संकेत किया। ये प्रबन्ध तो सभी को करने पड़ते हैं, चाहे वह खाद्य निगम हो, चाहे व्यापारी। जो भी अनाज खरीदेगा, उसे ये खर्चे करने होंगे। इसलिए, खाद्य निगम को गेहूं की खरीद पर इतना सारा खर्चा करना पड़ता है और इस कारण कीमत ज्यादा हो जाती है। यह मन्त्री महोदय को बताने की जरूरत नहीं। यह बात किसी की भी समझ में नहीं बैठ सकती। वह इस बात का क्या कारण बता सकते हैं कि 20 रु० प्रति क्विंटल जो खाद्य निगम ज्यादा कीमत वसूल करता है, वह खाद्य निगम खर्च कर रहा है? क्या इसका मतलब यह नहीं कि खाद्य निगम में बहुत भारी खर्चा किया जा रहा है और निगम के अन्तर्गत बहुत सारी बरबादी हो रही है?

दूसरी बात यह कि सरकार एक किस्म के गेहूं और अन्य किस्म के गेहूं की दुहरी कीमत की बात करती है। इस देश में किसान, घटिया और बढ़िया दोनों ही प्रकार के गेहूं को पैदा करता है। क्या आप इस प्रकार किसान को लाल गेहूं की बजाय बढ़िया गेहूं पैदा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहे, क्योंकि बढ़िया गेहूं की ज्यादा कीमत मिलती है? स्वभावतः बढ़िया किस्म के गेहूं को प्राथमिकता दी जायगी और अन्ततोगत्वा, उपभोक्ता को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वह लाल किस्म के गेहूं को प्राप्त नहीं कर सकेगा।

श्री नम्बियार : लाल गेहूं घटिया नहीं है ... (**व्यवधान**)

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं यह नहीं कह रही कि यह घटिया है। यह मेरा विश्लेषण नहीं है। यह तो मन्त्री महोदय का विश्लेषण है। यह उन्होंने स्वयं कहा है। इसके बारे में

सरकार क्या कहना चाहती है ? खाद्य निगम की स्थापना मूल्यप्रणाली में सन्तुलन कायम करने के लिए की गई थी । लाल गेहूं और बढ़िया गेहूं के इस प्रकार के अन्तर के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है, जिससे देश की गरीब जनता जिसके बारे में मन्त्री महोदय इतनी ज्यादा ढोल पीटते हैं, गेहूं की खरीद में अन्ततोगत्वा शोषण का शिकार न हो सके ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : सदस्य महोदया ने दो प्रश्न उठाये हैं । पहला प्रश्न सदन में अनेक बार दुहराया जा चुका है । खाद्य निगम के खर्चे ज्यादा है, इसके बारे में सदस्य महोदया के तर्कों से ही स्पष्ट होता है कि उन्होंने इसे गलत समझा है । मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य मेरे साथ बैठें और आंकड़ों को देखें । मैं सभी आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं । अगर वह मुझे यह बात समझा सकीं कि किसी भी वस्तु पर खर्च कम करने की गुंजाइश है, तो मैं इस मामले पर खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ चर्चा करने को तैयार हूं । परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस समस्या का अनेक बार अध्ययन किया गया है और हम इस बारे में आश्वस्त हैं कि खर्चे उचित हैं । अगर कोई गुंजाइश है, तो मैं कोई भी सुझाव स्वीकार करने को तैयार हूं ।

खर्चे क्या हैं ? सबसे पहले, जब हम खाद्यान्नों की वसूली करते हैं, अगर राज्य सरकार खाद्य निगम के वास्ते अनाज की वसूली कर रही है, तो हमें लगभग 10.20 रुपये प्रति क्विंटल राज्य सरकार को वसूली-व्यय के रूप में अदा करने होते हैं । मैं इसका एक मोटा विवरण देना चाहूंगा । मण्डी-व्यय 2.37 रु० है । इसमें बिक्री-कर और राज्य सरकार के अन्य स्थानीय कर शामिल हैं । मण्डी में मजदूरी का खर्च 0.49 रु० आता है । अस्थायी भण्डार पर 0.18, आन्तरिक यातायात पर 0.38 और संस्थापन व्यय 0.38 आता है । मैं विस्तृत ब्यौरे में नहीं जाऊंगा । बोरे पर 2.72 रु०, खरीद-कर, चुंगी, प्रेसरम व्यय और सेवा पर 10.26 रु० व्यय होते हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : ये सभी खर्चे प्राइवेट व्यापारी भी तो करता है । क्या वह 20 रु० ज्यादा लेता है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : कृपया मेरी बात सुनिए । ये ऐसे खर्चे हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता, चाहे प्राइवेट व्यापारी हो, चाहे खाद्य निगम हो । हमने इस समस्या का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है और इसमें कोई फर्क नहीं है । फर्क पड़ता है रखरखाव के खर्चे में । भारतीय खाद्य निगम का रखरखाव खर्चा 13.30 रु० है । इन में से चार रु० तो बफर स्टाक पर ही खर्च हो जाते हैं । प्राइवेट व्यापारी जो अनाज खरीदते हैं, उसे तत्काल ही बेच देते हैं । परन्तु खाद्य निगम उसे खरीदता है और संग्रह करता है, ताकि नाजुक समय में उसे उपलब्ध कर सके । उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने और एक विशिष्ट मूल्य पर उसे उपभोक्ता को उपलब्ध करने के लिए, एक बफर स्टाक बनाना होता है । बफर स्टाफ पर लगभग 4 रु० खर्चा आता है । लाने ले जाने और भण्डार आदि की कार्यवाही पर जो बहुत जरूरी है—अगर अनाज पंजाब से बम्बई तथा पंजाब से कलकत्ता

ले जाया जाय तो औसत लागत 4.77 रु० का खर्चा आता है। हमें पता चलता है कि भारतीय खाद्य निगम 9 रु० अथवा 10 रु० का जो खर्चा करता है, उसमें से 50% खर्च तो भाड़े के रूप में ही व्यय हो जाता है और शेष धन ब्याज, लाने ले जाने के खर्चों और गोदाम आदि के ऊपर व्यय होता है।

जैसा कि मैंने बताया, मैं माननीय सदस्य महोदया के साथ सभी ब्यौरों पर चर्चा करने को तैयार हूं और उन्हें यह समझाने के लिए तैयार हूं कि खर्चे उचित हैं।

इसके बाद, माननीय सदस्या द्वारा उठाया गया अन्य प्रश्न यह है कि क्या मूल्य-व्यवस्था ऐसी है जिससे अन्य किस्म के गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा नहीं मिलता। मैं यह बताना चाहूंगा कि अनुसंधान में रत हमारे वैज्ञानिकों ने यह खोज की है कि अम्बर रंग के गेहूं को भी अधिक उत्पादन वाली किस्मों के साथ मैक्सिन तरीकों और नई किस्मों के तरीकों से पैदा किया जा सकता है।

दूसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा दृष्टिकोण अधिक उत्पादकता वाले गेहूं की किस्म को बढ़ावा देने का है। भारतीय किसान नासमझ नहीं है। वे इस बात को समझते हैं और वे गेहूं की उन किस्मों को अपना लेंगे जिनसे अधिक उत्पादन होता है। सरकार उन किस्मों को वसूली मूल्य और समर्थन मूल्यों के निर्धारण द्वारा प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का प्रसार इस तीव्र गति से हो रहा है कि विदेशी विशेषज्ञ और माननीय सदस्य भी आश्चर्यचकित हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Jaundice Epidemic in the country

*1684. **SHRI JAGESHWAR YADAV:** Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that jaundice spreading rapidly in the country, if so, the causes for its outbreak; and

(b) the measures adopted by Government to treat the patients suffering from Jaundice and whether some special programme has been chalked out to check this disease?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI K. K. SHAH): (a) No, Sir.

(b) The necessary facilities for treatment of patients, suffering from jaundice, already exist in various hospitals/Medical Institutions in the country. In the event of its outbreak as an epidemic, gama globulin may be administered as a special measure.

पीयर्सन आयोग का प्रतिवेदन

*1687. **श्री मायावन :**
श्री दण्डपाणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विश्व बैंक का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि पीयर्सन आयोग के प्रतिवेदन, जो 1 सितम्बर, 1969 को विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया था, की क्रियान्विति के संबंध में बहुत धीमी प्रगति रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि केवल पश्चिम जर्मनी ने जो एक विकसित देश है, इस प्रतिवेदन पर अनुवर्ती निर्णय लिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन की शीघ्र क्रियान्विति की आवश्यकता पर भी जोर दिया है ; और

(घ) क्या इस प्रतिवेदन की क्रियान्विति न होने का भारत पर प्रभाव पड़ा है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) . जी नहीं।

(घ) इस समय यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस रिपोर्ट पर किस हद तक अमल किया जायगा। साथ ही इस समय यह भी नहीं बताया जा सकता कि इसका विकासशील देशों पर सामान्य रूप से और भारत पर विशेष रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा।

सस्ते तथा टिकाऊ मकान

*1689. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 17 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 99 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जी० डी० नायडू ने नई दिल्ली में मथुरा रोड पर प्रदर्शिनी मैदान (एक्जीबीशन ग्राउन्ड्स) पर सस्ते तथा टिकाऊ मकान का एक नमूना तैयार किया था जिसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि श्री नायडू इस समय आंध्र प्रदेश सरकार के तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए गुन्टूर में ऐसे सैकड़ों मकान बना रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दूसरी, तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए नई दिल्ली में ऐसे मकान जो 50 वर्ष तक चल सकते हैं न बनाने के क्या कारण हैं जबकि मकानों की कमी से कर्मचारी बहुत परेशान हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) श्री जी० डी० नायडू ने 1968 में एक्जीबीशन ग्राउन्ड्स में प्रदर्शन के लिए दो मकान बनाए। इन मकानों का उद्घाटन तत्कालीन भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा नहीं किया गया था।

(ख) सरकार सूचना एकत्रित कर रही है ।

(ग) 1968 में इंजीनियरों, वास्तुकों और समाजशास्त्रियों द्वारा राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के संसर्ग से इन मकानों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया था । उनके विचार में, श्री जी० डी० नायडू द्वारा बनाए गये मकानों में कोई नया तैकनीक नहीं है, न ही इस तैकनीक पर बहुमंज़िला निर्माण आरंभ किये जा सकते हैं जिनकी आज सरकारी कर्मचारियों के वास के लिए आवश्यकता है ।

कार्यालयों का फरीदाबाद को स्थानान्तरण

*1690. **श्री यशपाल सिंह : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में रहने के मकानों पर बोझ कम करने के उद्देश्य से अपने कुछ कार्यालयों को फरीदाबाद ले जाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) तथा (ख). पिछले 7 वर्षों में कुछ कार्यालयों को, जो लगभग 41,000 वर्ग फुट फर्शी क्षेत्रफल (फ्लोर एरिया) का दख़ल लिए हुए थे, पहले ही दिल्ली से फरीदाबाद स्थानान्तरित किया जा चुका है । फिलहाल, अन्य कार्यालयों के स्थानान्तरण के लिए वहां अन्य कार्यालय वास उपलब्ध नहीं है ।

राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति

*1691. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो परिवार नियोजन के कार्यक्रमों की क्रियान्विति में राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे हैं; और

(ख) इन राज्यों में उक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) ये राज्य बिहार, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं ।

(ख) कार्यक्रम की तेजी से कार्यान्विति के लिए इन राज्यों को सहायता देने के लिए जो विशिष्ट प्रयत्न किए जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) परिवार नियोजन के पक्ष में लोगों को प्रेरणा देने की दृष्टि से सम्पूर्ण आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करना और उनके घरों के नजदीक सेवाएं और सामग्री प्रदान करना ।

(2) जनता में शिक्षा और प्रेरणा सम्बन्धी प्रयत्नों में वृद्धि करना।

(3) प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करना ताकि कर्मचारी अच्छी सेवाएं प्रदान कर सकें।

(4) सघन कार्य जैसी नई योजनाओं को चालू करना और घनी आबादी वाले जिलों, चुने हुए क्षेत्रों, संगठित क्षेत्रों और उन बड़े अस्पतालों में, जहां अधिक संख्या में प्रसव होते हैं, प्रसवोत्तर कार्यक्रम में और अधिक सुविधाएं प्रदान करना।

(5) सीमावर्ती कर्मचारियों को याता-यात सम्बन्धी अधिक सुविधाएं प्रदान करना।

(6) जिला और राज्य अधिकारियों तथा केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के दौरों के जरिये कारगर पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करना।

गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों द्वारा नेफ्था की बजाय साधन के रूप में घटिया गन्धक (लो सल्फर हैवी स्टाक) का प्रयोग

*1692. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने गैरसरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों में नेफ्था की बजाये साधन रूप में घटिया गन्धक का प्रयोग करने का निदेश दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी उर्वरक निर्माताओं ने इसका विरोध किया है, और यदि हां, तो किस आधार पर ; और

(ग) इस प्रकार के आदेश जारी करने के कारण क्या हैं और उनका पालन सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) संभरण सामग्री के रूप में नेफ्था इस्तेमाल करने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के मौजूदा उर्वरक कारखानों को अन्य संभरण सामग्री का इस्तेमाल करने का निदेश नहीं दिया है। लेकिन उन पार्टियों को, जो भविष्य में संभरण सामग्री के रूप में नेफ्था पर आधारित उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करना चाहती हैं, लो सल्फर हैवी स्टाक/ इंधन तेल जैसी अन्य संभरण सामग्री के इस्तेमाल पर विचार करने की सलाह दी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) 1973 से आगे नेफ्था की पूर्वानुमानित कमी को दृष्टि में रखते हुए नेफ्था की बजाये अन्य संभरण सामग्री के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है।

भारत में तेल निक्षेप

*1693. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ श्री एन० ए० कलिन्यू ने 1965 में भारत में लगभग 400 करोड़ टन तेल के निक्षेप होने की भविष्यवाणी की थी, किन्तु सर्वेक्षण के पश्चात् जो खोज-कार्य किया गया उससे यहां केवल 100 करोड़ टन तेल मिलने का अनुमान है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) मूल अनुमानों को बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ संलग्न, संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ श्री एन० ए० कालीनिन ने कुछ वर्ष पर्व, भारत में, दोनों अतट एवं तट-पर, लगभग 4,000 मिलियन मीटरी टन कच्चा तेल के निक्षेप होने की भविष्यवाणी की थी । श्री कालीनिन के अनुसार भी ऐसे सही अनुमान लगाने की पद्धतियों का पता नहीं है और "भविष्य कथित निक्षेपों" के अनुमान में महान भूलें सम्भाव्य हैं । श्री कालीनिन ने भारत के विभिन्न अवसादीय क्षेत्रों में अवसादीय शैल रचनाओं को अनुमानित मात्रा के आधार पर यह अनुमान लगाया था । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को निजी अन्वेषी प्रयत्नों से मालूम हुआ है कि ऐसे सारे क्षेत्रों में अवसादीय शैल रचनाओं के बड़ी मात्रा में होने के बावजूद भी इन सब क्षेत्रों में तेल का पाया जाना जरूरी नहीं है ।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने श्री कालीनिन के अनुमानों पर उचित विचार करते हुए गुजरात और आसाम में दो प्रसिद्ध पैट्रोलियम युक्त क्षेत्रों में समन्वेषी कार्यों को बढ़ाया है और देश के अतट एवं तट-पर स्थित अन्य अवसादीय क्षेत्रों में इन कार्यकलापों का विस्तार किया है । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप अब तक लगभग 315 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल के निक्षेपों का पता लगा है ।

सरकार द्वारा बन्द पड़ी कोयला खानों को अपने अधिकार में लेना

*1694. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिगत कोयले की पर्याप्त मात्रा होने के बाजजूद भी गत तीन वर्षों में कोयले की कितनी खानें बन्द की गई ;

(ख) उक्त खानों और उनके मालिकों और निदेशकों के नाम क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक खान में भूमिगत कोयले का लगभग कितना स्टाक छोड़ा गया है ; और

(घ) क्या इस कोयले को निकालने के उद्देश्य से सरकार की इन खानों को अपने अधिकार में लेने की कोई योजना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) तक. सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा है ।

विवरण

क्रम संख्या	1967-68 से 1969-70 वर्षों के दौरान बन्द की गई कोयला खानों के नाम	मालिकों या भूतपूर्व प्रबन्ध अभिकर्ताओं के नाम	कोयले की लगभग उपलभ्य राशियां, जो भूमि के नीचे छोड़ दी गई ।
1	2	3	4
			(लाख मैट्रिक टनों में आंकड़े)
	नान-कोकिंग कोयला खानें		
1.	चेमो मेन	चेमोमेन कोलरीज लिमिटेड	250.0
2.	उमरिया	रेवा कोलफील्ड्स लिमिटेड	उपलब्ध नहीं
3.	साउथ जामदिहा	नटवर लाल शामलदास एण्ड कम्पनी	—यथोपरि—
4.	दातला ईस्ट	शो पैलेस एण्ड कम्पनी	—यथोपरि—

(घ) इन कोयला खानों को अधिकार में लेने की इस समय कोई योजना नहीं है ।

सरकारी उपक्रमों के निदेशक बोर्डों में निदेशकों के चयन के लिये तालिका

*1695. **श्री सरदार अमजद अली :**

डा० प० मण्डल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रम ब्यूरो ने सरकारी उपक्रमों के निदेशकों के बोर्ड के लिये निदेशकों का चयन करने हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध विशेषज्ञों तथा उद्योगपतियों की तालिका बनाई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त तालिका तथा केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के बोर्डों में गैर-सरकारी सदस्यों की सूची सभा पटल पर रखने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत सरकारी उपक्रमों के निदेशक-मण्डलों के पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की ओर है । सरकारी उद्यम कार्यालय, सरकारी तथा गैर-सरकारी सभी क्षेत्रों के ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों की नियमित रूप से नामिकाएं तैयार करता है जो पूर्णकालिक निदेशकों तथा सरकारी उपक्रमों के सम्बद्ध एककों के पूर्णकालिक महाप्रबन्धकों के पदों जैसे ऊंचे पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त रूप से योग्य हो तथा जिन्हें इन पदों के लिए आवश्चक अनुभव प्राप्त हो । अंशकालिक गैर-कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई नामिका तैयार नहीं की गयी है ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित गैर-सरकारी सदस्यों की नामिका में से सरकारी उपक्रमों के निदेशक-मण्डलों में पूर्णकालिक निदेशकों के रूप में काम कर रहे व्यक्तियों की सूची सभा की मेज पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है ।

हृदय-रोगियों द्वारा एस्पीरीन का प्रयोग

*1696. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास** एवं **नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हृदय रोगियों द्वारा एस्पीरीन के प्रयोग के बारे में अभी हाल में कोई परीक्षण किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). एस्पीरीन के प्रयोग के बारे में परीक्षण बहुत समय पहले किये गये थे । सन्धि ज्वर और एक्टिव मायोकार्डाइटिस वाले रयूमेटिक हृदय रोग के विशेष उपचार के लिये ऐस्पीरीन एक मान्य औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है ।

क्षय रोग की रोकथाम सम्बन्धी अध्ययन के लिये धन की कमी

*1697. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि धन के अभाव के कारण क्षय रोग की रोकथाम सम्बन्धी व्यवहार्यता अध्ययन एकदम समाप्त किये जाने की स्थिति उत्पन्न होने वाली है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिये अब तक धन उपलब्ध न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संयुक्त परीक्षण सहयोग कार्य को अपेक्षित परिणामों के पूर्णत: प्राप्त करने तक ठीक प्रकार से चलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं । (ख) और (ग) : बंगलौर में क्षय रोग की रोकथाम के परीक्षण संबंधी व्यावहारिकता अध्ययन छः वर्ष के लिए अनुमोदित है और यह अवधि अक्तूबर 1970 में समाप्त होगी । इसके लिए सार्वजनिक कानून–480 कोष से 47,32,200 रुपये का एक अनुदान मंजूर किया गया है । इसके अतिरिक्त, 1964 से 1969 तक के वर्षों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी 89,000 डालर के अनुदान दिये थे । इस अनुसंधान योजना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 5,000 डालर के अनुदान का एक प्रस्ताव सरकार ने अप्रैल, 1970 में अनुमोदित कर दिया है । लगभग जुलाई, 1970 तक इस योजना के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है । 3,00,000 रु० के अतिरिक्त खर्च की पूर्ति के लिए तथा 95,00,000 रु० की अनुमानित लागत की क्षय रोग रोकथाम परीक्षण नामक एक नई परियोजना के लिए पांच वर्ष के लिए धन की व्यवस्था करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी 60,000 डालर के एक अनुदान देने का प्रस्ताव किया है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश में समुचित जल सप्लाई के लिए मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

*1698. **श्री गं० चं० दीक्षित** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर, खण्डवा तथा बुरहानपुर जैसे नगरों को समुचित जल सप्लाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से केन्द्रीय सहायता मांगी है अथवा क्या इस बारे में उसने सरकार को कोई परियोजना पेश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) जबलपुर, खण्डवा और बुरहानपुर जैसे नगरों में जल पूर्ति व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र से कोई आर्थिक सहायता नहीं मांगी है । वैसे, चौथी पंच वर्षीय-योजना में किसी खास योजना अथवा विकास शीर्ष का उल्लेख किये बिना राज्यों को केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है । प्राथमिकता निर्धारित करना, धन का नियतन करना और योजनाओं को चलाना राज्य सरकार का काम है ।

जबलपुर, खण्डवा और बुरहानपुर जलपूर्ति योजनाएं तकनीकी स्वीकृति के लिए स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मंत्रालय के केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन के पास आई थीं । प्रथम दो योजनाओं के मामले में यह मंजूरी दे दी गई है और तीसरी योजना में संशोधन करने के लिए उसे राज्य सरकार को लौटा दिया गया है ।

Asian Development Bank

***1699. SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI:** Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has eeen drawn to the observations made by the Chairman of the Sub-Committee on appropriation of the House of Representatives of U.S.A. regarding the wasteful expenditure of Asian Development Bank; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

PRIME MINISTER, FINANCE MINISTER, ATOMIC ENERGY MINISTER AND THE PLANNING MINISTER (SMT. INDIRA GANDHI): (a) & (b) Government are aware of the observations made by the Chairman of the Sub-Committee on Appropriation of the House of Representatives of U.S.A. as reported in some Indian newspapers in April 1970. However, they do not consider it appropriate to react to the deliberations of a foreign agency.

Loans to Societies of Fishermen by Nationalised Banks

***1700. SHRI GUNANAND THAKUR:** Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state:

(a) the categories of persons to whom loans are given by the nationalised banks;

(b) whether it is a fact that the societies of fishermen are not getting loan from these banks; and

(c) if so, whether Government will make arrangements for giving loans to these backward people of Bihar who are members of the fishermen society?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): (a) The nationalised banks which meet the needs of industry, trade and agriculture, etc. are providing financial assistance in as increasing measure to the hitherto neglected sectors *e.g.*, small farmers, small transport operators, small industrialists, retail traders, self-employed persons (such as doctors, lawyers, architects, engineers, technicians, etc.), and deserving students for prosecuting their studies.

(b) Some of the nationalised banks, under the schemes formulated by them, provide finance for development of fishing. Government have no information at present on fishermen societies having been refused loans on principle by these banks.

(c) As one of the objectives of the nationalised banks is to actively foster the growth of new and progressive entrepreneurs and to create opportunities for the hitherto neglected and backward areas in different parts of the country, these banks will be prepared to consider on merits requests for loans for viable and productive purposes from fishermen societies in Bihar and elsewhere.

गुजरात के तेल शोधक कारखाने के विस्तार के लिए आयातित अशोधित तेल पर निर्भरता

*1701. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अंकलेश्वर तथा उत्तर गुजरात से कच्चे तेल की उपलब्धता के बारे में फिर से अनुमान लगाये जाने पर पता लगा है कि उक्त क्षेत्रों में 1978 तक प्रति वर्ष केवल 20 लाख मीट्रिक टन अशोधित तेल मिल सकेगा ;

(ख) क्या मूलयोजना के अनुसार देशी अशोधित तेल के आधार पर गुजरात तेल शोधक कारखाने की क्षमता को बढ़ाकर प्रति वर्ष 55 लाख मीट्रिक टन कर दिया जाना था परन्तु उक्त पुनर्मूल्यांकन के अनुसार इसका विस्तार अब आयातित अशोधित तेल पर निर्भर करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गुजरात में स्थापित किये जा रहे पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह के हित में, पहले बनाई गई योजना के अनुसार गुजरात तेल शोधक कारखाने की क्षमता को बढ़ाकर 55 लाख मीट्रिक टन करने हेतु उसके विस्तार के लिये सभी आवश्यक कदम उठाये जायें ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चह्वाण) : (क) जी हां, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के नवीनतम अनुमानों के अनुसार।

(ख) जी हां ।

(ग) गुजरात शोधनशाला के विस्तार के विभिन्न पहलुओं पर एक अध्ययन दल इस समय विचार कर रहा है ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में बदले गये शिशुओं को उनके माता-पिता को सौंपना

*1702. **श्री देवकीनन्दन पटौदिया** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 अप्रैल, 1970 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में एक गर्भवती माता का बच्चा प्रसूत के पश्चात् बदला गया था ;

(ख) क्या सरकार ने इस संस्थान के वर्तमान प्रबंध की जांच की है तथा ऐसे उपर्युक्त परिवर्तन किये हैं जिनसे ऐसी गलतियों की संभावना न रहे; और

(ग) यदि हां, तो अब तक लागू किये गये ऐहतियाती उपायों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बतलाया है कि किसी गर्भवती माता का कोई बच्चा प्रसव के बाद नहीं बदला गया । इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:—

10 अप्रैल, 1970 को श्रीमती शान्ति और श्रीमती स्नेहलता के मृतजात बच्चे पैदा हुये। श्रीमती शान्ति और श्रीमती स्नेहलता दोनों के परिवारों ने इन बच्चों को शव परीक्षा की अनुमति दे दी। श्रीमती शान्ति के परिवार वालों ने चाहा कि बच्चे के शरीर का संस्कार अस्पताल अधिकारी ही कर लें। श्रीमती स्नेहलता के परिवार वालों ने उस का स्वयं संस्कार करना चाहा।

श्रीमती शान्ति से पैदा हुए बच्चे की शव परीक्षा 10-11 अप्रैल, 1970 को आधी रात को की गई। श्रीमती स्नेहलता के परिवार वालों ने यह मानकर कि उनके बच्चे की शव परीक्षा रात में हो गई होगी दूसरे दिन मुर्दाघर से पूछताछ की और मुर्दाघर में काम करने वाले कर्मचारी ने यह समझकर कि यह लोग शव परीक्षा हुए बच्चे के रिश्तेदार हैं उन्हें श्रीमती शान्ति के बच्चे का शव दे दिया।

रोग वैज्ञानिकों द्वारा श्रीमती स्नेहलता के बच्चे की शव परीक्षा बाद में की गई। हाऊस आफिसर ने तब उस माता से जो अभी अस्पताल में ही थी, अनुरोध किया कि वह अपने रिश्तेदारों से कहे कि वे, जैसा कि वे चाहते थे, बच्चे का शव ले लें। जब रिश्तेदारों ने बतलाया कि वे पहले ही दूसरे बच्चे का शव ले जा चुके हैं तो डाक्टर ने उन्हें बतलाया कि यह मुर्दाघर में काम करने वाले कर्मचारी की गलती हो सकती है और उनसे पूछा कि क्या वे अब अपने बच्चे का शव ले जाना चाहते हैं अथवा यह चाहते हैं कि उनकी ओर से अस्पताल के अधिकारी ही उसका संस्कार कर लें। क्योंकि यह गला हुआ शव था इस लिये मां-बाप अस्पताल अधिकारियों द्वारा ही उसके संस्कार किये जाने के लिये राजी हो गये। तदुपरान्त अस्पताल अधिकारियों ने इस शव के संस्कार की कार्यवाही की। लगता है कि बाद में उन्होंने अपना विचार बदल लिया और दूसरे दिन शाम को वे शव लेने के लिये पहुंच गये, तब तक अस्पताल अधिकारियों ने उसका संस्कार कर दिया।

पैदा हुए जीवित बच्चों और मरे हुए बच्चों की पहचान के लिये अभी उन्हें उनके रिश्तेदारों के सुपुर्द करने के लिये इस संस्थान में जो प्रबंध है वे इस प्रकार हैं :—

नवजात बच्चों की पहचान के प्रबन्ध

बच्चे के पैदा होते ही उसकी दायीं बांह पर प्लास्टिक का एक पट्टा बांध देते हैं जिस पर उस की मां का नाम लिखा हुआ होता है। पट्टा नष्ट हुए बगैर हटाया या बदला नहीं जा सकता। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जिसमें कोई नवजात बच्चा बदला गया हो।

मृत जात तथा प्रसव के उपरान्त मरे बच्चों की पहचान के प्रबन्ध

मृत जात अथवा प्रसवोपरान्त मरे हुए बच्चों के मामले में ड्युटी वाली नर्स ऐसे बच्चे की दायीं कलाई पर ल्यूकोप्लास्ट की एक पट्टी बांध देती है जिस पर कापिंग पैंसिल से नाम, आयु, लिंग, सी० आर० नम्बर, वार्ड, क्लोनिसियन का नाम जैसी पहचान की बातें लिख दी जाती हैं और उस शव को एक सफेद चादर में लपेट दिया जाता है। इस चादर के बाहर

एक और कागज़ लगा दिया जाता है जिस पर पहचान संबंधी उपयुक्त बातें लिखी हुई होतीं हैं। कलाई से ल्यूकोप्लास्ट की वह पट्टी उस शव को उसके रिश्तेदारों को देने से पहले हटा दी जाती है। शव को देते समय मृत्यु प्रमाण-पत्र पर रिश्तेदार के हस्ताक्षर के रूप में रसीद ले ली जाती है।

रिस्तेदारों को शव देने के प्रबन्ध

यदि मृत्यु के समय बच्चे के रिश्तेदार उपस्थित हों और वे उस शरीर को ले जाना चाहें तो उन्हें वह शव सीधे वार्डों से ही दे दिया जाता है।

यदि रिश्तेदार उपस्थित न हों अथवा वे चाहते हों कि उस शरीर को कुछ समय तक जब तक वे उसे ले जाने की तैयारी करते हैं अस्पताल में ही रखा जाय तो ऐसे शवों को मुर्दाघर में भेज दिया जाता है। कुछ मामलों में यदि रिश्तेदारों को अनुमति मिल जाये तो शव परीक्षा की जाती है अन्यथा शव को उसके रिश्तेदारों को दे दिया जाता है।

राज्यों में पीने के पानी की अत्यधिक कमी

*1703. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक राज्यों में 1969-70 में पीने के पानी की बहुत कमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और क्या उन्हें कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

पलाई सेंट्रल बैंक के जमाकर्ताओं को दिया गया लाभांश

*1704. **श्री स० मो० बनर्जी : क्या वित्त** मंत्री 13 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 975 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलाई सैंट्रल बैंक के जमाकर्त्ताओं का लाभांश के लिये दावा करने का अधिकार इसकी घोषणा के तीन वर्ष बाद कालवाधित हो जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह दावा कितने समय के बाद कालवाधित हो जाता है ; और

(ग) भारत के रिज़र्व बैंक में कंपनी के परिसमापन खाते में जमा 26.30 लाख रुपये की धनराशि में से जमाकर्ताओं को लाभांश की अदायगी न करने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

किसी परिसमाप्य कम्पनी द्वारा घोषित न चुकायी गयी रकमों के संबंध में जिस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिये, उसका उल्लेख समवाय अधिनियम की धारा 555 में किया गया है । यदि किसी जमाकर्ता की देय रकम घोषित किये जाने के बाद छः महीने तक जमाकर्ता को अदा न की गयी हो तो वह रकम, भारतीय रिजर्व बैंक में, भारत के सार्वजनिक खाते में, जिसे कंपनी का समापन खाता कहा जाता है, जमा करा देनी पड़ती है । उपर्युक्त खाते में जमा की गयी राशि का दावे-दार उस रकम की अदायगी के लिये आदेश जारी कराने के लिये 15 वर्ष तक न्यायालय या केन्द्रीय सरकार के पास आवेदन-पत्र दे सकता है । इस अवधि के बाद, इस प्रकार की रकम की अदायगी किये जाने के लिये प्राप्त दावों के संबंध में उसी तरह कार्रवाई की जानी होती है जिस तरह राजस्व की वापसी के संबंध में की जाती है । अतः अदायगी की रकम की घोषणा किये जाने के तीन वर्ष बाद दावा कालातीत नहीं हो जाता ।

(ग) : कानून की स्थिति को देखते हुए, कंपनी के परिसमापन खाते में जमा 26.30 लाख रुपये की रकम, उन दावों को निपटाने के लिये अलग रखनी पड़ती है जिनकी अदायगी के लिये न्यायालय या केन्द्रीय सरकार समय-समय पर आदेश देती रहती है ।

भारतीय रेलवे के मुख्य लेखापरीक्षकों द्वारा सैलूनों का प्रयोग

*1705. **श्री लोबो प्रभु** :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री 13 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6074 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन मुख्य लेखापरीक्षकों द्वारा दिल्ली से बाहर आने जाने की यात्रा में प्रयुक्त सैलूनों को रेलगाड़ी के साथ ले जाने में अनुमानतः कितना धन लगता है और सैलून के साथ जाने वाले परिचरों पर कितना व्यय आता है ;

(ख) उन अधिकारियों के क्या नाम हैं जो अपने साथ दिल्ली में अपने परिवार और आश्रित बच्चे लाये थे ;

(ग) दोनों ओर की इस प्रकार यात्रा करते समय अनुमानतः कितना रेलवे भाड़ा खर्च हुआ था; और

(घ) क्या वित्त मंत्रालय इन अधिकारियों द्वारा कार्य पर यात्रा करते समय इन सैलूनों के प्रयोग को सीमित करके एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा और उनको वातानुकूलित

डिब्बों अथवा हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने को कहेगा जिससे इस प्रकार राजकोष के राजस्व में होने वाली हानि को रोकने के अलावा यात्रियों के लिये स्थान उपलब्ध किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जैसा कि रेलवे मंत्री ने इस सदन में, 21 अप्रैल, 1970 को, अतारांकित प्रश्न संख्या 6990 के उत्तर में स्पष्ट किया था, इन वाहनों के रख-रखाव की लागत का और उनको रेलगाड़ी में लगाकर ले जाने में होने वाले व्यय का अलग अलग हिसाब नहीं रखा जाता ।

(ख) और (ग) अन्य राजपत्रित रेलवे अधिकारियों के समान ही इन अधिकारियों को, ड्यूटी पर यात्रा करते समय निरीक्षण डिब्बों में अथवा किसी नियमित कम्पार्टमेंट में अपने परिवारों को साथ ले जाने की अनुमति है, निरीक्षण डिब्बों में यात्रा करने से परिवारों का कोई भाड़ा अथवा किराया नहीं लगता । इस बात को दृष्टि में रखते हुए, इन डिब्बों में परिवारों और आश्रित संतानों की यात्रा संबंधी सूचना सरकारी रिकार्ड में रखने की आवश्यकता नहीं है । इसलिये, तत्काल यह सूचना प्रस्तुत करना संभव नहीं है ।

(घ) रेल मंत्री ने निरीक्षण डिब्बों (bogie inspection carriages) के प्रयोग के प्रश्न की फिर से जांच कर ली है । इस दुबारा जांच का परिणाम भी अतारांकित प्रश्न संख्या 9362 के उत्तर में 12 मई 1970 को सदन के सामने रख दिया गया है । संशोधित व्यवस्था में, अन्य बातों के साथ साथ, यह व्यवस्था भी है कि केवल बैठकों और सम्मेलनों में सम्मिलित होने के प्रयोजन से दिल्ली की यात्रा में ऐसे डिब्बों के प्रयोग पर जो रोक लगाई गयी है वह रेलवे के मुख्य लेखापरीक्षकों पर भी लागू होगी ।

कलकत्ता में जीवन बीमा निगम के फ्लैट

*1706. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** 6 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 817 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में प्रतिमास 100 रुपये से 400 रुपये तक किराये पर रिहायशी प्रयोजनों के लिये दिये गये जीवन बीमा निगम के कई फ्लैटों का वर्तमान बाजार दरों पर कहीं अधिक किराया आसानी से मिल सकता है ;

(ख) क्या उन्हें पता है कि क्वीन्स मैन्शन्स पार्क स्ट्रीट में ऐसे नौ फ्लैट श्रीमती मैडथ के नाम अलाट किये हुए हैं जो कुछ समय पहले ब्रिटेन में जा बसी है ।

(ग) यदि हां तो ये फ्लैट कैसे अलाट किये गये थे और उक्त फ्लैटों का उपयोग अब किस प्रयोजन के लिये किया जा रहा है ; और

(घ) क्या अन्य फ्लैटों की अलाटमैंट तथा वास्तविक कब्जे की जांच भी करायी जायेगी ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) आलोच्य फ्लेटों में से बहुत से पूर्ववर्ती बीमा कंपनियों द्वारा किराये पर दिये गये थे । उनके किरायों में वृद्धि, स्थानीय किराया नियंत्रण अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए

ही की जा सकती है। जब कभी कोई फ्लैट खाली होता है अथवा जब कभी किराया बढ़ाना अन्यथा जायज होता है तब जीवन बीमा निगम किराया बढ़ाने की कोशिश अवश्य करता है ।

(ख) और (ग) : क्वीन्स मेंन्सन्स कलकत्ता स्थित आठ फ्लेट, पूर्ववर्ती बीमा कंपनी द्वारा श्रीमती मैडथ तथा एक अन्य व्यक्ति को किराये पर दिये गये थे । वे फ्लेट, उनके द्वारा एक निजी बोर्डिंग हाउस के रूप में प्रयुक्त किये जाते थे जिसको "स्टाकमेन बोर्डिंग हाउस" कहा जाता है। यह रिपोर्ट मिली है कि श्रीमती मैडथ सितम्बर, 1968 में हमेशा के लिये भारत छोड़ कर चली गयी हैं। भारत छोड़ने से पहले उन्होंने जो कार्यवाही की उसका आशय बोर्डिंग हाउस के कारोबार को और उन फ्लेटों की किरायेदारी तथा कब्जे को जीवन बीमा निगम को सूचना दिये बिना, श्रीमती मेरीमर को हस्तान्तरित करने का था। जीवन बीमा निगम ने यह मामला अपने कानूनी सलाहकारों को आगे की कार्यवाही के संबंध में सलाह के लिये भेजा है ।

(घ) जीवन बीमा निगम इस मामले की जांच करेगा ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में क्लर्कों की भरती

*1707. **श्री रामचरण :**
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंक अपने यहां क्लर्कों की नियुक्ति के लिये समाचार पत्रों में अलग-अलग विज्ञापन देते हैं और बैंकों में क्लर्कों और परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भरती के लिये कोई निश्चित नीति नहीं है जब कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों की सेवाओं में कर्मचारियों और अधिकारियों की भरती के लिये निश्चित नीति है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया अपनी विभिन्न शाखाओं में क्लर्कों की नियुक्ति के लिये समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन नहीं देता है और शाखा प्रबंधक रोजगार कार्यालयों से उम्मीदवारों के नाम आमंत्रित कर लेते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में स्टेट बैंक आफ इंडिया और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये समान नीति बनाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) : बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और हस्तान्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक-मंडलों को, जिनका गठन शीघ्र ही किया जाने वाला है, भारतीय रिजर्व बैंक से सलाह करके और सरकार की पूर्व-स्वीकृति से, उक्त अधिनियम के उपबंधों को अमली रूप देने के प्रयोजन से विनियम बनाने हैं जिनमें वे शर्तें और सीमायें भी शामिल हैं,

जिनके अंतर्गत बैंक सलाहकार, अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकते हैं और उनके वेतन तथा सेवा संबंधी अन्य शर्तें निर्धारित कर सकते हैं, उन सभी मामलों की व्यवस्था करने के लिये, जिनके लिये व्यवस्था करनी जरूरी है । निदेशक-मंडलों का गठन होने तक, राष्ट्रीयकृत बैंक क्लर्कों और परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती के संबंध में उसी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं जो राष्ट्रीयकरण से पहले इन बैंकों में लागू थी । चूंकि प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक एक पृथक निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) है, इसलिये प्रत्येक बैंक अपने यहां नियुक्तियों के लिये आवेदनपत्र मांगते समय समाचारपत्रों में विज्ञापन देता है ।

(ख) जहां तक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा क्लर्कों की भर्ती किये जाने का संबंध है, लिखित परीक्षा के लिये बुलाये जाने वाले कुल उम्मीदवारों में 70 प्रतिशत उम्मीदवार रोजगार दफ्तरों द्वारा भेजे जाते हैं और बाकी 30 प्रतिशत उम्मीदवारों को, रोजगार दफ्तरों के निदेशक के साथ हुए करार की शर्तों के अनुसार सीधे बुलाये जाने की अनुमति है । लेकिन सीधे बुलाये जाने वाले 30 प्रतिशत उम्मीदवारों में कम से कम आधे उम्मीदवार ऐसे होने चाहिये जिन के नाम रोजगार दफ्तरों में रजिस्टर किये गये हों । इस बात को देखते हुए स्टेट बैंक समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराता ।

(ग) यह प्रश्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों की समन्वय समिति को सौंपा जायेगा और समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही कोई राय कायम की जायेगी ।

Death of a child namely Ajit Kumar in A.I.I.M.S., New Delhi

*1708. **SHRI YAJNA DATT SHARMA :** Will the **MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one male child named Ajit Kumar, aged about 8 years, son of Shri Om Prakash Saxena had been admitted to the All India Institute of Medical Sciences on the 29th April, 1970 at about 12 noon in an unconscious state and died the next day after remaining in the Institute for about 25 hours as an indoor patient;

(b) whether it is also a fact that the doctors who examined him had considered necessary immediate tests of his urine, blood, sputum etc. and that these tests were not done up to the last;

(c) if so, whether the death of the said child had been caused because of the negligence on the part of the staff responsible for conducting the tests; and

(d) if so, the names of persons found responsible for gross negligence in this case and the action taken against them ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI K. K. SHAH) : (a) Yes, Sir. A male child named Ajit Kumar, son of Shri Om Prakash Saxena, aged about 7 years, was admitted to the A.I.I.M.S. on 29th April, 1970 as a case of 'Encephalitis'. He died on 30th April, 1970.

(b) The following clinical tests were considered necessary by the doctors who examined him :—

1. Haemoglobin.
2. Total and differential Leucocyte counts.
3. Urine.
4. Cerebro Spinal Fluid Test.
5. Blood Urea.
6. Serum Electrolytes.

These tests were carried out and the resports were obtained on the day of admission, *i.e.*, 29th April, 1970.

(c) and (d). Do not arise.

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के सहयोग से पानी की कमी वाले चट्टानी क्षेत्रों में ग्रामीण पेय जल योजना

*1709. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के पानी की कमी वाले चट्टानी क्षेत्रों में 12,000 गांव में पीने का पानी उपलब्ध करने हेतु, संयुक्तराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के सहयोग से, एक जोरदार कार्यक्रम आरम्भ किया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ख) यह कार्यक्रम कितने समय तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) इस कार्यक्रम पर कितनी राशि व्यय होगी और उस में केन्द्रीय सरकार का, राज्यों का तथा संयुक्तराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि का भाग कितना कितना होगा ; और

(घ) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा अब तक इस उद्देश्य के लिये उपलब्ध की गई मशीनरी का व्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ). गांवों में पेय जल की व्यवस्था करना राष्ट्रीय जलपूर्ति तथा सफाई कार्यक्रम का एक भाग है। चतुर्थ योजना में ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं के लिये 131 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। चौथी योजना के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जायेगी तथा धन का नियतन करना, प्राथमिकता का निर्धारण करना तथा योजनाओं को चलाना राज्यों का कार्य है। पथरीले क्षेत्रों में स्थित गांवों में पेय जल की व्यवस्था के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिये भारत सरकार राज्य सरकारों को यूनिसेफ सहायता के अन्तर्गत प्राप्त सख्त चट्टानों को खोदने वाले रिग तथा उपकरण सप्लाई करेगी। चौथी योजना के दौरान यूनिसेफ इस प्रकार की 3.375 करोड़ रुपये की सहायता देगा। राज्यों को यह सहायता देने के लिये चौथी योजना में केन्द्रीय सेक्टर में 3.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई हैं। राज्यों को यह सहायता प्लान में नियत राशियों के अतिरिक्त रिग तथा उपकरण

के रूप में दी जायेगी । इन रिगों का उपयोग किए जाने वाले ग्रामों में पेय जलपूर्ति योजनाओं को कार्यन्वित करने पर होने वाले व्यय का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होगा जिन्हें समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जाती है । यूनिसेफ से प्राप्त उपकरणों की सहायता से लगभग 10 से 12 हजार गांवों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाने की आशा है । इस कार्यक्रम के लिये प्लान आव आपरेशन फिलहाल 31 मार्च, 1974 तक ही है ।

यूनिसेफ ने अब तक एक हालको माइनर तथा एक टाइगर ड्रिलिंग रिग प्रदान किया है ।

अनुवादकों की तुलना में सहायकों के वेतनमान

*1710. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के अनुवादकों के वेतनमान हाल ही में बढ़ा दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं जब कि वेतन आयोग ने यह कार्य आरम्भ कर दिया है और इनके वेतनमान पिछले तीन वर्षों में कितनी बार बढ़ाये गये हैं ;

(ग) अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों, जैसे सहायकों के, जिनके वेतनमान समान हैं, के वेतनमानों में संशोधन न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सहायकों को अराजपत्रित कर्मचारियों की श्रेणी दो में रखा गया था और अनुवादकों को श्रेणी तीन में, तो सहायकों की अपेक्षा अनुवादकों के वेतनमान बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं क्योंकि सहायकों का दर्जा बड़ा है परन्तु उनका वेतन-मान अब कम रह गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : जी नहीं । अनुवादकों की समूची श्रेणी के वेतनमानों में पिछले एक वर्ष में कोई आम संशोधन नहीं किया गया है । परन्तु, कुछ अन्य विभागों में समान कार्यों और योग्यताओं वाले पदों पर लागू होने वाले इसी प्रकार के वेतनमानों के आधार पर दो कार्यालयों में अनुवादकों के वेतनमानों में हाल ही में संशोधन करने की मंजूरी दी गयी है । यह मामला अनुवादकों के वेतनमानों में आम संशोधन का नहीं था, इसलिए इसको नये वेतन आयोग को सौंपने की आवश्यकता नहीं थी ।

(ग) वेतनमानों में कोई आम संशोधन नहीं किया गया है, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है ।

(घ) सहायकों के पद श्रेणी II (अराज- पत्रित) में हैं, परन्तु अनुवादकों के पदों में अधिकांश पद श्रेणी III (अराजपत्रित) में 210-425 रुपये, 210-530 रुपये अथवा 320-530 रुपये के वेतनमानों में हैं। अनुवादकों के वेतनमानों में हाल में कोई आम संशोधन नहीं हुआ है, इसलिए सहायकों के ग्रेड की उपेक्षा करने का प्रश्न नहीं उठता है।

शराब की तस्करी के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला बोम्बे फ्लाईंग क्लब का पाइपर विमान

9945. श्री बाबू राव पटेल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 मार्च 1970 को जूहू, बम्बई से गोवा की राजधानी पणजी तक देश के बीच उड़ान के समय बोम्बे फ्लाइंग क्लब के पाइपर विमान द्वारा शराब की तस्करी की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विमान में कितनी तथा किस किस्म की शराब मिली थी।

(ग) विमान को उड़ाने वाले प्रशिक्षार्थी का नाम क्या है;

(घ) उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अन्य राज्यों में भी फ्लाइंग क्लबों के विमानों को तस्करी के लिये प्रयोग किये जाने के मामले हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो किन राज्यों में और कितने?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) : बम्बई फ्लाईंग क्लब का एक पाइपर वायुयान, गोआ से बम्बई की क्षेत्रपार उड़ान के दौरान 25 मार्च 1970 को जुहू हवाई अड्डे पर उतरा। इस वायुयान में भारत में बनी शराब रखी थी।

(ख) वायुयान में काजू फेन्ही की 39 बोतलें, थ्री-एक्स रम की 9 बोतलें, ब्रॉंडी की एक बोतल, काकटेल ड्राईजिन की एक बोतल तथा टूटी हुई 2 बोतलें मिलीं।

(ग) : वायुयान के चालक का नाम श्री लेस्टर गोभेज़ है।

(घ) : नशाबन्दी कानून के उल्लंघन के कारण पुलिस द्वारा चालक तथा यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में सीमाशुल्क संबंधी कोई अपराध नहीं किया गया था। ऐसा निर्णय किया गया है कि पुलिस द्वारा आगे कि जांच-पड़ताल किये जाने तक

इस चालक को या तो चालक के रूप में अथवा यात्री के रूप में फ्लाइंग क्लब के किसी भी वायुयान में उड़ान नहीं करने दी जाएगी ।

(ड़) तथा (च) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी

साहू-जैन फर्म समूह की ओर बकाया केन्द्रीय कर

9947. श्री बाबू राव पटेल : क्या **वित्त** मंत्री 30 मार्च 1970 के अतारांकित प्रश्न सं० 4363 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलोक उद्योग की ओर से कितना आय-कर बकाया है;

(ख) अलोक उद्योग, भारत ओवरसीज तथा साहू-जैन समूह की अन्य सह-कंपनियों की ओर कंपनीवार कितना केन्द्रीय बिक्री-कर बकाया है; और

(ग) इनके इकट्ठा होने देने के क्या कारण कारण हैं तथा उन्हें वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है और वे कब तक वसूल कर लिये जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख) तथा (ग) : मेसर्स आलोक उद्योग तथा मेसर्स भारत ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड की और आयकर, केंद्रीय बिक्री-कर तथा अन्य केंद्रीय करों की 1-4-1970 को बकाया की रकम के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

साहू-जैन परिवार के सदस्यों के विभिन्न कंपनियों में अलग-अलग समय पर भिन्न-भिन्न हित रहे हैं । "साहू-जैन समूह की एसोसिएट कंपनियां" पदावली ज्यादा निश्चित नहीं होने से, मांगी गयी सूचना तभी इकट्ठी करके दी जा सकती है यदि उन कंपनियों के नामों का उल्लेख किया जाय, जिनके सिलसिले में ऐसी सूचना अपेक्षित है ।

गुजरात की सहायता

9948. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछली पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में अब तक विभिन्न परियोजनाओं तथा योजनाओं के लिए गुजरात राज्य को कितनी सहायता दी गई?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

तीसरी पंचवर्षीय आयोजना अर्थात् 1966-69 में और 1969-70 में गुजरात सरकार को, राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए दी गयी केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपयों में)

	तीसरी योजना	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70
1	2	3	4	5	6
कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यक्रम	19.34	9.13	6.75	7.14	
सामुदायिक विकास और सहकारिता	8.78	1.73	1.69	1.24	
सिंचाई और बिजली	4.96	4.30	11.53	18.85	28.20†
उद्योग और खनन	1.87	0.29	0.28	0.18	
परिवहन और संचार	—	—	0.21	0.44	
सामाजिक सेवाएं	20.34	2.89	4.05	5.17	
विविध	53.26@	2.53	0.01	0.01	
जोड़	108.55	20.87	24.52	33.03	28.20

†यह रकम 19.74 करोड़ रुपये के एकमुश्त ऋण के रूप में और 8.46 करोड़ रुपये के एकमुश्त अनुदान के रूप में दी गयी थी।

@इसमें से अधिकांश रकम सिंचाई और बिजली प्रायोजनाओं के लिए है और उसका ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी : उपर्युक्त आंकड़े अनन्तिम हैं।

गुजरात राज्य में परिवार नियोजन के नए केन्द्र

9949. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में गुजरात में कितने व्यक्तियों की नसबन्दी की गई तथा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कितनी महिलाओं को लूप पहनाये गये;

(ख) उक्त अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) 1969-70 के वित्तीय वर्ष में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सरकार द्वारा परिवार नियोजन के कितने अतिरिक्त केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) :

(क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	नसबन्दी			लूप		
	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	2	3	4	5	6	7
1968-69	53601	46958	100559	5483	6939	12422
1969-70	*	*	94308	*	*	10648

(नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है)

(ख)

वर्ष	मंजूर की गई अस्थायी राशि (लाख रुपये)
1968-69	156.36
1969-70	207.54

(ग) 1969-70 में गुजरात में 10 अतिरिक्त नगरीय परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र खोले गए हैं । इस राज्य में इस वर्ष कोई अतिरिक्त ग्रामीण केन्द्र नहीं खोला गया था ।

गुजरात में चौथी पंचवर्षीय योजना में गांवों को पानी की सप्लाई

9950. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में गावों को पानी की सप्लाई करने हेतु गुजरात सरकार ने कितनी धनराशि मांगी है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजना हेतु कितनी धन-राशि की स्वीकृति दी है और चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जल सप्लाई योजना के अंतर्गत कितने गांवों तथा छोटे कस्बों के लिये पानी की व्यवस्था हो जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चण्द्रशेखर) : (क) ग्रामीण जल-सप्लाई योजनाओं के लिये राज्य सरकार ने 6,35,00,000/-- रू० के प्रावधान का अनुरोध किया था ।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गुजरात के गांवों में जल- सप्लाई की व्यवस्था करने के लिये 6,35,00,000/--रुपये की राशि का प्रावधान धनन्तिम तौर पर किया गया है । केन्द्रीय सहायता, विकास शीर्ष अथवा किसी योजना विशेष का हवाला दिये बिना समूह-अनुदानों अथवा समूह ऋणों के रूप में दी जाती है। राज्य सरकार ने ग्रामीण जल-सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 811 ग्रामों को और नगरीय जल-सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 53 कस्बों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया था । जिन छौटे कस्बों को शामिल करने का प्रस्ताव,है, उनकी संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

गुजरात के कैरा जिले में आय-कर और उत्पादन शुल्क की वसूली

9951. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रति वर्ष गुजरात के कैरा जिले में अलग-अलग कितना आयकर और उत्पादन शुल्क वसूल किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : गुजरात राज्य के कैरा जिले से वित्तीय वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में वसूल हुआ केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क कोई 6 करोड़ रूपये था ।

ऊपर बतायी गयी अवधि में कैरा जिले में जिन व्यक्तियों का कर-निर्धारण किया गया उन से वसूल हुए आय-कर के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

गुजरात के तम्बाकू के कारखानों द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की चोरी

9952. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की चोरी के कितने मामलों में सरकार ने गुजरात में तम्बाकू के कारखानों के विरुद्ध कार्यवाही की;

(ख) उत्पादन शुल्क की चोरी करने वाली फर्मों के नाम क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक फर्म ने कितने उत्पादन शुल्क की चोरी की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी : (क) सरकार ने पिछले दो वर्षों में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की चोरी के सिलसिले में गुजरात में तम्बाकू के 99 लाइसेंस-धारियों के विरुद्ध 107 मामलों में कार्यवाही की ।

(ख) और (ग) : सरकार ने वर्ष 1968 और 1969 में गुजरात में तम्बाकू की जिन फर्मों के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की चोरी के सिलसिले में कार्यवाही की उनके नाम और प्रत्येक फर्म द्वारा की गई शुल्क की चोरी की रकम का विवरण

क्रम सं०	फर्म का नाम	रकम
(1)	(2)	(3)
	1968	**रुपये**
1.	श्री चन्दूलाल जे० शाह, व्यारा	1287.95
2.	श्री भोगीलाल एन० पटेल, माघी	1743.35
3.	श्री ईश्वरभाई जे० पटेल, सोनगढ़	2844.54
4.	शिवभाई के० परमार, आदस	341.59
5.	सी० वी० पटेल, चंगा	43.20
6.	मैसर्स गनीभाई ए० एन्ड संस, सरसा	75.15
7.	श्री आर० ए० पटेल, ओडे	182.75
8.	श्री दीप सिंह वालजीभाई, पेटलाड	18.84
9.	श्री परसोत्तमभाई जे० पटेल, डुडुकुआ	2491.59
10.	मैसर्स एस० एस० पटेल एंड कं०, नेवली	82.30
11.	श्री भारत तम्बाकू, नापद	344.69
12.	मैसर्स एम० एस० पटेल, नापद	825.60
13.	श्री वी० एस० करमार, डेडाराडा	95.53
14.	श्री वी० डी० परमार, वोरसाद	10.50
15.	मेसर्स एफ० जे० एन्ड संस, धरमाज	259.36
16.	मेसर्स एम० सी० पटेल, खांडली	253.53
17.	श्री एच० एम० पटेल, वेड़वा	75.00
18.	श्री एम० जी० पटेल, मेहलाव	43.69
19.	श्री पी० वी० राजपूत, सरसा	94.59
20.	श्री डी० वी० पटेल, वोरसाड़	6.33
21.	श्री जी० जी० पटेल, खंभोलाज	756.80

(1)	(2)	(3)
22.	श्री ए० एच० शेख, पेटलाड	8.60
23.	श्री एन० आर० पांड्या, भेदासी	150.00
24.	श्री वी० एफ० शाह, सरसा	1736.42
25.	श्री आर० वी० एन्ड कं०, लांभवेल	242.55
26.	मेसर्स गुजरात तम्बाकू स्टोर्स, वोरसाड़	18909.02
27.	श्री वी० एच० पटेल, रुपियापुर	1663.20
28.	श्री एस० एम० पटेल, वामनगांव	3.76
29.	श्री आर० एच० पटेल एन्ड ब्रदर्स, कुंजारव	712.80
30.	श्री आर० टी० पटेल, गामड़ी	28694.26
31.	श्री के० एस० पटेल, वोरसाड़	1318.68
32.	मेसर्स एम० एफ० पटेल ऐन्ड कं०, वोरसाड़	321.53
33.	श्री एन० एस० परमार, वोरसाड़	21.98
34.	श्री के० ए० पटेल, वोडल	72.24
35.	श्री एस० वी० पटेल, पालेज	2617.25
36.	श्री वी० वी० पटेल, वसना	978.69
37.	श्री ए० जी० सैयद, सरसा	4.71
38.	श्री आर० डी० पटेल, वसना	915.31
39.	श्रीमती सविताबेन एम० पटेल, वसना	709.64
40.	मेसर्स आर० भाईलाल एन्ड कं०, भरोदा	90903.00
41.	श्री टी० आर० पटेल एन्ड कं०, नापद	9251.00
42.	श्री रावजी भाई जे०, कविथा	310.54
43.	श्री एस० एस० पटेल एन्ड कं०, नेवली	489.72
44.	श्री एम० एफ० पटेल एन्ड कं०, वोरसाड़	3110.68
45.	श्री राधाकृष्ण तम्बाकू फेक्टरी, भरोदा	2354.18
46.	श्री रहमानजी अहमदजी, रनालिया	3.44
47.	श्री मणिभाई एम० पटेल, पादरा	1.72

(1)	(2)	(3)
48.	श्री जेठाभाई पी० ठक्कर, भुजपुर	86.00
49.	श्री भाई चांदभाई एन० पटेल, धनोरा (दो मामले)	5131.10
50.	मेसर्स नथालाल एम०, धोलारनवसना	4341.28
51.	श्रीमती मालवन्ती वेन, पत्नी, पुरुषोत्तमभाई, धोलारनवसना	2315.52
52.	श्री विट्ठलभाई एस० पटेल, तुंदव	4808.16
53.	श्री जोयतराम जे०, तुदंव	3596.00
54.	श्री चतुरभाई जे०, तुदंव	3653.42
55.	आर० जे० ठक्कर, हिम्मतनगर (4 मामले)	202600.00
56.	श्री जी० जे० ठक्कर, हिम्मतनगर	57300.00
57.	श्री एच० पी० ठक्कर, खेडब्रह्मा	29000.00
58.	श्री के० के० पटेल, खेंडब्रह्मा	145000.00

वर्ष 1969

1.	श्री रतीलाल जे० पटेल, सोनगढ़	414.52
2.	श्री रतन लाल ए० पारिख, कवात	50.00
3.	श्री जुसुफखां रसूलखां, कवात	211.05
4.	श्री कृष्ण लाल ए० पारिख	111.00
5.	श्री पी० एन० पटेल, गोधरा	3505.95
6.	श्री मूलजीदास सी० गांधी, दोहाड	9.10
7.	मेसर्स एम० ए० जोशी एण्ड कं०, दशरथ	110.08
8.	मेसर्स गुजरात तम्बाकू कं०, सोखड़ा	512.00
9.	श्री रमेश भाई आई०, कवात	105.00
10.	श्री अरविन्द आई० पटेल, कवात	144.60
11.	श्री सोमलाल जी० पारिख, कालो	43.00

(1)	(2)	(3)
12.	श्रीमती कासी बेन बी० पटेल, धरमज	143.10
13.	श्री दह्याभाई एस० पटेल, नवली	144.18
14.	श्री प्रभुदास जे० पटेल, वेहड़ा	2104.94
15.	श्री पुंजा भाई जे० परमार, वेछन	648.00
16.	श्री खोड़ा भाई एन० राणा, बोरसाड़	7.40
17.	श्री हरमन भाई एन० पटेल, महेलाव	31.54
18.	श्री दिनेश भाई सी० पटेल, किनखुड़	397.32
19.	श्री रामन भाई एम० पटेल, आदस	102.52
20.	श्री पूनमभाई एम० पटेल, वोरसाड़	56.38
21.	मेसर्स गनीभाई अब्दुलभाई, सरसा	379.78
22.	श्री पुरुषोत्तम भाई जे०, भालेज	28.50
23.	श्री पूजाभाई एम० पटेल, वंसोल	81.35
24.	श्री रवीन्द्रा डी० पटेल, सरसा	2.60
25.	श्री एन० आर० पाड्या, भेटासी	89.44
26.	श्री एच० ए० शाह, अंकलेव	8189.95
27.	श्री नाथूभाई सी० पटेल, बंदनी	44.90
28.	श्री रामनभाई एन० पटेल, सरसा	697.50
29.	श्री आर० के० पटेल, खामभोलेज	1589.28
30.	श्री मगनभाई सी० पटेल, अलारसा	890.96
31.	श्री प्रभुदास जे० पटेल, भिलोड़ा	6980.00
32.	मेसर्स अमृतलाल एन० वधोसना (2 मामले)	33903.80
33.	श्री पी० जे० पटेल, भिलोड़ा	1049.20
34.	मेसर्स हाजी अमीभाई सुलेमान एण्ड, ठारड़	7034.80
35.	श्री आर० जे० ठक्कर, हिम्मतनगर	10900.00
36.	श्री एम० के० पटेल, खेरालू खेड़भाहमा (2 मामले)	98600.00

37.	श्री एम० के० पटेल, खेरालू . .	13000.00
38.	श्री एस० एम० पटेल, उपेरा (3 मामले) . .	25000.00
39.	श्री कान्तिलाल के० पटेल, उनजा	75000.00
40.	श्री कान्तिलाल कचराभाई, उनजा . .	1800.00
41.	श्री आर० के० पटेल, उनजा . . .	54800.00

नागपुर तथा काम्पटी में गृह निर्माण सहकारी समितियां

9953. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर और काम्पटी म तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने सहकारी भवन-निर्माण समितियां बना रखी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समितियों के नाम क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है ;

(घ) कितने व्यक्तियों को भूमि मिल चुकी है ; और

(ङ) कितने लोगों को भूमि अभी दी जानी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ङ). सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथा समय लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समितियां

9954. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सहकारी गृह-निर्माण समितियां कौन-कौन सी हैं ;

(ख) प्रत्येक में सदस्यों की संख्या कितनी है ;

(ग) प्रत्येक समिति में उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन्हें मकान बनाने के लिये प्लाट दिये जा चुके हैं ; और

(घ) प्रत्येक समिति में उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो प्लाट के आवंटन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है ।

उन सहकारी समितियों के नाम का विवरण जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा बनी हैं ।

क्रम सं०	समिति का नाम	सदस्यों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें मकान निर्माण के लिये प्लाट दे दिये हैं	उन व्यक्तियों की संख्या जो भूमि के प्लाट आवंटन की प्रती । कर रहे हैं	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	गवर्नमेंट सर्वेंट्स सी० एच० बी० एस०	1457	1457	—	
2.	गवर्नमेंट एंप्लाईज़ सर्वोदय सी० एच० बी० एस०	386	311	—	समिति को भूमि के बदले भूमि दी गई और 386 सदस्यों में से केवल 311 को उन्हें आवंटित भूमि में सुविधा दी गई ।
3.	लो इनकम ग्रुप गव० सर्वेंट्स सी० एच० बी० एस०	790	—	790	
4.	मिनिस्ट्री आफ़ रिहेबिलिटेशन एम्लाईज़ सी० एच० बी० एस०	359	—	359	
5.	सी० पी० डब्ल्यू० डी० सी० एच० बी० एस०	828	—	828	
6.	सी० डब्ल्यू० एण्ड पी० सी० सी० एच० बी० एस०	175	—	175	
7.	पब्लिक सेक्टर (पी० एण्ड टी०) एम्प्लाईज़ सी० एच० बी० एस०	201	—	201	
8.	सप्लाई आडिट एण्ड एकाउण्ट्स सी० एच० बी० एस०	93	—	93	

1	2	3	4	5	6
9.	दि सेंट्रल गव० इण्डस्ट्रियल वर्कर्स सी० एच० बी० एस०	197	—	197	
10.	कंपट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल्ज़ आफ़िस सी० एच० बी० एस०	67	—	67	
11.	फ्रेण्ड्स सेंट्रल गव० एम्प्लाईज़ सी० एच० बी० एस०	320	—	320	
12.	मिनिस्ट्री आफ़ हैल्थ सी० एच० बी० एस०	332	—	332	
13.	रेलवे बोर्ड एंम्लाईज़ सी० एच० बी० एस०	1179	—	1179	
14.	मिनिस्ट्री आफ़ साइंटिफ़िक रिसर्च एण्ड कल्चरल ऐफ़ेयर्स सी० एच० बी० एस०	168	—	168	
15.	सेंट्रल रेवेन्यूज़ सी० एच० बी० एस०	173	—	173	
16.	ए० जी० सी० आर० लो इनकम ग्रुप सी० एच० बी० एस०	522	—	522	
17.	मिनिस्ट्री आफ़ डब्ल्यू० एच० एण्ड एस० सी० एच० बी० एस०	422	—	422	
18.	प्लैनिंग कमिशन सी० एच० बी० एस०	555	—	555	
19.	इण्डिया मीचियोरोलोजिकल सी० एच० बी० एस०	62	—	62	
20.	मिनिस्ट्री आफ़ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री सी० एच० बी० एस०	858	—	858	
21.	आल इण्डिया गव० एम्प्लाईज़ सी० एच० बी० एस०	130	—	130	
22.	डिफ़ेंस एच० क्यू० सिविलियन पर्सनेल सी० एच० बी० एस०	151	—	151	
23.	सेंट्रल एक्साइज़ सी० एच० बी० एस०	104	—	104	

दिल्ली में बिना बारी के आवंटन पर रोक

9955. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बिना बारी के क्वार्टर का आवंटन किये जाने पर (आउट-आफ-टर्न अलाटमेंट) पर 30 सितंबर, 1970 तक रोक लगा दी गई है:

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में बारी के बिना भी क्वार्टर अलाट नहीं किये जाते हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण तथा आवास नगर-विकासीय मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) तथा (ख) : जी, हां

प्रतिबन्ध प्रारंभत: मई, 1968 में लगाया गया था और समय-समय पर इसकी अवधि बढ़ाई गई, वर्तमान अवधि 30 सितम्बर, 1970 तक है । बिना बारी के आबंटन के आवेदन, बहुत संख्या में पहले ही प्राप्त हो चुके थे, और प्रतिबन्ध लगाये जाने की तारीख को 600 से अधिक स्वीकृतियां बकाया थीं । इन स्वीकृतियों की परितुष्टि में समय की एक लम्बी अवधि लग जाती इसके अतिरिक्त अन्य सरकारी कर्मचारियों से बिना बारी के आवंटनों की स्वीकृति के विरुद्ध इस आधार पर अभ्यावेदन आये कि ये उनको उनकी बारी पर आवंटन के दावे से वंचित करते हैं । अब सम्पूर्ण प्रश्न पर पुन: विचार किया जा रहा है । बहुत ही कठिनाई के अति अपवादात्मक मामलों में फिलहाल तदर्थ आधार पर आवंटन किये जा रहे हैं ।

प्रतिनियुक्ति पर गये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर

9956. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य इंजीनियर के अतिरिक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन), हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी आदि में प्रति नियुक्ति पर जाने वाले इंजीनियरों को, मुख्य इंजीनियर को छोड़ कर, या तो उच्च वेतन-मान दिया जाता है या दायित्वों में वृद्धि के लिये प्रोत्साहन के रूप में आरम्भ में ही अधिक वेतन दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो केवल मुख्य इंजीनियर को उच्च ग्रेड अथवा आरम्भ अधिक वेतन न दिये जाने के कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : हिन्दुस्तान हाऊसिंग फैक्ट्री और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के प्रबन्ध निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले मुख्य

इंजीनियरों को 2000–100–2500 रुपये के वेतनमान में 2100 रुपये का प्रारंभिक वेतन लेने की अनुमति दी जाती है, जबकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उनके वेतन 2000 रुपये निश्चित है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इन संगठनों में प्रतिनियुक्ति किये गये अन्य अधिकारियों को कम्पनी में लागू ऊंचे ग्रेड में वेतन लेने का अथवा विभाग में सरकार के आदेशों के अधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता सहित उनके ग्रेड के वेतन लेने का विकल्प दिया जाता है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुभाग अधिकारियो को रोजगार कार्यालय में पंजीकरण के लिए अनापत्ति पत्रों का दिया जाना

9957. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुभाग अधिकारियों को रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के लिये अनापत्ति पत्रों के दिये जाने के बारे में 8 दिसम्बर 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3023 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक एकत्र कर लिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) जानकारी एकत्र करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) (क) जी, हां । सूचना 5 मई, 1970 को संसदीय कार्य विभाग को इसे सभा पटल पर रखने के लिए प्रस्तुत कर दी गई है ।

(क) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों का योगदान

9958. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों को मिलने वाले बोनस । दण्ड को उन उपक्रमों के, लाभ/हानि से सम्बद्ध करने सम्बन्धी प्रस्ताव न लाये जाने के क्या कारण हैं ?

(ख) उपक्रमों के कार्य संचालन में श्रमिकों का योगदान न लेने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कर्मचारियों को प्रोत्साहित/निरुत्साहित करने के लिए शुरू की जाने वाली उन योजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं जिनका सम्बन्ध कर्मचारियों द्वारा किये गये काम से हो । सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग की यह सिफारिश पहले ही स्वीकार कर चुकी है कि इस सम्बन्ध में कदम उठाये जाने चाहिएं और ऐसी योजनाएं तैयार

करते समय बुनियादी दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं के अन्दर-अन्दर कर्मचारियों की आमदनी को उत्पादकता और सम्पन्न कार्य के साथ जोड़ दिया जाय। कर्मचारियों के कुल वेतन का एक भाग उत्पादन उत्पादकता के साथ जोड़ने वाली विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं बहुत से उद्यमों में पहले ही शुरू की जा चुकी हैं और अन्य उद्यमों में इन योजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

(ख) सरकार ने कुछ श्रेणियों के सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धक बोर्डों में कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल करने की बात सिद्धान्त रूप में मान ली है। इस निर्णय को अमल में लाने के सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा ट्रैक्टरों की खरीद

9959. श्री राम चन्द्र वीरप्पा : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड, बड़ौदा द्वारा बनाये गये हिन्दुस्तान क्रालर टाइप ट्रैक्टर एच० टी० डी०-100 तथा एच० टी० डी०-60 ट्रैक्टर की निर्माण लागत सम्बन्धी जांच की रिपोर्ट, जो लागत लेखाकार ने तैयार करके पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को दी थी, क्या उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ख) एच० टी० डी०-60 और एच० टी० डी०-100 ट्रैक्टरों के ठेके मूल्य निर्धारित करते समय मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड के लिए लाभ का जो सूत्र बनाया गया था, उसका ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खादिलकर) : (क) जी हां।

(ख) लागत लेखाकार की रिपोर्ट अभी तक सरकार के विचाराधीन है, और फर्म से दर-ठेके के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

गुजरात राज्य उर्वरक निगम का कार्यकरण

9960. श्री सरदार अमजद अली : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात विधान सभा के दो प्रमुख सदस्यों तथा गुजरात राज्य उर्वरक निगम के हिस्सेदारों ने गुजरात राज्य उर्वरक निगम के कार्य संचालन के विषय में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ;

(ख) क्या इस ज्ञापन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी;

(ग) क्या इस ज्ञापन की प्रतियां छान-बीन और जांच-पड़ताल के लिए समवाय कार्य विभाग तथा पैट्रोलियम और रसायन विभाग को भेजी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन दो विभागों द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

पट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा **धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द रा० चव्हाण** : (क) जी, नहीं।

(ख) (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से गुजरात राज्य उर्वरक निगम को ऋण

9962. **श्री सरादर अमजद अली** : क्या **वित्त** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर की वित्तपोषक संस्थाओं ने गुजरात राज्य उर्वरक निगम को ऋण के रूप में बहुत अधिक धनराशि दी है ;

(ख) क्या हाल ही में "टाइम्स आफ इण्डिया" में गुजरात राज्य उर्वरक निगम के कारखाने में हुए एक बड़े विस्फोट के बारे में तथा उक्त संयुक्त-क्षेत्र के संयंत्र के प्रबन्ध-व्यवस्था में अनेक अनियमितताओं के बारे में समाचार छपा था;

(ग) उसके निदेशकमंडल में सरकार की ओर से निदेशक नियुक्त किये जाने के अतिरिक्त सरकार की ओर से दी गई बड़ी ऋण-राशि के सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य-वाही करने का विचार है, और

(घ) क्या गुजरात के दो विधायकों ने कम्पनी के कार्य-संचालन के बारे में प्रधान मंत्री से शिकायत की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकारी क्षेत्र की अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लिमिटेड को, जिसकी सामान्य शेयर-पूंजी और तरजीही शेयर-पूंजी दोनों में गुजरात सरकार का 49 प्रतिशत हिस्सा है, कुल मिलाकर 25.14 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

संस्था का नाम	ऋण		शेयर-पूंजी की बिक्री का जिम्मा	शेयर-पूंजी में अभिदान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(लाख रुपयों में)	
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1800.00	सामान्य	197.00	(193.54)
		तरजीही	71.00	(62.14)

2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	200.00	सामान्य	14.00	(13.77)
		तरजीही	6.00	(5.27)
3. भारतीय जीवन बीमा निगम	200.00	सामान्य	20.00	(अभिदत्त)
		तरजीही	6.00	(-तदेव-)

टिप्पणी :—कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े उन रकमों के हैं, जिनकी जिम्मेदारी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पर डाल दी गयी थी।

(ख) और (ग) : टाइम्स आफ इण्डिया (अहमदाबाद संस्करण) के 22 अप्रैल, 1970 के अंक में यह समाचार प्रकाशित हुआ था :

"समाचार है कि भट्टी वाले कमरे में हुए भारी विस्फोट से संयंत्र को भारी क्षति पहुंची है और उर्वरकों का उत्पादन, निर्धारित वृद्धि के लक्ष्य के पांचवें हिस्से तक रह गया है। लेकिन प्रेक्षकों को जो बात समझ में आ रही है वह यह है कि संयुक्त क्षेत्र की इस प्रायोजना में, जिसमें राज्य सरकार के पास 49 प्रतिशत शेयर हैं, दो महीने पहले हुई इस भारी दुर्घटना का कोई सामाचार नहीं दिया गया।"

इस समाचार में यह भी कहा गया था कि 'गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी के विस्तार कार्यक्रम का काम पूरे सन्तोषजनक ढंग से नहीं हो रहा है" यह कथन सही नहीं है कि इस घटना का कोई समाचार नहीं छपा था। कम्पनी ने 17 फरवरी, 1970 को वित्तीय संस्थाओं को, अपनी विस्तार प्रायोजना के लिए स्थापित अपने अतिरिक्त अमोनिया संयंत्र में 9 फरवरी 1970 को हुए विस्फोट की स्वयं सूचना दी थी। लेकिन जो क्षति पहुंची थी, 12 मार्च, 1970 को उसकी मरम्मत कर ली गयी थी। सरकार को कम्पनी के प्रबन्ध में होने वाली किसी भी अनियमितता को जानकारी नहीं है और न ही टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित समाचार में ऐसी किसी अनियमितता का कोई उल्लेख है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सभी वित्तीय संस्थाओं की ओर से नवम्बर 1968 में कम्पनी के निदेशक मंडल में अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को नामजद किया था। यह नामजदगी दिसम्बर 1969 में वापस ले ला गयी क्योंकि सम्बद्ध अधिकारी ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की नौकरी छोड़ दी थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक किसी अन्य व्यक्ति को नामजद करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

इन वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों को कम्पनी की परिसम्पत्तियों के प्रथम बंधक (फर्स्ट मार्गेज) द्वारा प्रत्याभूत किया गया है, इन परिसम्पत्तियों का मूल्य, मूल्यह्रास के लिए व्यवस्था करने के पश्चात् 31 मार्च, 1969 को कम्पनी के वही-खातों के अनुसार 31.10 करोड़ रुपया था। इन परिसम्पत्तियों की हानि का पूरी तरह से बीमा कराया आ है और बीमा-पालिसियां उपर्युक्त तीन वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी की गयी हैं।

चूंकि राज्य सरकार इस कम्पनी की प्रवर्तक थी और इस कम्पनी की प्रत्येक किस्म की शेयर-पूंजी में उसका हिस्सा 49 प्रतिशत है, इसलिए उसे कम्पनी के निदेशक मंडल के कुल निदेशकों के एक-तिहाई निदेशकों की नामजदगी करने और नियुक्ति करने का अधिकार है, इनमें से एक निदेशक इस मंडल का अध्यक्ष होता है । प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति भी कम्पनी के उपर्युक्त स्थायी निदेशकों में से की जाती है ।

वित्तीय संस्थाओं के अनुसार, कम्पनी का कार्यचालन सम्बन्धी परिणाम सन्तोषजनक है । कम्पनी ने उत्पादन शुरू होने के बाद की 32 महीनों की अवधि में सामान्य शेयरों पर 8 प्रतिशत की दर से पहले लाभांश की घोषणा की है और इसके अलावा तरजीही शेयरों के लाभांश की सभी बकाया रकमों का भुगतान भी कर दिया है । कम्पनी मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज के सम्बन्ध में भी अपनी देनदारियों को पूरा करती रही है ।

(घ) : प्रधान मंत्री को अथवा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री को गुजरात की विधान सभा के किसी सदस्य से कम्पनी के कार्यचालन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में सिपाही

9963. **श्री लताफत अली खां :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में नियुक्त चपरासियों के और सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क विभाग में नियुक्त सिपाहियों के कर्त्तव्य क्या हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा-शुल्क विभाग में सिपाहियों की "रायफल-ड्यूटी" भी उनकी ड्यूटी का एक भाग है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनके वेतनमान पुलिस विभाग/रेलवे सुरक्षा बल/केन्द्रीय रक्षित पुलिस/सीमा सुरक्षा बल के सिपाहियों के समान है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं सेठी) : (क) वित्त मंत्रालय के अधीन के चपरासियों से सामान्यत: पत्रवाहक का काम लिया जाता है । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड के अधीन के सिपाहियों के कार्य प्राय: अनुबन्ध में दिये अनुसार होते हैं ।

(ख) सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सिपाहियों को अपने साथ राइफल नहीं रखनी होती है । उन्हें अपने पास राइफल तब ही रखनी पड़ती है जब वे सीमाशुल्क संबंधी निवारक कार्य के लिए सीमा पर अथवा समुद्रतटीय क्षेत्र में अथवा सुरक्षा ड्यूटी पर तैनाती हों ।

(ग) ऊपर (ख) में दिये गये उत्तर को दृष्टि में रखते हुए यह स्पष्ट है कि सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क विभाग के सिपाहियों के कार्यों की, सीमासुरक्षा पुलिस, रेलवे सुरक्षा पुलिस, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस तथा पुलिस के सिपाहियों के कार्यों से तुलना नहीं की जा सकती । इसलिए इन दोनों के वेतनमानों को समरूप बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

18 मई 1972 को लोक सभा में पूछें जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 9963 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध ।

सीमाशुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन-शुल्क के सिपाहियों को अपनी तैनाती के अनुसार विभिन्न कार्य करने होते हैं । सीमाशुल्क गृहों तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालयों में उन्हें चपरासी के कार्य करने होते हैं जैसे कागज़ ले जाना, पत्र आदि वितरित करना । गोदियों, सुरक्षा, ड्यूटी केन्द्रों, समुद्रतटीय तथा सीमा क्षेत्रों में उन्हें, माल के तस्कर आयात निर्यात को रोकने की दृष्टि से आसानी से पार कर सकने योग्य स्थानों की गश्त लगानी होती है । तम्बाकू रेंजों तथा निर्मित उत्पाद कारखानों में उन्हें, केंन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक/उप निरीक्षक के आदेशों के अनुसार कार्य करना होता है और खेतों की पैमाइश करने, फसलों के सर्वेक्षण, उत्पादनशुल्क लगने योग्य वस्तुओं आदि को तोलने संबंधी कार्यों में निरीक्षक/उप निरीक्षक की सहायता करनी होती है ।

सीमाशुल्क तथा केंन्द्रीय उत्पादनशुल्क विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के यह केवल स्थूल उदाहरण हैं ।

संसद भवन में काम करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिफ्ट चलाने वालों के लिये समयोपरि भत्ते की मंजूरी

9964. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब संसद् 7 बजे म०प० के बाद बैठती है तो सम्बद्ध मंत्रालयों में सभा से सम्बद्ध सभी कर्मचारियों तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को भी समयोपरि भत्ता मिलता है, किन्तु संसद् भवन के लिफ्ट-चालकों को यह समयोपरिभत्ता नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के केवल कुछ कर्मचारियों के साथ ऐसा भेद-भाव करने के क्या कारण हैं ।

(ग) संसद भवन के लिफ्ट-चालकों के प्रति इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि किसी कार्यवाही का प्रस्ताव नहीं है, तो इस के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) उपलब्ध समय में संसद भवन में कार्य कर रहे अन्य विभागों के कर्मचारियों के संबंध में सूचना एकत्रित करना संभव नहीं हुआ है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ कर्मचारियों को समयोपरान्त भत्ता मिलता है । लिफ्ट-चालकों को समयोपरान्त भत्ता नहीं दिया जाता ।

(ख) वर्तमान आदेशों के अनुसार लिफ्ट-चालक समयोपरान्त भत्ते के पात्र नहीं हैं । उन अवसरों पर जब वे अतिरिक्त समय कार्य करते हैं तो उन्हें प्रतिकर छुट्टी के रूप में मुआवज़ा दिया जाता है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई

9965. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 मई, 1970 के टाइम्स आप इंडिया में 'रुरल वाटर सप्लाई' शीर्षक के अन्तर्गत छपे एक लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) भारत में 'ग्रामीण जल सप्लाई' के लिये प्रति गांव पर 36000 रुपये लागत आने के क्या कारण हैं जबकि 'यूनिसिफ' योजना के अनुसार पथरीली भूमि पर कुएं खोदने पर, जो कि अधिक कठिन कार्य है, केवल 11,000 रुपये आते हैं;

(ग) गांवों के समूह को पानी सप्लाई करने के लिये बड़ी नदियों का उसी तरह से लाभ न उठाये जाने के क्या कारण हैं जैसे कि नगरों में पानी सप्लाई करने के लिये उनको उपयोग में लाया जाता है, हालांकि प्रत्येक तीसरे गांव के लिये पेय-जल की सप्लाई सुनिश्चित नहीं है;

(घ) इस प्रकार से पानी सप्लाई करने के लिए सर्वेक्षण न किये जाने तथा लागत का अनुमान, जो कि कुओं से पानी सप्लाई आने पर आने वाली लागत से कम हो सकते हैं; न लगाये जाने के क्या कारण हैं?

(ङ) चूंकि सरकार द्वारा किया गया खर्च 4500 गांवों में पानी की सप्लाई के लिये 150 करोड़ रुपये का खर्च—बहुत अधिक है, क्या सरकार का विचार-निर्माणकार्य को गैर-सरकारी संस्थाओं को देने का है और यदि यह काम टेंडर के आधार पर दिया गया तो वह प्रतियोगी आधार पर किया जायेगा; और

(च) विभाग द्वारा अपने हाथ में लिये जाने से पूर्व सभी बड़े निर्माण कार्यों को टेंडर के आधार पर न करवाये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक होने पर नदियों से ग्राम समूहों को पानी देने के लिए प्रादेशिक जलपूर्ति योजनाएं चलाई जाती हैं ।

(घ) सर्वेक्षण करने तथा योजनाओं की लागत का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न राज्यों में विशेष जांच प्रभाग स्थापित किये गये हैं ।

(ङ) और (च) ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए, जिसमें नलों द्वारा पानी देने, कुओं का निर्माण करने तथा उनकी मरम्मत करना आदि भी सम्मिलित हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में लगभग 150 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया था । इस परिव्यय से

17,500 ग्रामों को नलों द्वारा पानी दिया गया है; लगभग 4,18,700 नये कुओं का निर्माण किया गया है, 3,04,000 हाथ से चलाये जाने वाले नये नलकूपों की व्यवस्था की गई है और लगभग 5,54,000 पुराने कुओं की मरम्मत की गई है। योजनाओं को चलाने का दायित्व राज्य सरकारों का है जो ऐसे कार्यों के संचालन के लिए बने नियमों तथा कार्य प्रणाली का पालन करते हैं। तथापि, यह मालूम हुआ है कि जो कार्य विभाग द्वारा नहीं किया जाना होता है उनके बारे में राज्य सरकारें टेण्डर आमंत्रित करती हैं और उन कार्यों को ठेकेदारों से करवाती हैं।

विवरण

ग्राम जलपूर्ति के लिये अनुमानित लागत कई बातों पर निर्भर करती है जिनमें लाभान्वित होने वाली जन संख्या, स्त्रोत की किस्म तथा दूरी (क्या यह एक छिछला अथवा गहरा कुआं/नल कूप, झरना, नहर अथवा नदी है,) आवश्यक शुद्धीकरण (जैसे छानना अथवा लौह-पृथक्करण) और सप्लाई का साधन (हैण्डपम्पों द्वारा कुओं अथवा नलकूपों से पानी खींचना मात्र, अथवा बिजली के पम्पों द्वारा तथा ओवर हैड टंकियों से गली के नलों अथवा पृथक-पृथक मकानों के कनैक्शनों द्वारा)।

यूनीसेफ ने भारत सरकार को हाल ही में सूचित किया है कि 11,665 गांवों में 18,078 कुओं की खुदाई कर हैण्डपम्पों द्वारा पानी सप्लाई करने में कुल अनुमानित व्यय 1 करोड़ 85 लाख 75 हजार डालर (लगभग 13.50 करोड़ रुपये) होगा जिसमें उन्होंने सरकार का हिस्सा 1 करोड़ 20 लाख डालर तथा अपना हिस्सा 58 लाख 93 हजार डालर देना माना है। इस आधार पर प्रत्येक गांव में पानी सप्लाई करने की औसत लागत 11,000 रुपये बैठेगी।

तथापि पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार यूनिसेफ ने कुल 45 लाख डालर (लगभग 3.375 करोड़ रुपये) के रिग तथा अन्य उपकरणों के रूप में सहायता देने की बात कही थी जिसके आधार पर चौथी योजना के केन्द्रीय सेक्टर में 3.50 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है जो कि राज्यों को अपनी प्लान सीलिंग के अतिरिक्त दिया जाना है। इन उपकरणों की सहायता से राज्य राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत पथरीली भूमि के कारण पानी की कमी वाले क्षेत्रों में स्थित गांवों में पेय जलपूर्ति योजनाओं को चलायेंगे जिन पर होने वाला खर्चा राज्य योजनाओं में से पूरा किया जायेगा जिसके लिये केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रुप म दी जाती है। चौथी योजना में ग्राम जलपूर्ति योजनाओं के लिये राज्य सेक्टर में 131 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। कच्चे अनुमानों के आधार पर नलों द्वारा पानी सप्लाई करने अथवा हैण्ड पम्पों की व्यवस्था करने पर प्रति गांव औसतन 33,000 रुपये से 40,000 रुपये तक खर्च आता है।

यूनीसेफ से अब प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

9966. **श्री लोबो प्रभु:** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवार नियोजन की विभिन्न मदों के आंकड़ों की जांच करने के लिये क्या तरीके अपनाये गये हैं और उसमें पाई गई त्रुटियों का प्रतिशत क्या है;

(ख) आपरेशन किये गये व्यक्तियों के परीक्षण सम्बन्धी कितने प्रतिशत मामलों की जांच की गई;

(ग) परिवार नियोजन हेतु आपरेशन किये गये व्यक्तियों को उनकी राय के अनुसार श्रेणीबद्ध न करने के क्या कारण हैं ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि किस श्रेणी के लोगों से जनसंख्या में वृद्धि रोकी जा सकती है;

(घ) प्रत्येक परिवार नियोजन केन्द्र में स्वयं उसी क्षेत्र के डाक्टरों में से चुनाव के द्वारा पंजीकृत डाक्टरों की एक सलाहकार परिषद् गठित करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परिषद की सेवाओं के आंकड़ों की जांच करने तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिये इस्तेमाल न करने के क्या कारण हैं;

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) नसबन्दी तथा लूप के आंकड़ों की जांच के लिए आन्तरिक रोक तथा सन्तुलन की व्यवस्था है क्योंकि इसके लिए सम्बन्धित व्यक्ति, प्रेरक, डाक्टर परा-चिकित्सा कर्मचारी इत्यादि को मुआवजे की रकम दी जाती है । इसके अतिरिक्त पर्यवेक्षण कर्मचारियों को आयु, पता तथा दूसरे विवरणों की सच्चाई आंकने के लिए नसबन्दी तथा लूप के पांच प्रतिशत मामलों की जांच करना आवश्यक है ।

प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि इन आंकड़ों में त्रुटियों की प्रतिशतता कम है । इसके अलावा, राज्य सरकारों से पूरे तथ्य मालूम किए जा रहे हैं ।

(ग) नसबन्दी आपरेशन कराने वाले व्यक्तियों की आय का रिकार्ड रखा जाता है । अतः आय के अनुसार उनकी श्रेणी का पता लगाया जा सकता है ।

(घ) साधारणतया किसी भी नगरीय वस्ती में प्रत्येक नगरीय केन्द्र के क्षेत्र में मुश्किल से 1 या 2 से अधिक पंजीकृत डाक्टर होंगे और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीछे मुश्किल से 1 या 2 पंचीकृत डाक्टरों की संख्या होगी । अतः पंजीकृत डाक्टरों में से चुनाव के द्वारा परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए उनकी सलाहकार परिषद बनाना व्यावहारिक नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी अभिकरणों के माध्यम से औषधियों की बिक्री

9967. **श्री लोबोप्रभु** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये मूल्ये के लागू हो जाने के पश्चात पुराने मूल्यों पर खरीदे गये भण्डारों, जो कि परचून विक्रेताओं के पास अभी पड़े है, की बिक्री के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उन औषधियों को जिनके ढ़कनो पर परचून मूल्य नहीं लिखें जा सकते, ग्रामीण औषधालयों सहित जिनको ऐसे अभिकरण लेने की अनुमति होगी, सरकारी अभिकरणों के माध्यम से बेचने का है; और

(ग) क्या खंडों के स्तरों पर समितियों के माध्यम से औषधियों को लोकप्रिय बनाने तथा उनके वितरण की जिम्मेदारी प्रत्येक खंड में पंजीकृत व्यवसाइयों पर डालने की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) औषधियों की नई मूल्यांकन नीति आरम्भ करते समय, पुराने मूल्यों पर खरीदे हुये भंडारों के समापन के लिये उचित समय दिया जायेगा ।

(ख) और (ग): इस समय इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अतिरिक्त आयकर आयुक्त

9968. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बाताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अतिरिक्त आयकर आयुक्तों के 32 पदों तथा इनसे संवद्ध अन्य पदों को बनाने पर कितनी लागत आयेगी ;

(ख) आयुक्तों का कौन सा काम ये अतिरिक्त आयुक्त करेंगे तथा काम में यह वृद्धि कैसे हुई;

(ग) काम की वृद्धि संबंधी आंकड़े क्या हैं तथा कुल काम में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(घ) पिछले तीन वर्षों में आयकर विभाग में अधिकारियों की संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई तथा यह वृद्धि पहले कर्मचारियों की संख्या के तथा इन तीन वर्षों में विभाग की आय में हुई वृद्धि के कितने प्रतिशत है; और

(ङ) आयकर विभाग की कर्मचारियों संबंधी आवश्यकताओं की जांच प्रशासनिक सुधार आयोग जैसे किसी स्वतंत्र आयोग द्वारा क्यों नहीं कराई जानी चाहिये ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) : 32 अतिरिक्त आयकर आयुक्तों तथा पूरक कर्मचारियों के पदों के निर्माण पर वार्षिक व्यय लगभग 15.60 लाख रुपये होगा । इस कारण, चालू वर्ष में फर्नीचर, कार्यालय उपकरण आदि की खरीद पर लगभग 3.00 लाख रुपयों का अतिरिक्त व्यय किया जायगा ।

(ख) अतिरिक्त आयकर आयुक्त, आकर आयुक्तों से कर-अपवंचन सम्बंधी शिकायतों, सर्वेक्षण, कर-निर्धारिणों पर पुनर्विचार, आयकर अधिनियम की धारा 263 तथा 264 के अंतर्गत कर निर्धारणों के संशोधन तथा विभागीय परीक्षाओं से सम्बंधित कार्यों को अपने हाथ में ले लेंगे । आयकर आयुक्तों के कार्यभार में वृद्धि नये विधायी कानून तथा देश की आर्थिक प्रगति के कारण हुई है ।

(ग) निम्नलिखित आंकड़े कार्य में हुई वृद्धि के बारे में हैं :—

	1964-65	1969-70	वृद्धि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
कर-निर्धारितियों की संख्या	21,26,398	28,82,557 (फरवरी 1970 तक)	46.7
बजट वसूलियां	580.48 करोड़ रुपये	781.78 करोड़ रुपये	25.7
कर की बकाया	184.85 करोड़ रुपये	512.08 करोड़ रुपये	63.8
प्रथम अपीलों का दायर किया जाना	1,50,134	2,40,489	37.57
आयकर अधिनियम की धारा 271 (4ए०) के अन्तर्गत समझौते संबंधी आवेदन	4,760 (30 जून 1965 को)	8,855 (31 मई 1969 को)	45.3
नजरसानी की दरख्वास्तें	4,772	7,540 (30 जनवरी 1970)	45.74

(घ) 31 मार्च 1967 को आयकर विभाग में अधिकारियों की संख्या 2377 थी। तब से अधिकारियों के 791 नये पदों का निर्माण किया गया है। यह अधिकारियों की संख्या में 33.3 प्रतिशत वृद्धि का परिचायक है।

प्रत्यक्ष करों अर्थात् आयकर, धन-कर तथा दान-कर की बजट वसूलियां, वर्ष 1966-67 में 649.65 करोड़ रुपयों से बढ़ कर वर्ष 1969-70 में 799.26 करोड़ रुपये हो गई हैं। इससे 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई दिखाई देती है।

(ङ) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अंतर्गत एक कर्मचारी निरीक्षण एकक पहले ही कार्य कर रहा है। इसका निर्माण यथा आवश्यकता, केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों की कर्मचारी संबंधी आवश्यकताओं की समीक्षा करने के विशिष्ट प्रयोजन के लिये किया गया है। कर्मचारी निरीक्षण एकक ने हाल ही में आयकर विभाग की कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकता की समीक्षा की है तथा कुछ सिफारिशे की हैं। किस प्रकार इन सिफारिशों पर कार्यान्वयन किया जाय, इस की जांच की जा रही है। यह कार्यविधि पर्याप्त समझी जाती है।

सरकारी सम्पदाओं के प्रबन्धक अधिकारियों की सेवाओं का सदुपयोग

9969. श्री नि० रं० लास्कर :

श्री श्रीगोपाल साबू :

श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्याण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी सम्पदाओं का अब से कहीं कम कर्मचारियों की सहायता से छोटे स्तर के अधिकारियों द्वारा ही सुचारू रूप से प्रबन्ध किया जाता था ;

(ख) किसी समय स्थितिविशेष से निबटने के लिये एक अतिरिक्त मुख्य प्रबन्धक का पद बनाया गया था ;

(ग) क्या इस समय सम्पदा कार्यालय के दो अलग अलग विभागों के दो बड़े अधिकारियों के यंत्रणाधीन होने से, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात का खतरा भी बढ़ गया है कि समान प्रश्नों पर ऐसे निर्णय किये जायेंगे, जो आंशिक रूप से एक दूसरे को निराकरण करने वाले हों; और

(घ) यदि हां, तो इन दो में से किसी एक अधिकारी की सेवाओं को किसी अन्य स्थान पर प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने हेतु सरकार का विचार क्या कार्य करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) सितम्बर, 1959 से पहले संपदा निदेशालय, संपदा कार्यालय के रूप में एक अवर सचिव के पद के अधिकारी के अधीन काम कर रहा था । 1 सितम्बर, 1959 के बाद, कार्य तथा उत्तरदायित्व में वृद्धि को देखते हुए, संपदा कार्यालय को संपदा निदेशालय के रूप में पुनर्गठित किया गया। संपदा अधिकारी के पद का नाम भी बदलकर संपदा निदेशक कर दिया गया, जो उप सचिव के पद का था ।

(ख) सितम्बर, 1959 से काम के बढ़ने से सम्पदा निदेशक का एक पद बनाया गया और बाद में 1 अक्टूबर, 1962 से एक अपर सम्पदा निदेशक का पद बनाया गया ।

(ग) सम्पदा निदेशक तथा अपर सम्पदा निदेशक का कार्यभार पृथक्-पृथक है और कार्य की कोई आवृत्ति नहीं है । सम्पदा निदेशक विभाग अध्यक्ष हैं जबकि अपर सम्पदा निदेशक प्रशासनिक मामलों आदि में सम्पदा निदेशक के नियंत्रणाधीन हैं ।

(घ) जैसा कि नीचे दिया गया है, कार्य की मात्रा में वृद्धि को देखते हुए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है:--

दिल्ली में कार्य की महत्वपूर्ण मदें	सितम्बर, 1959 में कार्य की मात्रा, जब सम्पदा कार्यालय का सम्पदा निदेशालय के रूप में पुनर्गठन हुआ	1969-70 में कार्य की मात्रा
(1)	(2)	(3)
(1) कार्यालय वास	37.47 लाख वर्ग फुट	57.93 लाख वर्ग फुट
(2) मार्कीटें	5 मार्कीटें	31 मार्कीटें
(3) रिहायशी वास	27,668 एकक	42,505 एकक

(1)	(2)	(3)
(4) आडिटोरियम	1 (विज्ञान भवन)	3 (विज्ञान भवन), मावलंकर आडिटोरियम, और रवीन्द्र रंगशाला)
(5) वर्किंग गर्ल्ज़ होस्टल	कुछ नहीं	1 (कर्ज़न रोड होस्टल)
(6) किराये का निर्धारण	165 लाख रुपये प्रति वर्ष	265 लाख रुपये प्रति वर्ष
(7) क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या	5 (कलकत्ता, बम्बई, शिमला नागपुर और मसूरी)	7 (कलकत्ता, बम्बई, शिमला नागपुर, फ़रीदाबाद, मद्रास और चण्डीगढ़)

सम्पदा निदेशालय के कार्य में वृद्धि

9970. **श्री वेणीशंकर शर्मा :**

श्री श्रीगोपाल साबू : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पदा निदेशालय के सम्बन्ध कार्यालय में, उसमें नियुक्त कर्मचारियों की तुलना में कार्य अत्याधिक बढ़ गया है ;

(ख) क्या केवल उच्च पदों का ग्रेड ही बढ़ाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रवृत्ति को प्रभावशाली ढंग से रोकने और अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या में भी तदनुरूपी वृद्धि करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) सम्पदा निदेशालय में कार्य की मात्रा सितम्बर, 1959 से बढ़ रही है और नीचे दी गई सारणी स्थिति बताएगी:--

दिल्ली में कार्य की महत्वपूर्ण मदें	सितम्बर, 1959 में कार्य की मात्रा, जब सम्पदा कार्यालय का सम्पदा निदेशालय के रूप में पुनर्गठन हुआ	1969-70 में कार्य की मात्रा
(1)	(2)	(3)
(1) कार्यालय वास	37.47 लाख वर्ग फुट	57.93 लाख वर्ग फुट
(2) मार्कीटें	5 मार्कीटें	31 मार्कीटें
(3) रिहायशी वास	27,668 एकक	42,505 एकक
(4) आडिटोरियम	1 (विज्ञान भवन)	3 (विज्ञान भवन, मावलंकर आडिटोरियम और रवींद्र रंगशाला)

(1)	(2)	(3)
(5) वर्किंग गर्ल्ज़ होस्टल	कुछ नहीं	1 (कर्ज़न रोड होस्टल)
(6) किराये का निर्धारण	165 लाख रुपये प्रति वर्ष	265 लाख रुपये प्रति वर्ष
(7) क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या	5 (कलकत्ता, बम्बई, शिमला नागपुर और मसूरी)	7 (कलकत्ता, बम्बई, शिमला नागपुर, फरीदाबाद, मद्रास और चण्डीगढ़)

कर्मचारियों की आवश्यकताओं का पुनर्निधारण केवल 9 फ़रवरी, 1970 को ही वित्त मंत्रालय के एस० आई० यूनिट द्वारा किया गया ।

(ख) उच्चतम पद दो हैं--एक सम्पदा निदेशक का और दूसरा अपर सम्पदा निदेशक का, जो भारत सरकार के उप सचिवों के वेतन मान, अर्थात् 1300-1800 रुपये, में हैं ।

क्योंकि सम्पदा निदेशक भारत सरकार के उप सचिव होने के अतिरिक्त, विभाग अध्यक्ष भी हैं, यह निर्णय किया गया है कि सम्पदा निदेशक के पद को उप सचिवों के वर्तमान वेतनमान (अर्थात् 1300-1800 रुपये) के बजाय निदेशकों के 1800-2000 रुपये के नियमित वेतनमान में लाया जाये ।

(ग) फिलहाल अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि ऐसा करना उचित नहीं जान पड़ता ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री से उपहार कर की वसूली

9971. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि मंत्री, श्री जगजीवन राम ने उस उपहार पर कोई कर अदा नहीं किया है, जो उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व दिया था ;

(ख) क्या मामला अभी भी आयकर विभाग में अनिर्णीत पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो, तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) . श्री जगजीवनराम ने कर-निर्धारण वर्ष 1964-65 के लिये दान विषयक विवरणी दाखिल की तथा उस पर देय कर की अदायगी की । कर-निर्धारण वर्ष 1964-65 के लिये दान विषयक विवरणी देर से दाखिल की गई , जिसके लिये दण्ड लगाया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों के साथ व्यापार पर प्रतिबन्ध तथा विदेशी सहायता

9972. **श्री राज देव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सर्वमान्य तथ्य है कि किसी रूप में विदेशी सहायता से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसका सहायता देने वाला राष्ट्र, अधिकार-व्यापार विकल्पों पर अंकुश लगाने में बड़ी सफलता प्रयोग कर सकता है ;

(ख) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका के सहायता नियमों के अनुसार क्यूबा और उत्तर वियतनाम के साथ व्यापार करने के लिये भारत पर प्रतिबंध है; और

(ग) क्या सोवियत रूस भी कुछ प्रतिबंध लगाता है, जिसके अनुसार भारत मध्यवर्ती उत्पादों का प्रयोग उस देश के लिये अंतिम उत्पादों के निर्यात हेतु कर सकता है और वैगन सौदा इस बात का स्पष्ट उदाहरण है, क्योंकि भारत सोवियत रूस की सहायता से चलने वाले सरकारी क्षेत्र के कारखानों का प्रयोग वैगनों के उत्पादन के लिये कर रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) जो देश, अमरीकी सहायता संबंधी कानून में निर्दिष्ट सामान, क्यूबा या उत्तरी वियतनाम भेजते हैं या उक्त देशों से इस प्रकार के सामान लाने तथा वहां ले जाने के लिये अपने समुद्री जहाजों/हवाई जहाजों को अनुमति देते हैं, अमरीकी सहायता सम्बंधी कानून के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा उन देशों को अमरीकी सहायता दिये जाने की मनाही है ।

(ग) जी नहीं ।

खम्भात की खाड़ी के उथले समुद्र में तेल-खुदाई उद्घाटन समारोह पर हुआ व्यय

9973. **श्री कंवर लाल गुप्ता :**
श्री सूरजभान :
श्री शारदा नन्द :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में प्रधान मंत्री ने खंभात की खाड़ी के उथले समुद्र में तेल-खुदाई का उद्घाटन किया था ;. और

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री के हेलीकोप्टर के उतरने के लिये बनाये गये "हैलीपौड" और उद्घाटन-समारोह पर कुल कितना व्यय हुआ ; और

(ग) खर्च का खोतवार व्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने उद्घाटन समारोह पर 51,337 रुपये की कुल धनराशि खर्च की । इस धनराशि में "हैलीपौड" के जो सामान्य व्यधन कार्यों के लिये इस्तेमाल किया जाता है, निर्माण में खर्च किये गये 4,570 रुपये की रकम शामिल नहीं है । इस रकम में हैलीकोप्टर का प्रभार भी शामिल नहीं है; जिसके लिये नौसेना प्राधिकारियों से बिल की प्रतीक्षा है ।

(ग) खर्चे का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1. मोमैण्टोस	रुपये 25,000
2. प्रकाशन कार्य और विविध	रुपये, 5,350
3. फोटोग्राफी आदि	रुपये 9,194
4. आमोद-प्रमोद	रुपये 9,465
5. प्रैस पार्टी का वायु मार्ग	रुपये 2,328
	रुपये 51,337

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन

9974. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री वि० नरसिंहाराव :

श्री सु० कु० तापड़ियां : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को पुनर्गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या इस बात का संकेत दिया जा सकेगा कि उक्त आयोग को किस प्रकार से पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क), (ख) और (ग). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठित करने का कोई विचार नहीं है। लेकिन दो अशंकालिक सदस्यों, जो प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक है, की नियुक्ति से आयोग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है, और एक पूर्णकालिक स्टोर्ज-परचेज के इंचार्ज सदस्य की नियुक्ति का प्रस्ताव है ।

असैनिक पद में पेंशन के लिये युद्ध-सेवा की गणना

9975. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक पद में स्थायीकरण के बाद की यूद्ध-सेवा को पेंशन तथा उपदान के लिये गणना की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार असैनिक सेवा में स्थायी किये गये, किन्तु 1962 में चीन तथा 1965 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान सेना में सेवा करने वाले कुछ व्यक्तियों के मामले में अब इस प्रक्रिया को नही अपना रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के मामले रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को, सलाह और स्पष्टीकरण के लिये भेजे गये थे और उन्हें नामंजूर कर दिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो उन्हें नामंजूर किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रकार के कितने मामले हैं और सरकार का विचार उन्हें पूरा लाभ देने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) तथा (ख) : असैनिक पदों पर स्थायीकरण से पहले युद्ध कालीन सेवा, जिसमें 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के दौरान सशस्त्र सेनाओं में की गयी सेवा भी शामिल है, पेंशन तथा उपदान के लिये हिसाब में ली जाती है ।

(ग), (घ) तथा (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रखदी जायगी ।

उत्तर बिहार का फोटो-भूतत्वीय अध्ययन

9976. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर बिहार का कोई फोटो-भूतत्वीय अध्ययन कराया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) तक : भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने उत्तरी बिहार का फोटो-भूविज्ञान सर्वेक्षण अभी प्रारंभ नहीं किया है । कोसी घाटी का फोटो-भूविज्ञान अध्ययन करने का उनका प्रोग्राम है । क्षेत्र के हवाई चित्रों के प्राप्त हो जाने पर यह प्रारंभ किया जायेगा ।

औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा एल्युमीनियम के मूल्यों का नियत किया जाना

9977. श्री रा० कृ० बिड़ला : **श्री मयावन :**

श्री नि० र० लास्कर : **श्री दण्डपाणि:**

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से एल्युमीनियम के मूल्य नियत करने के लिये सरकार को परामर्श देने के लिये कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्यूरो ने इस बारे में कुछ सिद्धांत बताये हैं;

(ग) क्या ब्यूरो ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तो इसके कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) और (ख) : एल्युमिनियम की लागत नीति से संबंधित विषयों पर विचार करने के लिये सरकार द्वारा एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है जो औद्योगिक लागतें एवं मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष के अधीन काम कर रहा है । कार्यकारी दल अर्द्ध-उद्योगों सहित एल्युमिनियम उद्योग के वर्तमान ढांचे की जांच करेगा और निम्न-लिखित को विचार में रखते हुए यथासंभव शीघ्रता पूर्वक विभिन्न उत्पादों के लिये विक्रय मूल्यों तथा उनके संबंध में अनुपालन की जाने वाली मूल्य तथा वितरण नीति के संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करेगा --

(1) एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम उत्पादों के उत्पादन की वर्तमान तथा अनुमानित लागत;

(2) उद्योग के लिये परिकल्पित वृद्धि तथा विभिन्न उत्पादकों के विस्तार कार्यक्रम ;

(3) अर्थ-व्यवस्था में उनके महत्व के संदर्भ में उपभोक्ता उद्योगों की आवश्यकतायें ; और

(4) अध्यक्ष से संबंधित कोई अन्य मद ।

(ग) और (घ) : कार्यकारी दल को शीघ्रता पूर्वक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने को कहा गया है और दो या तीन मास की समयावधि के भीतर इस की रिपोर्ट के मिल जाने की संभावना है ।

Production of Molasses

9978. SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI: Will the Minister of **PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS** be pleased to state :

(a) the estimated production of molasses this year keeping in view the increasing production of sugar;

(b) whether it is a fact that molasses is being exported because its production is more in comparison to its consumption in the country; and

(c) if so, the obstacles in the way of establishing more factories based on molasses

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SHRI D. R. CHAVAN): (a) 19.6 lakh tonnes.

(b) Yes, based on the current assessment of demand and production, with a view to relieve sugar factories of the problem of excessive storing and to enable them to continue crushing sugar cane without hinderance.

(c) There are no obstacles except that the current surplus of molasses is seasonal and the future availability depends on fluctuations in the sugar cane crop. Industries, it will be appreciated, require a continuous and assured supply of materials.

तरल 'प्रोपेन गैस' का प्रयोग तथा विपणन

9979. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न नगरों में तरल 'प्रोपेन गैस' के विपणन और प्रयोग के लिये अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) वर्ष 1970 में तरल 'प्रोपेन गैस' के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : तरल पैट्रोलियम गैस के उत्पादन और विक्रय को बढ़ाने के कार्य को तेल कंपनियां सर्व संभाव्य महत्व देती रहती हैं। 1964 के 30,104 मीटरी टन मामूली विक्रय से 1969 में लगभग 1,27,000 मीटरी टन तक विक्रय बढ़ा है, अर्थात् 5 वर्ष की अवधि में चौगुनी वृद्धि और प्रतिवर्ष मिश्र वृद्धि 34 प्रतिशत की दर से हुई है जो पैट्रोलियम उत्पाद से बहुत अधिक है। विक्रय में और भारी वृद्धि होने की आशा है और ऐसा अनुमान है कि 1974 के अन्त तक यह दुगनी हो जायगी।

हरियाणा के लिये तेलशोधक कारखाना

9980. श्री रामकिशन गुप्त : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेलशोधक कारखाने जैसी केन्द्रीय परियोजनाओं के लिये धन-नियतन के बारे में हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) उपयुक्त समय पर अतिरिक्त शोधन क्षमताओं की जरूरत पर विचार करते समय इसे, और अन्य राज्य सरकारों के इस तरह के अनुरोधों पर विचार किया जाता है ।

आयकर अधिकारियों की पदोन्नति

9981. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **वित्त** मंत्री 25 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न सं० 4849 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग में श्रेणी दो के अधिकारियों को श्रेणी एक में पदोन्नति के और अधिक अवसर देने के लिये सरकार द्वारा इस बीच क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रत्यक्ष करें संबंधी प्रशासनिक सुधार आयोग के कार्यकारी ग्रुप ने यह सिफारिश की है कि आयकर विभाग में श्रेणी एक और दो के अधिकारियों के मध्य विदमान अन्तर को खत्म कर दिया जाय और ?

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जैसा कि पहले उत्तर दिया जा चुका है, पदोन्नति से भरे जाने वाले निर्धारित पदों में रिक्त स्थान नहीं होने के कारण श्रेणी-II के आयकर अधिकारियों की श्रेणी-1 में पदोन्नति, आने वाले कुछ समय तक नहीं की जा सकेगी, क्यों कि अभी भी श्रेणी 1 में पदोन्नत 103 अधिकारियों का समायोजन किया जाना है । फिर भी, अधिकारियों का मनोबल कायम रखने के लिये श्रेणी-1 में तदर्थ पदोन्नतियां करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) सरकार का संबंध केवल प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों से है और प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर प्रशासन पर कार्यकारी दल से नहीं है । प्रशासनिक सुधार आयोग ने श्रेणी-I और श्रेणी-II अधिकारियों का अन्तर समाप्त करने की सिफारिश नहीं की है ।

(ग) और (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते हैं ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगें

9982. **श्री जगेश्वर यादव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने 24 अप्रैल 1970 को प्रधान मंत्री के निवास स्थान के सामने एक प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) माँगें तथा उस पर सरकार द्वारा को गई/की जा रही कार्यवाही के विवरण नीचे दर्शाये गये हैं :—

प्रधान मंत्री को दिये गये ज्ञापन में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा पेश की गई मागें।	सरकार द्वारा की गई/की जा रही कार्यवाही
(1)	(2)	(3)
1.	उद्योग के विभिन्न मुख्य क्षेत्रों के प्रवर्त्तमान वेतन-स्तरों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन स्तरों के बीच अन्तर को देखते हुए, अंतरिम राहत का प्रश्न विशिष्ट रूप से सौंपा जाय तथा राहत को दिसम्बर 1969—जो कि सरकार द्वारा वेतन आयोग की नियुक्ति के निर्णय की घोषणा के फौरन बाद का महीना है—से प्रभावी किया जाय।	1 तथा 2 : अन्तरिम राहत तथा इसके प्रभावी होने की तारीख को भी वेतन आयोग के निर्देश पदों में शामिल किया गया है। आयोग अन्तरिम तथा अन्तिम' दोनों प्रकार की सिफारिशों को यथा व्यवहार्य शीघ्र ही पेश करेगा।
2.	अंतरिम राहत के लिये 3 महीनों की तथा अंतिम रिपोर्ट की एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित की जाय तथा सिफारिश प्रभावी होने की तारीख दिसम्बर 1969 से लागू की जाय—जोकि सरकार द्वारा वेतन आयोग की नियुक्ति के निर्णय की घोषणा के फौरन बाद का महीना है।	
3.	आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन तथा मूल्यों में हुई वृद्धि के सम्पूर्ण निराकरण को, वेतन-ढांचे के सिद्धान्तों पर, निर्देश पद का अंग बनाया जाय।	3. कर्मचारियों की, आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन सम्बन्धी मांग को तृतीय वेतन आयोग के निर्देश पदों में शामिल कर लिया गया है। वेतन आयोग, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते के सूत्र की भी जांच करेगा।
4.	आयोग में मजदूरों का एक प्रतिनिधि शामिल किया जाय।	4. इस मामले पर गौर किया जा रहा है।

(1)	(2)	(3)
5.	निर्देश पदों में यह बात विशिष्ट रूप से शामिल की जानी चाहिये कि अधिकतम वेतन को इस प्रकार कम किया जाय कि यह न्यूनतम परिश्रमिक के 10 गुना से अधिक नहीं हो।	5' वेतन-ढांचे की जांच करते समय, आयोग निःसन्देह अधिकतम तथा न्यूनतम वेतन के प्रश्न पर विचार करेगा।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की तालिका का आर्थिक नीति के बारे में प्रतिवेदन के आधार पर मितव्ययता वाले उपायों का अपनाया जाना

9983. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मितव्ययता के बारे में आर्थिक नीति सम्बन्धी अखिल भारतीय कांग्रेस की तालिका के प्रतिवेदन को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : मंत्रियों तथा अधिकारियों पर होने वाले व्यय में अधिक से अधिक किफायत का इतमीनान करने की आवश्यकता के प्रति सरकार सदा से जागरुक रही है। मंत्रियों के वेतन 1952 में घटा कर, विद्यमान वेतनों के समकक्ष कर दिये गये थे। मंत्रियों को दी जाने वाली सुख-सुविधाओं में भी कुछ किफायतें की गई हैं। और अधिक किफायतें लाने की गुंजाइश की जांच की जा रही है।

सरकारी कर्मचारियों तथा लोक उद्यमों के कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाएं सीमित हैं। कर्मचारियों के वेतनमान तथा अन्य सम्बद्ध प्रश्न भी, हाल में नियुक्त किये गये वेतन आयोग के विचार क्षेत्र के अधीन आ जाएंगे।

जहां तक गैर सरकारी व्यक्तियों तथा निगमों का सम्बन्ध है, 1970-71 के बजट में कुछ उपाय निहित हैं, जैसे कि मनोरंजन तथा अतिथि गृह आदि पर किये जाने वाला खर्च की छूट न देना। ये उपाय उल्लेखनीय खर्चे को रोकने की दृष्टि से तैयार किये गये हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली में अन्तःसहयोग विनियोजन और ऋण देना

9984. **श्री जुगल मंडल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली में अन्तः सहयोग विनियोजन और ऋण परिसमाप्त किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : प्रश्न में जो उल्लेख किया गया है वह सम्भवतः राष्ट्रीयकृत बैंकों से उधार ली गयी रकमों का उपयोग,

अन्तर्निगमीय ऋणदान, निवेश और कम्पनियों पर कब्जा जमाने के लिए किये जाने के बारे में है । इस प्रकार के निवेश के लिए बैंक-ऋण दिये जाने की रोकथाम करने के लिए निम्न-लिखित कदम पहले से ही उठाये जा चुके हैं । आशा है कि स्थिति में शीघ्र ही सुधार हो जायगा ।

रिजर्व बैंक ने बैंकों को चेतावनी दी है कि वे अपने द्वारा ऋण दिये जाने और उन ऋणों के इस्तेमाल के बारे में काफी अधिक सतर्कता बरतें । राष्ट्रीयकृत बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे निगम-क्षेत्र को ऋण देते समय, जहां तक सम्भव हो, ऋण की रकम के अन्तिम उपयोग के बारे में जांच करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण की रकम के किसी भाग का उयोग अनुत्पादक कार्यों में लगाने के लिए अथवा ऋणकर्ता कम्पनी के कार्यों से असंबद्ध प्रयोजनों के लिए, अन्य प्रतिष्ठानों को ऋण देने के लिए अथवा उनमें निवेश करने के लिए न किया जाय । जहां यह पता चलेगा कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई ऋणकर्ता ऋण की रकम का कोई भाग किसी सहयोगी प्रतिष्ठान को देना चाहता है वहां ऋणकर्ता को मंजूर की गयी ऋण की रकम में उपयुक्त रूप से कमी कर दी जायगी और उस सहयोगी प्रतिष्ठान से यह आशा की जायगी कि वह बैंक को वित्तीय सहायता का आवेदन पत्र दे कर बैंक से स्वयं सम्पर्क स्थापित करे और बैंक उस आवेदनपत्र पर उसके गुणावगुणों को देखते हुए विचार करेगा । खास तौर से शेयरों के एवज में ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में, रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को ये हिदायतें दी हैं कि उन्हें उस प्रयोजन की ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए जिसके लिए ऋण मांगा जा रहा है और इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिए कि ऋण का उपयोग सट्टेबाजी के प्रयोजनों के लिए अथवा ऋणकर्ता द्वारा किसी कम्पनी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने अथवा उस पर अपना नियंत्रण बनाये रखने के प्रयोजन के लिए न किया जाय । बैंकों को यह सलाह भी दी गयी है कि कम्पनियों को शेयरों के एवज में ऋण देते समय इस बात की ध्यानपूर्वक जांच की जाय कि इन ऋणों का उपयोग अन्तर्निगमीय निवेश करने अथवा ऐसे निवेशों को बनाये रखने के लिए न किया जाय । रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बकों पर हाल में यह पाबन्दी लगा दी है कि वे किसी एकल ऋणकर्ता के मामले में, शेयरों के एवज में 5 लाख रुपये से अधिक रकम का ऋण, उसकी मंजूरी के बिना न दें ।

सरकार रिजर्व बैंक से परामर्श करके अन्य ऐसे उपयुक्त उपायों पर विचार कर रही है जिनसे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके कि बैंकों से ली गयी रकमों का उपयोग अन्तर्निगमीय ऋण-दान और निवेश के लिए किये जाने पर, मौजूदा उपायों की तुलना में अधिक कारगर तरीके से रोक लगायी जाए । उदाहरण के रूप में, बैंकों की ऋण मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए, रिजर्व बैंक ने एक अध्ययन दल नियुक्त किया है जो कुछ ऐसे मानक प्रपत्र (फार्म) तैयार करेगा, जिनमें ऋण का मूल्यांकन करने और इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कि उसका अन्तिम उपयोग उचित रूप से हो, सूचना-सामग्री एकत्र की जायगी । इसी प्रकार, प्रत्येक उद्योग के लिए वस्तु-सूची सम्बन्धी मानदण्ड निर्धारित करने के लिए एक अन्य अध्ययन-दल नियुक्त किया

गया है। इन मानदण्डों से बैंकों को ऋणकर्ताओं की कार्यचालन पूंजी की वास्तविक जरूरतों का सही अनुमान लगाने में सहायता मिलेगी।

दिल्ली में नगर के कूड़ा-कचरे से पानी का गन्दा होना

9985. श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

श्री लोबो प्रभु :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण दिल्ली में अभी पिछले दिनों पानी में गन्दगी शहर के कूड़े-कचरे के कारण हुई थी, न कि औद्योगिक गन्दगी के कारण;

(ख) क्या पानी में गन्दगी होने के कारणों का पता लगाने के लिए की गई जांच की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०एस० चन्द्रशेखर): (क), (ख) तथा (ग) : इस वर्ष मार्च के महीने में दक्षिण-दिल्ली के उप-नगरों को जल-सप्लाई बन्द होने से सम्बन्धित विभिन्न मामलों की जांच करने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा एक जांच आयोग नियुक्त किया गया है। यह आयोग इस बात की भी जांच करेगा कि क्या इस अवधि के दौरान दक्षिण-दिल्ली क्षेत्रों को सप्लाई किये गये जल में किसी प्रकार की गन्दगी थी। आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उत्पादन की किस्म

9986. श्री अब्दुल गनी डार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषत: सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सामान्यत: गैर-सरकारी क्षेत्र के हमारे उत्पादन की घटिया किस्म के कारण, निर्यात के लाइसेंस देने के बावजूद भी भारत को विदेशी मुद्रा का भारी घाटा उठाना पड़ता है, और

(ख) यदि हां, तो किस्म में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : सामान्य रूप से यह कहना ठीक नहीं होगा कि तैयार किये गये माल की किस्म ठीक न होने के कारण देश को काफी संख्या में निर्यात के आर्डरों से हाथ धोना पड़ा है। निर्यात की मात्रा कई बातों जैसे माल की मांग, प्रतियोगिता, मूल्य, किस्म आदि पर निर्भर करती है यह सोचना भी निराधार है कि सरकार उद्यमों द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं की किस्म अन्य उद्यमों द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं की किस्म से घटिया होती है। सरकार ने निर्यात (किस्म नियंत्रण और

निरीक्षण) अधिनियम 1963 के अन्तर्गत कई कदम उठाये हैं, जिनके अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित माल का निर्यात तब तक नहीं किया जाता जब तक उस की किस्म का पहले निरीक्षण न कर लिया गया हो और उसे अधिप्रमाणित न कर लिया गया हो।

कलकत्ता तथा बम्बई में नेशनल टैस्ट हाउस की प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

9987. श्री रविराय : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता तथा बम्बई स्थित नेशनल टैस्ट हाउस की प्रयोगशालाओं का और आगे आधुनिकीकरण तथा पुनर्निर्माण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख), जी, हां। कलकत्ता और बम्बई की राष्ट्रीय परीक्षण-शालाओं के आधुनिकीकरण और उनके पुनर्निर्माण के लिए अनेक उपाय किए गये हैं जिनका संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

कलकत्ता और बम्बई की राष्ट्रीय परीक्षण-शालाओं को आधुनिक बनाने और उनकी परीक्षण-सुविधाओं में सुधार करने के लिए पिछले तीन वर्षों में जो उपाय किए गए हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(i) **राष्ट्रीय परीक्षण-शाला, कलकत्ता** : रासायनिक विश्लेषण के यांत्रिक तरीकों को अपनाने की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इसके लिए स्पैक्ट्रोफोटो-मीटर और ध्रवण-लेखन आदि का प्रयोग किया गया। एक वाष्पीय-गति क्रोमाटोग्राफ़ भी लगाया गया, ताकि ऐसे ओरगेनिक तत्वों के घटकों का निर्धारण किया जा सके, जो कि बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में विद्यमान रहते हैं और जिनका निर्धारण अन्य सामान्य रासायनिक विश्लेषण प्रक्रियाओं द्वारा नहीं किया जा सकता।

ऊंची वोल्टेज वाले उपकरणों और 21 लाख तक की वोल्ट वाले पदार्थों के परीक्षण हेतु एक ऊंची-वोल्टेज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

एक सुसज्जित पर्यावरण-परीक्षण सम्बन्धी प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है जिस में विभिन्न प्रकार के परीक्षण चैम्बर हैं जहां पर यन्त्रों और बिजली के हिस्सों-पुर्जों का जलवायु-परीक्षण किया जाता है ताकि उष्ण अवस्थाओं में उनकी उपयोगिता और कार्यों का निर्धारण किया जा सके।

विद्युत मानकीकरण प्रयोगशाला और भापविज्ञान प्रयोगशाला को, बिजली के यन्त्रों और सूक्ष्म गैजटों तथा टैंप्लेटों के परीक्षण के लिए, नया रूप दिया गया है।

आधुनिक उपकरणों की अधिप्राप्ति द्वारा जीव-परीक्षण-प्रयोगशाला के कार्य-क्षेत्र का और विस्तार किया गया है, ताकि रोगाणुनाशक द्रव्यों में जीवाणु-नाशक मूल्यों का, राईडील वाकर और स्टैफीलो-कोकल गुणांकों के रूप में, निर्धारण किया जा सके।

गैर-निषेधक परीक्षण प्रभाग में भाबा आणविक अनुसंधान केन्द्र, बम्बई द्वारा दिया गया 60 आइसोटोप कोबाल्ट की क्षमता वाला एक बहुत शक्ति-शाली गामा-रे उपकरण लगाया गया है :

(ii) **राष्ट्रीय परीक्षण-शाला, बम्बई शाखा :** राष्ट्रीय परीक्षण-शाखा, बम्बई शाखा के लिए, जिस में 6 वर्ष पूर्व ही कार्य शुरू हुआ था, उसके कार्यों का विस्तार करने के लिए 7000 वर्गफुट का अतिरिक्त भू-क्षेत्र दे दिया गया है। प्रत्येक प्रयोगशाला में अलग-अलग रूप से अनेक उपकरण लगाये गए हैं, ताकि परीक्षण-कार्यों में वृद्धि हो सके।

रंग-रोगनों आदि पर धूप-वायु जैसी बाह्य स्थितियों का प्रभाव देखने के लिए एक मौसम-मीटर प्राप्त किया गया है।

मौके पर ही रेडियोग्राफिक परीक्षण करने के लिए गैर-निषेधक परीक्षण प्रयोग-शालाओं में आईसोटोप कोबाल्ट और इरिडियम भी लगा दिए गए हैं।

बम्बई क्षेत्र में निर्मित इलैक्ट्रोड के परीक्षण की भारी मांग होने के कारण बम्बई परीक्षण-शाला में सम्बद्ध विशिष्टियों के अनुसार वेल्डिंग इलैक्ट्रोड के परीक्षण के लिए अब पूरी तरह उपकरण लगा दिए गए हैं।

किसी भी मान्य संहिता या विनियम के अनुसार वेल्डरों के परीक्षण और प्रमाणन के लिए भी प्रबन्ध कर लिए गए हैं।

"बी०-ट्विल बैग्स" की सप्लाई

9988. **श्री रवि राय :** क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय तथा पटसन मिलों के मालिकों के बीच "बी-ट्विल बैग्स" के लिए लम्बी अवधि का एक करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) 55 पटसन की मिलों को 200 रुपये प्रति 100 थैलों की अनन्तिम दर से पटसन के थैलों की 3,48,957 गांठें जनवरी, 1970 से मार्च 1971 तक की अवधि में सप्लाई करने के लिए क्रयादेश इस शर्त पर दिए गए हैं कि टैरिफ आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले उचित मूल्य में इसका समायोजन कर दिया जाएगा।

लघु उद्योगों पर वित्तीय उपायों का प्रभाव

9989. **श्री सु० कु० पांडिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों के कार्यसंचालन तथा विकास पर वित्तीय उपायों के प्रभाव का अध्ययन करने का है; और

(ख) क्या सरकार का विचार लघु क्षेत्र को उचित महत्व देने तथा इसके फलस्वरूप उसके विकास के लिए करों तथा शुल्कों की विभिन्न दरों के अन्तर को बढ़ाने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : छोटे पैमाने के उद्योगों के कार्यचालन और विकास पर राजस्व सम्बन्धी विभिन्न उपायों के प्रभाव का अध्ययन करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है। लेकिन सरकार बड़े पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन के परिमाण को सीमित करके, भिन्नक कराधान (डिफरेंशल टैक्सेशन) द्वारा अथवा सीधे राजसहायता दे कर 1956 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प के ढांचे के अन्दर अन्दर देश में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने की जरूरत के प्रति जागरूक है। जहाँ तक राजस्व सम्बन्धी उपायों का सम्बन्ध है, जिन वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क लगता है उनमें से कई वस्तुओं पर पहले से ही तरजीही दरों पर उत्पादन-शुल्क लगता है। उदाहरण के रूप में, कन्फेक्शनरी, खाद्य पदार्थों, ऐरंटेड वाटर, धातु के बने डिब्बों आदि (मेटल कंटेनर) और तिजोरियों तथा मजबूत (स्ट्रांग) बक्सों को, जो बिजली की सहायता के बिना बनाये जाते हों, उत्पादन-शुल्क की अदायगी करने से पूरी छूट प्राप्त है। बिस्कुटों, इस्पात के बने फर्नीचर, धातु के बने डिब्बों आदि, तिजौरियों और मजबूत बक्सों को, चाहे वे बिजली की सहायता से बने हों, मात्रा अथवा मूल्य की कुछ निर्धारित सीमाओं तक शुल्क से छूट प्राप्त है। कांच और कांच से बनी वस्तुएं और बिजली की बैटरियां, जो ऐसे एककों में बनायी जाती हैं जिनमें पांच से अधिक कर्मचारी काम नहीं करते, और ऐसे कारखानों में निर्मित चीनी मिट्टी तथा पोर्सलैन की वस्तुओं पर, जिनमें 15 से अधिक कर्मचारी काम नहीं करते, उत्पादन-शुल्क बिल्कुल नहीं लगता। तारें (वायर) और केबुलों के छोटे पैमाने के उत्पादकों को भी शुल्क में राहत प्राप्त हो सकती है। छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में निर्मित ऐसे रेडियो सेटों पर भी, जिनका उपभोक्ताओं के लिए बिक्री मूल्य 165 रुपये से अधिक न हो, शुल्क नहीं लगता।

प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में, छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए करों की भिन्न दरें लागू करने का कोई विचार नहीं है।

फोर्ड फाउन्डेशन से सहायता के लिए करार

9990. **श्री शशि भूषण** :
श्री देवेन सेन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फोर्ड फाउन्डेशन तथा सरकार के बीच हुए करार का ब्यौरा क्या है और इस करार के अन्तर्गत फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा गत तीन वर्षों में गृह कार्य मंत्रालय को कितनी सहायता (डालरों में) दी गई और किस प्रयोजन के लिये;

(ख) विदेशों को सरकारी अधिकारी भेजने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्था को फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा कितनी सहायता दी गई तथा कितने अधिकारियों को विदेश भेजा गया;

(ग) फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा भारतीय लोक प्रशासन संस्था के माध्यम से विदेशों में कितने अधिकारियों को भत्ते आदि दिये गये थे;

(घ) क्या यह सच है कि फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा भारतीय लोक प्रशासन संस्था के हाल में नियुक्त हुए निदेशक को प्रशिक्षण के लिए अमरीका भेजा गया था और वह वहां पर एक लम्बी अवधि तक ठहरे; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उस निदेशक की नियुक्ति फोर्ड फाउन्डेशन की सिफारिश पर की गई थी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) फोर्ड फाउन्डेशन ने अक्तूबर 1969 में राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण-सुविधाओं में सुधार तथा वृद्धि करने के निमित्त गृह मंत्रालय को दो वर्षों की अवधि के लिये 1,30,000 डालर के अनुदान की स्वीकृति दी। करार के अनुसार उक्त अनुदान का उपयोग मुख्यतया निम्न प्रकार से किया जायगा :—

	डालर
यात्रा तथा अध्ययन	80,000
उपकरण	45,000
पुस्तकालय	5,000

भारत में फोर्ड फांउडेंशन का कार्य, ग्राम विकास कार्यक्रम को सहायता पहुंचाने के लिए भारत सरकार तथा फोर्ड फांउडेशन के बीच 19 जनवरी 1952 को किये गये एक करार ज्ञापन के आधार पर शुरू किया गया था। फोर्ड फाउण्डेशन से मिलने वाली सहायता के क्षेत्रों में वृद्धि करने के लिये वाद में समय समय पर अनुपूरक ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये।

(ख) तथा (ग) : जहां तक तत्काल पता लगाया जा सका है, फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा भारतीय लोक प्रशासन संस्था को दिये गये अनुदानों में से 1955 से सरकारी कर्मचारियों सहित विभिन्न व्यक्तियों के विदेशों में फेलोशिप तथा प्रशिक्षण पर 13.76 लाख रुपये खर्च हुए। केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही खर्च हुई रकम का ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है। विदेशों में भेजे गये सरकारी कर्मचारियों की संख्या 48 थी और उन्हें फोर्ड फाउण्डेशन के अनुदानों में से भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा विदेशों में भत्ते आदि दिये गये।

(घ) अभी तक भारतीय लोक प्रशासन संस्था के नये निदेशक की नियक्ति नहीं हुई है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

कृषि संपति कर

9992. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

श्री राम किशन गुप्त :

श्री देवराज पाटिल :

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, कृषि सम्पत्ति कर लगाये जाने के बारे में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जांच पूरी कर ली है;

(ख) क्या निर्णय में देरी होने से करों की बकाया राशि में वृद्धि होगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या आसानी से अदायगी के लिये कर-दाताओं को कोई रियायत देने का सरकार का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं सेठी) : (क) जी, अभी तक नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) : ऊपर (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

फिर भी, धन-कर अधिकारी निस्सन्देह अदायगी का समय बढ़ाने अथवा अदायगी की किस्तें मंजूर करने आदि देने के सम्बन्ध में कर दाताओं के आवेदनों पर, यथा समय सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित राहत देंगे ।

राजस्थान के अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में केन्द्रीय समिति का प्रतिवेदन

9993. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी केन्द्रीय दल ने राज्य में अभाव की स्थिति का अध्ययन करने के लिये राजस्थान का दौरा किया था;

(ख) क्या उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या अगले छः महीनों के लिए अभाव-कार्य के लिये राज्य को वित्तीय सहायता देने का दल ने सुझाव दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और पिछले छः महीनों में सहायता के तुलनात्मक आंकड़ें क्या हैं?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) :(क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय दल की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

सीमा शुल्क मूल्यांकन पद्धति

9994. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 फरवरी, 1970 के 'इकोनामिक टाइम्स' में "कस्टम्स वेल्युएशन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक सम्पादकीय लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत ने सीमा शुल्क मूल्यांकन की खुद अपनी पद्धति अपना ली है और उसके कुछ उपबन्धों को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त धारणाओं के अनुरूप ठहराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो एक ऐसी नई मूल्यांकन पद्धति जो अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त धारणाओं के अनुरूप हो, अपनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) : जी हां।

(ख) : भारत ने सीमाशुल्क मूल्यांकन की जो प्रणाली अपनायी है वह टैरिफ और व्यापार पर सामाण्य समझौते के अनुच्छेद VII में निरुपित सिद्धान्तों पर आधारित है। इस समझौते पर अन्य देशों के साथ साथ, भारत ने भी हस्ताक्षर किये हैं। सीमाशुल्क मूल्यांकन की एक अन्य लोकप्रिय प्रणाली यह है, जिसको सीमाशुल्क सहकारिता परिषद् ने तैयार किया है और उसको सामान्यतः "मूल्य की ब्रूसेल्स परिभाषा" कहा जाता है। वह भी उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है। भारतीय प्रणाली और ब्रूसेल्स प्रणाली में कुछ अन्तर है, यह अन्तर मुख्यतः इस प्रश्न पर है कि माल का मूल्यांकन उसके लेन-देन के मूल्य पर किया जाय, जैसी कि भारतीय प्रणाली में व्यवस्था है, अथवा आयात किये जाने के समय उसका जो मूल्य मिलेगा उस पर किया जाय, जैसी कि ब्रूसेल्स प्रणाली में व्यवस्था है, और इस सम्बन्ध में भारतीय प्रणाली उन सिद्धान्तों का अनुसरण करती है जो "टरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते" में निरूपित हैं।

(ग) : भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की मूल्य नीति

9995. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मंत्रिमंडल सचिव श्री बी० शिवरामन द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की मूल्य नीति के बारे में व्यक्त किये गये विचारों की ओर दिलाया गया है जो 24 जनवरी, 1970 के "इंडियन एक्सप्रेस" मे प्रकाशित हुए थे;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में वस्तु सूची नियंत्रण बहुत ढीला है जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष 11.00 करोड़ रुपये बर्बाद हो जाते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में साधारण अनुसूचियों के मूल सिद्धांतों को ठीक तरह से समझा नहीं जाता है तथा अनुसरण किया जाता है, और

(घ) यदि हां, तो सरकारी धन की इस बर्बादी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कीं गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : संभवतः माननीय सदस्य मूल्य-निर्धारण और निदेश के बारे में नयी दिल्ली में 23 जनवरी, 1970 को हुई विचार गोष्ठी में मंत्रिमंडल सचिव द्वारा दिये गये उद्घाटन-भाषण का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें उस समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट का प्रसंग आया था, जिसने सरकारी उद्यमों के 5 एककों में तालिकागत सामान के स्तरों की जांच की थी उस रिपोर्ट में बताया गया था कि इन एककों में तालिकागत सामान में प्रस्तावित कमी करके तालिकागत सामान के खर्च में 11 करोड़ रुपये की बचत की जा सकती है। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों की जांच की जा रही है। यद्यपि इस क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश है, तथापि, सामान्य रूप से यह मान लेना अनुचित होगा कि सरकारी उद्यमों में तालिकागत सामान के नियंत्रण में शिथिलता है।

(ग) : इसी प्रकार, यद्यपि कुछ संयंत्रों के बारे में यह हो सकता है कि संयंत्र और मशीनों के भली प्रकार से अनुरक्षण पर पर्याप्त ध्यान न दिया गया हो, तथापि सामान्य रूप से इस दिशा में कोई असावधानी नहीं है।

(घ) : तालिकागत सामान के नियंत्रण के बारे में सरकारी उद्यमों को जहां कहीं आवश्यक हो, निम्नलिखित प्रकार के आधुनिक तरीके अपना कर अपनी कार्यविधि में सुधार करने को कहा गया है :—

1. ए० बी० सी० विश्लेषण लागू करना।
2. आर्थिक क्रम, परिमाण प्रणाली।
3. संहिताकरण, वर्गीकरण और तालिकाबद्ध करना।
4. मूल्य विश्लेषण।
5. पुनः पूर्ति की उचित सीमाओं का निर्धारण।
6. फालतु माल की समय-समय पर समीक्षा करना आदि।

संयंत्रों के अनुरक्षण के संबंध में, कारखानों को अपनी-अपनी अनुरक्षण योजना संबंधी आवश्यकतायें बताने को कहा गया है। ये उद्यम एक दूसरे को अपने अनुभव बता सकें और प्रत्येक संयंत्र में, उचित अनुरक्षण योजना के बनाने, उसे चालू करने और नियन्त्रित करने के बारे में कतिपय मार्गदर्शक नियम और सिद्धांत बनाने में सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकारी उद्यम कार्यालय ने संयंत्रों और औजारों के अनुरक्षण के संबंध में अनेक विचारगोष्ठियां आयोजित की हैं।

भारतीय लोक प्रशासन संस्था के लिये चयन समिति द्वारा सुझाये गये नाम

9996. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक चयन समिति ने भारतीय लोक प्रशासन संस्था के लिये तीन प्रशासकों के नाम सुझाये हैं जिनमें व्यवसाय से शिक्षा विद् कोई नहीं है ;

(ख) क्या इससे ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में निर्धारित नियमों का उल्लंघन होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में हस्ताक्षेप करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) : जी, हां। नये निदेशक का चुनाव करने के कार्य में भारतीय लोक प्रशासन संस्था की कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष की सहायता करने के लिये जो चयन-समिति नियुक्त की गई थी उस ने, बहुत से नामों पर विचार किया जिनमें विद्वानों, जन-मान्य व्यक्तियों के एवं साथ ही सरकार के असैनिक अधिकारियों के नाम भी शामिल थे; और उपलब्ध सर्वोत्तम व्यक्तियों के रूप में वर्तमान में सेवारत तीन असैनिक अधिकारियों के नामों का सुझाव दिया ।

(ख) : जी, नहीं ।

(ग) : यह प्रश्न नहीं उठता । भारतीय लोक प्रशासन संस्था एक स्वतंत्र स्वायत्तशासी संगठन है और, निदेशक की नियुक्ति इस संस्था की एक ऐसी कार्यकारी परिषद् द्वारा की जाती है जिसमें उक्त संस्था द्वारा निर्वाचित व्यक्ति तथा निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा सहयोजित व्यक्ति शामिल हैं ।

विदेशी मुद्रा गिरोह का पता लगाने के लिये छापे

9997. **श्री दे० अमात** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में देश में छिपी कितनी विदेशी मुद्रा का पता लगाया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : वित्तीय वर्ष 1968-69 और 1969-70 के दौरान प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा ली गयी तलाशियों के कारण बरामद की गयी और पकड़ी गयी विदेशी मुद्रा की रकम के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मे प्रतिनियुक्त व्यक्ति

9998. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में सरकार के निदेश के विपरीत अभी भी रिक्त स्थानों को प्रतिनियुक्त कर्मचारियों द्वारा भरा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पदोन्नति के अवसरों को कम करने वाली ऐसी नीति निगम के उपयुक्त कर्मचारियों को हतोत्साहित नहीं करेगी;

(ग) यदि निगम में उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, तो अच्छे उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए ऐसे पदों का समाचार-पत्रों में विज्ञापन न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) निगम में ऐसे पदों की संख्या/पदनाम क्या हैं जिन पर प्रतिनियुक्ति कर्मचारी रखे जा रहे हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं । भारत सरकार ने नवीनतम आदेश अन्य के साथ-साथ, जहां यह उपबंधित करते हैं कि उधार लेने वाली संस्थाएं सम्यक अनुक्रम में, यथासंभव अपने स्वयं के काडर स्थापित करें, वहां वे लोक उपक्रमों द्वारा व्यक्तियों को प्रतिनियुक्तियों पर लेने के लिये कोई प्रतिबंध अधिरोपित नहीं करते हैं । राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों में नियुक्तियां प्रतिनियुक्तियों द्वारा की जाती हैं :—

1. अध्यक्ष, पूर्ण-कालीन निदेशकों और प्रायोजनाओं के जनरल मैनेजरों के पदों पर नियुक्तियां, जो कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं ।
2. यदि संस्था में कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो, सुरक्षा, सूचना की गोपनीयता बनाए रखने या कर्तव्यों को निभाने के लिये विशिष्ट सुविज्ञता वाले विशिष्ट प्रकृति के पदों को भरने के लिये ।
3. प्रारंभिक अवस्थाओं में नई प्रायोजनाओं में पद, जिन्हें कार्य को शीघ्र सम्पादित करने तथा अन्य सरकारी विभागों के साथ संपर्क बनाये रखने की दृष्टि से केन्द्रीय या राज्य सरकारों से उधार लेकर भरा जाता है ।
4. नितान्तः अल्पावधि पद, जिन को विज्ञापित करने में समय या धन-व्यय करना उचित न होगा ।
5. समस्त पात्र अभ्यर्थियों को अवसर देने के लिये विज्ञपित पद, जिन में साक्षात्कार और/या परीक्षा के आधार पर अन्य समस्त पात्र अभ्यर्थियों के साथ सरकारी कर्मचारी भी चुने जा सकते हैं और जिन्हें उनके मूल विभागों में ग्रहणाधिकार रखने के लिये अनुमति दी जा सकती है ।

(ख) जी, नहीं । निगम के नियमों एवं क्रियाविधि के अनुसार निगम के कर्मचारियों को अपने भविष्य को सुधारने के लिये प्रत्येक अवसर प्रदान किया जाता है।

(ग) यदि निगम में उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध न हों तो, जहां अन्यथा अपेक्षित न हो, पदों को विज्ञप्त किया जाता है ।

(घ) जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 3570/70] ।

बिहार और उड़ीसा में लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के लिए सर्वेक्षण

9999. **श्री गु० च० नायक :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का भू-सर्वेक्षण भारतीय खान ब्यूरो तथा उड़ीसा और बिहार की सरकारों ने क्योंझर, सुन्दरगढ़ और सिंहभूम जिलों में लौह तथा मैंगनीज अयस्क की विद्यमानता का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्योंझर, सुन्दरगढ़ और सिंहभूम जिलों में से प्रत्येक में लौह तथा मैंगनीज अयस्क का कितना-कितना भण्डार मिला है ;

(ग) गत तीन वर्षों में उपर्युक्त जिले में से कितना-कितना लौह तथा मैंगनीज अयस्क निकाला गया और वहां से कितना-कितना निर्यात किया गया और कितना विभिन्न इस्पात कारखानों में खपत के लिये भेजा गया ;

(घ) गत तीन वर्षों में बिहार, क्योंझर और सिंहभूम जिले के बारबिल, वंशपानी, बराजमदा क्षेत्रों में रूरकेला इस्पात संयंत्र को कितना लौह तथा मैंगनीज अयस्क भेजा गया ; और

(ङ) इन क्षेत्रों में रूरकेला इस्पात संयंत्र तक रेल द्वारा माल भेजने पर क्या खर्च आता है ?

पैट्रोलियम तथ रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा उड़ीसा तथा बिहार के लौह अयस्क एवं मैंगनीज अयस्क निक्षेपों का प्रारंभिक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कर लिया गया है। भारतीय खान ब्यूरो ने लौह-अयस्क के लिये चयित नान-केप्टिव पट्टा अन्तर्गत क्षेत्रों में भी अध्ययन किये हैं। उड़ीसा सरकार द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है कि उन्होंने क्योंझर एवं सुन्दरगढ़ जिलों के चयित क्षेत्रों में लौह अयस्क एवं मैंगनीज अयस्क के लिये अन्वेषण किये हैं। बिहार सरकार ने यह रिपोर्ट दी है कि सिंहभूम जिले में बरई-बुर-ततिबा क्षेत्र के भाग में मैसर्स एटलस आयरन एण्ड ऐलाय लिमिटेड, कलकत्ता के लिये किये गये कार्य के अतिरिक्त उन्होंने सिंहभूम जिले में लौह एवं मैंगनीज अयस्कों के लिये कोई व्यवस्थित सर्वेक्षण नहीं किये हैं।

(ख) कई लौह अयस्क पट्टियां और निक्षेप राज्य तथा जिला सीमाओं के पार तक फैलते हैं। अन्वेषणों के निक्षेप-अनुसार या पट्टी-अनुसार किये जाने के परिणामस्वरूप उपलभ्य राशियों को भी उसी आधार पर आकलित किया जाता है और इस प्रकार जिला अनुसार या राज्य अनुसार उपलभ्य राशियों के यथार्थ आंकड़े नहीं दिये जा सकते हैं।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा यथा निर्धारित बिहार तथा उड़ीसा के लौह एवं मैंगनीज अयस्क निक्षेपों की उपलभ्य राशियां निम्न तालिका में दिखाई गई हैं :

निक्षेप का प्राप्ति-स्थल	अयस्क की श्रेणी	अयस्क की उपलभ्य राशियां	
	प्रतिशत लोहांश मात्रा	(लाख मैट्रिक टनों में) सिद्ध तथा संकेतिक	संभावित तथा संभाव्य
1	2	3	
लौह अयस्क :			
जिला सिंहभूम			
नोआमुन्डी, ठकुरानी, गुवा आदि—बोनई (सुन्दर गढ़ जिले) और जोडा (उड़ीसा के क्योंझर जिले) के बीच से फैलती हुई	60-68	20320.9	81283.8
सारन्दा खंड .	60	2072.7	
सारन्दा उत्तर-पूर्वी खंड	60	177.8	
गौडी बुर . .	60	518.2	
किरिबुर उत्तरी एवं दक्षिणी खंड	62-63	1760.0	
सुन्दरगढ़ जिला			
बोलानी, तल्डी आदि	62-63	6655.1	
बोरोमेटो गुल्ली खंड	62-63	1249.7	
कन्धार पहाड़ . .	62-63	1889.7	
मंलंगटोली (सुन्दरगढ़ और क्योंझर जिले) . .	63 तथा इससे अधिक	1630.0	
मैंगनीज अयस्क	**श्रेणी**	**उपलभ्य राशियां**	
बिहार एवं उड़ीसा की सिंहभूम–क्योंझर पट्टी	40% मैंगनीज अंश/लोहांश अधिक/पी० कम	200 लाख मैट्रिक टन, जिस में से 30% भाग चालीस प्रतिशत से अधिक मैंगनीज मात्रा से युक्त है।	

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

संसद सदस्यों को अलाट करने के लिए रामकृष्णपुरम में भूमि का अर्जित किया जाना

10000. श्री बे० कृ० दासचौधरी :

श्री यशपाल सिंह :

श्री रामावतार शास्त्री :

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

श्री रा० कृ० बिड़ला :

श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री गार्डिलिंगन गौड :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार ने रामकृष्णपुरम में अर्जित 2000 एकड़ भूमि में से संसद् सदस्यों को प्लाट देने पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह):(क) और (ख). सरकार को यह संभव नहीं जान पड़ता कि संसद सदस्यों को आवंटन के लिये रामकृष्णपुरम में भूमि दी जाये क्योंकि भूमि का अर्जन सामान्य पूल में रिहायशी और कार्यालय वास के निर्माण के लिये किया गया था। अधिकांश क्षेत्र पर निर्माण हो चुका या हो रहा है ।

खाद्य-अपमिश्रण के मामलों में वृद्धि

10001. श्री बे० कृ० दासचौधरी :

श्री रा० कृ० बिडला :

श्री सु० कु० तापड़िया :

श्रीमती इला पाल चौधरी :

श्री ओम प्रकश त्यागी :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्य अपमिश्रण के मामले बढ़ते जा रहे हैं ; और

(ख) इस मामले से निपटने के लिये सरकार ने क्या विस्तृत कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (ड० एस० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां। पिछले कुछ वर्षों में सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि खाद्यानों में अपमिश्रण में कमी हुई है।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंधों को पहले ही कठोर कर दिया गया है और राज्यों से इस अधिनियम को समुचित रूप से लागू करने के लिये कहा गया है।

संबंधित राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों से मिलकर खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिये एक केन्द्रीय एकक स्थापित किया जा रहा है। यह एकक मुख्यत: अपमिश्रण निवारण नियम के नियम 9 में दिये गये अन्तर राज्य अपराधों संबंधी कार्य करेगा तथा यह राज्य सरकारों का तकनीकी मार्गदर्शन करने में सहायक होगा।

लेडी हार्डिग मेडिकल कालिज नई दिल्ली में आरक्षित स्थानों के लिये दाखिला

10002. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष लेडी हार्डिग मेडिकल कालिज में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आरक्षित स्थानों में कितने छात्रों को दाखिला दिया गया था ;

(ख) उनके राज्यवार आंकड़े हैं, अर्थात् वे, जिन्होंने विभिन्न राज्यों में स्थित विश्व-विद्यालयों से प्रि-मेडिकल अथवा तत्सम या उच्चतर परीक्षा पास की है ;

(ग) प्रि-मेडिकल अथवा तत्सम परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किये छात्रों को आरक्षित स्थानों में दाखिला दिया गया।

(घ) क्या यह सच नहीं है कि अंक देने का स्तर सभी विश्वविद्यालयों में एक समान नहीं है ; और

(ङ) क्या सतर में विषमतायें दूर करने के लिये इस कालिज में भर्ती हेतु प्रवेश-पूर्व परीक्षा आयोजित करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) 68।

(ख)

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड का नाम	राज्यों से कुल संख्या
1. उत्तर प्रदेश	(1) अलीगढ़ 3	
	(2) मेरठ 6	17
	(3) इण्टरमीडिएट बोर्ड, उत्तर प्रदेश 8	

1	2	3	
2. राजस्थान	(1) राजस्थान	10	
	(2) जोधपुर	1	11
3. गुजरात	(1) गुजरात	13	31
	(2) सौराष्ट्र	18	
4. जम्मू तथा कश्मीर	(1) जम्मू तथा कश्मीर	3	3
5. हरियाणा	कुरूक्षेत्र	2	2
6. दिल्ली	दिल्ली	4	4
			68

(ग) 67% (अनुसूचित जातियों के छात्रों के मामले में 50.66 प्रतिशत) ।

(घ) स्तर एक समान नहीं है ।

(ङ) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज में प्रवेश पाने के लिये प्रवेश-पूर्व परीक्षा लेने संबंधी एक प्रस्ताव पर दिल्ली विश्वविद्यालय विचार कर रहा है ।

परिवार नियोजन अभियान के दोषों को दूर करना

10003. **श्री बी० कृ० दासचौधरी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन अभियान के दोषों को निकट भविष्य में दूर करने पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन दोषों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डा० एस० चन्द्रशेखर : (क) जी हां, जहां तक व्यावहारिक है परिवार नियोजन कार्यक्रम की कमियों को दूर करने के लिये लगातार कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ख) कार्यक्रम में बतलाई गई कमियां मुख्यता इस प्रकार हैं —

(1) अपर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर ।

(2) प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में कमी होना ।

(3) कार्यक्रम के ज्ञान और स्वीकृति के बीच भारी अंतर होना ।

ऊपरलिखित कमियों को दूर करने और परिवार नियोजन आंदोलन को और तेज करने के लिये जो कदम उठाये गये हैं उनमें ये कार्य भी शामिल हैं :—

(1) परिवार नियोजन के पक्ष में लोगों को प्रेरित करने और उनके घरों से अधिक से अधिक नजदीक सामग्री और सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से सम्पूर्ण आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर की शीघ्र स्थापना करना ।

(2) शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़ाना और वर्तमान संस्थाओं की सीटों में वृद्धि करना ताकि कार्यक्रम के लिये तकनीकी कर्मचारी, जिनमें डाक्टर, महिला स्वास्थ्य वीक्षिकायें, सहायक नर्स-धात्री आदि भी शामिल हैं, अधिकांश संख्या में उपलब्ध हो सकें ।

(3) सेवा कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाना ताकि वे अच्छी सेवायें प्रदान कर सकें ।

(4) शिक्षा तथा प्रेरणा संबंधी प्रयत्न बढ़ाना । विस्तार शिक्षा को तेज करने और जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का भी विचार है ।

(5) विषय परिचायक प्रशिक्षण प्रदान कर के कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर निजी चिकित्सा व्यवसायियों, होम्योपैथी और देशी चिकित्सकों को शामिल करना ।

(6) सघन कार्य जैसी नई योजनाओं को चालू करना और घनी आबादी वाले जिलों, चुने हुए क्षेत्रों, संगठित क्षेत्रों और उन बड़े अस्पतालों में, जहां अधिक संख्या में प्रसव होते हैं, प्रसवोत्तर कार्यक्रम में और अधिक सुविधायें प्रदान करना ।

(7) सीमावर्ती कर्मचारियों को यातायात संबंधी अधिक सुविधायें प्रदान करना ।

(8) शिशुओं और स्कूल जाने से पूर्ण अवस्था वाले बच्चों के पूर्ण बचाव के लिये ट्रिपल एन्टीजेन का प्रयोग करना; माताओं को टिटनस रोग और पोषणिक रक्त क्षीणता से पूर्ण बचाव और विटामिन 'ए' की कमी के कारण अंधता को रोकने के लिये पोषण कार्यक्रम की योजनाएं परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई हैं। जिससे समाज को यह विश्वास दिलाने के लिये प्रत्यक्ष प्रमाण दिया जा सके कि परिवार नियोजन कार्यक्रम माताओं और बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण में दिलचस्पी रखता है।

(9) जिला और राज्य अधिकारियों तथा केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के दौरों के जरिये कारगर पर्यवेक्षण और मार्ग-दर्शन करना ।

डेरियस अशोधित तेल का मूल्य घटाने के लिए नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी के साथ हुए समझौते का पुनरीक्षण

10004. **श्री रवि राय :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री हिम्मत सिंहका:
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री देवेन सेन :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गत सप्ताह एक दल नेशनल ईरानियन तेल कम्पनी से यह अनुरोध करने के लिये ईरान भेजा था कि वह मद्रास तेल शोधक कारखाने को भेजे जा रहे डेरियस अशोधित तेल के मूल्य में कमी करे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त कंपनी ने डेरियस अशोधित तेल के मूल्य में कमी करने संबंधी भारतीय अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ग) इस दिशा में सरकार अन्य क्या कार्यवाही कर रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी कहां । चार सदस्यों का एक दल पिछले महीने ईरान गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) मामला विचाराधीन है । सम्भव कार्यवाही के स्वरूप को इस समय बताना जनहित में नहीं है ।

मकानों के लिये पूर्व निर्मित ढांचे बनाने के नए कारखाने के निर्माण के प्रस्ताव की जांच करने के लिए नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति के कार्यकाल को बढ़ाना

10005. श्री रवि राय :

श्री नि० रं० लास्कर

श्री मयाबन

श्री दंडपाणि :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मकानों के लिये पूर्वनिर्मित ढांचे बनाने के कई कारखानों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने के लिये नियुक्त विशेषज्ञ समिति की कार्यावधि बढ़ा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वे अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेंगे और उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) यह संकेत आवास निर्माण की लागत में कमी का अध्ययन करने तथा पूर्व-गठन पद्धतियों एवं यन्त्रीकरण अपनाने के लिये नियुक्त की गई समिति की ओर दिखाई देता है। यदि ऐसा है, तो इस का उत्तर "हां" में हैं ।

(ख) परामर्श और चर्चा के लिये देश के कई राज्यों में आने-जाने पर, आशा से अधिक समय लगा और $1\frac{1}{2}$ महीने की कार्यावधि बढ़ाना अनिवार्य था ।

(ग) मई, 1970 के मध्य तक ।

मूल्य वृद्धि की प्रवृति के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा मद्रास में दिया गया वक्तव्य

10006. **श्री पी० सी० अदिचन :**
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री दे० अमात :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल में मद्रास में कहा था कि मूल्य स्थिति सरकार के लिये चिन्ता का विषय बन गई है ;

(ख) यदि हां, तो ये बातें किस संदर्भ में कही गयी थीं ; और

(ग) मूल्य वृद्धि की प्रवृति को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) और (ख): प्रधान मंत्री के मद्रास के दौरे के समय 18 अप्रैल, 1970 को कुछ पत्रकारों ने उनसे कई प्रश्न पूछे थे, जिनमें से एक का संबंध देश में मूल्यों संबंधी स्थिति से था । इस संदर्भ में, प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि यद्यपि देश में मूल्यों का स्तर चिन्ता का विषय है लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है ।

(ग) सरकार मूल्यों पर लगातार नजर रखती है और समय-समय पर उत्पन्न होने वाली स्थिति को देखते हुए उपचारात्मक उपाय करती है । इनमें ये बातें भी शामिल हैं: आवश्यकता से अधिक मांग को रोकने के लिए राजस्व संबन्धी उपाय करना, जिन वस्तुओं के मूल्यों पर दबाव पड़ता है, उनके एवज में दिये जाने वाले बैंक-ऋणों पर नियंत्रण लगाना, देश के अंदर पूर्ति में वृद्धि करने के लिये आयात की व्यवस्था करना, अन्न का स्टाक जमा करना और सरकारी वितरण व्यवस्था को बनाये रखना ताकि उचित मूल्यों पर अत्यावयश्क वस्तुओं की पूर्ति की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके । जब कभी जरूरी होता है, मूल्यों पर नियंत्रण रखने के उपायों की समीक्षा की जाती है और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का उपयोग किया जाता है ।

Increase in Prices of Petrol and Kerosene

10007. SHRI JAGESHWAR YADAV : Will the Minister of **PETROLEUM AND CHEMICAL AND MINES AND METALS** be pleased to state :

(a) whether there has been any increase in the prices of petrol and kerosene oil during the last few days; and

(b) if so, the difference between the present prices and that of the prices prevailing in 1969 and the reasons for increase in prices ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SHRI D. R. CHAVAN) : (a) During the last few days there has been no change in the basic ceiling selling prices at main

ports, which are notified by Government. However, as a result of the increase in the rate of basic excise duty on these two products, the prices of motor spirit and kerosene have risen throughout the country since 1st March, 1970.

(b) The difference in prices between 1969 and 1970 is mainly due to changes in statutory charges like excise duty, rail freight etc.

Irregular Numbering of Houses in Green Park and Green Park Extension, New Delhi

10008. SHRI JAGESHWAR YADAV: Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it takes several hours to locate a particular house due to irregular numbering of houses in Green Park and Green Park Extension in New Delhi; and

(b) if so, whether Government propose to number the houses block-wise so that the people are saved from inconvenience?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AN DURBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR): (a) and (b): No, Sir, the numbering of the houses in Green Park and Green Park Extension is block-wise and regular. There are guide maps and number boards at prominent places in the colony for guidance of the people.

Ownership rights of Plots Allotted to Harijans in Delhi

10009. SHRI MOLAHU PRASHAD: Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT** be pleased to state:

(a) whether the news published in daily Hindustan of the 12th January, 1970 to the effect that Delhi Administration had announced in January, 1970 to grant ownership rights to 3,735 Harijans to whom plots were allotted for constructing houses by Harijans Welfare Board, is correct;

(b) if so, whether the said anunouncement has since been implemented; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI K. K. SHAH): (a) Yes, but the correct figure is 3,725 and *not* 3,735, as reported in the press.

(b) The Delhi Administration has already granted certificates of ownership rights to all the 3,725 Harijans.

(c) Does not arise.

Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh, Lajpat Nagar, New Delhi

10010. SHRI MOLAHU PRASHAD:
SHRI P. L. BARUPAL:
SHRI ACHAL SINGH:

Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6205 on the 13th April, 1970 and state:

(a) whether it is a fact that the office of Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh and Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust is located at 2-F, Lajpat Nagar. New Delhi;

(b) whether it is also a fact that information on the same points as raised in USQ No. 6205, dated 13th April, 1970 is being collected by Government since the 25th March, 1960; and

(c) if so, the reasons for which the required information could not be collected since the 25th March, 1969, when the said information is to be collected locally?

THE MINISTER FOR HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI K. K. SHAH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The information has since been collected and is given in the attached statement. It may be mentioned that it relates to a non-official organisation which is not under the administrative control of Government, and had to be collected through Delhi Administration. The delay however is regretted.

(a) whether it is a fact that the land, Medical equipment and building are actually in possession of the Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh situated at 2-F, Lajpat Nagar, New Delhi;

(b) whether it is also a fact that Netra Sudhar Sangh pays rent to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust for building and equipment; and

(c) if so, the reasons for payment of rent for their own building and equipments?

(a) The land, medical equipment and building belong to the Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh, 2-F, Lajpat Nagar, New Delhi.

(b) and (c). The Sangh does not actually pay any rent to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust. However, in the accounts there appears to be a paper entry only about the payment of rent and hire charges to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust and of a corresponding donation made bythe Trust to the Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh.

कोटला मुबारकपुर के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण की योनजा का प्रारूप

10011. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोटला मुबारकपुर के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई योजना के प्रारूप का ब्यौरा क्या है जिसमें सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं, जिसमें बुनियादी सुविधायें शामिल हैं, को शामिल किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : कोटला मुबारकपुर क्षेत्र, अभी हाल में ही एक ("विकासशील क्षेत्र" घोषित किया गया है । इसकी विस्तृत योजना अभी तैयार नहीं की गई है । क्षेत्र में उचित सामुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था विचाराधीन है । इस बीच में क्षेत्र में, कुछ शौचालय ब्लाक निर्मित किये गये हैं ।

कोटला मुबारकपुर, दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई

10012. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुशाक नाला के किनारे पर अलीगंज गांव में स्थित कुएं के पानी के बारे में दिल्ली जल प्रदाय तथा मल निस्सारण उप-क्रम के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी;

(ख) क्या मंत्रालय किसी स्वतंत्र प्राधिकरण से दूसरा मत प्राप्त करेगा कि क्या अलीगंज गांव में उस कुएं का जल पीने के योग्य है ;

(ग) कोटला मुबारकपुर क्षेत्र में पानी की मुख्य पाइप से कोटला मुबारकपुर के निवासियों की जल की आवश्यकताओं के लिये कितने जल का उपयोग होता है ;

(घ) कोटला मुबारकपुर की जनसंख्या कितनी है ; और

(ङ) नई दिल्ली में पानी की प्रति व्यक्ति न्यूनतम कितनी खपत आवश्यक समझी जाती है और कोटला मुबारकपुर में पानी की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) दिल्ली नगर निगम के मुख्य जल-विश्लेषक की विश्लेषण-रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है ।

(ख) दिल्ली जल-प्रदाय तथा मलनिष्कान संस्थान द्वारा एक अन्य परीक्षण किये जाने का प्रस्ताव है जिससे यह पता चल सके कि अलीगंज गांव के कुऐं का पानी पीने योग्य है अथवा नहीं ।

(ग) कोटला मुबारकपुर क्षेत्र में लगभग 3"–4" मोटाई का पानी का पाइप है और इस मुख्य पाइप से लगभग 150 कनैक्शन दिये गये हैं और लगभग एक दर्जन शुल्क-मुक्त सार्वजनिक नल तथा 10 मीटर वाले सार्वजनिक नल भी उक्त मख्य पाइप में से लगाये गये हैं ।

(घ) पार्श्ववर्त्ती क्षेत्र सहित कोटला मुबारकपुर की जन-संख्या लगभग 35,000 बताई जाती है ।

(ङ) दिल्ली में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 40 गैलेन पानी की खपत होती है । दिल्ली जल-प्रदाय तथा मल-निष्कासन संस्थान के अनुसार कोटला मुबारकपुर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 15 गैलन पानी की खपत हो सकती है ।

पंचकुइयां रोड स्थित क्वाटरों में बिजली लाना ।

10013. **श्री म० ला० सोंधी** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 1 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2009 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे कुछ समय पूर्व पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली में रहने वाले कम वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों के पास गये थे;

(ख) क्या उन्होंने वचन दिया था कि वहां के सभी क्वार्टरों में, जिनकी पिछले दो दशकों में उपेक्षा की गई है, बिजली लगायी जायेगी;

(ग) क्या यह सच है कि विद्युतिकरण आरम्भ किये जाने के बाद यह कार्य आधे में बन्द कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) काम कब शुरू किये जाने की सम्भावना है तथा वह कब तक पूरा हो जायेगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) । (क) जी, हां ।

(ख) उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि वह मामले की जांच करेंगे ।

(ग) तथा (घ) 401 क्वार्टरों में से केवल 92 क्वार्टरों के बारे में काम आरम्भ नहीं किया गया था, क्योंकि इन क्वार्टरों को "शापिंग सेंटर" के निर्माण के लिए गिराये जाने का प्रस्ताव है ।

(ङ) 309 क्वार्टरों में से जिनमें बिजली लगाई जा रही है, 306 क्वार्टरों में तारें लगाने का काम पूरा हो चुका है और दख़ल-कारों ने नई दिल्ली नगरपालिका से 298 क्वार्टरों के बारे में बिजली के मीटर प्राप्त कर लिए हैं । शेष 3 क्वार्टरों में तारें लगाने का काम शीघ्र ही पूरा हो जाएगा ।

कनाडा के साथ ऋण संबंधी करार

10014. श्री मयावन :
श्री नि० रा० लास्कर :
श्री दण्डपाणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा अप्रैल, 1970 में किये गये एक करार के अधीन भारत को ब्याज-मुक्त ऋण देने पर सहमत हो गया है,

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) कितना ऋण दिया जायेगा; और

(घ) सरकार इसका उपयोग किस प्रकार करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) तक : जी हां । 22 अप्रैल 1970 को नई दिल्ली में कनाडा की सरकार और भारत सरकार के बीच 170 लाख कनाडियन डालर (11.8 करोड़ रुपये) के एक ऋण-करार पर हस्ताक्षर किये

गये थे । इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और न हीं कोई सेवा-प्रभार देना पड़ेगा तथा इसका भुगतान 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 50 वर्षों में कनाडियन डालरों में किया जायगा । इस ऋण का उपयोग कनाडा से खास किस्म की औद्योगिक वस्तुएं जैसे जस्ता, निकल, एस्बसटास और अखबारी कागज के आयात के लिए किया जायगा ।

पश्चिम बंगाल में पुरलिया जिले में तांबा क्षेत्र का पता लगाना

10015. श्री मयावन :
श्री नि० रा० लास्कर :
श्री दण्डपाणि :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान तथा खनिज विभाग को हाल में पश्चिम बंगाल के पुरलिया ज़िले में तमाकुनम में 18 फुट मोटी एक तांबा-पट्टी का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस खोज का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसे कहां तक लाभप्रद पाया गया है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) तक : सूचना एकत्रित की जा रही है और जब प्राप्त होगी सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

फिल्म उद्योग से करों की बकाया राशि की मांग

10016. श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री सूरज भान :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री शारदा नन्द :
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :
श्री बे० कृ० दासचौधरी

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने फिल्म उद्योग से एक करोड़ रुपये से अधिक की बकाया करों की राशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस से फिल्म उद्योग में संकट की स्थिति पैदा हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनसे उपर्युक्त राशि वसूल की जानी है और उनसे कितनी-कितनी राशि वसूल की जानी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (प्र० चं० सेठी) : (क) सिनेमा फिल्मों के कुछ प्रक्रियाकर्ताओं (processors) के खिलाफ 1 अप्रैल 1969 से 19 फरवरी 1970 तक की अवधि के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की 67,41,584.69 रु० की मांग जारी की गयी है। 1 अप्रैल 1969 से पूर्व की अवधि के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की मांग जारी करनी पड़ सकती हैं, जिनके बारे में ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त मांगें उन फिल्मों के सम्बन्ध में जारी की गयी हैं जिनकी केन्द्रीय फिल्म सेंसर्स बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने के महीने में देश में प्रदर्शन के लिये निकासी की गयी थी। शुरू में इन फिल्मों की निकासी समय-समय पर लागू छूट सम्बन्धी अधिसूचनाओं में दी गयी रियायती दरों पर शुल्क की अदायगी करने पर की जाती थी। यह बताया गया था कि इन अधिसूचनाओं की भाषा के अनुसार, उन में दी गयी रियायती दरें प्रमाणीकरण के महीने में निकासी की गयी फिल्मों पर लागू नहीं होती थीं। प्रमाणीकरण के महीने में भी देश में प्रदर्शन के लिये निकासी की गयी फिल्मों पर रियायती दरों को लागू करने की अनुमति देने के लिये संगत अधिसूचना में 20 फरवरी 1970 से आवश्यक संशोधन किये गये हैं। इस तारीख से पूर्व प्रमाणीकरण के महीने में निकासी की गयी सभी फिल्में कानूनी तौर पर शुल्क की टैरिफ दर लगने योग्य होने से, अनुवर्ती शुल्क की मांगें जारी करनी पड़ी थीं।

(ग) जी, नहीं। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया गया, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दरों में कोई वृद्धिकारी संशोधन नहीं किया गया। अब तक जारी की गयी मांगों का जहां तक सम्बन्ध है, उन्हें प्रवर्तित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसलिये फिल्म उद्योग में वित्तीय संकट के होने का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिये।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	पार्टी का नाम	1-4-1969 से 19-2-1970 तक की अवधि के सम्बन्ध में (दोनों दिन शामिल कर के) मांगी गयी उत्पादन शुल्क की रकम
(1)	(2)	(3)
		(रुपयों में)
1.	बम्बई फिल्म लेबोरेटरी	2,03,134.48
2.	राजकमल कला मन्दिर	20,238.20
3.	क्वालिटी लेबोरेटरी	1,425.60
4.	रामनार्ड रिसर्च लेबोरेटरी	9,08,510.61

(1)	(2)	(3)
5.	फिल्म सेंटर	50,18,881.30
6.	फैमस सिने लेबोरेटरी एण्ड स्टुडियो	3,32,033.17
7.	फैमस सिने, तारदेव	18,872.54
8.	कोडक लेबोरेटरी	2,617.20
9.	इण्डिया सिने लेबोरेटरी	24,937.35
10.	माडर्न सिक्सटीन लेबोरेटरी	1,150.32
11.	वसन्त पिक्चर	2,09,783.92
	जोड़	67,41,584.69

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे लोगों को ऋण लेने की सुविधाएं दिया जाना

10017. श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे लोगों को ऋण लेने की सुविधाएं देने के लिये सरकार का विचार सभी स्तरों पर बड़े पैमाने पर ऐसे प्रयोग करने का है जिसके अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठन प्रारम्भिक रूप से जांच-पड़ताल कर ऐसे मामलों की सिफारिश करेंगे जिन्हें वास्तव में ऋण की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है या की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख) और (ग) सरकार का ऐसा प्रयोग करने का विचार नहीं है जिसके अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठन, ऋणकर्ताओं के ऋण-सम्बन्धी आवेदन-पत्र अपनी सिफारिशों के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास भेजें।

उत्पादन शुल्क के स्थान पर बिक्री कर लगाना

10018. श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कपड़ा व्यापार ऐसोसिएशन ने महासंघ के वर्तमान उत्पादन शुल्क के स्थान पर पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार कपड़े पर पुन: बिक्री कर लगाये जाने का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो महासंघ ने अपने तर्क के समर्थन में क्या कारण दिये है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) संघ के अनुरोध के मुख्य आधार ये हैं :—

(i) इसका अर्थ पीछे हटना होगा।

(ii) इससे कर-अपवंचन होगा और कर वसूली आदि की लागत बढ़ेगी ।

(iii) इसके कारण, कर आदि की दरों में एकरूपता भंग हो जायेगी और संयोगवश व्यापार आदि का रुख बदल जायगा ।

(iv) इसके परिणामत: व्यापारियों को आमतौर पर परेशानी होगी, क्योंकि उन्हें विस्तृत लेखे और रजिस्टर रखने होंगे और कार्यविधि सम्बन्धी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा ।

भारतीय तेल निगम द्वारा भारत-बर्मा पैट्रोलियम कंपनी तथा एस्सो के प्रति कथित पक्षपात

10019. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री के० रमानी : श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम भारत बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी और एस्सो को सस्ती दरों पर और अथवा उधार पर अपने उत्पादों की सप्लाई कर रहा है;

(ख) क्या यह प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के अनुरूप है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में तेल व्यापारियों की कई संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि इससे खुद भारतीय तेल निगम के बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ), केवल एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । यह आधार रहित पाया गया है ।

उत्तरबिहार में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी

10020. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री उत्तर बिहार में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी के बारे में 13 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6188 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम तथा पूर्वोत्तर रेलवे ने लदाई कार्यों को स्थानान्तरित कर गड़बड़ा यार्ड में किसी वैकल्पिक उपयुक्त स्थान पर करने का प्रस्ताव इस बीच संयुक्त रूप से तैयार कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसे अन्तिम रूप देने तथा क्रियान्वित करने में कितना समय लगने का अनुमान है;

(ग) क्या दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर तथा चम्पारन जिलों और उत्तर बिहार के अन्य जिलों में मिट्टी के तेल की नवीनतम सप्लाई स्थिति इस बीच मालूम की गई है; और

(घ) यदि हां, तो नियमित तथा पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये किये गये उपचार उपायों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) अभी नहीं।

(ख) लगभग 3 महीने।

(ग) और (घ) बिहार सरकार से उत्तर बिहार में दरभंगा, सहरसा मुजफ्फरपुर तथा चम्पारन आदि जिलों में मिट्टी के तेल की नवीनतम सप्लाई स्थिति बताने का अनुरोध किया गया था और उन्होंने सूचना दी है कि वे अपेक्षित सूचना इकट्ठी कर रहे हैं और इसमें कुछ समय लगेगा। किन्तु भारतीय तेल निगम जो इस क्षेत्र के मुख्य वितरक है, ने सूचना भेजी है कि डिपुओं को भेजे गये मिट्टी के तेल के टैंक वैगनों, पर विलम्ब-शुल्क लग रहा है और सप्लाई बन्द करने के लिए ऐजन्टों से तारें प्राप्त हो रही हैं।

जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन

10021 **श्री भोगेंद्र झा :**

क्या वित्त मंत्री 13 अप्रैल 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6189 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के पुनर्गठन के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उसे अन्तिम रूप देने तथा क्रियान्वित करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खडिलकर) : (क), (ख) तथा (ग): मुख्यालय स्तर पर और अन्य स्तरों पर निगम के गठन के बारे में सिफारिशों की अभी भी जांच हो रही है।

ऋण राशियों के अप्रयुक्त भाग पर वचनबद्धता शुल्क लगाना

10022. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित बैंकों को अप्रैल, 1970 से ऋण की राशियों के अप्रयुक्त अंश पर 1 प्रतिशत सालाना की दर से वचनबद्धता शुल्क लगाने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से ऐसा निर्देश जारी करने की आवश्यकता पड़ी;

(ग) क्या किन्हीं मामलों को इस निर्देश के क्षेत्राधिकार से बाहर भी रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां। पहली अप्रैल 1970 से ऋणों के अप्रयुक्त अंश पर 1 प्रतिशत वार्षिक की दर से वचनबद्धता शुल्क लगेगा।

(ख) इसका उद्देश्य यह है कि ऋणकर्ता ऋण की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने में अधिक कड़े अनुशासन का पालन करें और ऋण का और युक्तिसंगत ढंग से वितरण करने के काम में सहायता मिल सके।

(ग) और (घ) वचनबद्धता शुल्क निम्नलिखित सीमाओं पर लागू नहीं होगा :—

(1) प्रत्येक खाते के 10 लाख रुपये से कम ऋण की सीमाओं पर;

(2) अन्न की वसूली/संग्रहण/वितरण कार्य के लिए भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों और उनके अधिकृत अभिकरणों के लिए स्वीकार की गयी ऋणों की सीमाओं पर;

(3) खरीदे गये और भुनाए गए बिलों (देशीय और निर्यात बिलों), ऐसे बिलों और प्रत्यय-पत्रों के बदले दिये जाने वाले अग्रिमों और निर्यात के लिए दिये जाने वाले पैकिंग अग्रिमों के सम्बन्ध में स्वीकृत सीमाएं।

सब्जी मंडी, दिल्ली के दुकानदारों की ओर से बकाया ब्याज

10023. **श्री काशीनाथ पांडे** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 11 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3101 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजादपुर मार्केट में आवंटन करने से पूर्व दुकानदारों से अब तक के ब्याज की बकाया राशि वसूल कर ली गई है;

(ख) क्या आवंटनों के सम्बन्ध में विरोधपत्र भेजे गये हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं कि उसने प्रति प्लाट छः हजार से दस हजार रुपये तक लेकर प्लाटों का आवंटन किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह मामला जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) तक सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

आजादपुर, दिल्ली में फल तथा सब्जी की नई मार्कीट

10024. **श्री काशीनाथ पांडे** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 28 अप्रैल, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 1361 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज़ादपुर, दिल्ली की फल तथा सब्जी की नई मार्कीट में प्लाटों के आवंटन के लिये पात्रता निर्धारित करने वाली मशीनरी कौनसी है;

(ख) ऐसे प्लाट का आवंटन करवाने के लिये अपेक्षित अर्हताएं क्या हैं;

(ग) क्या प्लाटों का आवंटन करने में इन अर्हताओं का बिना किसी भेदभाव के पालन किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) दिल्ली में इस फल मार्कीट में जिन लोगों को ये प्लाट दिये गये हैं, उन सब के नाम, पदनाम, आय तथा दिल्ली के सम्बन्धित पते क्या हैं, जैसा कि सत्यापन में सच पाया गया है; और

(ङ) इस मार्किट में दिल्ली विकास प्राधिकरण के विज्ञापन के अनुसार जिन लोगों ने प्लाट के लिये आवेदन पत्र दिये थे उन सबके नाम क्या हैं और उन्हें प्लाट आवंटित न करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय-विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) इस उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया था ।

(ख) आज़ादपुर, सब्जी मण्डी में आवंटन प्राप्त करने की मुख्य योग्यता है कि आवेदक को दिल्ली की वर्तमान सब्जी मण्डी में किसी व्यापारिक स्थान का वास्तव में दखलकार होना चाहिए । आवेदकों को वर्तमान सब्जीमण्डी में वास्तव में व्यापार कर रहे होने के दस्तावेज़ प्रस्तुत करके प्रमाण देना अपेक्षित था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) : वर्तमान सब्जी मण्डी के व्यापारियों से 1527 आवेदन प्राप्त हुए थे । आवेदकों द्वारा दस्तावेज़ प्रमाण प्रस्तुत करने और उनके सत्यापन के पश्चात् विभिन्न आकारों के 1169 प्लाट आवंटित कर दिये गये हैं । उन मामलों में जो सब्जी मण्डी के अन्दर अपने वास्तव में कार्य करने का संतोषजनक दस्तावेज़ी प्रमाण नहीं दे सके, रद्द कर दिया गया ।

सभी आवेदकों के नाम, पते और उनकी आय तथा प्लाटों के आवंटियों के संबंध में सूचना के संकलन में जो समय और श्रम लगेगा उनके अनुरूप समभाव्य प्राप्त परिणामों की संभावना नहीं है ।

अधिकारियों द्वारा आयकर विवरण पेश करना

10025. **श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या **वित्त** मंत्री 6 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 813 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस हिन्दी अधिकारी ने, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ज्योतिष का काम करता है, आय-कर विवरण पहली बार कब पेश किया था; और

(ख) तब से प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में उसने कितनी आय दिखाई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : जी नहीं । हिन्दी अधिकारी श्री के० बी० परसाई ने अभी तक आय-कर विवरणियां दाखिल नहीं की हैं ।

मध्य प्रदेश में आयकर की बकाया राशि को बट्टेखाते में डालना

10026. **श्री गं० च० दीक्षित :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन व्यक्तियों, फर्मों, हिन्दू अविभाजित परिवारों और मध्य-प्रदेश की कम्पनियों के नाम और पते क्या हैं जिनकी एक लाख से अधिक आयकर की बकाया राशि को गत तीन वर्षों में बट्टेखाते में डाला गया है;

(ख) उक्त फर्मों के मालिकों और मध्य प्रदेश की उक्त कम्पनियों के निदेशकों के नाम और पते क्या हैं ;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के कुछ व्यक्तियों को, जिन पर आयकर के 500 रुपया बकाया थे, क़ैद का दण्ड दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में आयकर का भुगतान न करने के कारण क़ैद का दण्ड दिये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं सेठी) : (क) से (ङ) : मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

Increase/Decrease in Prices

10027. SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the increase or decrease in the prices of foodgrains and other commodities in 1970-71 so far as compared to the increase or decrease in prices in 1969-70; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to check the increase in prices ?

THE MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : (a) A statement showing the percentage changes in the prices of foodgrains and other selected commodities in 1970-71 so far (*i.e.* week ended April 25, 1970 over the week ended March 28, 1970) and the corresponding period of 1969-70 (*i.e.* work ended April 26, 1969 over the week ended March 29, 1969) is enclosed. [Placed in the Library. *See* No. LT-3572/70].

(b) The Government keeps the price situation under constant watch and corrective measures are taken with a view to restraining any rise in prices. These measures include fiscal and credit regulation, building up of buffer stock of foodgrains and arranging imports to augment supplies. The Government is also constantly endeavouring to augment supplies through implementation of its programmes of agricultural and industrial production. In addition, it continues to maintain a widely extended system of public distribution; at present, 1,38,975 fair price shops/ ration shops are distributing foodgrains in the country. Wherever necessary, price control measures are reviewed and use made of the Essential Commodities Act. Further, the Civil Supplies Organisation keeps constant watch over the prices and distribution of 20 essential commodities. During recent months, the Reserve Bank of India has taken a series of steps to tighten control over bank advances against commodities subjected to demand and price pressures.

भारतीय उर्वरक निगम के नामरूप कारखाने को दी गई प्राकृतिक गैस के मूल्य में वृद्धि

10028. **श्री वि० नरसिम्हा राव:**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इण्डिया ने भारतीय उर्वरक निगम से नामरूप कारखाने को दी गई प्राकृतिक गैस का मूल्य बढ़ाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान मूल्य तथा मांगा गया मूल्य क्या है।

(ग) मूल्य बढ़ाने के क्या कारण है; और

(घ) इस सम्बन्ध में भारतीय उर्वरक निगम की क्या प्रतिक्रिया है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : प्रारम्भ में भारतीय उर्वरक निगम को प्रति 1,000 घन-फुट प्राकृतिक गैस के 1.50 रुपये आधार मूल्य पर 30 पैसे प्रति 1,000 घन फुट की कमीशन दी गई थी। यह रियायत 1974 को समाप्त होने वाली 10 वर्ष की अवधि के लिए, प्रतिदिन 8 मिलियन घन फुट की मात्रा पर लागू थी। आयल इण्डिया बोर्ड ने गैस की अतिरिक्त मात्राओं के लिए 1.50 रुपये प्रति 1,000 घन फुट की दर से आधार मूल्य लेने का निर्णय किया।

(ग) आयल इण्डिया के आन्तरिक निवेश, परिचालन लागतें और अवमूल्यन के माध्यम से हानि मुख्य कारण हैं। आयल इण्डिया के अनुसार, 1.50 रुपये मूल्य भारत में किसी स्थान पर पेश किये गये मूल्य से काफी कम है और एक प्राइवेट तेल कम्पनी ने प्रति 1,000 फुट 1·50 रुपये के आधार पर परियोजना को लेने में अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(घ) भारतीय उर्वरक निगम ने अतिरिक्त मात्रा पर कमीशन को बन्द करने के लिए विरोध किया है।

कुष्ठ रोगियों के लिए लाभकारी व्यवसाय

10029. **श्री वेपोशंकर शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असंक्रामक कुष्ठरोग के रोगियों को लाभप्रद व्यवस्था के उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराने के लिये कार्यक्रम बनाने हेतु क्या कर्यवाही की है जिससे वे आत्मनिर्भरता वाला तथा उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें; और

(ख) इस समय इस मामले की स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में रक्षा मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : विकलांगों का पुनर्वास जिनमें कुष्ठ के कारण हुए विकलांग भी सम्मिलित हैं, मुख्यत: राज्यों का दायित्व है। इसलिए असंक्रामक कुष्ठ रोगियों को फायदे वाले रोज़गार के उपयुक्त अवसर देने की कोई केन्द्रीय योजना नहीं चलाई गई है।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

10030. **डा० म० संतोषम् :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 से लेकर राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ने कितने मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं;

(ख) क्या समय-समय पर डी० डी० टी० छिड़कने के बावजूद भी मलेरिया बार-बार फैलता रहता है;

(ग) डी० डी० टी० छिड़कने की इस सफलता के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस रोग को रोकने के लिये, सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) स्वतंत्र मूल्यांकन दलों ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का प्रतिवर्ष जनवरी और फरवरी में 1967 से चार बार मूल्यांकन कर दिया है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक दल

ने 1968 में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम और उड़ीसा राज्यों में एक विशेष मूल्यांकन किया। इस कार्यक्रम के स्तर का मूल्यांकन 1969 में एक विशेष समिति द्वारा भी किया गया।

(ख) मलेरिया दुबारा बड़े पैमाने पर नहीं फैला है। केवल कुछ क्षेत्रों में यह किन्हीं-किन्हीं जगहों पर हुआ जहां उसका यथेष्ठ उपचार कर दिया गया।

(ग) कतिपय क्षेत्रों में डी० डी० टी० के छिड़काव की असफलता के कारण इस प्रकार हैं :—

(1) स्थान दुर्गम होने के कारण कहीं-कहीं और आंशिक छिड़काव, संचय साधनों की कमी और समुचित निगरानी का अभाव।

(2) विदेशों से माल देर से पहुंचने के कारण डी० डी० टी० की सप्लाई में विलम्ब तथा उसके परिणामस्वरूप असामयिक छिड़काव।

(3) खटमलों वाले कतिपय क्षेत्रों में लोगों द्वारा इनकार किये जाने की समस्या तथा धार्मिक कारण।

(4) कतिपय जन जाति क्षेत्रों में छिड़काव कार्य के तुरन्त बाद दीवालों पर मिट्टी पोत देने की प्रवृत्ति जिससे डी० डी० टी का छिड़काव बेकार हो जाता है।

(5) कतिपय क्षेत्रों में रोग वाहक मच्छरों में प्रति रोधक शक्ति का बढ़ जाना जो अब एक आपरेशन सम्बन्धी समस्या बन गया है।

(6) मकानों के बाहर, जहां डी० डी० टी० अप्रभावकारी सिद्ध हो गया है, मच्छरों के चले जाने और काटने के स्वभाव के कारण देश के कतिपय भागों में वाह्य संचरण की आशंका वाले स्थानों का बन जाना।

(घ) कार्यक्रम को फिर से चरणवार विभक्त करने, कीटनाशकों तथा मलेरिया विरोधी औषधियों को अग्रिम मंगाने, खराब गाड़ियों को धीरे-धीरे बदलने और जिन क्षेत्रों में मच्छरों में प्रतिरोधक शक्ति बढ़ गयी है वहां वैकल्पिक कीटनाशकों का उपयोग करने के बारे में कदम उठाये गये हैं।

दिल्ली स्थित आयकर विभाग में कर्मचारी

10031. **श्री क० मि० मधुकर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थिति आयकर विभाग में प्रत्येक संवर्ग/ग्रेड में कार्य कर रहे अराजपत्रित कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो तीन वर्ष से अधिक समय तक सेवा कर चुके हैं परन्तु अभी अर्द्ध-स्थायी घोषित नहीं किये गये हैं, तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) ग्रेड-वार संख्या इस प्रकार है :

निरीक्षक	146
पर्यवेक्षक	39
प्रधान-लिपिक	89
आशुलिपिक	201
उच्च श्रेणी लिपिक	566
निम्न श्रेणी लिपिक	336
स्टाफ कार ड्राइवर	1
नोटिस तामील करने वाले	143
कुल श्रेणी III	1,521
चतुर्थ श्रेणी	270

(ख) श्रेणी III के 111 और श्रेणी IV के 35 कर्मचारियों को अभी स्थायीवत नहीं किया गया है ।

उनमें से श्रेणी III के 49 और श्रेणी IV के 5 कर्मचारी स्थायीवत घोषित किये जाने के हकदार हाल ही में हुए हैं और उनके मामलों पर गौर किया जा रहा है । अन्य कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन पुलिस प्राधिकारियों द्वारा किया जाना है और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । ज्यों ही सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी, उनके स्थायीवत होने की घोषणा के आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

आयकर विभाग दिल्ली में पदोन्नतियां

10032. श्री क० मि० मधुकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली चार्ज में कार्य करने वाले आय-कर के कर्मचारी इस बात पर बहुत उत्तेजित है कि इस वर्ष अराजपत्रित संवर्ग में की गई विभिन्न पदोन्नतियों में कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया गया है और वरिष्ट कर्मचारियों की उपेक्षा की गई है;

(ख) क्या आय-कर कर्मचारियों ने इस संबंध में जांच करवाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क)तथा (ख) : दिल्ली आयकर कर्मचारी संघ की कार्यकारी समिति ने 5 फरवरी 1970 को एक संकल्प पारित किया,

जिसमें विभिन्न अराजपत्रित संवर्गों में—विशेषकर, हैड क्लर्कों के संवर्ग में पदोन्नतियों में ग्रस्त वरिष्ठता-अतिक्रमण के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया गया । इन पदोन्नतियों के संबंध में अपनाई गयी कार्यविधि, उक्त संघ के सचिव को, 18 फरवरी 1970 को समझा दी गई थी ।

(ग) जिन पदों पर पदोन्नतियां की गई, वे प्रवरण-पद थे, और उन पर तरक्की वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर की जाती है । यह सरकार की घोषित नीति है कि इस प्रकार के पदों पर पदोन्नतियां करने के मामले में, विचार की सीमा में आने वाले व्यक्तियों की योग्यताओं पर नियमानुसार विचार किया जाना चाहिये । इस मामले में अपनाई गयी कार्यविधि घोषित नीति के अनुसार ही थी तथा सरकार की ओर से इस पर अब कोई अन्य कार्यवाही नहीं होनी है ।

Providing of Loans to Farmers by Private Institutions

10033. SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI: Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state:

(a) the progress so far made in the matter of providing loans to the farmers by the Private Institutions instead of by the Government under credit policy for farmers during the Fourth Five Year Plan; and

(b) whether the progress is in accordance with the target fixed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): (a) & (b) Presumably information is sought on institutional financing of agriculture. The institutions financing agriculture are the cooperatives and commercial banks.

The Primary Agricultural Credit Societies give short-term and medium-term loans. The target for the 4th Plan for them is Rs. 750 crores. Tentative break-up of this for each year of the Plan is as follows:

(Rs. in crores)

	69-70	70-71	71-72	72-73	73-74
Short-term	480	510	550	600	660
Medium-term	45	55	65	75	90

Investment credit is given in the cooperative sector by the Land Mortgage/ Land Development Banks. The target for the 4th Plan for their lending is Rs. 700 crores. Tentative breakdown yearwise is as follows:

	(Rs. in crores)
1969-70	115
1970-71	130
1971-72	135
1972-73	150
1973-74	170

Figures of credit given by the cooperative sector for the year 1969-70 are not yet available. It is, therefore, not possible to say whether the progress is in accordance with targets fixed in the case of cooperatives.

The target for commercial banks direct lending to agriculture (additional) during the 4th Plan is Rs. 400 crores.

Actual performance is indicated below :

(Rs. in crores)

30-6-69		28-2-70	
Total advance to agriculture	out of which direct advance to agriculture	Total advance to agriculture	out of which direct advance to agriculture
188·38	53·59	267·93	140·50

डेरा इस्माइल खां कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली को अलाट की गई भूमि का विकास

10034. श्री क० लकप्पा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेरा इस्माइल खां कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी दिल्ली में हाल ही में भूमि विकास कार्य आरम्भ किया है जो 13 मार्च, 1970 को पूरा हो जाना चाहिए था ;

(ख) क्या सोसाइटी ने इस विकास कार्य के लिए समय बढ़ाने की अनुमति मांगी है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) अपने अंशधारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) क्योंकि सोसाइटी का ले-आउट प्लान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था, सोसाइटी के लिए विकास कार्य चालू करना संभव नहीं हो सका। इसलिए सोसाइटी ने ले-आउट प्लान की स्वीकृति की तारीख से, 3 वर्ष की अवधि का समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। सोसाइटी के हिस्सेदारों के हित की रक्षा के लिए इस स्थिति में सरकार द्वारा कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डेरा इस्माइल खां कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली की वार्षिक बैठक

10035. श्री क० लकप्पा : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेरा इस्माइल खां कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी दिल्ली ने नवम्बर-दिसम्बर, 1969 में होने वाली वार्षिक बैठक अब तक नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बरौनी-तेल शोधक कारखाने में स्थानीय लोगों को काम पर लगाया जाना :

10036. श्री सीताराम केसरी : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने में गैर-बिहारी लोगों को काम पर लगाया जा रहा है जब कि वहां स्थानीय मज़दूर बहुत अधिक संख्या में उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार की यह स्वीकृत नीति नहीं है कि स्थानीय लीगों को प्राथमिकता दी जाए ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारतीय तेल निगम की भर्ती सम्बन्धी नीति के अनुसार अनधिकारिक ग्रेड अर्थात् 460-1020 रुपये के वेतनमान से कम, के पदों पर नियुक्तियां स्थानीय रोजगार कार्यालय की मार्फत की जाती हैं । यदि स्थानीय रोजगार कार्यालय अपेक्षित संख्या में उम्मीदवार न भेज सकता हो तो रिक्त स्थानों का विज्ञापन किया जाता है । अन्य उम्मीदवार बुलाए जाते हैं । यह इसलिए किया जाता है ताकि इस इलाके में रहने वाले उम्मीदवार अधिक संख्या में काम पर लगाए जा सकें ।

भारतीय तेल निगम द्वारा हिन्द गैलवनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी पर दायर किये गये दावे की राशि

10037, **श्री सीता राम केसरी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री 13 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6156 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम हिन्द गैल्वनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लि० से वसूली करने के लिए बम्बई उच्च न्यायालय में प्रत्येक बार कितनी धनराशी के दावे किए : और

(ख) क्या प्राक्लन समिति द्वारा अपनी 86वें प्रतिवेदन में दिए गए सुझाव के बावजूद कि भविष्य में क्रयादेश देने से पहले भारतीय तेल निगम हिन्द गैल्वनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लि० के भूतकाल के रवैये को ध्यान में रखे, भारतीय तेल निगम अब भी हिन्द गैल्वनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रा०) लि० से लेन-देन करने के लिए उत्सुक है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दां० रा० चव्हाण) :

(क) कानूनी कार्यवाही के स्थगित रहन तक इस विषय पर कोई सूचना बताना भारतीय तेल निगम के हित में नहीं होगा ।

(ख) 13-4-70 को लोक सभा में पूछे गये अता० प्रश्न संख्या 6156 के उत्तर में यह बताया गया है कि यह एक विषय है जिस पर भारतीय तेल निगम को अपना निजी विचार लेना है । इस के अतिरिक्त, इस विषय पर निगम अपने विचारों को बताना व्यापारिक हितों में उपयुक्त नहीं समझती है ।

आयकर अधिकारियों की विभागीय परिक्षाएं

10038, **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **वित्त** मंत्री 13 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6098 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन परीक्षा-केन्द्रों के किन-किन पर्चों में अंक कम किये गये थे और प्रत्येक में कितने-कितने ;

(ख) इन परीक्षा-केन्द्रों के कुल कितने उम्मीदवारों के अंक कम किये गये ; और

(ग) पर्चे जांचने के लिए नियुक्त किये गये विभिन्न परीक्षकों द्वारा दिये गये अंकों में सारणीकरण के समय परिवर्तन करने के तथा कथित सामान्य प्रथा को अपनाने का आधार क्या है क्योंकि सारणीकरण के समय अंकों में परिवर्तन करने का अनुमति कोई भी नियम नहीं देता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) तथा (ख) : चूंकि किसी परीक्षा के परिणामों के संकलन की प्रक्रिया को प्रशासन के हित में गोपनीय रखा जाता है, इसलिए मांगे गये ब्योरे बताना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा ।

(ग) परीक्षा आयोजित करने संबंधी नियमों में अधिक या कम अंक देने की स्पष्टत: कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती । इस प्रकार की व्यवस्था विभिन्न परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन के संबंध में अपनाये गये स्तर के बारे में मुख्य परीक्षण अधिकारी द्वारा किये गये अध्ययन पर आधारित होती है ।

Sale of Spurious High Speed Diesel and Petrol at Petrol Pumps

10039. SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI: Will the Minister of **PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints about the preparation of spurious high speed diesel from Kerosene oil and Mobil oil and spurious petrol from solvent and if so, the steps being taken by Government in this regard; and

(b) the progress made in regard to collecting the samples of oil from petrol pumps and other oil dealers for testing and giving severe punishment to those found guilty ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SHRI D. R. CHAVAN): (a) & (b) Reports of adulteration of High Speed Diesel Oil with Kerosene or a mixture of kerosene and lubricating oils and of motor gasolene (petrol) with solvents have been received and are engaging attention. Suitable measures to combat these malpractices are being devised. A final decision in this regard is expected to be taken before the end of this year.

Minerals Found in Areas of Himalayas and U.P.

10040. SHRI MAHARAJ SINGH BHARATI: Will the Minister of **PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS** be pleased to state the details of minerals found during the last three years in different areas of Himalayas and Uttar Pradesh alongwith their quantity and efforts being made by Government to extract them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SHRI JAGANNATH RAO): The Geological Survey of India have located small deposits of bentonite and potash bearing salt in Jammu and Kashmir; Sizeable cement grade limestone deposits and occurrences of antimony, sulphur and arsenic pyrite in Himachal Pradesh; Sizeable deposits of phosphorite limestone, talc in Himalayan Uttar Pradesh and small deposits of low grade iron ore and lateritic baurite in Southern Uttar Pradesh; Sizeable deposits of dolomite in Himalayan West Bengal and limestone, graphite and multi-metal prospect in NEFA, and small deposits of Rock Phosphate in Mussoorie area of Uttar Pradesh.

संसद सदस्यों को 'पी' फार्म की अनुमति तथा विदेशी मुद्रा की मंजूरी

10042. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संसद्-सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्हें विदेश जाने के लिए 1 जुलाई, 1969 से 31 मार्च, 1970 के बीच "पी" फार्म देने की अनुमति दी गई थी और उन्हें यह अनुमति किन-किन तारीखों को दी गई थी; और

(ख) उन संसद्-सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अनुमति से कम समय पर रुकने पर विदेशी मुद्रा जमा की?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3573/70]

(ख) चूंकि कार्यविधि के अनुसार न तो ऐसी सूचना इक्ट्ठी की जाती है और न ही रखी जाती है इसलिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

मंत्रियों के विदेशों के दौरे

10043. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च और अप्रैल, 1970 में केन्द्रीय मंत्रियों के विदेशों के दौरों पर प्रत्येक मामले पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है; और

(ख) प्रत्येक मामले में उपर्युक्त मंत्री के दौरे का प्रयोजन का पृथक-पृथक ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) तथा (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीयमंडल विकास निगम द्वारा सहायता

10044 **श्री जी० वाई० कृष्णन : श्री ना० रा० देवघरे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों को सहायता देने के लिए ब्रिटेन में स्थापित राष्ट्रीयमंडल विकास निगम से इस समय भारत को कोई सहायता प्राप्त हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो भारत के उक्त निगम से अब तक किन-किन परियोजनाओं के बारे में पत्र-व्यवहार किया है ; और

(ग) निगम से सहायता प्राप्त करने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) राष्ट्रमंडल विकास वित्त कम्पनी लिमिटेड की स्थापना राष्ट्रमण्डल के देशों के आर्थिक विकास तथा व्यापारिक

उद्यमों की वित्त-व्यवस्था करने के लिए की गयी है यह कम्पनी भारतीय फर्मों की सहायता करती रही है । 1967 ऐसा अन्तिम वर्ष है जब किसी भारतीय कम्पनी ने उक्त वित्त कम्पनी से इस प्रकार की सहायता प्राप्त की थी।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें उक्त कम्पनी द्वारा भारतीय फर्मों में लगायी गयी पूंजी का ब्यौरा दिया गया है ।

(ग) इस कम्पनी से सहायता की रकम स्वीकार करने के बारे में यद्यपि भारत सरकार ने कोई विशेष शर्तें नहीं निर्धारित की हैं लेकिन कम्पनी को यह बता दिया गया है कि भारतीय फर्मों में पूंजी लगाने या उन्हें ऋण देने के अलग-अलग प्रस्तावों पर विदेशी निवेश और विदेशों से ऋण लेने आदि से सम्बद्ध सरकार की नीति के अनुसार ही प्रत्येक मामले में उसके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जायगा ।

राष्ट्रमण्डल विकास वित्त कम्पनी लिमिटेड द्वारा भारतीय फर्मों में लगायी गयी पूँजी का विवरण

क्रम सं०	भारतीय फर्म का नाम	लाख रुपयों में	
		ऋण	शेयर
1	2	3	4
1.	अशोक ले लैण्ड लि०	81.00	8.11
2.	एटिक इण्डस्ट्रीज़ लि०	105.66	—
3.	अतुल प्राडक्ट्स लि०	101.25	—
4.	ब्रेथ बेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लि०	580.50	—
5.	क्राम्पटन ग्रीस लि०	63.72	9.28
6.	ई० आई० डी० पैरी लि०	108.00	38.75
7.	हरडिलिया कैमिकल्स लि०	90.00	18.00
8.	हिन्दुस्तान मोटर्स लि०	126.00	—
9.	हिन्दुस्तान पोलीमर्स लि०	92.47	24.53
10.	इण्डियन एल्यूमिनियम लि०	90.00	—
11.	इण्डियन कापर कारपोरेशन लि०	45.00	—
12.	इण्डियन आक्सीजन लि०	40.80	—
13.	कमानी ट्यूब्स प्राइवेट लि०	31.50	—
14.	कुमारधुबी इंजीनियरिंग वर्क्स	36.00	20.70
15.	मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लि०	108.00	—
16.	सांके व्हील्स लि०	40.00	24.00
17.	सिमको मीटर्स लि०	24.75	9.00
18.	दि इण्डियन केबल कम्पनी लि०	47.25	—
19.	दि इण्डियन ट्यूब कम्पनी लि०	89.10	—
20.	भारतीय ऋण और निवेश निगम लि०	—	36.51

(1)	(2)	(3)	(4)
21.	मैसूर पेपर मिल्स लि० .	94.50	—
22.	ट्यूब इन्वेस्टमेंण्ट इण्डिया लि०	24.30	—
23.	यूनिवर्सल केबल्स लि० . .	54.00	—
24.	उषा मार्टिन ब्लैक (वायर रोप्स) लि०	66.10	90.00
25.	वोल्टास लि०	29.10	6.75
	जोड़ . .	2169.20	207.63

अमरीका और रूस से सहायता

10045. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की किन परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु सरकार ने अमरीका तथा रूस की सरकारों से सम्पर्क स्थापित किया है; और

(ख) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख)

1. चौथी आयोजना की प्रायोजनाओं के लिए अमरीकी सहायता :

संयुक्त राज्य अमेरिका से, प्रायोजनागत सहायता वार्षिक आधार पर उपलब्ध होती है। अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजनागत सहायता दिये जाने के प्रयोजन के लिए जो प्रायोजनाएं मंजूर की गयी हैं या जिनके सम्बन्ध में बातचीत चल रही है, वे ये हैं :—

1. सहकारी उर्वरक प्रायोजना, कांडला—150 लाख डालर (11.25 करोड़ रुपये)	करार के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है।
2. एयर इण्डिया के लिए तीसरा जम्बो जेट—180 लाख डालर (13.50 करोड़ रुपये)	4 फरवरी 1970 को करार पर हस्ताक्षर किये गये थे।
3. इण्डियन एयर लाइंस के लिए बोइंग हवाई जहाज—126 लाख डालर (9.45 करोड़ रुपये)	करार के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है।

2. चौथी आयोजना की प्रायोजनाओं के लिए सोवियत रूस से सहायता :

सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ की सरकार के साथ 10 दिसम्बर 1966 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसके अन्तर्गत कुछ उन प्रायोजनाओं की स्थापना के लिए जिन्हें चौथी पंचवर्षीय आयोजना में क्रियान्वित करने का विचार है, 3000 लाख रूबल की सहायता मिलेगी। इस करार के अन्तर्गत ये प्रायोजनाएं आती हैं।

1. कोरबा क्षेत्र (मध्य प्रदेश) में एक एल्युमीनियम प्रद्रावक संयंत्र जिसके द्वारा प्रतिवर्ष 100,000 मेट्रिक टन एल्युमीनियम उत्पादित किया जायगा और जिसमें एल्युमीनियम और मिश्रित धातुओं से प्रतिवर्ष तैयार की जाने वाली 50,000 मेट्रिक टन वेल्लित और संपीडित वस्तुएं शामिल हैं।

2. भिलाई लोहा और इस्पात कारखाना--कारखाने में इस्पात उत्पादन करने की क्षमता को और बढ़ाकर 32 लाख मेट्रिक टन करना।

3. 25 लाख मेट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाली डाल्ली स्थिति कच्चे लोहे की खान।

4. बिहार के रामगढ़, पंढी, टापिंग और केदला क्षेत्रों में, 65 लाख मेट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाली कोकिंग कोयले की खानें, जहां से भिलाई और बोकारो के इस्पात कारखानों को प्राथमिकता के आधार पर कोकिंग कोयला दिया जायगा।

5. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस का पता लगाया जाना और निकाला जाना।

6. हवाई चुम्बकीय सर्वेक्षण।

7. आन्ध्र प्रदेश के लोअर सेलेरु पन-बिजली घर जिसमें 200,000 किलोवाट बिजली की उत्पादन करने की क्षमता होगी (इस प्रायोजना का डिजाइन 600,000 किलोवाट की क्षमता के लिए तैयार किया जायगा।)

8. नेवेली का तापीय बिजली घर--बिजली उत्पादन करने की क्षमता को 400,000 किलोवाट से बढ़ाकर 600,000 किलोवाट करना।

9. गहरे समुद्र में मीन-क्षेत्रों का विकास।

10. तकनीकी कर्मचारियों का प्रशिक्षण--निम्नलिखित विशिष्ट विषयों के लिए देश के वर्तमान उच्चतर शिक्षण शालाओं से सम्बद्ध स्वायत्त विभागों की स्थापना करने के लिए सहायता :--

(क) प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई से वायुयान निर्माण विभाग ;

(ख) प्रौद्योगिक संस्थान खड़गपुर से सम्बद्ध धातुकमक विभाग ;

(ग) उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से सम्बद्ध भूभौतिकी विभाग ; और

(घ) बंगलौर स्थित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्वचल यन्त्र और संगणक विभाग।

निम्नलिखित विशिष्ट विषयों के लिए तकनीकी स्कूलों की स्थापना करने के लिए दी जाने वाली सहायता :—

(क) धातुकर्मक—भिलाई में ;

(ख) भारी इंजीनियरी—रांची में ;

(ग) बिजली की मशीनों का निर्माण—हरिद्वार में ;

(घ) तेल और गैस उद्योग—बड़ौदा में।

11. निम्नलिखित संयंत्रों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने और कुशल कर्मचारी तैयार करने के लिए सहायता :—

(क) दुर्गापुर में खनन उपकरण उत्पादन करने का संयंत्र ;

(ख) कोरबा में एल्युमीनियम प्रद्रावक संयंत्र।

12. धातुकर्मक उद्योग के लिए, डिजाइन संस्थान की स्थापना करने के लिए सहायता।

3000 लाख रूबल के ऋण में से, अब तक कोरबा एल्युमीनियम प्रद्रावक संयंत्र की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने, लोअर सिलेरू पनबिजली-घर के लिए उपकरण मंगाने, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस का पता लगाये जाने और नेवेली तापीय विजली-घर का विस्तार करने तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के केन्द्रीय इंजीनियरी और डिजाइन कार्यालय का विस्तार करने के लिए सहायता दिये जाने के उद्देश्य से 228.5 लाख रूबल तक के आर्डर दिये गये हैं। बोकारो इस्पात कारखाने में इस्पात उत्पादन करने की वार्षिक उत्पादन क्षमता को बढ़ा कर 40 लाख टन करने के उद्देश्य से उक्त करखाने का विस्तार करने के लिए रूस से सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में भी सहमति ही चुकी है। चौथी पंचवर्षीय आयोजना के संदर्भ में, जिसे अब अन्तिम रूप दे दिया गया है, सोवियत रूस से प्राप्त होने वाली सहायता की स्थिति की समीक्षा की जा रही है ।

Demonstration before Prime Minister's residence Re. Ownership rights to Jhuggi Jhonpri Dwellers

10046. SHRI HARDAYAL DEVGUN : Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a demonstration was staged by the Jhuggi Jhonpri Welfare Association Seemapuri, at the residence of the Prime Minister on the 2nd October, 1969 and a memorandum was submitted by them to her;

(b) if so, the demands made in that memorandum;

(c) whether it is a fact that one of the demands made in the memorandum was that jhuggi jhonpri dwellers should be given Proprietory rights of the plots given

to them in new colonies and financial assistance and loans should also be given to them for constructing houses on them; and

(d) if so, the decision taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI K. K. SHAH): (a) Yes, Sir.

(b) Their main demands were :

(i) Government should declare Seemapuri colony as a 'development area'.

(ii) Each resident should be given a plot of 80 square yards instead of 22 square yards.

(iii) Government should give loans for the construction of houses; the loan, including the cost of plots on 'no-profit-no-loss' basis, should be recovered in easy instalments and the day the cost of land and the loan are recovered, proprietory rights should be conferred on the allottees.

(c) Yes, Sir.

(d) The conferment of ownership rights or the giving of loans to the allottees for construction of houses has not so far been approved. But the possibility of giving plots on lease for 30 years is being examined.

ग्रामीण ऋण को सहकारी ऋण तथा अन्य बैंकों के ऋण से सम्बद्ध करने का प्रस्ताव

10047. श्री जुगल मंडल :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण ऋण को सहकारी तथा अन्य सभी बैंकों के ऋण से सम्बद्ध करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब लागू किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : सम्भवतः माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक समन्वित ढंग से काम करेंगे ।

सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के सम्बन्ध में संगठनात्मक ढांचे पर, गाडगिल समिति की रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया गया है कि कृषि क्षेत्र की ऋण सम्बन्धी भारी आवश्यकताओं को अकेले सहकारी बैंक ही पूरा नहीं कर सकेंगे । यह सुझाव दिया गया कि बड़े राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक जिनके पास काफी साधन हैं, सहकारी बैंकों के साधनों के पूरक हो सकते हैं । इस सम्बन्ध में गाडगिल समिति ने जो मुख्य सिफारिशें की हैं उनमें सहकारी और वाणिज्यिक बैंककारी ढांचों के बीच सम्बन्ध को मजबूत बनाने और उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने की बात कही गयी है । इस सम्बन्ध में दल की एक विशेष सिफारिश यह थी कि वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सीधे वित्तीय सहायता दे सकते हैं और खास तौर पर वे उन मामलों में सहायता

प्रदान कर सकते हैं, जिन में केन्द्रीय सहकारी बैंक सम्बद्ध ऋण समितियों को ऋण सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ हों। इस समय वाणिज्यिक बैंक पांच राज्यों के कुछ चुने हुए जिलों में प्राथमिक कृषि समितियों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस के अलावा किसी जिले में बैंकिंग और ऋण सम्बंधी सुविधाओं का सुधार करने की दृष्टि से जिला योजना के भाग के रूप में प्रत्येक जिले में एक राष्ट्रीयकृत बैंक को "नेता बैंक" के रूप में मनोनीत किया गया है। मनोनीत नेता बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऋण सम्बन्धी अपने कार्यों का सहकारी समितियों जैसी अन्य संस्थाओं द्वारा की जाने वाली व्यवस्था के साथ निकट तालमेल बनाये रखेगा। इसके अलावा सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से कृषि वित्त निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है जिसमें वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल किये गये हैं। इस समिति ने सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकों के बीच समन्वय स्थापित करने और इन दोनों के बीच दोहरकम तथा प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए स्थूल रूप से कुछ मार्ग दर्शक सिद्धांत सुझाय हैं। कुछ राज्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य स्तर पर भी समितियों का गठन किया गया है। रिज़र्व बैंक राष्ट्रीय स्तर की इस समिति के साथ बराबर सम्पर्क बनाये रखता है।

रिज़र्व बैंक, गाडगिल कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों तथा ऋण सम्बन्धी ढांचे के बीच परस्पर सम्बन्ध के विषय में बराबर समीक्षा करता रहता है और बैंक नेतृत्व योजना के कार्य के अनुभव के आधार पर और उपाय किये जायंगे।

विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के कारण ओबराय इन्टरकांटिनेंटल पर छापे

10048. **श्री जुगल मंडल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के कारण ओबराय इन्टरकान्टिनेन्टल के अहाते पर कोई छापा मारा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है, तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों के उल्लंघन के आरोप में मैसर्स ओबराय इंटरकान्टिनेन्टल होटल, नई दिल्ली के स्थानों की, पिछले तीन वर्षों में कोई तलाशी नहीं ली गयी। जनवरी 1968 में प्रवर्त्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा यात्रा एजेन्टों की एक फर्म के स्थानों की तलाशी ली गयी थी, जिन का कार्यालय ओबराय इंटरकान्टिनेन्टल होटल में स्थित है। इस यात्रा एजेन्सी का प्रबन्ध निदेशक मैसर्स ओबराय इंटरकान्टिनेन्टल का भी एक निदेशक है। उसके निवास स्थान की तथा इस यात्रा एजेंसी से सम्बन्धित कुछ अन्य व्यक्तियों के निवास स्थानों की भी तलाशी ली गयी थी। यात्रा एजंटों की फर्म और उसके निदेशकों के विरुद्ध चल रहे मामले में प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा न्याय-निर्णय किया जा रहा है।

तेल व प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात तथा आसाम में अशोधित तेल के भंडारों का अनुमान

10049. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जनवरी 1970 के "स्टेट्समैन" में आसाम और गुजरात में तेल के भण्डार का एक अमरीकी फर्म की मदद से "अनुमान लगाना" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने यह कहा है कि केन्द्रीय सरकार गुजरात और आसाम में तेल के भण्डार का पता लगाने में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की मदद के लिए शीघ्र ही एक विशेषज्ञ अमरीकी परामर्शदात्री फर्म की सेवाएं प्राप्त करेगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय को क्रियान्वित कर दिया गया है और यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि निर्णय को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ). हमारी जानकारी के अनुसार 26 जनवरी को गणराज्य दिवस की छुट्टी के कारण 27 जनवरी को दिल्ली में "स्टेट्समैन" समाचार पत्र का कोई प्रकाशन जारी नहीं हुआ था।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तेल क्षेत्रों से सम्बन्धित दित्ता के पुनरीक्षण के लिए और तेल उपलब्धता तथा इन तेल क्षेत्रों से उत्पादन की अनुकुलतम दरों के बारे में सिफारिश करने के लिए, उक्त आयोग का अमरीका के मैसर्स De. Golyer and MacNaughton Inc of Dalls (डी० गोलयेर एण्ड मकनौघटोन इन्क अ।फ डाल्लास), जो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पैट्रोलियम परामर्शदात्री फर्म के नाम से विख्यात है, की सेवाएं प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

इस फर्म के एक विशेषज्ञ की तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तकनीकी अफसरों के साथ शीघ्र ही वार्ता करने की आशा है।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय

10050. **श्री बलराज मधोक :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में कितने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक औषधालय खोले गये तथा वे किन-किन क्षेत्रों में खोले गये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : अपेक्षित सूचना के बारे में एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** सं० एल० टी० 3574/70)

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये गये प्लाट

10051. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में कुल कितने प्लाटों का विकास किया ;

(ख) उन में से कितने प्लाट और स्थान लोगों को अलाट किये गये और किन शर्तों पर ;

(ग) चालू वर्ष में कितने और प्लाट अलाट किये जायेंगे ;

(घ) क्या इन प्लाटों और स्थानों की अलाटमेंट के मामले में (क) भूतपूर्व सैनिकों (ख) प्रतिरक्षा सेना में काम करने वाले व्यक्तियों (ग) कम आय वाले सरकारी कर्मचारियों (घ) झुग्गी-झोंपड़ी और पुनर्वास बस्तियों के दो मंजिलें क्वार्टरों में रहने वाले व्यक्तियों को कोई प्राथमिकता दी जाती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन श्रेणियों के लोगों को अलाटमेंट के मामले में प्राथमिकता देने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास] मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) 9385।

(ख) 6969। इन में से कुछ प्लाटों को नीलाम द्वारा और कुछ को मध्यम और निम्न आय वर्गों के व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित दरों पर लाटरी द्वारा आवंटित कर दिया गया है।

(ग) लगभग 6,000।

(घ) यद्यपि कोई प्राथमिकताएं निश्चित नहीं की गई हैं, किन्तु वेतन भोगियों के वर्गों, अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों, युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मचारियों की विधवाओं और अन्य आश्रितों, रक्षा कर्मचारी जिन्हें सेवा से उनके अपंग हो जाने से अलग कर दिया है, भूतपूर्व रक्षा कर्मचारी तथा अन्य सेवा कर्मचारी जो मध्यम तथा निम्न आय वर्गों में आते हैं, को विकासित प्लाटों का कुछ प्रतिशत अपेक्षित किया गया है। जे० जे० बस्तियों और दुमंजिले क्वार्टरों में रहने वाले, जो उपर्युक्त श्रेणियों में आते हैं, यदि वे अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हों आरक्षित कोटे में से आवंटन के भी पात्र हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रामाकृष्णपुरम नई दिल्ली में पेय जल की कमी

10052. **श्री बलराज मधोक :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली में और विशेषकर रामाकृष्णपुरम में पीने के पानी की हमेशा कमी रहती है और गर्मियों में पानी की सप्लाई की स्थिति और भी गम्भीर हो जाती है।

(ख) क्या यह भी सच है कि समूचे दिल्ली के लिए पानी की कमी के कारण दिल्ली नगर निगम इन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बढ़ाने में असमर्थ है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पानी की सप्लाई बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ योजनायें विचाराधीन हैं, परन्तु उन्हें पूरा होने में कुछ समय लगेगा ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार रामाकृष्णपुरम तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों को तत्काल राहत देने के लिए नलकूप लगाने और उस क्षेत्र में वर्तमान कुओं में पम्प लगा कर पानी निकालने के लिए कार्यवाही करेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकारी कर्मचारियों की इस बस्ती को पानी सप्लाई करने के मामले में तत्काल राहत देने के लिए सरकार का क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, लाजपत नगर के कुछ भागों, अमर कालोनी, ग्रीन पार्क के कुछ भागों और रामाकृष्णपुरम जैसी दक्षिण दिल्ली की बस्तियों में पानी की कमी है। इन कालौनियों में से जो क्षेत्र वितरण प्रणाली के एकदम अन्तिम छोर तथा जो ऊंचाई पर बसे हुए हैं उनमें ग्रीष्म काल में पानी की भारी कमी रहती है क्योंकि पानी की मांग बढ़ जाने के कारण पानी देने का समय घटा दिया जाता है और उसके परिणामस्वरूप पानी के नलों में दबाव कम हो जाता है।

(ख) यह बात सच नहीं है कि दिल्ली में सर्वत्र ही पानी की कमी है। तथापि वर्तमान कमी के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) वजीराबाद में लगाया गया चार करोड़ गेलन प्रति दिन पानी देने वाला दूसरा संयंत्र पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि इस संयंत्र से विभिन्न जलागारों को पानी ले जाने वाले नलों का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है।

(2) इन बस्तियों में बूस्टर पम्प और जलागार अभी चालू नहीं किये गये हैं।

(ग) दिल्ली जल पूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रम ने बतलाया है कि दक्षिण दिल्ली क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बढ़ाने की योजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं और उन के लगभग एक वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है।

(घ) और (ङ). दिल्ली जल पूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रम ने बतलाया है कि रामाकृष्णपुरम क्षेत्र में लगाये गये दो नल कूपों तथा एक मोहम्मदपुर और दूसरा मुनीर्का ग्राम में स्थित दो खुले कुओं से रामाकृष्णपुरम के कुछ सैक्टरों और उसके आस-पड़ोस के क्षेत्रों में पहले से ही पानी दिया जा रहा है। वितरण प्रणाली के अन्तिम छोर पर स्थित रामकृष्ण-पुरम के सैक्टर 3 और 4 में पानी की सप्लाई में सुधार करने के लिए एक भूमिगत टैंक बनाया जा रहा है और वर्तमान बूस्टर पम्पिग स्टेशन में उच्चतर क्षमता वाला एक अति-रिक्त पम्प लगाया जा रहा है।

दिल्ली के झुग्गी निवासियों के लिये बहुमंजिले मकान

10053. **श्री बलराज मधोक** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली के झुग्गी निवासियों के लिए बहुमंजिले मकान बनाने की एक योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ईस्ट इंडिया होटल को दिल्ली में रियायती दरों पर भूमि का दिया जाना

10054. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्ट इण्डिया होटल को दिल्ली में होटल बनाने के लिए रियायती दर पर भूमि दी गई थी और यह निर्णय किया गया था कि कमरों का दैनिक किराया 40 रुपये होगा ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस होटल ने प्रति कमरे का प्रति दिन का किराया 80 रुपये से 100 रुपये तक बढ़ा दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पट्टे के मूल्य में भी वृद्धि की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). तक ईस्ट इण्डिया होटल को रियायती दर पर भूमि आवंटित की गई थी। तथापि, होटल के कमरों की दर वसूल करने के सम्बन्ध में

पट्टा विलेख में कोई अनुबन्ध नहीं किया गया था । होटल द्वारा दरों में वृद्धि की जाने के कारण, पट्टे की राशि में वृद्धि का प्रश्न, जैसा कि कहा गया है, अतः नहीं उठता ।

होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद विधेयक

10055. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : श्री वेदव्रत बरुआ : श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त प्रवर समिति द्वारा सिफारिश किये गये रूप में होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद विधेयक के पुरःस्थापन को स्वीकार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आवश्यक कार्यवाही में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) संयुक्त समिति की सिफारिश पर राज्य सभा के निर्णय की प्रतीक्षा है । (ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख नगरों में गन्दी बस्ती सफाई योजना

10056. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : श्री देविन्द्र सिंह गार्चा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से देश में प्रमुख नगरों में गन्दी बस्ती सफाई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवासत तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : 1956 में इस मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई गंदी बस्ती हटाओ/सुधार योजना राज्य क्षेत्र में हैं । राज्य क्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता राज्यों को "खण्ड ऋणों" और "खण्ड अनुदानों" के रूप में दी जाती हैं, जो किसी विशिष्ट विकास शीर्ष से संबद्ध नहीं होती और राज्यों को उन की आवश्यकताओं और प्राथमकिता के अनुसार विकास के किसी मद पर व्यय करने की स्वतंत्रता है । राज्य सरकारें उपर्युक्त योजना के अधीन परियोजनाएं बनाने और उन की स्वीकृति देने और उनमें "खण्ड ऋणों" और "खण्ड अनुदानों" से धन लगाने के लिए स्वयं ही सक्षम हैं ।

पटेल नगर II दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय के हिताधिकारियों को परेशान करना

10057. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पटेल नगर II में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय के चिकित्सा कर्मचारियों के उपेक्षापूर्ण और दम्भी दृष्टिकोण के कारण बड़ी संख्या में बीमार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को उस औषधालय में बहुत परेशानी और कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या उक्त औषधालय में नियुक्त डाक्टरों और कर्मचारियों की संख्या वहां रोजाना आने वाले रोगियों को देखने के लिए पर्याप्त है ;

(ग) यदि हां, तो हिताधिकारियों को इस प्रकार परेशानी और कठिनाई होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय में हिताधिकारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा निर्माण आवास एवं नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क), (ग) और (घ) : 1968 में पटेल नगर II की केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरी के कार्य की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में उल्लिखत कमियों को दूर कर दिया गया था तथा शिकायत कर्ता को भी सूचित कर दिया गया था।

1969 में कोई शिकायत नहीं मिली।

1970 में में उपरोक्त डिस्पेंसरी के प्रभारी चिकित्सा के अधिकारी आचरण के विरुद्ध बेनामी शिकायत प्राप्त हुई थी और इसकी जांच की जा रही है। एक विशेषज्ञ द्वारा सुझाई गई औषधियों के दिये जाने में हुई कठिनाई के बारे में मिली एक अन्य शिकायत का मुख्य कारण कोई भ्रान्ति थी जो कि अब दूर कर दी गई है।

उपरोत डिस्पेंसरी संतोषपूर्ण ढंग से कार्य कर रही बतलाई जाती है तथा हितग्राहियों को कोई कठिनाई अथवा परेशानी होने की सूचना नहीं मिली है।

(ख) जी हां, उपरोक्त डिस्पेंसरी के प्रत्येक चिकित्सा अधिकारी को एक दिन की औस्तन कार्यभार 84 से 98 मरीजों को देखना है जो कि इस योजना के अन्तर्गत दूसरी डिस्पेंसरियों के कार्यभार से जो प्रति डाक्टर 100 से 122 रोगी प्रति दिन है, कम है।

Economic Investigators in the Department of Economic Affairs

10058. **SHRI BANSI NARAIN SINGH:** Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 20 Economic Investigators are working in the Economic Department of his Ministry;

(b) whether it is also a fact that there is only one Investigator belonging to the Scheduled Castes among the total of 20 Investigators;

(c) the reasons for which the posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders of the Ministry of Home Affairs have not been filled up by candidates from these castes and tribes;

(d) whether Government propose to fill up the posts reserved for them at an early date by appointing persons from those castes and tribes; if so, by what time; and

(e) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): (a) There are at present 25 Economic/Statistical Investigators working in the Department of Economic Affairs.

(b) Yes, Sir.

(c) As suitable candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes were not available, three posts out of a total of 7 reserved for them were de-reserved by the Union Public Service Commission. Three Investigators recruited and belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribes left the Department for better prospects elsewhere.

(d) and (e). Suitable candidates, if available, will be considered for appointment against the representation quota of Scheduled Castes/Scheduled Tribes as and when future vacancies are filled up.

पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट, चंड़ीगढ़ द्वारा अनुसंधान कार्य के लिये और अधिक धन की मांग

10059. **श्री श्रीचन्द गोयल:** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट चण्डीगढ़ का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान कार्य करना है ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान में हुये अनुसंधान कार्य के बारे में क्या मूल्यांकन किया गया है ;

(ग) क्या पोस्ट ग्रेंजुएट इन्स्टीट्यूट, चण्डीगढ़ अपने अनुसंधान कार्य के लिये और अधिक धन की मांग कर रहा है ; और

(घ) क्या सरकार अनुसंधान कार्य के लिये अपेक्षित धन देगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा निर्माण आवास एवं नगर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) संस्थान के उद्देश्य जैसा कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 के अनुभाग 12 में उल्लिखित है, निम्नलिखित हैं :—

(क) उपस्नातक तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की सभी शाखाओं में शिक्षा के प्रतिमान विकसित करना ताकि चिकित्सा शिक्षा का उच्च स्तर प्रस्तुत किया जा सके ;

(ख) स्वास्थ्य संबंधी विषयों की सभी मुख्य शाखाओं में कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये उच्च स्तरीय शैक्षिक सुविधायें जहां तक हो सके, एक स्थान पर उपलब्ध करना ; और

(ग) देश में विशेषज्ञों तथा चिकित्सा अध्यापकों संबंधी आवश्कताओं को पूरा करने के लिये स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ।

चिकित्सा शिक्षा, रोगियों की सेवा तथा अनुसंधान के साथ-साथ चलती है ।

(ख) कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है । तथापि, यह बता दिया जाय कि संस्थान ने अपने जन्म से अब तक 700 शोध लेख प्रकाशित कर दिये हैं ।

(ग) और (घ), 1969-70 के संस्थान के बजट में अनुसंधान के लिये 2 लाख रु० निर्धारित किय गये थे । 1970-71 में इस कार्य के लिये 2.50 लाख रुपये की व्यवस्था है । अपनी विभिन्न गतिविधियों के लिये संस्थान को जितने धन की सचमुच आवश्यकता होती है सरकार उस को पूरा करती है ।

स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़ के रोगियों के परिवारों के लिये धर्मशाला

10060. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़ के रोगियों के परिवारों के लिये एक धर्मशाला बनाने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) रोगियों के परिवारों और रिश्तेदारों के लिये 50 कमरों वाली एक सराय संस्थान के पास है, जिसमें रहने पर शुल्क लिया जाता है । संस्थान के अधिकारी एक निशुल्क धर्मशाला की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जिसका निर्माण दान और चन्दे के रूप में एकत्रित राशि से किया जायेगा ।

गैर-सरकारी खान मालिकों द्वारा खनिज संसाधनों का दुरुपयोग

10061. **श्री वेदव्रत बरूआ :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि गैर-सरकारी खान मालिक वैज्ञानिक तरीकों से खनन कार्य न करके देश के खनिज-संसाधनों का आम तौर पर दुरुपयोग करते हैं ;

(ख) क्या एसा करने से देश के खनिज संसाधन शीघ्र ही कम नहीं हो जाएंगे ; और

(ग) क्या इस संभावित कमी और दुरपयोग को रोकने के लिये किसी कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाय तो गैर-सरकारी खान मालिकों द्वारा खनन संक्रियायें वैज्ञानिक पद्धति पर की जा रही है । तथापि, सीमित वित्तीय संसाधनों, तकनीकी तथा प्रबंधकीय जानकारी के अभाव जैसी विभिन्न प्रतिबाधाओं से आक्रांत कुछ छोटे खान मालिक इस योग्य नहीं हुए हैं कि वे खनन संक्रियाओं को वैज्ञानिक रीतियों के अनुसार संगठित कर सके ।

(ख) और (ग) : इसमें कोई संदेह नहीं कि अवैज्ञानिक खनन के परिणाम स्वरूप खनिज संसाधनों का परहार्य निःशेषण होता है । तथापि, समस्या के प्रति सरकार जागरूक है और इसने कोयला खानें (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 और खनिज संरक्षण तथा विकास नियमावली, 1958 जैसे विनियमों के बनाये है । व्यर्थ खनन का परिहार करके खनिज संपत्ति के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये, खान मालिकों द्वारा इन विनियमों का समुचित अनुपालन विनिश्चित किया जाता है । इसके अतिक्ति आवयश्क भूवैज्ञानिक और खनन नक्शे तैयार करने में माध्यमिक और छोटी खानों को चलाने वाले खान मालिकों की सहायता करने, खानों के डिजाईन बनाने और निम्न श्रेणी अयस्कों के परिष्करण पर मंत्रणा देने के लिये भी भारतीय खान ब्युरो, नागपुर, में एक "परामर्श-दाता सेवा" प्रारंभ की गई है । कारगर खनन की यर्थाथ परिभाषा सुझाने के लिये एक समिति गठित की गई है, जो वैज्ञानिक खनन के लिये अप्रत्यक्ष रूप से निर्देश पथ निर्दिष्ट करेगी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नक्शा-नवीसों (ड्राफ्टसमैनों) के पद

10062. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सार्वाजनिक निर्माण विभाग में प्रथम श्रेणी के नक्शानवीसों के कुल कितने स्वीकृत पद हैं ;

(ख) क्या उन सब पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा ; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में विलम्ब न करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह)

(क) ड्राफ्ट्समैन	ग्रेड-I	(सिविल)	−51
,,	,,	(बिजली)	−13

64

(ख) और (ग) ग्रेड-I के ड्राफ्ट्समैनों के पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं । न भरे गये पद, यदि वह फिलहाल कोई हैं, के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय डिजाइन संगठन का पृथक एकक

10063. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय डिजाइन संगठन को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में संगठन कार्य सर्वेक्षण से पृथक एक-एक एकक बना दिया गया है, और यदि हां, तो यह पृथकीकरण किस तारीख से किया गया है ;

(ख) केन्द्रीय डिजाइन संगठन का खंडवार विभाजन करने से पूर्व सर्वेक्षण कार्य संगठन के अंतर्गत सेक्शन अधिकारियों के कुल कितने पद थे ; और

(ग) केन्द्रीय डिजाइन संगठन के विभाजन के बाद सेक्शन अधिकारियों के पदों का संख्यात्मक विभाजन किस प्रकार किया गया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) केन्द्रीय डिजाइन संगठन को 18-1-69 से सर्वेयर आफ वर्क्स आर्गेनाइज़ेशन से एक पृथक एकक के रूप में बनाया गया था । सर्वेयर आफ वर्क्स संगठन के कुछ कार्य, जिनका संबंध केन्द्रीय डिजाइन संगठन के कार्य क्षेत्र से है, अवरोक्त को स्थानान्वित कर दिये गये हैं ।

(ख) केन्द्रीय डिजाइन संगठन के बनाये जाने से पूर्व, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्र के अनुसार, सर्वेयर आफ वर्क्स संगठन के अधीन सेक्शनल अधिकारियों के पदों की कुल संख्या निम्नलिखित थी :—

1. नई दिल्ली क्षेत्र	84	2. उत्तरी क्षेत्र	103
3. पूर्वी क्षेत्र	63	4. दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र	40
5. खाद्य जोन	32	6. दिल्ली प्रशासन क्षेत्र	41

(ग) क्षेत्र अनुसार लोक निर्माण विभाग के सर्वेयर आफ वर्क्स आर्गेनाइजेशन से केन्द्रीय डिजाइन संगठन को स्थानान्वित किये गये सेक्शन अधिकारियों के पदों की संख्या निम्नलिखित है :—

1. नई दिल्ली क्षेत्र	10	2. उत्तरी क्षेत्र	6
3. पूर्वी क्षेत्र	6	4. दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र	3
5. खाद्य जोन	2	6. दिल्ली प्रशासन क्षेत्र	5

Increase in Price of Kerosene Oil in Bihar

10064. **SHRI RAMAVTAR SHASTRI:** Will the Minister of **PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the price of kerosene oil has gone up in various districts of Bihar after the enhancement of tax on kerosene oil;

(b) whether it is also a fact that at some places the purchasers have to pay from 0.75 paise to Rupee one for purchasing one bottle of kerosene oil;

(c) if so, the action taken or proposed to be taken by Government to check the increase in prices;

(d) whether it is also a fact that great difficulty is experienced in getting kerosene oil in the rural areas of Bihar; and

(e) if so, the arrangements made by Government to ensure regular supply of kerosene oil ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SHRI D. R. CHAVAN): (a) After the increase in the rate of basic excise duty with effect from 1st March, 1970, the price of Superior Kerosene has gone up throughout the country.

(b) No such report has been received by Government so far.

(c) The Government of Bihar is competent to take suitable action wherever necessary under Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1966.

(d) No such report has been received by Government.

(e) Does not arise.

Tax Revenue from States

10065. **SHRI RAMAVTAR SHASTRI:** Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government receive a huge amount in the form of taxes from the States every year;

(b) if so, the details of such amount received, State-wise during the last three years; and

(c) the details of grants and loans given to the different States during the above period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): (a) to (c) Presumably the reference is to Central taxes and duties collected within the States.

The State-wise collections of Central taxes, and details of loans and grants given to the States during the last three years are benig collected.

सामान्य पूल के क्वार्टरों के अधिग्रहण में डाक्टरों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बीच भेदभाव :

10066. श्री गाडिलिंगन गौड़ :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये पूल में क्वार्टरों की संख्या अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो सामान्य पूल से अधिक क्वार्टरों का अधिग्रहण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सामान्य पूल से क्वार्टरों का अधिग्रहण करने के मामले में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा क्वार्टरों के बीच कोई भेदभाव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर (क) और (ख) : केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का, जिसे दिल्ली में 1954 में चालू किया गया था, परवर्ती वर्षों में बहुत तीव्रता से प्रसार हुआ है सामान्य पूल में आवास की समग्र रूप से अत्यधिक कमी होने के कारण, अधिक क्वार्टरों को प्राप्त किये नहीं किया जा सका है। इसलिय उपलब्ध किये गये क्वार्टरों की संख्या जरूरत से कम है ।

(ग) जी नहीं ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों के लिये छुट्टियां

10067. **श्री गार्डिलिंगन गौड :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों में नियुक्त चौकीदारों को केन्द्रीय सरकार छुट्टियां नहीं दी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनको यह छुट्टियां देने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) (क) द्वितीय वेतन आयोग द्वारा दी गई सिफारिश और सरकार द्वारा उसे मंजूर कर लेने के अनुसार, चौकीदार साप्ताहिक छुट्टी पाने के अलावा गणतन्त्र दिवस, स्वाधीनता दिवस और महात्मा गांधी जन्म दिवस के अवसर पर तीन राष्ट्रीय अवकाश पाने के भी हकदार है । राष्ट्रीय अवकाश/साप्ताहिक छुट्टी के दिन आवश्यकता आ पड़ने पर कार्य करने के बदले में आर्थिक प्रतिपूर्ति की जाती है ।

(ख) जी नहीं ।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारीयों को अन्तरिम राहत

10068. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव ने मांग की है कि तीसरे

वेतन आयोग की सिफारिशों के न आने तक एक महीने के भीतर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत दी जाये ।

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्य- वाही की है ?

वित्त मंत्रालय में मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकार को इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महा सचिव से इस आशय का कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अंतरिम राहत देने का प्रश्न तीसरे वेतन आयोग के निर्देश पदों में शामिल किया गया है। आयोग अपनी सिफारिशें यथा संभव शीघ्र ही देगा ।

कुनैन का उत्पादन

10069. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968-69 में देश में कुनैन का उत्पादन घट गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है और 1969-70 में तत्संबंधी स्थिति क्या थी ; और

(ग) कुनैन का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) (क) और (ख) जी नहीं । पिछले तीन वर्षों में कुनैन साल्ट का उत्पादन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन	टिप्पणी
1967-68	49,753 किलोग्राम	
1968-69	52,486 किलोग्राम	एक कारखाने का मार्च, 1969 का उत्पादन उपलब्ध नहीं है ।
1969-70	46,535 किलोग्राम	एक कारखाने का सितम्बर, 1969 का उत्पादन उपलब्ध नहीं है ।

(ग) सरकार ने सिंकोना तथा कुनैन उद्योग के लिये एक स्थायी समिति बनाई है ताकि कुनैन तथा सिंकोना पदार्थों के उत्पादन तथा निर्यात के विकास तथा विस्तार के लिये समिति की सिफारिशें लागू की जा सकें ।

नई दिल्ली के मिंटो रोड में फ्लेटों का निर्माण

10070. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिण्टो रोड क्षेत्र, दिल्ली, में निकट भविष्य में वर्गवार कितने फ्लैट बनायें जायेंगे,

(ख) उक्त क्षेत्र में और कौन सी इमारतें बनायी जायेंगी ; और

(ग) वर्षवार तथा वर्गवार निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा और पूरा किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के०के० शाह) (क) तथा (ख) मिण्टो रोड क्षेत्र के पुनर्विकास प्लानों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । अतएव, माँगी गई सूचना फिल हाल नहीं दी जा सकती ।

(ग) प्लानों को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिये तथा निर्माण का कार्यक्रम चरणों में प्रारंभ करने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

Enforcement of Sharda Act

10071. **SHRI OM PRAKASH TYAGI:** Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT** be pleased to state :

(a) whether Government propose to enforce Sharda Act more strictly in order to check child marriages with a view to check the population increase; and

(b) if so, the steps Government propose to take in this direction ?

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR): (a) & (b) The administration of the Child Marriage Restraint Act, popularly known as the Sharda Act, vests in the State Government. The question of amending the Act *inter alia* to make it more effective has been examined in consultatoion with the State Governments. The question of bringing forward a Bill in this regard before the Parliament is being considered. It is not possible to visualise the details at this stage.

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना में दवाइयों की चोरी

10072. **श्री सूरज भान**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार दिल्ली तथा नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना ने दवाइयां पर कितना खर्च किया ;

(ख) गत वर्ष दवाइयों की चोरी/उठाई गीरी के कितने मामले हुए और उसमें कितने अधिकारियों का हाथ था ; और

(ग) उक्त मामलों का पता लगाने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम क्या है और ऐसे अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के लिये खरीदी गई दवाइयों पर हुआ खर्च इस प्रकार है :

वर्ष	रुपये
1967-68	84,47,825
1968-69	78,63,678
1969-70	90,00,000 (लगभग)

(ख) वर्ष 1969-70 (अप्रैल 1970 तक) में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों से दावाइयों की कथित चोरी/उठाई गीरी के 9 मामलों का पता लगा जिसमें 9 कर्मचारी शामिल हैं ।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों से दवाइयों की चोरी/उठाई गीरी के मामलों का जो पता लगाया गया वह निम्नलिखित कार्यवाहियों के फलस्वरूप है :

(एक) विशेष पुलिस संस्थापन/केन्द्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा शिकायतों/ रिपोर्टों पर जांच करना ।

(दो) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के उप-महानिदेशक, सहायक महानिदेशक तथा उप-सहायक निदेशक (स्टोर्ज) द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों की अचानक जांच करना ।

(तीन) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के मेडिकल स्टोर डिपो के माल की पड़ताल करने वालों द्वारा औषधालयों के भण्डारों/लेखों की की गई जांच पड़ताल ।

इस प्रकार की जासूसी करने का श्रेय सहायक महा निदेशक (केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना) जो सतर्कता अधिकारी हैं, को है,

किसी अधिकारी के उत्साह को प्रोत्साहित करने के लिए किसी विशेष कार्यवाहीं की आवश्यकता नहीं है । अच्छे कार्यों का उल्लेख उन के वार्षिक प्रतिवेदनों में किया जाता है । जिन पर उच्चतर पदों के चयन तथा पदोन्नति के समय ध्यान दिया जाता है ।

कैंसर के इलाज के लिये नयी प्रतिजीवाणु औषधि

10073. **श्रीमति इला पाल चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक जापानी डाक्टर ने मानव शरीर में कैंसर वाले जीवाणुओं के प्रसार को रोकने के लिये एक नयी प्रति जीवाणु औषधि प्रस्तुत की है; और

(ख) क्या सरकार ने इस औषधि के लिये इस दिशा में कोई अनुसंधान करना आरंभ कर दिया है अथवा करने का विचार है।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) :

(क) इस संबंध में एक समाचार अखबारों में छपा था।

(ख) बतलाया जाता है कि नई औषधि अभी तक परीक्षण अवस्था में है तथा इस पर हो रहा काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

बंबई तथा कलकत्ता में आयकर आयुक्तों द्वारा निपटाई गई पुनरीक्षण याचिकायें

10074. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बम्बई तथा कलकत्ता में कितने आयकर आयुक्त थे और उन्होंने 1968, 1969 तथा 1970 में प्रति वर्ष कितनी पुनरीक्षण याचिकायें निपटाई और इन वर्षों की पहली अप्रैल को ऐसी कितनी याचिकायें उनके विचाराधीन थीं ;

(ख) इतना काम इकट्ठा हो जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसे कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा इसे इकट्ठा किया जायगा और यथा संभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दिया जायगा।

आयकर अपवचन की सूचना देने वाले व्यक्ति

10075. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आयकर विभाग को आयकर अपबंचन के बारे में कितने व्यक्तियों ने सूचना दी और उसके परिणामस्वरूप कितने स्थानों की तलाशियां ली गईं ;

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिनकी सूचना के परिणामस्वरूप एक लाख रुपये से अधिक छिपी धनराशि का पता लगा और सूचना देने वाले उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनकी सूचना गलत पायी गई और उससे परेशानी हुई;

(ग) उक्त अवधि में ठीक सूचना देने वाले व्यक्तियों को इनाम की रूप में कितनी धनराशि दी गई और क्या इन भुगतानों में से कर घटा दिया गया था अथवा उन पर कर वसूल किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन सूचना देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध, जिनकी सूचना गलत पाई गई और जिन्होंने रुपया ऐंठने के उद्देश्य से ऐसा किया
यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

(घ) जिन मुखबिरों की सूचना विगत समय में गलत पायी गयी थी उनकी विभाग द्वारा उपेक्षा की जा रही है । उनके खिलाफ अन्य उपाय किये जाने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

अध्ययन दल का आयकर निर्धारण संबंधी प्रतिवेदन

10076. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा गठित एक अध्ययन दल द्वारा किये गये अध्ययन के फलस्वरूप सामान्य रूप से लिये गये कर-निर्धारण सम्बन्धी 8,500 मामलों में से, जिन पर अपील की गई थी, 5,000 मामलों में (लगभग 60 प्रतिशत) छूट देनी पड़ी तथा इन मामलों की अग्रेतर जांच करने पर इन 5,000 मामलों में से 2,800 (लगभग 58 प्रतिशत) मामलों में मांगी गई 50 प्रतिशत से अधिक छूट देने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार मनमाने रूप से किये गये कर निर्धारण के मामलों में लगाये गये कर की लगभग कितनी राशि की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति देनी पड़ी थी;

(ग) क्या छिपाई गई आय के लिये धारा 271(1)(सी) के अन्तर्गत, पेशगी कर का भुगतान न करने के लिये धारा 273 के अन्तर्गत तथा निर्धारित कर का भुगतान न करने के लिये धारा 221 के अन्तर्गत कोई अर्थ दण्ड दिया गया था ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अपीलीय सहायक आयकर आयुक्तों के जिन 8460 आदेशों की अध्ययन दल ने छानबीन की उन में से 5001 आदेशों में राहत दी गई तथा इसमें से, मांगी गई राहत के 50 प्रतिशत से अधिक राहत 2801 आदेशों में मंजूर की गई । दल ने इन 2801 आदेशों को निम्नलिखित व्यापक वर्गों में विभाजित किया था :—

(1) उसी मामले में पूर्ववर्ती वर्ष के लिये न्यायालयों अथवा अपीलीय न्यायाधिकरणों के अनुवर्ती अधिकृत फैसले उपलब्ध होना अथवा आय की मात्रा विषयक अपील में राहत के कारण दण्ड में दी गई राहत 317

(2) उच्च न्यायालयों के असमान निर्णय तथा कानून का अर्थ- निरूपण 93

(3) अपील की अवस्था में ताजे सबूत का स्वीकार किया जाना। 70

(4) सत्यनिष्ठ मतभेद अथवा अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त का अपेक्षाकृत परिपक्व फैसला 1355

(5) कर-निर्धारण अधिकारी की ओर से त्रुटि अथवा भूल 966

(ख) तथा (ग). सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा इसे इकट्ठा करने में लगने वाला समय तथा श्रम उससे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

त्रिपुरा में आंत्र शोथ महामारी

10077. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन : श्री दे० वि० सिंह :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, और आवास तथा नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों में (मार्च-अप्रैल 1970) त्रिपुरा के विभिन्न भागों में आंत्र शोथ तेजी के साथ फैला है और इसने महामारी का रूप धारण कर लिया है;

(ख) उक्त अवधि में इस रोग से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और कितने व्यक्ति बीमार हुए हैं; और

(ग) इस रोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण और आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) फरवरी से अप्रैल, 1970 तक त्रिपुरा में हुए बतलाये गये आन्त्रशोथ के 392 रोगियों में से 83 रोगियों की मृत्यु हो गई।

(ग) नियंत्रण के आवश्यक उपाय बरते जा रहे हैं, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) तीन लाख से अधिक व्यक्तियों को हैजा निरोधी टीके लगाना।

(2) रोगियों के उपचार के लिए चलते फिरते दलों की व्यवस्था।

(3) जन स्वास्थ्य कर्मचारियों के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा विषयक उपाय।

(4) निरोधों एवं उपचारात्मक सेवाओं के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों को रोग प्रभावित क्षेत्रों में भेजना।

त्रिपुरा के स्वास्थ्य अधिकारियों से यह बतलाने के लिये कहा गया है कि वहां कितनी केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है और वे जब भी इसे मांगेंगे यह तुरन्त दे दी जायगी।

दक्षिण दिल्ली में खदानों का सर्वेक्षण

10078. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दक्षिण दिल्ली स्थित खदानों का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये खदानें थोड़ी अवधि के लिये पट्टे पर दी जाती हैं जिससे इन के कार्य की उचित देखरेख नहीं हो सकती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (घ) तक : राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना मंगवाई गई है और जब भी उपलब्ध होगी सभा पटल पर रख दी जायगी ।

नई दिल्ली स्थित थ्यागराजा नगर के निवासियों की शिकायत

10079. श्री म० ला० सोंधी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित थ्यागराजा नगर में सरकारी कर्मचारियों ने शिकायत की है कि उनकी कालोनी की उपेक्षा की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लम्बे समय की शिकायतों में भूमिगत जल निकास की व्यवस्था न होना; ऐसी खिड़कियों का होना जो बाहर खुलने के बजाय अन्दर खुलती हैं और इसलिये स्थान घेरती हैं; सामने की तरफ सायबान की व्यवस्था करने में असफलता जाफरी का गार्द रोक दरवाजा; मल निकास व्यवस्था का निरन्तर खराब रहना, समाज सदन की व्यवस्था न होना उनकी शिकायतों को दूर करने में पूछताछ कार्यालय की बार-बार असफलता, अधिकारियों की सांठगांठ से आसपास क्षेत्र में सफाई न होना और पहली मंजिल पर उसकी व्यवस्था करने में असफलता शामिल है;

(ग) क्या वह पिछले वर्ष कभी सरकारी रिहायशी कालोनी, थ्यागराजा नगर देखने गये हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार थ्यागराजा नगर कालोनी के साधारण तथा उसके सुधार पर तथा अन्य सरकारी कालोनियों पर किये गये प्रति व्यक्ति व्यय का एक तुलनात्मक विवरण सभा-पटल पर रखेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) थ्यागराजा नगर के सरकारी क्वार्टरों में कतिपय सुविधाओं की कमी के सम्बंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

(ख) जी हां । जहां आवश्यक है, सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिये विभिन्न शिकायतों की जांच की जा रही है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) थ्यागराजा नगर के टाइप-I और कुछ एक अन्य बस्तियों में टाइप-I के क्वार्टरों पर अनुरक्षण तथा सुधार पर सरकार द्वारा प्रति क्वार्टर किये गये अनुमानित व्यय की राशि का तुलनात्मक विवरण संलग्न है ।

विवरण

बस्ती का नाम	1969-70 के दौरान टाइप-I के एक क्वार्टर के अनुरक्षण और सुधार पर किया गया अनुमानित व्यय
	रुपये
थ्यागराजा नगर .	68.00
कस्तूरबा नगर	54.00
अलीगंज .	74.00
श्रीनिवासपुरी .	63.00
एन्ड्रूसगंज . .	79.00

सिलेक्शन ग्रेड के दफ्तरी

10081. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **वित्त** मंत्री 13 अप्रैल, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8184 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अन्य स्वतन्त्र कार्यालयों में सिलेक्शन ग्रेड के दफ्तरियों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उन कार्यालयों में दफ्तरियों की कुल संख्या तुलना में उनकी प्रतिशतता कितनी है और यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इस बारे में सभी स्वतन्त्र कार्यालयों में आदेशों पर अमल न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में संसद . सदस्यों से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है यदि हां, तो उनमें क्या लिखा हुआ है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) (ख) तथा (ग) : संघ लोक सेवा आयोग तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कार्यालयों से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध हो चुकी है और वह सभा पटल पर रख दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 3575/70]

जहां तक मंत्रालयों/विभागों का सम्बन्ध है पूरी सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है और इसे इकट्ठा करके शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दिया जायगा।

(घ) प्रवरण ग्रेड दफ्तरियों के सम्बन्ध में हाल के महीनों में ऐसा कोई पत्र आया प्रतीत नहीं होता।

करापवंचन के लिये दंड देना

10082. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **वित्त** मंत्री 30 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4439 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े व्यापार गृहों में से बहुतों पर (एकाधिकारी आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार) किसी न किसी रूप में करापवंचन के कारण मुकदमा चलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन बड़े व्यापार गृहों के नाम क्या हैं;

(ग) उनके विरुद्ध अलग अलग करो की कुल कितनी बकाया राशि थी जिनके कारण उन पर मुकदमा चलाया गया था ; और

(घ) उनको उसके कारण क्या दण्ड दिया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) : इन कम्पनियों में से किसी पर भी आय छिपाने के कारण इस्तागासे की कार्यवाही नहीं की गयी है। करों की समय पर अदायगी करने में चूक के लिये इस्तागासे की कार्यवाही नहीं चालू की जा सकती। इसलिये, जिन कम्पनियों पर कर-अपवंचन के कारण और करों की अदायगी नहीं करने के कारण इस्तागासे की कार्यवाही की गयी है, उनके नाम प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

परन्तु, स्रोत पर कर नहीं काटने और उसे सरकार को अदा नहीं करने के कारण इनमें से कुछ कम्पनियों पर इस्तागासे की कार्यवाही की गयी थी।

साउथ एवेन्यु स्थित संसद सदस्यों के फ्लैटों में निर्माण संबंधी नया कार्य

10083. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साउथ ऐवेन्यू स्थित संसद सदस्यों के फ्लैटों में किये गये अथवा किये जा रहे निर्माण कार्य में सार्व-जनिक धन का बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुर्विज्ञान संबंधी उच्चतर अध्ययन के लिये भारतीय विद्यार्थियों को विदेशी छात्रवृतियां

10084. **श्री शिव चन्द्र झा** क्या : **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुर्विज्ञान सम्बन्धी उच्चतर अध्ययन के लिये भारतीय विद्यार्थियों को विदेशी छात्रवृत्ति दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और किन देशों द्वारा और उन देशों में किन चिकित्सा विश्वविद्यालयों के लिये; और

(ग) भारत में विद्यार्थियों का चयन करने की यदि कोई विशिष्ट कसौटी है तो वह क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां । आयुर्विज्ञान उन विषयों में से एक है जिनमें भारतीय छात्रों के लिए विदेशी सरकारें संगठन भारत सरकार को छात्रवृतियां देने का प्रस्ताव करती हैं ।

(ख) 1969-70 में, पश्चिम जर्मनी तथा बिटेन में आयुर्विज्ञान के अध्ययन के लिए छः भारतीयों को छात्रवृत्तियां दी गई थी । विश्वविद्यालयों के नाम इस प्रकार हैं :—

(1) बोन

(2) हैडलबर्ग

(3) फ्रीबर्ग

(4) एडिनबर्ग

(5) ग्लासगो

(6) लन्दन

(ग) उम्मीदवारों का चयन अखिल भारतीय आधार पर मात्र उनकी योग्यता के अनुसार किया जाता है ।

विलिंगडन अस्पताल का नाम डाक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर रखा जाना

10085. श्री शिव चन्द्र झा :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार डाक्टर राम मनोहर लोहिया की स्मृति में, जिनका देहान्त विलिंगडन अस्पताल में हुआ था उक्त अस्पताल का नाम बदल कर (डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल) रखने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) इस प्रकार का विचार करने के लिए कोई अवसर नहीं आया है ।

आयकर विभाग में विशेष कार्य प्रणाली :

10086. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी निष्पक्ष प्राधिकरण द्वारा आय कर विभाग की विशेष कार्य-प्रणाली के कार्यकरण के बारे में कोई मूल्यांकन कराया गया है क्योंकि इस प्रणाली की कुशलता के विषय में शंकायें हैं;

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार इस प्रणाली का निष्पक्ष मूल्यांकन करायेगी ? और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यदि 'निष्पक्ष प्राधिकरण' का तात्पर्य इस विभाग से बाहर के किसी अभिकरण से है, तो आयकर-विभाग में, कार्य की कर्त्तव्यानुसार प्रणाली का किसी निष्पक्ष प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ख) सरकार किसी बाहरी अभिकरण द्वारा इस प्रकार का मूल्यांकन कराने की आवश्यकता नहीं महसूस करती ।

(ग) इस प्रणाली पर, क्षेत्र के आयकरआयुक्त लगातार नियंत्रण रखते हैं तथा उसकी समीक्षा करते रहते हैं । केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड में एक विशेष अनुभाग का गठन किया गया है, (जिसमें एक आयकर-आयुक्त तथा दो सहायक आयकर-आयुक्त है), जो उन विभिन्न एककों के कार्य की देखरेख करता है, जिनमें कर्त्तव्यानुसार प्रणाली लागू की गई हैं । जब कभी कोई कठिनाई उपस्थित होती है तो उसे दूर करने के उपाय किये जाते हैं । अनुभव यह बताता है कि प्रणाली सुदृढ़ है तथा इससे न केवल कर-निर्धारण के निपटान तथा करों की वसूली में वृद्धि हुई है, बल्कि भूल-सुधार, अपील-आदेशों पर अमल करने, लेखा-परीक्षा आपत्तियां आदि जैसे कार्य के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर भी पर्याप्त तथा समयानुकूल ध्यान दिया जाता है ।

Family Planning Programme in Bihar

10087. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT** be pleased to state:

(a) the number of family planning centres functioning in rural and urban areas of Bihar at present;

(b) the expenditure incurred by Government during the financial year 1969-70 to make family planning programme a success in the State; and

(c) the number of new centres proposed to be set up in rural and urban areas in the State during the financial year 1970-71 and the estimated expenditure likely to be incurred by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY PLANNING, AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR): (a) The number of Centres functioning for Family Planning in Bihar is as follows:

Urban Centres—87

Rural Centres

Main Centres—587

Sub-Centres—2881

(including 1761 opened under Health Programmes)

(b) Figures of expenditure incurred during the 1969-70 by the State Government are not yet available. Central assistance amounting to Rs. 192.92 lakhs was sanctioned for implementation of the Family Planning Programme during that year.

(c) It is proposed to open 260 new Rural Sub-Centres in the State during 1970-71. For the implementation of the Family Planning Programme during 1970-71, the State Government have been allocated a sum of Rs. 292.89 lakhs which include Rs. 5.02 lakhs for opening new Sub-Centres.

Expenditure on Family Planning Programmes in Uttar Pradesh during 1969-70

10088. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT** be pleased to state:

(a) the number of family planning centres functioning in rural and urban areas of Uttar Pradesh at present;

(b) the expenditure incurred by Government during the financial year 1969-70 to make Family Planning Programme a success in the State; and

(c) the number of new centres proposed to be set up in rural and urban areas in the State during the financial year 1970-71 and the estimated expenditure likely to be incurred by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR): (a) The number of Centres functioning for Family Planning in the State is as follows:—

Urban Centres—209

Rural Main Centres—875

Sub-Centres—4765

(including 2625 opened under Health Programme)

(b) Figures of expenditure incurred during 1969-70 by the State Government are not yet available. A provisional payment of Rs. 540.00 lakhs was sanctioned for implementation of Family Planning Programme during that year.

(c) It is proposed to open 200 new Rural Sub-Centres in the State during 1970-71. For the implementation of the Family Planning Programme during 1970-71 the State Government have been allocated a sum of Rs. 670.86 lakhs which include Rs. 3.85 lakhs for the opening of new centres.

Family Planning Centres in the Country

10089. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT** be pleased to state:

(a) the total number of persons covered under the Family Planning Programme during the year 1968 and 1969;

(b) the number of "Nirodh" distributed during these years.

(c) the total number of Family Planning Centres functioning at present in the urban and rural areas in the country; and

(d) the number of new centres proposed to be opened during the financial year 1970-71.

THE MINISTER OF STATE FOR HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR):

(a)

Year	Number of persons covered
1968-69	3,104,444
1969-70 (incomplete)	3,182,189

(b)

Year	Number of pieces distributed
1968-69	59,208,612
1969-70 (incomplete)	91,884,556

(c) URBAN

(i) Number of Family Welfare Planning centres.....1,794

(ii) Number of other institutions during Family Planning work.....1,923

RURAL

(i) Number of main Family Welfare Planning centres and sub-centres 29,647

(ii) Other institutions doing Family Planning work.....7,427

(d) **Number of centres**

Main	Sub-centres
423	1,000

Statues of Foreign Rulers in Delhi

10090. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT** be pleased to state:

(a) the number of statues of foreign Rulers and foreigners which are still at public places in the territory of Delhi;

(b) the number of statues of foreigners removed from public places during the last two years; and

(c) the action being taken by Government to remove the remaining statues?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI K. K. SHAH): (a) All statues of foreign rulers have been removed from public places in Delhi. Information regarding the statues of other foreigners is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

(b) One, namely the statue of King George the Fifth removed in 1968.

(c) This will depend on the information now being collected.

कोयला खानों के मालिकों द्वारा डाइनेमाइट के प्रयोग के कारण मकानों को क्षति

10091. श्री देवेन सेन : क्या **पेटोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल कोल, आसनसोल की बारमोडिया में कोयला खानों के प्रबन्धकों द्वारा पलासदीहा गांव में ड्राइविंग गैलरी की व्यवस्था किये जाने और इस प्रयोजन के लिये डाइनेमाइट का प्रयोग करने के परिणामस्वरुप पलासदीहा गांव के मकानों को क्षति पहुंच रही है और वे रहने के अयोग्य बनते जा रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त गांव के एक निवासी श्री एन० राय के जो एक वकील है, मकान को बहुत क्षति पहुंची है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और श्री राय तथा अन्य व्यक्तियों को, जिनकी हानि हुई है, मुआवजा देने की व्यवस्था करेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) तक : सूचना एकत्रित जी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

अल्यूमीनियम पर मूल्य नियंत्रण

10092. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **पेटोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अल्यूमीनियम पर बजट से पहले वाले मूल्य पर नियंत्रण लागू कर दिया है ;

(ख) क्या वर्ष 1970-71 के बजट में विशिष्ट उत्पादन-शुल्क की बजाय मूल्यानुसार उत्पादन शुल्क के लगाये जाने के परिणामस्वरूप अल्यूमीनियम पर उत्पादन शुल्क बढ़ गया है;

(ग) क्या सरकार ने अल्यूमीनियम के उत्पादकों से कहा था कि वे 1967 के बजट में 260 रुपये प्रति मीट्रिक टन की उत्पादन शुल्क में की गई अधिकांश वृद्धि को रहने दें और उसने 1964-65 के पश्चात् उत्पादन कर में 25 प्रतिशत की छूट दे दी थी पर यह रियायत 1 अप्रैल, 1970 को वापिस ले ली गई थी ;

(घ) क्या गत तीन वर्षों में अल्यूमीनियम की लागत में 400 रुपये प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि हो गई है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (घ) का उत्तर "हां" में है, तो पूर्व-बजट पर अल्यूमीनियम का मूल्य निश्चित करने का क्या औचित्य है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) 1967-68 के बजट में अल्यूमीनियम तथा अल्यूमीनियम के उत्पादकों पर उत्पादन शुल्क में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी और अल्यूमीनियम उत्पादकों से सम्पूर्ण अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को अपने लाभ में मिलाने को कहा था। उत्पादकों ने यह अभ्यावेदन किया कि सम्पूर्ण अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को अपने लाभ में विलय करने से उनके वित्तीय प्रबन्धों, विशेषकर उनके द्वारा किए जा रहे विस्तार कार्यक्रमों पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। इस बात का अनुभव हुआ कि यदि उत्पादन की नियोजित क्षमता में कमी की गई तो अल्यूमीनियम का आयात करना आवश्यक हो जायेगा जिससे देश के विदेशी मुद्रा के पहले से ही कम संसाधनों पर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। समस्या के अनेक पहलुओं की जांच करने के पश्चात् सरकार ने प्राथमिक उत्पादकों को बढ़े हुए उत्पादन शुल्क के कुछ अंश को मिलाने की अनुमति देने का अन्तिम रूप से निर्णय किया (बड़े उत्पादकों के मामले में औसतन 250 रुपये प्रति मीटरिक टन और छोटे उत्पादकों को आनुपातिक रूप में उनके कम लाभ को देखते हुए कुछ कम धन शामिल करना) शेष उत्पादन शुल्क उपभोक्ता को सहन करने की अनुमति दी गई। इस स्थिति को देखते हुए अल्यूमीनियम उद्योग के बढ़े हुए उत्पादन के आधार पर कर—ऋण योजना की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया। 31-3-70 तक वैध कर-ऋण योजना की जो सीमेंट, कागज जैसे अन्य उद्योगों पर लागू थी, अवधि और आगे नहीं बढ़ाई गई।

(घ) और (ङ) 1970-71 के बजट प्रस्तावों का पुरःस्थापन करने से पूर्व दो मुख्य अल्यूमीनियम उत्पादकों ने, उत्पादन खर्च में वृद्धि होने के कारण ही अपने मूल्यों में वृद्धि करने को कहा था। जब उनके यह दावे जांचाधीन थे, तो उत्पादकों ने, सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि उनके मूल्य-वृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं, बजट के तुरन्त पश्चात् अपने दावे पर स्थिर रहते हुए नये मूल्य लगा दिये। इन परिस्थितियों में अल्यूमीनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए गठित एक कार्यकारी दल के द्वारा अल्यूमीनियम उद्योग के मूल्य-ढांचे की जांच किए जाने तक, 28-2-70 को लागू मूल्यों के स्तर तक विभिन्न अल्यूमीनियम उत्पादकों के कारखाने के बाहर तक मूल्य निश्चित करने वाली एक अधिसूचना जारी करनी पड़ी।

पूजा करने के लिये अधिकारियों को डी-II टाईप फ्लैटों का आवंटन

10093. श्री भोगेन्द्र झा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सरकारी अधिकारियों को पूजा करने के लिये अधिक स्थान का अनुरोध करने पर डी-II टाइप फ्लैट अलाट किये गये;

(ख) कितने मामलों में ऐसे अनुरोध स्वीकार किये गये थे; और

(ग) सरकार ने उन्हें किस आधार पर फ्लैट अलाट किये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) : सितम्बर, 1967 से अप्रैल, 1970 तक के बीच की अवधि में सितम्बर, 1967 में डी-II (टाइप का) केवल एक मकान श्री वेदान्त देसिका का जन्म-दिन मनाने के लिए 17 दिन के लिए आवंटित किया गया था । आवंटन बाजार दर किराया की अदायगी पर केवल अस्थाई आधार पर एक प्रशंसनीय कार्य की सहायता के लिए किया गया था ।

तस्करी गिरोह में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के आचरण की जांच

10094. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वित्त** मंत्री 6 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 813 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन अधिकारियों के विरुद्ध तस्करी गिरोह अन्तर्ग्रस्त होने का आरोप लगाया गया है, उनके आचरण के सम्बन्ध में आवश्यक जांच इस बीच पूरी हो गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो आवश्यक जांच कब तक पूरी होने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार जांच के निष्कर्षों की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) जांच चल रही है और उसको शीघ्र ही पूरी करने की प्रत्येक कोशिश की जा रही है । जांच कब तक पूरी होगी इस बारे में ठीक ठीक समय बताना सम्भव नहीं है ।

(ग) जी नहीं । जांच के परिणामों को दृष्टि में रखते हुए उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

अधिकारियों को अपनी पत्नियों से ऋण लेने की अनुमति देना

10095. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में उनके मंत्रालय के प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारियों ने अपनी पत्नियों से ऋण स्वीकार करने की सरकार से अनुमति मांगी है और प्रत्येक मामले में ऋण की राशि कितनी थी और उसका उपयोग किस प्रयोजन के लिये किया गया था;

(ख) कितने मामलों में अनुमति दी गई या अनुमति देने से इंकार किया गया;

(ग) इन अधिकारियों की पत्नियों की आय के साधन क्या हैं और क्या उनकी आय पर आयकर लगता है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक मामले में उनकी निर्धारित आय कितनी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वित्त मंत्रालय के सचिवालय खास में 1969 में ऐसा कोई मामला नहीं था ।

(ख), (ग) और (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

कलकत्ता में सुरेन्द्रनाथ पार्क को नया नाम देना

10096. **श्री देवकीनन्दन पटोदिया** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में सुरेन्द्र नाथ पार्क का नाम बदल कर उसे लेनिन पार्क नाम दिया जा रहा है ;

(ख) क्या इस संबंध में कई तार भेज कर केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षप करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि इस कार्य से भारत के राष्ट्रीय नेता श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का बड़ा अपमान होगा; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस० चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं

(ख) और (ग) : कतिपय विरोध प्राप्त हुए हैं । बंगाल के राज्यपाल ने लेनिन दिवस पर लेनिन की मूर्ति का अनावरण करते हुए कहा था कि यदि राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल जाये तो जिस कार्नर पर लेनिन की मूर्ति स्थापित की गई थी, उसे भविष्य में लेनिन स्कवेयर या लेनिन कार्नर कहा जाय । यह घोषणा केवल घिरे हुए क्षेत्र के बारे में है जहां लेनिन की मूर्ति स्थापित की गई थी । राज्यपाल ने यह नहीं कहा कि सुरेन्द्र नाथ पार्क का नाम लेनिन स्कवेयर रख दिया जाय ।

Electricity in Servants Quarters of M.Ps. at Windsor Place, New Delhi

10097. SHRI ONKAR LAL BERWA :

SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN :

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :

Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that electricity has been provide at Government level in the combined latrines and bathrooms attached to the M.Ps' servants quarters in North and South Avenues, New Delhi;

(b) whether it is also a fact that Government had framed a general policy in this regard to provide electricity at their level in the combined latrines and bathrooms of M.Ps.' servants quarters;

(c) whether it is also a fact that electricity has not been provided at Government level in the combined latrines and bathrooms of the servants quarters of Bungalows Nos. 18, 19 and 20 Windsor Place allotted to Members of Parliament as a result of which darkness prevails there; and

(d) if so, the reasons therefor and the time by which Government propose to provide electricity to them ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI K. K. SHAH): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) The work of electrification of servants quarters, including their bathrooms and lavatories, attached to all M.Ps.' houses, has been taken up. The entire work, including the electrification of the latrines and bathrooms of the servants quarters of bungalows No. 18, 19 and 20, Windsor Place, is expected to be completed by the end of August, 1970.

National Small Savings Scheme

10098. SHRI ONKAR LAL BERWA:
SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN:
SHRI HUKAM CHAND KACHWAI:

Will the Minister of **FINANCE** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7583 on the 27th April, 1970 and state:

(a) whether it is a fact that Government had awarded a shield to the Executive Officer of the Ujjain Municipal Corporation for collecting large amount of money for the National Small Savings Scheme; and

(b) whether it is also a fact that the amounts of savings were deducted under the said scheme without the consent of the employees fo the Ujjain Municipal Corporation and these employees had expressed their protest against it and did not collect their salaries for some period to express their protest ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): (a) The Collector, Ujjain, had declared an award of a shield to the Municipal Corporation of Ujjain, had declared an award of a shield to the Corporation in Madhya Pradesh. The shield was presented to the Administrator of the Municipal Corporation in October, 1969. The cost of the shield was met by the Collector out of the funds for local publicity of the Small Savings Schemes placed at his disposal by the State Government.

(b) Though, according to information received, deductions made for Small Savings from the salaries of the employees of the Ujjain Municipal Corporation were covered by consent, the matter is being further investigated in collaboration with the Madhya Pradesh Government.

Posting of C.P.W.D. Sweepers in Servant Quarters of Members of Parliament

10099. SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN:
SHRI HUKAM CHAND KACHWAI:

Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have formulated a policy of having the compounds, latrines and bathrooms of the M.Ps.' servant quarters cleaned by the C.P.W.D. sweepers as is being normally done in the M.Ps.' servant quarters in the North and South Avenues, New Delhi;

(b) whether it is also a fact that no sweeper has been posted for cleaning the latrines, bathrooms and compounds of the servant quarters at Nos. 18, 19 and 20, Windsor Place as a result of which the latrines and bathrooms are in a very deplorable condition;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the action proposed to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI K. K. SHAH): (a) Such service is being rendered in respect of bungalows for which service charges are paid by the M.Ps.

(b), (c) and (d). No Sir. One sweeper has been provided for this purpose. As there is one latrine and one bathroom for six servants quarters attached to Nos. 18, 19 and 20 Windsor Place, the standard of cleanliness is not always as high as may be desired. However, instructions have been issued for securing an improvement in the level of cleanliness.

गोआ उर्वरक परियोजना में विदेशियों और भारतीयों के शेयर

10100. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा उर्वरक परियोजना में विदेशियों और भारतीयों के शेयरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीयों और विदेशियों के, अलग-अलग, अधिमान्य शेयरों की संख्या और मूल्य कितना है;

(ग) भारतीयों और विदेशियों के, अलगअलग इक्विटी शेयरों की संख्या और मूल्य कितना है; और

(घ) इसके प्रबन्ध और नियन्त्रण का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 1242.25 लाख रुपये की कुल इक्विटी पूंजी में से 805.50 लाख रुपये कीं रकम विदेशी पार्टियां देंगी और 437.35 लाख रुपये की बकाया रकम बिड़ला कम्पनियों तथा भारतीय जनता द्वारा दी जायेगी ।

(ख) 412.50 लाख रुपये के समस्त अधिमान्य शेयर भारतीय जनता के होंगे ।

(ग)

	संख्या	मूल्य
भारतीय	43,72,500	437.25 लाख रुपये
विदेशी	80,55,000	805.50 लाख रुपये

(घ) 11 निदेशकों का बोर्ड कम्पनी का प्रबन्ध करेगा । दो निदेशक इंडियन पब्लिक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन्स द्वारा नामित किये जायेंगे । एक भारतीय प्रबन्ध निदेशक होगा ।

खनिज तेलों का आयात

10101. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि सरकार खनिज तेलों के आयात में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वर्ष कितनी मात्रा में खनिज तेलों का आयात किया जायेगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में किन-किन देशों से पत्र-व्यवहार चल रहा है और उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलिम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) (क) और (ख) : यह अनुमान है कि "मिनरल आयलस" से आशय कच्चे तेल से है। देश की कुल आवश्यकताओं और देशीय उत्पादन में पाये जाने वाला वर्तमान अन्तराल पहले ही आयात से पूर्णतया पूरा किया जा रहा है ।

(ग) 1970-71 में लगभग 12 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल का आयात प्रस्तावित है ।

(घ) प्रत्येक शोधनशाला द्वारा की गई व्यवस्था के अन्तर्गत कच्चे तेल का आयात किया जा रहा है अत: इस बारे में किसी वार्ता का प्रश्न नहीं उठता ।

FINANCIAL ASSISTANCE UNDER UNICEF SCHEME

10102. SHRI MOLAHU PRASHAD: Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state:

(a) the details of the financial assistance or loans decided to be given to India for the Fourth Five Year Plan by Britain, Sweden and America under the

UNICEF scheme, as per news item published in 'Dainik Jagaran' dated the 25th April, 1970; and

(b) the amount proposed to be spent in each State out of the said financial assistance or loans ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): (a) In addition to their regular contributions to the UNICEF, some of the donor countries occassionally make special contributions to be allocated by UNICEF to specific projects in specific countries. The UNICEF Executive Board met from 20th April to 1st May to allocate funds for 1970 for assistance to various programmes. Government have not yet received any formal communication regarding allocation approved by the UNICEF at the recent Executive Board meeting for programme in India. The Govnrement do not also have any intimation from UNICEF regarding their commitment for the Fourth Five Year Plan period for Indian programmes.

(b) UNICEF aid is not received State-wise but is received for projects approved for assistance which are located all over the country.

तीमारपुर कालोनी, दिल्ली में जल-सप्लाई की कमी

10103. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जयसिंह :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि तीमारपुर कालोनी नी के निवासियों को गत कई वर्षों से जल सप्लाई में कमी के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो जल की सप्लाई बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है। अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : अब तक तिमारपुर कालोनी को एक 5" वाली लाइन द्वारा पानी दिया जा रहा था और मुख्य नलों में पानी की अपर्याप्त सप्लाई होने के कारण इस बस्ती के 124 एक मंजिले तथा 168 दुमंजिले मकानों के लिए कुछ कठिनाई थी । हाल ही में दिल्ली नगर निगम ने 12 इंच वाली पानी की लाइन बिछाई है तथा अधिकांश एक मंजिले और कुछ दुमंजिले मकानों को इस लाइन से जोड़ दिया गया है। अतः इन मकानों में पानी की स्थिति कुछ अच्छी हो गई है । शेष दुमंजिले मकानों को इस नई लाइन से जोड़ते ही इन मकानों में पानी की स्थिति सुधर जाने की संभावना है ।

इस कालोनी में कुछेक सार्वजनिक नलके हैं । जो मकानों में पानी देने वाली लाइनों से जुड़े हुए हैं । दिल्ली नगर निगम से अनुरोध किया गया है कि वे इन नलों को स्वतन्त्र रूप से निगम के मुख्य नलों से जोड़ दें ताकि आन्तरिक लाइनों में पानी

का दबाव कम न रहे । पानी की सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिये 168 दुमंजिले मकानों की पहली मंजिल में सीधे कनैक्शन देने की व्यवस्था का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

Loans Advanced to Private Sectors Concerns Question

†**10104. SHRI DEVEN SEN :** Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state :

(a) the total amount of loans advanced to private sector concerns by Government financial institutions during the last three years, year-wise; and

(b) the amount of loans advanced to the twenty big industrial houses separately during the above period

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : (a) Available figures of total amount of loans sanctioned and disbursed by the two All India Public Sector financial institutions namely the Industrial Development Bank of India and Industrial Finance Corporation of India to the private sector industrial concerns (excluding industrial Co-operative Societies) during the last three years, year-wise are given below :—

Industrial Development Bank of India April-March	*Sanctions*	*Rs. in crores Disbursements*
1967-1968	11.13	19.33
1968-1969	19.21	9.02
1969-1970	24.54	17.34
TOTAL	54.88	45.69
Industrial Finance Corporation of India July-June		
1966-1967	12.65	24.74
1967-1968	5.65	17.54
1969-1970	16.27	9.62
TOTAL	34.57	51.90

(b) Information about loans sanctioned and disbursed by the Industrial Development Bank of India and Industrial Finance Corporation of India during the period indicated against each of them as above, to industrial concerns belonging to 20 large industrial groups/houses as listed in the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee Report is given in the Statements I & II respectively. [Placed in Library. *See* No. LT-3576/70].

वायु सेना लेखा में कार्य करने वाले एक सहायक लेखा अधिकारी का एक स्थान पर कार्य करना

10105. श्री प० गोपालन :
श्री ई० के० नायनार :

क्या **वित्त मंत्री** 25 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4858 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किन कारणों से स्वास्थ्य प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए वायु सेना लेखे में एक सहायक लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी के एक स्थान पर कार्य करने की अवधि नियत नहीं की है;

(ख) करुणामूलक कारणों से कितने समय तक स्थानान्तरणों को रोक लिया जाता है अथवा रद्द कर दिया जाता है; और

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली छावनी में कार्य करने वाले इन अधिकारियों के स्थानान्तरण के मामले की स्थिति क्या है जिन्हें अब वहां पर 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है और अन्य अधिकारियों को दिल्ली में काम करने को अवसर न देने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खडिलकर) : (क) समूचे रक्षा लेखा विभाग में यह नीति नहीं है कि विशिष्ट स्थानों पर लेखा अधिकारी/सहायक लेखा-अधिकारी के रुकने की अवधि नियत की जाय। जिन स्थानों पर इन अधिकारियों को कार्य करना होता है व सीमावर्ती तथा समर-क्षेत्र से लेकर देश भर के शान्ति स्थानों तक, भारत भर में फैले हुए हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इनके रहन-सहन तथा सेवा की शर्तों में बहुत बड़ा अन्तर है। अतः इन सभी स्थानों पर इनके रुकने की अवधि निर्धारित करने के लिये किसी सामान्य नीति का बनाया जाना प्रशासनिक दृष्टि से सम्भव अथवा व्यवहार्य नहीं पाया गया है। किन्तु प्रशासन की आवश्यकताओं, कार्य-कुशलता तथा कार्य-प्रवाह को बनाये रखने की आवश्यकता, तथा जीवन-निर्वाह एवम् सेवा की शर्तों, नियत-कार्य जो अधिकारी को सौंपे गये हों तथा समस्या के माननीय पहलुओं आदि जैसे सभी अन्य पहलुओं को भी देखते हुए, सक्षम प्राधिकारी विभिन्न स्थानों से अधिकारियों के स्थानान्तरण का आदेश देते हैं। उसी कार्यविधि का अनुसरण, वायु सेना के लेखा-संगठन के लिये भी किया जाता है।

(ख) हर मामले में ठहरने की अवधि उन परिस्थितियों पर निर्भर करती है जिनमें इस प्रकार के स्थानान्तरण रोक दिये गये हैं तथा रद्द कर दिये गये हैं। प्रत्येक मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना होता है, अतः कोई समान अवधि निश्चित नहीं की जा सकती।

(ग) ऐसे हर अधिकारी के मामले पर, जो दिल्ली/नई दिल्ली/ दिल्ली छावनी में पांच वर्षों से अधिक ठहर गया है, उसके दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण के लिये, लगातार समीक्षा की जाती है तथा प्रशासनिक दृष्टि से सम्भव होते ही उनको बाहर नियुक्त करने की कार्यवाही की जाती है ताकि अन्य अधिकारियों को इन स्थानों पर सेवा करने का अवसर मिल सके।

वायु सेना (लेखे) के कुछ लेखा अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

10106. श्री के० एम० अब्राहम : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना (लेखे) के कुछ लेखा अधिकारियों के, जिन्हें दिल्ली में 5 वर्षों से अधिक समय से रहने दिया गया था, आचरण के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खडिलकर) : (क) जी, **नहीं** ।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

देश में तस्करी की मात्रा की जांच के लिये आयोग

10107. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें एक संसद सदस्य से एक अभ्यावेदन मिला है जिसमें भारत में तस्करी की मात्रा की जांच करने और इसे रोकने के लिये उपायों का सुझाव देने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का सुभाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा एक आयोग नियुक्त करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारत में सोने और विदेशी वस्तुओं के तस्कर आयात की मात्रा की जांच करने और उसको रोकने के उपयुक्त उपाय सुझाने के प्रयोजन से संसद सदस्यों की एक समिति स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री वेदव्रत बरुआ द्वारा पेश किया गया एक संकल्प 3 अप्रैल, 1970 को लोकसभा में विचार के लिए स्वीकार किया गया था लेकिन उस दिन उस पर विचार नहीं किया जा सका ।

(ख) तथा (ग) : सरकार, **तस्कर आयात निर्यात की रोकने के लिए** आवश्यक आर्थिक, वैधानिक तथा प्रशासनिक उपाय करती रही है और करती रहेगी । इस समय किसी आयोग की स्थापना से कोई लाभदायक प्रयोजन सिद्ध होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि सीमा शुल्क विभाग के कार्य संचालन की, 1967 में संसद सदस्य श्री डी० एन० तिवारी के नेतृत्व में गठित अध्ययन दल द्वारा जांच की ही गयी थी ।

नेपाल से चांदी की तस्करी

10108. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा कयेंगे :

(क) गत तीन वर्षों में नेपाल से भारत में कुल कितनी मात्रा में चांदी आयात की गई;

(ख) यदि आयात की अनुमति नहीं है तो उपर्युक्त अवधि में नेपाल से भारत में चोरी छिपे लायी गई चांदी की मात्रा कितनी है; और

(ग) नेपाल से भारत में चोरी-छिपे चांदी लाये जाने को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) चांदी का नेपाल से भारत में कोई आयात नहीं हुआ है ।

(ख) नेपाल से भारत में तस्कर आयात की गई चांदी की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन, पिछले तीन वर्षों में भारत-नेपाल सीमा पर पकड़ी गई चांदी की मात्रा नीचे दी गई हैं :–

1967	1968	1969
मात्रा किलोग्राम में	मात्रा किलोग्राम में	मात्रा किलोग्राम में
1.447	860.490	45.295

(ग) नेपाल से, चांदी तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं के तस्कर आयात को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

सुव्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्र करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात निर्यात करने का संदेह है उन पर निगरानी रखना, संदिग्ध वाहनों की तलाशी लेना तथा सीमा-क्षेत्र के सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की गश्त लगाना। सहायक समाहर्ताओं की देख रेख में बहुत से गश्ती दल स्थापित किये गये हैं। सीमाशुल्क अधिकारियों को तस्कर-विरोधी उपायों में सहायता देने के लिए, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस की एक यूनिट भी भारत-नेपाल सीमा पर तैनात कर दी गई है ।

पोलीएस्टर फाइबर के संयंत्रों की स्थापना

10109. **श्री रा० बरूआ** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पालिएस्टर फ़ाइबर के संयंत्र स्थापित करने के लिए गत वर्ष कितनी और किन-किन पार्टियों को लाइसेंस दिये गये थे ;

(ख) क्या इन संयंत्रो की स्थापना के लिए उन्हें विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई थी;

(ग) पालीएस्टर फ़ाइबर के संयंत्रों स्थापित करने के किन-किन पार्टियों के प्रस्ताव इस राज्य सरकार के विचाराधीन हैं;

(घ) क्या ऐसे संयंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी देश में उपलब्ध नहीं है और यदि उपलब्ध है तो इन संयंत्रों को स्थापित करने के लिये इन पार्टियों को विदेशी सहयोग की अनुमति क्यों दी गई; और

(ङ) प्रत्येक मामले में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 1969 में, शून्य; लेकिन 24 जुलाई, 1969 को मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कं० लि० कानपुर को उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में प्रति वर्ष 6,100 मीटरी टन की क्षमता की स्थापना के लिये एक आशय पत्र दिया गया है ।

(ख) पार्टी के विदेशी सहयोग सम्बन्धी प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है ।

(ग) लंबित आवेदन पत्रों की सूची संलग्न है ।

(घ) देशी तकनीकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, अतः विदेशी सहयोग के लिये अनुमति दी जा रही है ।

(ङ) प्रत्येक मामले में, लगभग 200 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ।

पार्टी का नाम

1. आसाम इंडस्ट्रीयल डिवैल्पमैन्ट कारपोरेशन, शिलांग (राकीय उपक्रम) ।
2. मैसर्स राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, कलकत्ता ।
3. हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रीयल डिवैल्पमैन्ट कारपोरेशन लि०, चंडीगढ़ (राजकीय उपक्रम)।
4. श्री जी० के० देवराजुलू एण्ड श्री जी० आर० गोविन्दाराजुलु, कोबम्बतूर (मद्रास राज्य के लिए) ।
5. मैसर्स हरियाना फाइबर्स, नई दिल्ली ।
6. श्री जी० के० देवराजुलु एण्ड श्री जी० आर० गोविन्दाराजुलु, कोयम्बतूर (आन्ध्र प्रदेश) के लिए।
7. केरल स्टेट इंडस्ट्रीयल टिवैल्पमैन्ट कारपोरेशन लि०, त्रिवेन्द्रम (राजकीय उपकम) ।
8. श्री हरशूल दलाल, बम्बई ।

बकाया करों की वसूली

10110. श्री काशीनाथ पांडेय : क्या **वित्त** मंत्री 12 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9312 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सत्य प्रकाश एण्ड कम्पनी, ए/9ए, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली और मैसर्स ए० पी० जैन एण्ड कम्पनी, 521, वी० पी० हाउस, नई दिल्ली नामक फर्मों, जिनका नाम आयकर विभाग की सूची में नहीं था, की आय निर्धारित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उक्त फर्मों से आयकर की कितनी राशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कोका कोला कंपनी के मालिकों द्वारा धन बाहर भेजना

10111. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला कम्पनी के मालिकों ने गत तीन वर्षों में कितनी राशि भारत से बाहर भेजी;

(ख) क्या सरकार का विचार गैर-आवश्यक उत्पादों के निर्माताओं द्वारा लाभ की राशियों को बाहर भेजने को रोकने के लिये उपाय करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक-सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

(ख) और (ग) . सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सभी विदेशी निवेशकों को, भारतीय करों की अदायगी करने के बाद लाभ तथा लाभांश की रकमें भेजने की पूर्ण स्वतन्त्रता है इस नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है ।

नया मोती नगर, नई दिल्ली में पानी की सप्लाई

10112. **श्री गणश घोष** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री नये मोती नगर नई दिल्ली में पानी की सप्लाई के बारे में 21 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 165 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान पाइप को बदलने तथा बूस्टर पम्पिग स्टेशन लगाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) कार्य कब पूरा हो जायेगा क्योंकि कालोनी की आवश्यकता बहुत अधिक है और नये मोती नगर नई दिल्ली, के 'बी' ब्लाक में पहली मंजिल पर पानी के अभाव में वहाँ के निवासियों को बहुत कठिनाई है;

(ग) क्या यह सच है कि भी 'बी' ब्लाक में पहली मंजिल पर गत कुछ दिनों से पानी बिल्कुल नहीं है; और

(घ) यदि हां तो 'बी' ब्लाक में पहली मंजिल पर तुरन्त पानी की सप्लाई के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० चन्द्रशेखर): (क) जी हां, दिल्ली जल संभरण तथा मल निष्कासन समिति को बूस्टर पम्पों के लिये निविदाएं प्राप्त हुई हैं ।

(ख) बूस्टर पम्पों को लगाने का कार्य दिसम्बर 1970 तक पूरा होने की आशा है।

(ग) दिल्ली जल संभरण तथा मल निष्कासन समिति ने बताया है कि नए मोती नगर के 'बी' ब्लाक में पहली मंजिल पर पानी का अभाव केवल सुबह थोड़े समय के लिए होता है और इसका कारण पानी के जोर का कम होना तथा भूमिलत एवं पहिली मंजिल का कनेक्शन एक होना है।

(घ) दिल्ली जल संभरण तथा मल निष्कासन समिति ने कहा है कि जितनी भी सुविधा दी जानी सम्भव है, दी जा रही है और बूस्टर पम्प लगने के बाद ही स्थिति सुधर जाएगी।

अधिक मात्रा में गंधक का प्रयोग किये बिना फोसफेटिक, उर्वरक के उत्पादन की प्रक्रिया

10113. श्री राज देव सिंह : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त विश्व में गन्धक की लम्बे समय से चली आ रही कमी के कारण अधिक मात्रा में गन्धक का प्रयोग किये बिना फासफोटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिये विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा है तथा प्रयोग किये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश में एक फासफेट और पाइराइट के निक्षेपों की खोज करने, उनकी सम्भावनाओं का पता लगाने तथा उन्हें निकालने की दिशा में जोरदार तथा व्यापक कार्यवाही करना अनिवार्य समझती है; और

(ग) क्या सरकार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के स्थान पर कार्वनिक उर्वरकों जो मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं तथा आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभप्रद हैं का प्रयोग करना वांछनीय अथवा उपयुक्त समझती है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां, गन्धक के स्थान पर, पाइराट्स और अलोह धातु सन्यन्त्रों के द्रावकों से गंधकीय गैसों जैसे गन्धक युक्त खनिजों के प्रतिस्थापन के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में गन्धक के प्रयोग को (जहां कहीं सम्भव है), निट्रिक अम्ल के इस्तेमाल से कम किया जा रहा है और जल विलेय फास्फेट्स के उत्पादन के लिए गन्धकीय अम्ल के स्थान पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। विद्युत-तापीय फास्फोरिस के उत्पादन की स्थापना के लिए प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है।

(ख) जी हां, बिहार में अमझोर क्षेत्र में पाइराट्स और राजस्थान के उदयपुर जिले में झमारकोटरा नामक स्थान पर राक फास्फेट का उत्पादन शुरू हो गया है। आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम जिले में एपेटाइट का भी उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा,

राजस्थान में सलादीपुर पाइराट्स भण्डारों और उत्तर प्रदेश में मसूरी क्षेत्र में राक फास्फेट भण्डारों को निकालने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाये गये हैं ।

(ग) सरकार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के स्थान पर कार्बनिक उर्वरकों का पूर्णतया प्रयोग करना वांछनीय नहीं समझती है क्योंकि प्रति यूनिट टाइम में प्रति यूनिट क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, जो कार्बनिक उर्वरक की तुलना में सान्द्रित है और इस में तुरन्त उपलब्ध रूप में पौधा-आहार अंश निहित है । कार्बनिक उर्वरक की उपलब्धता, के आधार पर इस उर्वरक के प्रयोग की भी सिफारिश की जाती है क्योंकि वे बहुतायत में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को (जो मिट्टी में बहुत लाभदायक तबदीलियां लाते हैं) आहार देने के अलावा मिट्टी की भौतिक अवस्था, जल-ग्रहण और मिट्टी का जल अन्तःसंचरण क्षमता में सुधार करते हैं ।

विभिन्न मंत्रालयों में द्विभाषिये

10114. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में किस-किस श्रेणी के द्विभाषिये कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उनके वेतन मान क्या हैं;

(ग) उन्हें क्या-क्या कार्य सौंपे गये हैं;

(घ) क्या उनके वेतनमानों में संशोधन का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) मन्त्रालयों (खास) से सम्बन्धित सूचना विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों से इकट्ठी की जा रही है और उसे यथासम्भव शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

दस रुपये वाले महात्मा गांधी स्मृति सिक्के

10115. **श्री नि० र० लास्कर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दस रुपये वाले महात्मा गांधी स्मृति सिक्के वैध मुद्रा है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

कस्टम्स हाउस, कलकत्ता के निवारक अधिकारी

10116. **श्री प्र० र० ठाकुर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कस्टम्स हाउस, कलकत्ता, में सीधे भर्ती किये गये लोगों के स्थायीकरण की तिथियां निर्धारित करने और ग्रेड एक तथा दो पद पदोन्नत निवारक अधिकारियों तथा निरीक्षकों के मामले में जिन नियमों अथवा आदेशों का पालन किया जाता है उनका पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ के मामले में नियुक्ति तथा स्थायीकरण की एक एक ही तारीख रहती है और कुछ के मामले में उनमें बहुत अन्तर होता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि स्पष्टत: आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किये गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों पर इस बारे में भेद-भाव पूर्ण बर्ताव से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कलकत्ता कस्टम्स हाउस के वर्तमान तथा एक तथा दो के निर्वारक अधिकारियों तथा निरीक्षकों की एक सूची सभा पटल पर रखने का है, जिसमें क्रमश: उनकी नियुक्ति की तिथियां और इन ग्रेडों में कार्य करने की अवधि दी गई हो?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

तीसरे वेतन आयोग के सदस्यों के चयन के बारे में सिद्धान्त

10118. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरे वेतन आयोग के सदस्यों के चयन सम्बन्धी सिद्धान्त क्या हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : सरकार ने ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को चुनने के सिद्धान्त का अनुसरण किया है जिनकी योग्यतायें तथा अनुभव वेतन आयोग के कार्य में विशेष रूप से सहायक होंगे ।

आसाम, त्रिपुरा तथा मनीपुर में कर अपवंचन के मामले

10119. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में ऐसे कितने मामले हुए जिन में आयकर अधिकारियों ने करापवंचन का प्रथम दृष्टि में मामला सिद्ध कर धारा 147 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की सिफारिश की थी परन्तु आसाम, त्रिपुरा तथा मनीपुर के आयकर आयुक्त ने इसका अनुमोदन नहीं किया था;

(ख) उक्त अवधि में ऐसे कितने और कौन-कौन से मामले हुए जिन में अपीलीय सहायक आयुक्तों के आदेशों के प्रतिकूल आयकर अधिकारियों तथा निरीक्षण

सहायक आयुक्तों ने विभागीय अपील की सिफारिश की थी परन्तु आसाम ,त्रिपुरा तथा मनीपुर के आयकर आयुक्त ने अनुमोदन नहीं किया और ये मामले राजस्व की कुल कितनी राशि के बारे में हैं; और

(ग) क्या ये राजस्व की काफी राशि के बारे में हैं और यदि हां, तो इन मामलों पर फिर से विचार कर राजस्व की हानि के लिये जिम्मेदार आयुक्त के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) तथा (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ग) प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) में उल्लिखित मामलों में ग्रस्त राजस्व की रकम का पता लगाया जा रहा है और तत्सम्बन्धी सूचना सभा की मेज पर रख दी जायगी। जिन मामलों में आयुक्त संविधि के अधीन स्वविवेकाधिकार का प्रयोग करता है उनमें आयुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा हिंद गैलवेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाना

10120. **श्री सीताराम केसरी**: क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री 13 अप्रैल, 1970 के आतारांकित प्रश्न संख्या 6151 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन ने विधि मंत्रालय की सिफारिश पर बम्बई के उच्च न्यायालय में हिन्द गैलवेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है; और

(ख) यदि हां, तो हिन्द गैलवेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड से कुल कितना धन वसूल करना है और उसका ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) और (ख) : कानूनी कार्यवाही के स्थगित रहने तक इस विषय पर सूचना बताना भारतीय तेल निगम के हित में नहीं होगा।

इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा हिंद गैलवेनाईजिंग कम्पनी के साथ कथित पक्षपात

10121. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातू** मंत्री 13 अप्रैल 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 979 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा हिन्द गैलवेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा दायर करने और मांगा गया अपेक्षित ब्यौरा देने में क्या औचित्य है;

(ख) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन के हिन्द गैलवेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ आपत्तिजनक लेन-देन की दृष्टि से कारपोरेशन की हुई भारी हानि इस कारण

हुई थी क्योंकि इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबन्धक (विपणन प्रभाग) द्वारा उन के साथ पक्षपात किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबन्धक (विपणन प्रभाग) के कार्यों की जांच करेगी और निष्कर्षों को सभा पटल पर रखेगी?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा०रा० चव्हाण) : (क) कानूनी कार्यवाही के लंबित रहने तक इस विषय पर कोई सूचना देना निगम के हित में नहीं होगा ।

(ख) और (ग). प्राक्कलन समिति ने अपनी 86वीं रिपोर्ट में इस विषय पर पहले ही विचार किया है। कृपया उस रिपोर्ट का पैराग्राफ 3.43 देखें ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी

10122. **श्री लताफात अली खां** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
स्टेट बैंक आफ इंडिया सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

तेल कम्पनियों द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों पर कमीशन में संशोधन

10123. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार स्वयं सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में लगातार वृद्धि किये जाने के कारण, हर वस्तु के मूल्य में बहुमुखी वृद्धि होने पर भी, तेल कम्पनियों को, अनेक वर्षों से अपरिवर्तित चली आ रही कमीशन दरों में संशोधन तथा वृद्धि करने को कहने का है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : जी नहीं ।

गारो की पहाड़ियों में तेल निकालने का अभियान

10124. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गारो की पहाड़ियों में तेल निकालने का अभियान सफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार वहां से कब तेल निकालने का है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) इस क्षेत्र में इस समय खोदे जा रहे पहले अन्वेषी कुएं में अभी तक तेल/गैस के कोई चिन्ह नहीं देखे गये है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारती प्राइवेट डाक्टर संघ की मांगें

10125. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय प्राइवेट डाक्टर संघ का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस न्याय संगत मांग को स्वीकार कर रही है कि 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त प्राइवेट डाक्टरों को पंजीकृत किया जाये तथा जो डाक्टर 3 वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष से कम अवधि से अपना कार्य कर रहे हैं उनको सूची बढ़ करके 10 वर्ष की अवधि के पूरा होने पर पंजीकृत किया जाये;

(घ) क्या सरकार ने अन्य सभी मांगों पर भी पूरी तरह विचार कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस ज्ञापन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) से (ङ) अनर्हता प्राप्त डाक्टरों को प्रैक्टिस करने की अनुमति देने के प्रश्न और इससे सम्बन्धित शर्तों पर भारत सरकार विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में भारतीय प्राइवेट डाक्टर संघ की मांगों को नोट कर लिया गया है।

आयकर विभाग में चपरासियों की नियुक्ति

10126. **श्री बीरेश्वर कलिता :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम, मणिपुर तथा नागालैण्ड आयकर विभाग के लिये चपरासियों की भर्ती करने के लिये शिलांग गोहाटी तथा डिब्रूगढ़ में 8 अप्रैल, 1970 को इन्टरव्यु हुए थे;

(ख) क्या यह सच है कि आयकर आयुक्त ने ज्ञापन संख्या आर –; 68–69/54881–83 दिनांक 30 जनवरी, 1970 के द्वारा संबंधित इन्टरव्यू अधिकारियों को ये मार्ग दर्शन तथा निर्देश दिये थे कि उन्हीं उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिन्हें बढ़ईगिरी, चित्रकला तथा बिजली के कार्य में विशेष कुशलता प्राप्त हो;

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां, भूतपूर्व सैनिकों को भी प्राथमिकता देने का निदेश दिया गया था।

(ग) आयकर आयुक्त ने यह महसूस किया कि भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि उनमें अनुशासन की कुछ अधिक वृत्ति होती है और चपरासियों को कुछ मौकों पर चौकीदारों की डयूटी अंजाम देने को भी कहा जा सकता है। खास हुनर वाले व्यक्तियों को अधिक उपयुक्त इसलिये समझा गया कि उनका सामान्य बौद्धिक स्तर उच्चतर होता है।

(घ) सरकार ने इस मामले की छानबीन की है। आयकर आयुक्त को आदेश दिया गया है कि नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की अन्तिम सूची, पूरी तरह से, भारत सरकार के विषय के आदेशों के अनुसार ही तैयार की जानी चाहिये।

चिकित्सा स्नातक

10127. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एंव नगरीय विकास** मन्त्री चिकित्सा स्नातकों के बारे में 31 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4843 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये **संख्या एल० टी०** 3577/70]

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

पैट्रोलियम तथा इससे सम्बद्ध उत्पादों का उत्पादन

10128. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोलियम तथा इससे सम्बद्ध उत्पादों के उत्पादन में गत तीन वर्षों के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969-70 के दौरान इसका अनुमानत: कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) अगले तीन वर्षों में पेट्रोलियम तथा डीजल तेल की अनुमानत: कितनी मांग होगी; और

(घ) उक्त दो उत्पादों की मांग की तुलना में सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द० रा० चव्हाण): (क) जी हां।

(ख) देश में 1969-70 में पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन 16,606 हजार मीटरी टन था।

(ग) अगले तीन वर्षों में पैट्रोल (मोटर गैसोलीन) तथा डीजल तेल की मांग का अनुमान निम्न प्रकार है :—

आंकड़े '000' मीटरी टनों में

मोटर गैसोलीन,	1970	1971	1972
	1410	1494	1584
डीजल तेल	5735	6288	6895

(घ) अगले तीन वर्षों में पैट्रोल या डीजल तेल में कोई कमी होने का पूर्वानुमान नहीं है।

बुड़ला चिकित्सा कालेज, उड़ीसा को मान्यता

10129. श्री स० कुन्दू :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने बुड़ला चिकित्सा कालेज को मान्यता देने के लिये महा चिकित्सा परिषद को पत्र लिखा था;

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने इस विषय पर विचार विमर्श किया था तथा बुड़ला चिकित्सा कालेज को मान्यता देने के बारे में लिखा था और यदि हां, तो किस किस तारीख के, तथा क्या बुड़ला चिकित्सा कालेज ने पूछी गई बातों का उत्तर दिया था और यदि हां, तो किस-किस तारीख को;

(घ) क्या महा चिकित्सा परिषद की बैठक सितम्बर, 1970 में होने जा रही है तथा उसकी कार्य सूची में बुड़ला चिकित्सा कालेज का मान्यता देने संबंधी कोई जिक्र नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा परिषद इस विषय को महा चिकित्सा परिषद् की आगामी बैठक की कार्य-सूचि में रखने के लिए महा चिकित्सा परिषद् को पत्र लिखेगा?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) से (ङ) : भारतीय चिकित्सा परिषद् ने कार्यकारी समिति में विषय पर विचार विमर्श करने के बाद जुलाई, 1967 में ब्रिटेन की महा-चिकित्सा परिषद् को उत्कल विश्वविद्यालय/ सांबलपुर विश्वविद्यालय के उन छात्रों की एम० बी० बी० एस० डिग्री को, जो बुड़ला चिकित्सा कालेज, बुड़ला से उत्तीर्ण होते हैं, मान्यता देने के लिए लिखा है। उपरोक्त कालेज में उपलब्ध अध्यापन सुविधाओं की जानकारी भी परिषद् को भेज दी है। ब्रिटेन की महा चिकित्सा परिषद् की कार्यकारी समिति ने इस विषय पर 27 नवम्बर, 1967 पर विचार किया और अध्यापकों की संख्या और विशेषतया चिकित्सा पूर्व (प्रि-क्लिनिकल) विभाग में अध्यापकों की संख्या के सम्बन्ध में और जानकारी मांगी थी। अपेक्षित जानकारी 1 फरवरी, 1969 को बुड़ला चिकित्सा कालेज से प्राप्त हुई और 11 फरवरी, 1969 को महा चिकित्सा परिषद् को भेज दी गई। महाचिकित्सा परिषद् ने इस विषय पर पुनः विचार किया और यह मत प्रकट किया गया कि अध्यापक वर्ग में ऐसा कोई संतोषजनक सुधार नहीं हुआ है जिससे कालेज के छात्रों द्वारा प्राप्त एम० बी० बी० एस० डिग्री को मान्यता दी जा सके। इस सम्बन्ध में सुधार होने के बाद ही इस विषय पर फिर से विचार किया जाएगा। सांबलपुर विश्वविद्यालय को, जिससे यह कालेज सम्बद्ध है, तथा बुड़ला चिकित्सा कालेज को 28 जून, 1969 को सारी स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी और उन्हें महा चिकित्सा परिषद् द्वारा मांगी गई जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। कहा गया है कि इस विषय पर भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा बुड़ला चिकित्सा कालेज प्राधिकारियों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने के बाद भारतीय चिकित्सा परिषद् महा चिकित्सा परिषद् से इस मामले पर बातचीत करेगी। विश्वविद्यालय तथा संस्थान को 16 अप्रैल, 1970 को आखिरी बार याद दिलाया गया था।

2. सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ब्रिटेन की महा चिकित्सा परिषद् की अगली बैठक कब हो रही है?

चलचित्रों की तस्करी

10130. श्री जार्ज फरनेंडीज : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा राजस्व बोर्ड का एक सदस्य भारतीय चलचित्रों की देश में बाहर होने वाली तस्करी को रोकने के उपायों के बारे में चलचित्र निर्माताओं से विचार विमर्श करने के लिये अभी हाल ही में बम्बई गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह बैठक किन परिस्थितियों में आयोजित की गई थीं।

(ग) क्या सरकार को भारतीय चलचित्रों के तस्करों द्वारा प्रयुक्त किये गये तरीकों के बारे में कोई सुराग मिला है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) चलचित्रों की तस्करी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) तथा (ख)। भारत सरकार को इस आशय की शिकायतें मिलती रही हैं कि भारतीय चलचित्रों का, दक्षिण अफ्रीका को तथा कुछ अन्य देशों को भी तस्कर निर्यात किया जा रहा है और इस तस्कर निर्यात के कारण, सरकार को विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है।

भारत सरकार के एक संयुक्त सचिव ने अप्रैल 1970 में अपनी बम्बई यात्रा में मौका निकालकर, फिल्म उद्योग के कुछ प्रतिनिधियों के साथ इस समस्या पर, अर्थात भारतीय चलचित्रों के, विदेशों को तस्कर निर्यात के बारे में चर्चा की। केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड के एक सदस्य ने उस समय दौरे पर बम्बई में मौजूद होने से, इस बैठक में भाग लिया।

(ग) तथा (घ) आरोप ये हैं कि चलचित्रों को, असबाब में अथवा भारत से बाहर जाने वाली नौकाओं पर छिपाकर चोरी से देश से बाहर ले जाया जाता है। साथ ही यह आरोप भी है कि दक्षिण अफ्रीका से भिन्न देशों को निर्यात किये गये चलचित्र भी अनधिकृत रूप से दक्षिण अफ्रीका भेज दिये जाते हैं।

(ङ) माल के तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिये किये जाने वाले सामान्य उपाय, अर्थात गुप्त सूचना इकट्ठी करने, समुद्री तट की गश्त लगाने आदि के अलावा, इस बात का भी विचार किया जा रहा है कि चलचित्रों के मामले में क्या-क्या विशेष उपाय किये जा सकते हैं।

मैसूर राज्य के खान मालिक श्री पोतदार से वसूल किया गया आयकर

10131. श्री क० लकप्पा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के खान मालिक श्री पोतदार से गत तीन वर्षों में कितना आयकर वसूल किया गया है ;

(ख) क्या वह अपना लेखा नियमित रूप से रख रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि वह करों की वसूली से संबंधित गलत लेखे पेश करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। वह इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

संसार के विभिन्न देशों में प्रत्यक्ष कराधान का भार

10132. डा० कर्ण सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसार में उन देशों के क्या नाम हैं जहां प्रत्यक्ष कराधान का भार कर-दाता की कुल आय से भी अधिक हो जाता है ; और

(ख) क्या ऐसे कानून हैं जो ऐसे देशों को ऐसे सम्पत्ति हरण कर लगाने से रोकते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है। भारत में, आय और धन के उच्चतर स्तर वाले कुछ मामलों में आयकर और धनकर की सम्मिलित रकम इतनी हो सकती है जो करनिर्धारिती की कुल आय से अधिक हो।

(ख) जहां तक भारत का संबंध है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरे देशों के संबंध में यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

तीन भारतीय तेल निगमों के तेल शोधक कारखानों की तुलना में गोहाटी तेल शोधक कारखाने के कच्चे तेल के उत्पादन में कमी

10133. श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोहाटी, बरौनी तथा कोयली स्थित तीनों भारतीय तेल निगमों में जहां पूरी तरह भारतीय कच्चा तेल साफ किया जाता है समुचे तौर पर साफ किये गये कच्चे तेल की मात्रा में वर्ष 1968 की तुलना वर्ष 1969 के दौरान 10 लाख टन से भी कुछ अधिक वृद्धि हुई है ; वहां गोहाटी का उत्पादन वर्ष 1968 के 813.714 टन की तुलना में वर्ष 1969 के दौरान घट कर 777.722 टन हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो गोहाटी के उत्पादन में इस कमी के क्या कारण हैं ;

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) वर्ष 1970 के दौरान समूचे तौर पर तीनों तेल शोधक कारखानों में उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) गोहाटी शोधनशाला की 1969 की 777.722 मीटरी टनों की क्रूड थरूपट भी 0.75 मिलियन मीटरी टन/प्रतिवर्ष की डिजाइन क्षमता से अधिक थी। 1968 की वास्तविक थरुपट की तुलना में 1969 में 35,992 मीटरी टन की कमी होने के निम्नलिखित मुख्य कारण थे :—

(1) शोधनशाला के बिजली घर के टर्बो-जेनरेटर में कठिनाइयां और अप्रैल, 1969 के दौरान अतिरिक्त बिजली की सप्लाई करने के लिये आसाम राज्य विद्युत बोर्ड की असमर्थता।

(2) अगस्त, 1969 के दौरान एटमसफियरिक डिस्टीलेशन/कोटिंग यूनिटों का लम्बी अवधि तक बन्द रहना।

(ग) वर्ष 1970-71 के लिये गोहाटी शोधनशाला के लिये 0.8 मिलियन मीटरी टन की क्रूड थरुपट आयोजित कीं ।

(घ) गोहाटी, बरौनी और गुजरात की तीन शोधनशालायें क्रमश: 0.8, 3.0, और 4.3/4,5 एम० एम० टी० प्रतिवर्ष पर परिचालन हो सकती हैं । लेकिन बरौनी तथा गुजरात की शोधनशालाओं का परिचालन देशीय साधनों से कच्चे तेल की उपलब्धता से सम्बद्ध है। बरौनी को प्रतिवर्ष 2.2 एम० एम० टी० कच्चे तेल के परिवहन के लिये पाइपलाइन की अक्षमता को दृष्टि में रखते हुये, एक मिलियन मीटरी टन कच्चा तेल आयात करने का प्रस्ताव और इसके लिये संयंत्र में उचित सुधार करने पर सक्रिय रुप से विचार हो रहा है। 1970-71 में बरौनी तथा गुजरात शोधनशालायें 2.2 और 3.8 मिलियन मीटरी टन क्रूड थरुपट के लिये आयोजित है । तीन शोधनशालाओं में 1970-71 के लिए यथा आयोजित थरुपुटस में 1969-70 की तुलना में 0.556 मिलियन मीटरी टन की वृद्धि होगी ।

Examination of Ladies by Male Doctors in Irwin Hospital, New Delhi

10134. SHRI ONKAR LAL BERWA:
SHRI RAM GOPAL SHALWALE:
SHRI P. L. BARUPAL:

(a) whether it is a fact that in the Maternity Ward of Irwin Hospital, New Delhi, ladies are examined by the male doctors after asking them to put off their clothes;

(b) whether it is also a fact that some women belonging to rural areas were examined in a nude form by the male doctors on the 23rd February, 1970 in the said ward despite their refusing to put off their clothes; and

(c) if so, the reasons for examining ladies by the male doctors after asking them to put off their clothes specially when lady doctor was available there?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR): (a) Since Irwin Hospital is a teaching Hospital male doctors/students have to be posted to Maternity Wing as a part of their Training and are expected to examine women patients. This examination is done in the presence of a lady doctor or a Nurse (female). However, a woman patient is not required to be examined by a male doctor if she has any objection to the same.

(b) No.

(c) Does not arise.

कोचीन तथा कलकत्ता के सीमा-शुल्क विभाग के कर्मचारी

10135. **श्री सी० के० चक्रपाणि : श्री पी० पी० एस्थोस :**
श्री अ० कु० गोपालन : श्री विश्वनाथ मैनन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण कोचीन तथा कलकत्ता के सीमा-शुल्क विभाग के अलग अलग कितने अराजपत्रित कर्मचारियों को पदोन्नतियां

नहीं दी गईं अथवा उन्हें स्थायी नहीं किया गया अथवा उनकी पदोन्नतियां तथा स्थायीकरण अभी नहीं किया गया है ; और

(ख) कोचीन तथा कलकत्ता स्थित सीमा-शुल्क विभाग के ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण उनकी सेवा में अवरोध का ध्यान न रखते हुए पदोन्नति दी गई या स्थायी किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 19 सितम्बर, 1968 को सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण कोचीन तथा कलकत्ता के सीमाशुल्क विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को पदोन्नत करने अथवा स्थायी करने से इनकारी का अथवा पदोन्नति को स्थगित करने का कोई मामला नहीं हुआ है । परन्तु कोचीन सीमाशुल्क गृह में 17 मामलों में स्थायीकरण स्थगित किया गया था ।

(ख) 19 सितम्बर, 1968 को सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण सेवा में व्यवधान के होते हुए भी, कोचीन और कलकत्ता सीमाशुल्क गृहों में जिन व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया अथवा जिन्हें स्थायी किया गया उनकी संख्या नीचे दिये अनुसार है :—

सीमाशुल्क गृह	व्यक्तियों की संख्या जिनकी पदोन्नति की गयी	जिन्हे स्थायी किया गया
कलकत्ता	50	45
कोचीन	1	—

कोचीन के केन्द्रीय विभाग मे कलक्टर की नियुक्ति

10136. **श्री सी० के० चक्रपाणि : श्री पी० पी० एस्थोस :**

श्रीमति सुशीला गोपालन : श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन स्थित सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क कलक्टरी में किसी नियमित कलक्टर की नियुक्ति के बिना ही एक वर्ष से अधिक समय से कार्य हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते देने पर तथा उनके निजी तथा अन्य कर्मचारियों पर अब तक कितना प्रशासनिक खर्च हुआ है जो इस पद के रिक्त होने के समय से अपने कार्य के अतिरिक्त कार्य का भार सम्भालते चले आ रहे हैं ?

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कर्मचारी संघों की ओर से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कोचीन के सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क समाहर्ता कार्यालय, का चार्ज एक वर्ष से कुछ ऊपर तक एक निकटवर्ती समाहर्ता के पास अतिरिक्त रूप से था ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जायगी ।

(ग) तथा (घ) कोचीन में अब एक समाहर्ता की तैनाती की जा चुकी है ।

बिहार के जिला अस्पताल में प्रसूति-बिस्तर

10137. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मालूम है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने अभी हाल ही में व्यक्तव्य दिया है कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों में प्रसूति बिस्तरों की संख्या में वृद्धि की जायेगी :

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त योजना को क्रियांन्वित करने के लिये बिहार सरकार को कोई अनुदान देने का है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० चन्द्रशेखर) : (क) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Refund of Security Deposited by Members of Parliament with N.D.M.C.

10138. SHRI NIHAL SINGH : Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the letters addressed by Members of Parliament to the Secretary, New Delhi Municipal Committee for providing/disconnecting water and electricity connections or for the refund of the amount of security deposit for the meters are dumped in one branch instead of showing to the Secretary as a result of which action to be taken by other branches remain unattended;

(b) whether Government have looked into the fact that when a Member of Parliament shifts his flat or servant quarter and he applies to the Secretary to disconnect the meter and refund the security deposit, the rent bill for the meter installed in the flat or quarter is continued to be sent in the name of the said Member even after such requests; and

(c) if so, the number of such cases detected by Government; during the last 6 months and the steps Government propose to take to check such irregularities in future ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR) : (a) Enquiries made have revealed that all letters addressed by the Members of Parliament to the Secretary, New Delhi Municipal Committee for providing/disconnecting water and electricity connections or for the

refund of the amount of security deposits for the meters, unless these are demi-official references, are not submitted to the Secretary, New Delhi Municipal Committee as he is not concerned with the matter. These are immediately passed on for necessary action to the Commercial and Taxation Department which is the concerned Department and is under the control of the Commercial and Taxation Officer. Such communications do not thus remain unattended.

Moreover, as per decision taken on 13th February, 1970 in the meeting of the Chairman of the Joint Committee of both the Houses of Parliament, an officer has been specifically appointed to be directly responsible for the cases of refund of security deposits to the Members of Parliament. Rajya Sabha and Lok Sabha Secretariats have been since then addressing all correspondence to that officer.

(b) It is not a fact.

(c) As per instructions and rules contained in the application form for Reconnection/Disconnection of electricity/filtered water, the consumer is expected to give one week's notice in writing for disconnction of electric/water supplies. New Delhi Municipal Committee has stated that from 3rd November, 1969 to 4th May, 1970, 30 M.Ps. vacated their residences without intimation to the Committee.

भारत सरकार के फार्म स्टोर एंड प्रैस कलकत्ता के चथुर्थ श्रेणी के कर्मचारियो के कार्य

10139. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : .

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार फार्मस स्टोर ऐंड प्रैस कलकत्ता के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों (रिकार्ड सप्लायर्ज) को तृतीय श्रेणी (क्लर्कों) के कर्मचारियों के कार्य को करने को कहा जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त वर्ग के कुछ कर्मचारियों को अवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है हालांकि उनके पास उस पद की अपेक्षित योग्यतायें नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो शेष कर्मचारियों को पदोन्नत करने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) भारत सरकार फार्म स्टोर तथा मुद्रणालय, कलकत्ता में रिकार्ड सप्लायर के पद अब नहीं हैं, क्योंकि उन्हें सलैक्शन ग्रेड/साधारण ग्रेड दफ्तरी (चतुर्थ श्रेणी) में बदला जा चुका है । इन पदों के लगभग 50 प्रतिशत पदधारी लिपिकों जैसा कार्य कर रहे हैं। साधारणतया सलैक्शन ग्रेड दफ्तरीयों के कुछ पदों के स्थान पर निम्न श्रेणी लिपिकों के पद बनाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) अभी तक कोई पदोन्नतियां नहीं की गई हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड द्वारा प्राप्त ऋणों के लिये गारंटी

10140. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड द्वारा विदेश से तथा भारतीय संस्थाओं से लिये ऋणों के लिये सरकार ने कोई गारंटी दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि यह कंपनी अपनी पूंजी के अनुपात तथा रिजर्व बैंक द्वारा नियत नियमों से कहीं अधिक ऋण ले रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस कंपनी द्वारा 30 दिसम्बर 1969 तक जनता से कुल कितना ऋण लिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : भारत सरकार ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड को विदेशों से अथवा किसी भारतीय वित्तीय संस्था से ऋण लेने के बारे में कोई वित्तीय गारंटी नहीं दी है । हां, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने इस कम्पनी द्वारा नई दिल्ली में ओबराय-इंटरकंटीनेन्टल होटल की स्थापना करने के लिये अमेरिका के आयात- निर्यात बैंक से लिये गये 717,000 अमरीकी डालर के ऋण के संबंध में, कम्पनी द्वारा अपनी तत्समान अचल सम्पत्ति बन्धक रखने और अपने चल संयत्र के दृष्टि-बन्धक रखने पर गारंटी दी है ।

(ग) और (घ) 31 दिसम्बर, 1969 को ईस्ट इण्डिया होटल्स लिमिटेड के पास जनता से प्राप्त जमा और बकाया रकम 33.92 लाख रुपये थी (इसमें इस रकम पर उत्पन्न व्याज की रकम शामिल नहीं है) । यह रकम, भारतीय रिजर्व बैंक की 29 अक्टूबर 1966 की उस अधिसूचना द्वारा निर्धारित कम्पनी की कुल चुकता पूंजी और प्रारक्षित रकम की 25 प्रतिशत की सांविधिक सीमा के अन्दर ही है जो उसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45अ, 45ट और 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जारी की थी ।

सरकारी अधिकारियों का नवाब रामपुर के निवास स्थान पर जाना

10141. श्री जे० एस० पटेल :
श्री पी० गोपालन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 अगस्त, 1969 को वित्त मंत्रालय के अधिकारी रामपुर के नवाब अथवा बैगम से दिल्ली उनके में निवास स्थान पर मिले थे;

(ख) यदि हां, तो जमा करने के लिये उन्होंने कौन सी वस्तुऐं अथवा सामान दिये ;

(ग) इन जवाहरातों और अन्य वस्तुओं का अनुमानित मूल्य क्या है तथा उनका विवरण क्या है ; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग), 2,57,900 रुपये मूल्य के विभिन्न जवाहारात तथा कीमती परिधान, जिनकी कुल संख्या 66 थी स्टेट बैंक में जमा किये गये हैं ;

(घ) धनकर अधिनियम के अधीन इन वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण का प्रश्न, धनकर अधिकारी के विचाराधीन है ।

बेगम रामपुर की मुल्यवान वस्तुयें

10142. श्री गुणानन्द ठाकुर :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री जुल्फिकार अली खां :

क्या **वित** मंत्री बेगम रामपुर की मूल्यवान वस्तुओं के बारे में 30 मार्च, 1970 के अतरांकित प्रश्न संख्या 4370 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच उक्त जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो आभूषणों का विवरण तथा उनका अनुमानित मूल्य क्या है ;

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(घ) क्या पकड़े गये आभूषण अभी भी जौहरियों के पास हैं या सरकार ने उन्हें जब्त कर लिया ; और

(ङ) क्या इन वस्तुओं को बेगम रामपुर ने अपने सम्पत्ति कर विवरण में दिखाया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ) : अपेक्षित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है । वह इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

चीन और पाकिस्तान से छिपे माल का लाया जाना

10143. श्री बाबू राव पटेल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में चीन और पाकिस्तान से आसाम, त्रिपुरा, नेफा तथा अन्य सीमावर्ती जिलों में कुल कितने मूल्य का तथा क्या-क्या सामान चोरी छिपे लाया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त सामान का बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार नेपाल द्वारा या उसके माध्यम से किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : चोरी छिपे लाये गये माल के मूल्य का अनुमान लगाना संभव नहीं है, परन्तु पाकिस्तान से भारत के पूर्वी राज्यों अर्थात असम, त्रिपुरा, नेफा और पश्चिम बंगाल में वर्ष 1969 में तस्कर आयात की गई वस्तुयें जैसे फांउटेनपेन, मेकेनिकल लाइटर, ट्रांजिस्टर, कच्चा जूट, लौंग, दाल-चीनी, जवाहरात, घड़ियां और कपड़े पकड़े गये थे । इन वस्तुओं का मूल्य 17.4 लाख रुपये था । ये वस्तुयें पाकिस्तान, चीन अथवा अन्य देशों में बनी हुई थीं । और चीन में बना और नेपाल से चोरी-छिपे लाया गया जो माल पकड़ा गया है, उसके संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ग) : निषिद्ध वस्तुओं के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

सूचना एकत्र करने और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करने की सुव्यवस्था, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर व्यापार करने का संदेह है उन पर निगरानी रखना, जिन नौकाओं, वाहनों तथा वायुयानों पर संदेह हो उनकी तलाशी लेना, और समुद्र तट तथा स्थल सीमाओं के सुगमता से पार करने योग्य क्षेत्रों में गश्त की व्यवस्था । कुछ वस्तुओं के अवैध आयात और निर्यात को रोकने तथा उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के निमित्त विशेष उपाय के रूप में, सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 में संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थायें की गयी हैं । सीमा-शुल्क के अपर समाहर्ता के ओहदे के वरिष्ठ अधिकारियों को अनन्यरूप से तस्कर आयात-निर्यात विरोधी कार्य की निगरानी करने के लिये तैनात किया गया है । भारत-नेपाल सीमा, पर सहायक समाहर्ताओं के पर्यवेक्षी नियंत्रण में अनेक गश्ती दल नियुक्त गये हैं ।

तस्कर आयात-निर्यात विरोधी उपायों में सीमा-शुल्क अधिकारियों की सहायता के लिये भारत-नेपाल सीमा पर केन्द्रीय आरक्षित पुलिस की एक कंपनी को भी लगा दिया गया है । इन उपायों की सतत् समीक्षा की जाती है ।

तस्कर आयात-निर्यात विरोधी किये गये उपायों के परिणामतः असम, त्रिपुरा मणिपुर, नेफा में और भारत-नेपाल सीमा पर पकड़ी गयी तस्कर आयात-निर्यात की वस्तुओं के मूल्य में 1968 की तुलना में 1969 में भारी वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे बताया गया है :—

क्षेत्र	वर्ष	पकड़ी गयी वस्तुओं का मूल्य
		(लाख रुपयों में)
भारत-नेपाल सीमा	1968	24.71
	1969	47.95
असम, मणिपुर, त्रिपुरा	1968	6.20
	1969	10.00

फिल्मी सितारों से आयकर

10144. **श्री बाबू राव पटेल** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1969 को फिल्म क्षेत्र के निम्नलिखित व्यक्तियों की तरफ आयकर की कितनी राशि बकाया थी : सर्वश्री के० एम० मोदी, किशोर कुमार गांगुली, अशोक कुमार गांगुली, ए० आर० कारदार, महमूद, मुमताज अली, सिराज अली हकीम, दिलीप कुमार उर्फ यूसूफ खां, नासिर खां, सखर खां और कर वसूल करने के लिये प्रत्येक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि 30 जनवरी, 1970 को तोलाराम जालान, उनके भाई, रिश्तेदारों और फिल्मिस्तान (प्रा०) लि० पर कर की बकाया राशि चार करोड़ से भी अधिक है और यदि हां, तो प्रत्येक कर निर्धारिती पर सही-सही कितनी राशि बकाया है और प्रत्येक मामले में वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कानून में अग्रिम कर की वसूली करने संबंधी उपबन्ध होने के बावजूद भी इतनी अधिक मात्रा में कर बकाया होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। उसे इकट्ठा किया जा रहा है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to A matter of Urgent Public Importance.

वैदेशिक कार्य मंत्री का कथित वक्तव्य

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : श्री मान्, मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्वनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाती हूं और उनसे प्रार्थना करती हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :--

"मंत्री महोदय का इस आशय का कथित वक्तव्य कि भारत चीन के साथ व्यापार पुनः शुरू करने के लिए तैयार है।"

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : हांगकांग तथा जापान से वापस लौटने पर मैंने वहां के स्थानिक प्राधिकारियों के साथ हुई बातचीत के बारे में एक पत्रकार सम्मेलन में एक वक्तव्य दिया था। मैंने उस सम्मेलन में, हांगकांग के स्थानीय व्यापारियों के साथ सहयोग में राज्य व्यापार निगम द्वारा एक संयुक्त समवाय की स्थापना की सम्भावना का उल्लेख किया था, ताकि इस सम्पन्न बाजार को, जिसने गत वर्ष 200 करोड़ डालर से भी अधिक आयात किया था, हमारे वर्तमान नगण्य निर्यातों को बढ़ाया जा सके।

2. मुझसे पूछे गये प्रश्नों के दौरान, एक विशेष प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या यह संयुक्त समवाय हांगकांग के अतिरिक्त अन्य तीसरे देशों को भी निर्यात कर सकता

है? इसके उत्तर में मैंने बताया कि चूंकि हांगकांग आयात-निर्यात का एक महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्र है, अतः प्रस्तावित समवाय स्वभावतः अन्य तीसरे देशों को भी निर्यात विकसित करने के प्रयत्न करेगा। फिर मुझसे यह पूछा गया कि क्या यह सम्भव है कि भारत हांगकांग की मार्फत चीन को माल का निर्यात करे? मैंने बताया कि हांगकांग के मार्ग से चीन के साथ अप्रयत्क्ष रूप से अथवा गुप्त रूप से व्यापार करने का प्रश्न ही नहीं है। इसके बजाय तो हम प्रत्यक्ष रूप से तथा खुले रूप से व्यापार करना अच्छा समझते हैं। इस प्रकार मैंने जो बात कही थी वह एक सीमित तथा विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में थी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय मंत्री ने कहा कि हांगकांग के स्थानीय व्यापारियों के सहयोग से राज्य व्यापार निगम द्वारा एक संयुक्त समवाय की स्थापना करने की संभावना है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन उन्होंने अन्य तीसरे देशों के बारे में सुनिश्चित रूप से कुछ नहीं कहा है। यह बात छिपी नहीं कि हांगकांग चीन के साथ भारी मात्रा में व्यापार कर रहा है। मंत्री महोद्य ने कहा कि "हांगकांग के मार्ग से चीन के साथ अप्रत्यक्ष रूप से अथवा गुप्त रूप से व्यापार करने का प्रश्न ही नहीं है।" मैं जानना चाहती हूं कि यदि प्रस्तावित संयुक्त समवाय की स्थापना हो जाए तो क्या इसका अर्थ यह होगा कि कम्पनी पर चीन के साथ व्यापार करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाएगा? यह मेरा पहला प्रश्न है। माननीय मंत्री ने कहा कि सरकार चीन के साथ प्रत्यक्ष अथवा खुले रूप में व्यापार करना बेहतर समझती है। यदि यह ठीक है तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या चीन के साथ पुनः व्यापार चालू करने के लिए भारत ने पहल की है अथवा चीन ने ऐसा संकेत दिया है? यदि भारत ने इस मामले में कोई पहल की है तो क्या इसका अर्थ यह है कि भारत का शत्रु देश चीन के प्रति रवैया बदल गया है?

मंत्री महोदय ने कहा है कि संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने चीन के साथ खुला व्यापार करने की जो बात कही थी, वह सीमित तथा विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में थी। परन्तु ऐसा नहीं माना जा सकता। इस के पीछे कुछ न कुछ पृष्ठभूमि अवश्य है परन्तु हमें और जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है। क्या माननीय मंत्री इस बात से अवगत हैं कि उनके इस कथन से देश तथा विश्व में भ्रान्ति उत्पन्न हो सकती है।

मंत्री महोदय जापान की यात्रा करके लौटे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि उन्होंने वहां किस किस्म की बातचीत की? क्या उन्होंने ऐसी व्यापारिक संस्था से बात की जिस का चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध है? उन्होंने यह बात किस आधार पर कही कि हांगकांग की संयुक्त समवाय को तीसरे देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी? मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह व्यापारिक सम्बन्ध उनके सामान्य व्यापारिक सम्बंधों के रूप में होंगे जो बड़े-बड़े व्यापारियों ने, जिसमें चीन भी शामिल है, स्थापित किए हुए है?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री बलि राम भगत) : मैंने संवाददाताओं के समक्ष जो कुछ भी कहा, वह वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था न कि किसी भ्रान्ति को

फैलाने के लिए। मैंने कहा था कि हांगकांग एक छोटी सी जगह है परन्तु व्यापार के मामले में भारत और हांगकांग की स्थिति एक सी है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैंने चीन के बारे में प्रश्न पूछा है । आप कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

श्री बलिराम भगत : म चीन के साथ भारत के सम्बन्धों की चर्चा नहीं कर रहा। मैं तो केवल हांगकांग के साथ निर्यात व्यापार किए जाने की सम्भावना पर चर्चा कर रहा हूं। मुझसे प्रश्न पूछा गया था कि क्या हांगकांग अन्य तीसरे देश के साथ व्यापार करेगा ? मैंने उत्तर दिया था कि हांगकांग को ऐसा अवश्य करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि तीसरा देश चीन भी तो हो सकता है। मैंने इसका सुस्पष्ट उत्तर दिया था कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से या गुप्त रूप से चीन के साथ व्यापार नहीं करना चाहती । यदि चीन के साथ व्यापार किया भी गया तो यह प्रत्यक्ष व्यापार के रूप में होगा। अत: मैंने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। चीन में नियुक्त कार्यभारी राजदूत भी दो दिनों तक वहीं थे और उन्होंने इस मामले पर विभिन्न मंत्रालयों से चर्चा अवश्य की होगी और उसके बाद ही संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया होगा। मेरे विचार में वैदेशिक व्यापार सचिव ने संवाददाताओं को यह कहा था कि मंत्री महोदय ने चीन के साथ व्यापार करने की जो बात कही है वह समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं होनी चाहिए और यही कारण है कि समाचार-पत्रों में यह खबर नहीं छपी। मंत्री महोदय कृपया बताएं कि क्या उनके और चीन में नियुक्त भारतीय कार्यभारी राजदूत श्री मिश्र के बीच कोई बातचीत हुई थी।

श्री बलिराम भगत : सदस्य महोदय ने जो प्रश्न पूछा उसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। श्री मिश्र प्राय: भारत में दौरा करते हैं और विचार विमर्श करते हैं। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मंत्री महोदय ने न तो यह बताया है कि श्री मिश्र से उनकी क्या बात हुई और न ही उन्होंने जापान प्राधिकारियों से हुई बातचीत के बारे में कुछ बताया है। ये दोनों प्रश्न श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने पूछे थे परन्तु माननीय मंत्री ने इसका उत्तर नहीं दिया।

अब मैं समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में छपे समाचार के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। 'दि इण्डियन एक्सप्रैस' में मंत्री द्वारा कहे गए कथन को उद्धृत किया है। कथन इस प्रकार है :

"हम चीन के साथ प्रत्यक्ष व्यापार करना बेहतर समझते हैं। परन्तु, इस समय चीन ने अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई।"

इसका अर्थ यह हुआ कि मंत्री महोदय इस बात की आशा कर रहे हैं कि चीन इस सम्बन्ध में अपनी रुचि दिखाए । इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव भी रखा होगा जिसका

चीन ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि चीन से ऐसा प्रस्ताव कब किया गया और किसके जरिए किया गया और इसके क्या परिणाम निकले ?

'दि टाइम्स आफ इण्डिया' में समाचार छपा है कि संवाददाताओं के समक्ष बोलते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि हांगकांग के जरिए चीन के साथ गुप्त व्यापार करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि चीन सहमत हो तो भारत सीधे व्यापार करने के लिए तैयार है।

अत: मैं जानना चाहता हूं कि यदि भारत ने ऐसा प्रस्ताव किया है तो कब किया है और किसके जरिए किया है ? ऐसा प्रस्ताव क्यों किया गया जबकि हमें पता है कि चीन एक शत्रु देश है और उसने हमारे देश पर हमला किया था, हमारा अपमान किया था और अब भी भारतीय भूमि का काफी भाग चीन के कब्जे में है ? सरकार ने चीन के प्रति अपना रवैया क्यों बदला और चीन के साथ व्यापार करने का निर्णय क्यों किया ? आज तक देश को अंधेरे में रखा गया। मंत्री महोदय ने सिर्फ यह बताया है कि हांगकांग एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र है और यह इंग्लैण्ड की ओर से चीन के साथ व्यापार कर रहा है। अब हम हांग-कांग के साथ व्यापार करना चाहते हैं। सरकार ने कहा है कि वह हांगकांग में रहने वाले भारत मूलक लोगों के सहयोग से एक संयुक्त समवाय चालू करना चाहती है और इस समवाय के माध्यम से अन्य तीसरे देश के साथ व्यापार करना चाहती है। यह अन्य तीसरा देश चीन के सिवाय और कौन हो सकता है ? अत: यदि भारत चीन के साथ खुला व्यापार करना चाहता है और उसने चीन के प्रति अपने रवैये, अपनी नीति को बदल लिया है तो उसे इस सम्बन्ध में जनता का विचार जान लेना चाहिए ताकि उसके अनुसार ही आगे कार्यवाही की जाए। मंत्री महोदय व्यर्थ का वक्तव्य क्यों दे रहे हैं और इस प्रकार असत्य भाषण क्यों कर रहे हैं ? सच्ची बात को क्यों छुपा रहे हैं ? यदि वह वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ हैं तो उन्हें यह मामला श्रीमती प्रधान मंत्री को सौंप देना चाहिए।

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) प्रश्न पूछा गया है कि क्या चीन के साथ व्यापार करने का कोई और जरिया है ? इसका उत्तर मैं केवल यही दे सकता हूं कि और कोई जरिया नहीं है। भारत-चीन सम्बन्धी हमारी नीति के सम्बन्ध में माननीय प्रधान मंत्री ने अनेक बार सब कुछ सदन में स्पष्ट कर दिया है। अत: इस सम्बन्ध में नीति को परिवर्तन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

पूछा गया है कि व्यापार के सम्बन्ध में किससे बातचीत की गई है ? इस सम्बन्ध में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि मैं तो केवल वैदेशिक व्यापार मंत्री हूं न कि व्यापारी।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : उन्होंने पहले चीन-भारत के बीच हुई बातचीत के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री ब० रा० भगत : हमें चीन से व्यापार करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ और न हमने कोई प्रस्ताव किया है।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य तथा समाचार पत्रों में स्पष्ट कहा गया है कि नीति में परिवर्तन किया गया है और सरकार खुले एवं प्रत्यक्ष रूप में व्यापार करना अपेक्षाकृत अधिक अच्छा समझती है। वे ऐसी बातचीत करके न केवल चीन के प्रति अपना समपर्ण कर रहे हैं बल्कि इस बात की मौन स्वीकृति दे रहे हैं कि चीन ने जो सैंकड़ों वर्ग मील भारतीय भूमि पर कब्जा किया है वह भूमि भंग की है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि देश ने और सदन ने जो प्रण लिया था उसको भंग क्यों किया गया है? क्या हम भूल गए हैं कि हमने स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में चीन द्वारा हथियाई गई भूमि को वापिस लेने के लिए प्रण किया था। आज उसी प्रण की वाणी कांप रही है। माननीय मंत्री यह काया-पलट क्यों कर रहे हैं? क्या उनको आशा है कि वे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेंगे? क्या वे चीन के साथ व्यापार के बन्द होने के तुरन्त बाद के आंकड़े देंगे? क्या माननीय मंत्री यह जानते हैं कि चीन ने विदेशी व्यापार के लिए एक विशिष्ट मुद्रा चालू की है यदि हम ने चीन के साथ व्यापार करना है तो इस मुद्रा का अर्जन करना आवश्यक है और उस मुद्रा का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कोई दर न होने के कारण चीनी सरकार स्वयं ही मनचाही विनिमय दर निर्धारित कर सकती है।

श्री ब० रा० भगत : नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। यदि कोई परिवर्तन किया गया होता तो मैं सदन को इसकी सूचना अवश्य देता। जहां तक सदन एवं देश द्वारा प्रण लिए जाने की बात है, मैंने भी प्रण लिया था और आज भी मैं उस प्रण में निष्ठा रखता हूं। जहां तक चीन के साथ व्यापार किए जाने का प्रश्न है, यह केवल राजनीतिक सम्बन्ध सुधरने पर ही हो सकता है। माननीय सदस्य ने कहा कि हम खुले एवं प्रत्यक्ष व्यापार में विश्वास रखते हैं। यह ठीक है और हमारी यह नीति केवल चीन के सम्बन्ध में नहीं, समस्त विश्व के सम्बन्ध में है। हम अप्रत्यक्ष व्यापार के पक्ष में नहीं हैं। अत: हम कोई नई नीति अपनाने पर जोर नहीं डाल रहे हैं। 1959 या 1960 में चीन के साथ हमारा व्यापार संतोषजनक नहीं था। उदाहरण के तौर पर 1960 में चीन से 3 करोड़ रुपये के माल का आयात किया था और भारत ने चीन को लगभग 5 करोड़ रुपये का निर्यात किया था। लेकिन उसके बाद चीन विश्व बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। यह सही है कि चीन अपनी मुद्रा की दरें नियत कर रहा है और सारा व्यापार नकद मूल्य के आधार पर करता ह।

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद') : माननीय मंत्री ने संवाददाताओ को बताया था कि हांगकांग एक महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्र है और प्रस्तावित समवाय संम्भवत: अन्य तीसरे देशों के साथ निर्यात व्यापार को विकसित करेगा। मैं जानना वाहता हूं कि वे अन्य तीसरे देश कौन से हैं।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि हांगकांग द्वारा चीन के साथ व्यापार करने के कार्य को रोकने के लिए माननीय मंत्री कौन से उपाय करने का विचार कर रहे हैं और वह प्रस्तावित समवाय के साथ किए जाने वाले अनुबन्ध में कौन से विशेष उपबन्ध रखने का

विचार कर रहे हैं ? तीसरे, यह बात छुपी नहीं है कि चीन अप्रत्यक्ष रूप से भारत के साथ तस्कर-व्यापार कर रहा है। दिल्ली के बाजार में आज चीन के पैन, ट्रांजिस्टर बिक रहे हैं और अब तो "माओ के विचारों की लाल किताब" भी सभी भाषाओं में बाजार में मिल रही है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार तस्करी को रोकने के लिए क्या उपाय करेगी जिससे हमारी मुद्रा की रक्षा हो सके जो इस समय चीन जा रही है ?

श्री ब० रा० भगत : यह संयुक्त कम्पनी जिसे राज्य व्यापार निगम, हांगकांग के एक. व्यापारी के सहयोग से शुरू करेगा, अभी स्थापित होनी है। इस कम्पनी का क्या रूप होगा यह पता नहीं क्योंकि अभी तो यह केवल विचार मात्र है जो कि बातचीत के दौरान उत्पन्न हुआ था। यदि कम्पनी बनाई जाती है तो माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर अनिवार्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। लेकिन यह बात मैं फिर कहूंगा कि हमारी नीति अप्रत्यक्ष व्यापार करने के पक्ष में नहीं है।

पूछा गया है कि सरकार चोरी-छिपे होने वाले तस्कर-व्यापार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करेगी ? मैंने पहले ही कहा है कि हम नेपाल के जरिए चीन से भारत में आने वाली वस्तुओं के व्यापार के विरुद्ध हैं। जो देश सीमा के जरिये हमें आर्थिक हानि पहुंचाने का प्रत्यन करता है, उसके विरुद्ध हम क्या उपाय कर रहे हैं इस के बारे में मैं कई बार सदन में बता चुका हूं।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur): Mr. Speaker, Sir, the replies given by the hon. Minister have created much misunderstanding. The hon. Minister, after he came from Hong Kong and Japan, told in the Press Conference that Government is prepared to do open trade with China. The Secretary of the Minister, Mr. K. B. Lal, was also present and he told the Press reporters that it should not go in the Press. (*Interruption*) Therefore this news did not appear in all the papers.

The Hon. Minister told that Hong Kong is proposing to set up joint company. I hoped that this company is being set up for the benefit of Indian traders. But just now hon. Minister has stated that Chinese traders residing in Hong Kong will also be there. So this will encourage clandestine trade. I would like to know how the hon. Minister is going to prevent this kind of trade ?

I want to put up one more question. For the last several months different spokesmen have been giving indication that they are going to change their policy with regard to China. The hon. Minister told that Government is prepared to do direct trade with China. He did not tell that unless China releases our occupied land. changes her anti-Indian attitude. stops her aid to Naxalities. Government is not prepared tc conduct direct trade. On the one hand Government is not able to prevent clandestine trade and on the other side it talks of doing direct trade ? So, I want that the hon. Minister should assure the House that trade relations will not be made unless China releases the land occupied by her.

SHRI B. R. BHAGAT : So far as our policy with regard to China is concerned hon. Prime Minister has already clarified it. She told that we are prepared to negotiate with China keeping in view our national honour and national dignity. So our policy is very much clear.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister is not giving assurance that unless China releases our land we shall not make trade relations with China.

SHRI B. R. BHAGAT: We are committed to the declaration we have made in the Parliament. What further assurance I can give to the hon. Member. The hon. Member told that Shri K. B. Lal, had asked the press reporters not to publish statement made by me. I would like to inform the hon. Member that Shri K. B. Lal was not at all present in the Press Conference and secondly it is incorrect to say that Press reporters were instructed not to publish my remarks about trade with China.

Hon. Member has asked that since the said company will develop trade with China in a clandestine manner, what steps are going to be taken in this matter? I would like to say that we will take into consideration all these things when the company comes into existence.

It has been told that the joint company should have trade relation with Indian traders. But I would like to say that more than 80 per cent people of Indian origin are not Indian citizens, they are citizens of Hong Kong, and the Indian people are small traders. Until local traders do make trade with trade council, there is no possibility of increase in trade. All these points will be taken into consideration and then any decision could be taken. So far as the problem of prevention of smuggling business is concerned, we do not want to establish such trade relations which go against our national interest.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

चौथी पंचवर्षीय योजना

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): मैं चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०-3549/70]।

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वार्षिक लेखे।

पैट्रोलियम, तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): मैं श्री के० के० शाह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंड़ीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 18 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंड़ीगढ़ के वर्ष 1968-69 के लिए प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०-3550/70]।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन।

(2) 29 सितम्बर से 5 अक्तूबर, 1969 तक काठमाण्डू में हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व ऐशिया की क्षेत्रीय समति के 22वें अधिवेशन में भाग लेने

वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के प्रतिवेदन की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल० टी० 3551/70]।

लुब्रीज़ोल इंडिया लिमिटेड, बम्बई का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

श्री दा० रा० चव्हाण : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :--

(एक) लूब्रीज़ोल इंडिया लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लूब्रीज़ोल इंडिया लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल० टी० 3552/70]।

सिंगरेणी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :--

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) सिंगरेणी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिंगरेणी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे। [ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल० टी० 3553/70]।

ऐल्यूमिनियम (नियंत्रण) आदेश 1970

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत ऐल्यूमिनियम (नियन्त्रण) आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 20 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1103 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल० टी० 3554/70]।

कृषि पुनर्वित निगम अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा-शुल्क अधिनियम की अधिसूचना

वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : मैं श्री प्र० चं० सेठी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :--

(1) कृषि पुनर्वित निगम अधिनियम, 1963 की धारा 46 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित निगम (बांडों का निर्गमन और प्रबन्ध) विनियम,

1969 की एक प्रति जो दिनांक 25 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल० टी० 3555/70] ।

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 2 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 689 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल० टी० 3556/70] ।

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1542 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 2 मई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।[ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल० टी० 3557/70] ।

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी संशोधन नियम तथा अधिसूचनायें

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 19वां संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 18 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 640 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 18वां संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 18 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 641 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य), 17वां संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 18 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 642 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) जी० एस० आर० 643 जो दिनांक 18 अप्रैल, 1970 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 17 जनवरी, 1970 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 101 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है । [ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल० टी० 3558/70] ।

(पांच) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 20वां संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 25 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 660 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल० टी० 3562/70]।

(छः) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात-शुल्क वापसी (सामान्य) 21वां संशोधन नियम, 1970, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 25 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 661 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल० टी० 3563/70]।

त्रिपुरा खाद्यान्न वहन नियंत्रण संशोधन तथा चीनी संशोधन आदेश।

मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :--

त्रिपुरा खाद्यान्न नियंत्रण (संख्या 2) संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 25 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 427 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल० टी० 3564/70]।

चीनी (मूल्य निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 23 अप्रैल, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 644 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 3565/70]।

विधेयक पर अनुमति

ASSENT TO BILL

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किए गए तथा अनुमति प्राप्त वित्त विधेयक, 1970 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

मद्रास में रेलवे फायरमैनों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REG: STRIKE BY RAILWAY FIREMEN AT MADRAS

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री वक्तव्य सभा पटल पर रख दें।

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : मैं वक्तव्य को सभा-पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

दक्षिण रेलवे में दि आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन और दि सदर्न फायरमैन्स कौंसिल नामक दो वर्गीय यूनियनें हैं, जिनके सदस्य लोको ड्राइवर, शंटर, फायरमैन

आदि कुछ कोटियों के रेल कर्मचारी हैं। छोटी-छोटी और अनेक यूनियनों का गठन रोकने की रेलवे की स्वीकृति नीति के अनुरूप, रेल प्रशासन ने, इन एसोसिऐशनों को मान्यता नहीं दी है। दक्षिण रेलवे में दो मान्यता-प्राप्त यूनियनें हैं जो लोको रनिंग कर्मचारियों सहित दक्षिण रेलवे की सभी कोटियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

दक्षिण रेलवे की उपर्युक्त गैर मान्यता-प्राप्त वर्गीय यूनियनों ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में पहले भी दो बार (जनवरी और जुलाई, 1968 में) यातायात में रुकावट डाली थी, यद्यपि उनकी अधिकांश मांगों पर, मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ पहले से बातचीत चल रही थी।

वर्तमान आन्दोलन अनशन सत्याग्रह से शुरू हुआ जो 4 मई, 1970 से 7 मई, 1970 तक जारी रहा। 10 मई, 1970 को, अनेक कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से यह कहते हुए कि वे बीमार हैं सम्बन्धित लोको फोरमैन के पास अपनी बीमारी की रिपोर्ट भेज दी और इस तरह उन्होंने अपनी सामान्य ड्यूटी नहीं की। यह आन्दोलन बेसिन ब्रिज, अरकोणाम, तोंडियारपेट्टै और मद्रास क्षेत्र में शुरू हुआ और धीरे-धीरे मद्रास के बड़ी लाइन वाले भाग में और गुंतकल्लु और ओलवक्कोड मंडलों में फैल गया। बाद में, थोड़े बहुत अंशों में दक्षिण रेलवे के सभी मंडल इससे प्रभावित हो गये। लगभग 7,000 कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या में से हड़ताली कर्मचारियों की संख्या 10 मई, 1970 को 1057 और 14 मई, 1970 को 3161 रही। इसके कारण यातायात में काफी रुकावट पड़ी और यद्यपि वफादार रनिंग कर्मचारियों की मदद से रेल प्रशासन मुख्य लाइन की अधिकतर डाक और एक्सप्रैस गाड़ियां चलाता रहा, तथापि अधिकतर सवारी और माल गाड़ियों के चालन में भारी कटौती करनी पड़ी।

11 मई, 1970 को, दो दिन के विचार-विमर्श के बाद, दक्षिण रेल प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन सभी कर्मचारियों से जिन्होंने काम बन्द कर दिया था, कहा गया कि वे 12-5-70 को 12-00 बजे तक ड्यटी पर आ जायें अन्यथा यह समझा जायेगा कि उन्होंने अवैध हड़ताल कर रखी है।

लेकिन कर्मचारी बड़ी संख्या में ड्यूटी से गैर-हाजिर रहे। मैंने मान्यता-प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों, अर्थात् श्री टी०वी० आनन्दन, संसद् सदस्य और एन० एफ० आई० आर० के प्रतिनिधि के रूप में इसके महासचिव श्री के० एच० कुलकर्णी और ए० आई० आर० एफ० के महा सचिव श्री प्रिय गुप्त की एक बैठक बुलायी थी। इस बैठक में दोनों मान्यता-प्राप्त फेडरेशनों ने बताया कि इन कर्मचारियों ने जो मांगें रखी हैं वे उन्हें पहले ही पेश कर चुके हैं और उन पर बातचीत चल रही है। ये प्रतिनिधि रेल मंत्रालय की इस नीति से भी सहमत थे कि वर्गीय और कोटि के आधार पर गठित यूनियनों को मान्यता न दी जाये। संसद सदस्य श्री जे० एम० विश्वास और कुछ अन्य लोगों ने उप रेल मंत्री से भेंट की और कहा कि यदि उन्हें यह आश्वासन दिया जाये कि मत्रियों द्वारा दिए गये पिछले आश्वासनों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जायेगा तो वे कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लाने की कोशिश करेंगे। उप रेल मंत्री ने उन्हें इस आशय का एक लिखित आश्वासन दे दिया।

बाद में मैंने तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से सम्पर्क किया और यातायात में रुकावट के कारण जो कठिनाई और नुकसान हो रहा था उसकी ओर उनका ध्यान दिलाया। मैंने उनसे प्रार्थना की कि सामान्य स्थिति फिर से लाने के लिए हम जो प्रयास कर रह हैं, उसमें हमारी सहायता करें। इस पर मुख्य मंत्री महोदय ने कर्मचारियों के नाम एक अपील जारी करते हुए उनसे काम शुरू करने देने के लिए कहा और यह आश्वासन दिया कि वे अपनी तरफ से विवाद को निपटाने की कोशिश करेंगे। इस अपील के फलस्वरूप हड़ताली कर्मचारियों के नेता मुख्य मंत्री से मिले और 15 मई, 1970 को दोपहर बाद से उन्होंने अपना आन्दोलन बन्द करने का फैसला किया।

आज दोपहर बाद मैं इन में से कुछ कर्मचारियों से मुलाकात करूंगा ताकि मैं उनका दृष्टिकोण और उनकी मांगों को ठीक-ठीक समझ सकूं।

इन कर्मचारियों की मांगें समय-समय पर बदलती रही हैं। लेकिन 9 मांगों की सूची इनके द्वारा तमिल भाषा में प्रकाशित चौपन्ने में दी गई हैं और वह सूची इनके पिछले प्रस्तावों में भी है। मालूम होता है कि इन की मुख्य मांग जुलाई, 1968 के आन्दोलन के सम्बन्ध में पिछला आश्वासन पूरा न किया जाने के बारे में है। मुझे बताया गया है कि पहले दिये गये सभी आश्वासन पूरे कर दिये गये हैं। लेकिन जब सर्वश्री के० आनन्द नाम्बियार, जे० एम० विश्वास और टी वी० आनन्दन मुझसे मिले तो मैंने उन्हें बताया कि स्थिति पर फिर से विचार किया जायेगा और यदि कोई आश्वासन पूरा होने से रह गया हो, तो उसे पूरा किया जायेगा।

मुझे यह सूचित करते हुए खेद है कि अकेले इसी खण्ड पर भारतीय रेलों को लगभग एक करोड़ की हानि हुई है।

मद्रास पत्तन के गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING : STRIKE BY DOCK WORKERS AT MADRAS PORT

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री वक्तव्य सभा-पटल पर रख दें।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : मैं वक्तव्य को सभा-पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

मुझे सदन को यह सूचना देते हुए प्रसन्नता होती है कि गोदी श्रमिक बोर्ड, मद्रास तथा भारतीय खाद्य निगम के श्रमिकों द्वारा मद्रास बंदरगाह में जो हड़ताल 30 अप्रैल, 1970 से प्रारम्भ हुई थी वह शनिवार, दिनांक 16 मई, 1970 से समाप्त हो गई है।

संविधान (24वाँ संशोधन) विधेयक, 1970

CONSTITUTION (TWENTY-FOURTH AMENDMENT) BILL

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ 'कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

SHRI YASHPAL SINGH (Dehra Dun): I would like to know whether this Bill can be introduced or not ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविंद मेनन) : यह विधेयक को पुर:स्थापित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव है । परिपाटी के अनुसार ऐसा प्रस्ताव बिना चर्चा के ही स्वीकृत किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रथा है । लेकिन यदि कोई विधायिनी क्षमता पर आपत्ति करता है तो मुझे उसकी अनुमति देनी पड़ेगी ।

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Madhubani): As you know that if any hon. Member wants to oppose the Bill at the stage of introduction, he will have to give a written notice. So, I would like to know whether the hon. Member has given a written notice ?

MR. SPEAKER: I assure you that I have received a written notice from the hon. Member.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम संख्या 72 के अधीन विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं । नियम संख्या 72 के परन्तुक में कहा गया है कि जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी शक्ति से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा । ये करार संशोधान के आधार-स्तम्भ हैं अत: सदन में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती । दूसरे, यह सदन के संवैधानिक इतिहास में अपनी प्रकार का पहला विधेयक है जिसे न्यायिक व्याख्या के लिए न्यायालय को नहीं भेजा जा सकता । हांलांकि विधेयक में अनुच्छेद 291, 362, 366(22) को हटाया गया है फिर भी इनमें संविधान का अनुच्छेद 363 और अनुच्छेद 131 का परन्तुक नहीं हटाया गया है । ऐसा जानबूझ कर किया गया है क्योंकि अनुच्छेद 363 में कहा गया है कि करार सन्धियों आदि के बारे में विवाद के सम्बन्ध में न्याय करना न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है । इसी प्रकार अनुच्छेद 131 के परन्तुक में भी ऐसी रोक लगाई गई है । ऐसा इसलिए किया गया कि देश के नागरिक न्याय पाने के लिए न्यायालयों में न जा सकें ।

विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन किया गया है कि भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्यों

द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा । यदि इस प्रकार के आदेश जारी करके अल्पसंख्यकों के अधिकार छीन लिए जायेंगे तो यह दिन देश और संसदीय लोकतंत्र के लिए एक दुःख भरा दिन होगा । भारत एक प्रजातंत्रात्मक देश है, निरंकुश देश नहीं । क्या नागरिकों को इस प्रकार न्याय पाने के अधिकार से बंचित किया जा सकता है ? 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली बात इस देश में नहीं चल सकती ।

हमें पता लगा है कि सम्बन्धित पक्षों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि इस मामले को संविधान के अनुच्छेद 143(2) के अन्तर्गत राय जानने हेतु उच्चतम न्यायालय को भेजा जाये । अनुच्छेद 143(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति 131 के परन्तुक में किसी बात के होते हुए भी उक्त परन्तुक में वर्णित प्रकार के विवाद को उच्चतम न्यायालय को राय देने के लिए सौंप सकेगा तथा उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात् राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा । 70 से अधिक माननीय सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय को राय के लिए भेज दिया जाये । लेकिन अभी तक राष्ट्रपति ने ज्ञापन के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं दिया है । चूंकि अभी तक विधेयक प्रस्तुत करने से पहले उच्चतम न्यायालय को राय प्राप्त नहीं की गई है और चूंकि सभा के निर्णय का स्पष्ट बहुमत द्वारा फैसला नहीं हो सका है, अतः इस विषय पर यह अन्तिम निर्णय नहीं हो सकता उच्चतम न्यायालय के अनुसार विधेयक का पुरःस्थापन न्यायिक रूप से असंगत है ।

प्रस्तुत विधेयक में अनुच्छेद 291 के अधीन सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार का भी उल्लंघन किया गया है । निजी थैली ऐसी सम्पत्ति है जिसका भुगतान भारत की संचित निधि से होता है । निजी थैलियां देने का दायित्व तथा उन्हें प्राप्त करने के अधिकार की गारन्टी करार तथा शर्तों में भी दी गई है । अनुच्छेद 31(2) में कहा गया है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए तथा विधि प्राधिकार के अतिरिक्त किसी भी सम्पत्ति का अर्जन नहीं किया जाएगा और जिसमें मुआवजे की व्यवस्था की गई है । राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के पृष्ठ 13 में कहा था कि हम विशेष अन्तर्वर्ती व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि भूतपूर्व नरेश बदली हुई परिस्थितियों में अपने को ढाल सकें ।

गृह-कार्य मंत्री ने भी भूतपूर्व नरेशों को लिखे पत्रों में कहा है कि सरकार उनका सहयोग और सद्भावना चाहती है । गृह-कार्य मंत्री ने वैकल्पिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है जिसे वे 'अन्तर्वर्ती व्यवस्था' भी कहते हैं परन्तु विधेयक में ऐसी कोई उपबन्ध नहीं दिया गया । माननीय मंत्री की इच्छा है कि ..... (**व्यवधान**)

MR. SPEAKER: If interruptions are repeated like this I would have no alternative except to adjourn the House.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past Fourteen of the Clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर 32 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at thirty-two minutes past Fourteen of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair.*]

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : गृह-कार्य मंत्री ने भूतपूर्व नरेशों को लिखे पत्र में उन्हें अन्तर्वर्ती व्यवस्था देने के लिए कहा था। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जब कभी भी भूतपूर्व नरेश सत्तारूढ़ दल द्वारा अपनाए गए मार्ग से हटना चाहेंगे उन्हें इस सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा। अतः अब सरकार द्वारा अपनाई गई दुर्भावनापूर्ण नीति की पोल खुल गई है।

इस विधेयक में कोई सार्वजनिक हित निहित नहीं है और न ही इसमें विधि अनुसार मुआवजा देने की कोई बात ही की गई है। यही नहीं इस विधेयक से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) तथा अनुच्छेद 31(1) का भी उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 13 (2) में कहा गया है कि 'राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा दिये गए अधिकारों को छीनती या कम करती हो' मेरे मत में प्रस्तुत विधेयक को अनुच्छेद 110(1)(ख) के अधीन वित्त विधेयक माना जाना चाहिए। अतः इस विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन तथा राष्ट्रपति की सिफारिशें भी संलग्न होनी चाहिए। जब तक वित्तीय ज्ञापन नहीं होगा तो मुआवजे की मात्रा या किस सिद्धांत के आधार पर मुआवजा दिया जाना है यह निश्चित कैसे किया जा सकता है और विधेयक पर विचार कैसे किया जा सकता है ? अतः विधेयक को पुरःस्थापित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अधीन होना चाहिए। जब भी कभी विधायिनी क्षमता को चुनौती दी जाती है तो उसके लिए पूरी चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए और केवल बहुमत के आधार पर इस विधेयक को पारित किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति न दें और सरकार से कहें कि वह अनुच्छेद 143(2) के अधीन विधेयक को पुरःस्थापित करने से पहले उच्चतम न्यायालय की राय ले लें।

SHRI YASH PAL SINGH (Dehradun): The discussion is already going on the Bill introduced by Shri George Fernandes. Until the discussion on that Bill is completed, you should not allow or introducing another Bill.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । विधेयक के पुर:स्थापन के सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अध्यक्ष महोदय इस आधार पर कि विधायिनी क्षमता को चुनौती दी गई है, सामान्य चर्चा की अनुमति दे रहें हैं अथवा विधेयक के गुण-दोषों पर बोलने के लिए माननीय सदस्यों को निमन्त्रित कर रहें हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि केवल विधायिनी क्षमता के सम्बन्ध में ही माननीय सदस्य अपनी राय प्रकट कर सकते हैं।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi—Sadar): You should not prevent any member of any party from expressing his own views. At least one hon. Member of each party should get a chance to speak.

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य कुछ बोलना चाहते हैं तो वे एक या दो मिन्ट में अपने विचार रख सकते हैं।

SHRI YASH PAL SINGH: Before this Bill is introduced I would request the hon. Prime Minister to have a public opinion or election should be held on the point of privy purses and then she has a right to introduce the Bill. Public should not be betrayed and we should do according to our Constitution. It is not the question of merely an amount of Rs. 4 lakhs 72 thousand that is to be given to the former rulers but the question is that these faithful rulers who fought for India are being swept away. It is against the spirit of Nationalism. So I would request Mr. Speaker for not allowing the introduction of the Bill.

श्री बलराज मधोक (दक्षिणी दिल्ली) निजी थैलियों का मामला न तो आर्थिक है और न ही पूर्ण रूप से राजनीतिक मामला है यह तो एक चाल मात्र है और इसका प्रयोग केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान महत्वपूर्ण मामलों से हटाकर दूसरी ओर लगाया जाए। (**व्यवधान**)

सरकार और भूतपूर्व नरेशों के बीच जो करार हुआ था, आज उसका उल्लंघन किया जा रहा है। यह बात नैतिक रूप से असंगत तो है ही राष्ट्र-हित के भी विरुद्ध है। जब सरदार पटेल गृह कार्य-मंत्री और राज्य मंत्री थे उस समय भूतपूर्व नरेशों के साथ जो करार हुआ उसमें उनको अपनी संवैधानिक सभाएं बनाने और अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था। 1949 में सरदार पटेल ने भूतपूर्व नरेशों की सहमति एवं परामर्श के आधार पर यह घोषणा की कि हम अलग संविधान बनाने के अधिकारों को छोड़ते हैं। तभी यह संविधान अपनाया गया। अत: भूतपूर्व नरेश और रियासतें हमारे देश के अविभाज्य अंग हैं। सदन में पेश किया जा रहा यह प्रस्तुत विधेयक संविधान का उल्लंघन करता है।

संविधान के अनुच्छेद संख्या 291 के अन्तर्गत भूतपूर्व नरेशों को दी जाने वाली निजी थैलियों की अदायगी भारतीय संचित कोष से उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है। अब सरकार कानून को अपने हाथों लेकर उस अदायगी को समाप्त करना चाहती है। इसीलिए विधेयक को पारित किए जाने सम्बन्धी सदन की विधायिनी क्षमता पर संदेह प्रकट किया गया है। इसी कारण यह सुझाव दिया गया था कि यह मामला उच्चतम न्यायालय को उसकी राय जानने के लिए सौंप दिया जाए ताकि बाद में उलझनें पैदा न हों पर खेद पूर्वक मुझे कहना पड़ता है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय के सुपुर्द नहीं किया गया। साथ ही इन भूतपूर्व नरेशों को न्याय प्राप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार से वंचित किया गया है। यह सरासर गलत है, अन्याय है। अतः मेरे विचार में उच्चतम न्यायालय की राय जानने के बाद ही विधेयक को सदन में पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इस विधेयक का उद्देश्य भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां समाप्त कर के उन्हें प्रतिकर देने की व्यवस्था करना है। इस प्रकार यह एक वित्तीय विधेयक है। परन्तु इसके साथ कोई वित्तीय ज्ञापन नहीं जोड़ा गया है। अतः ह एक आपत्तिजनक बात है। इसे पुरःस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Madhubani): The Hon. Minister should state why a delay has been made in introduction of Bill: Government is deleting article 366, Clause (22), 362, 363. I would suggest that article No. 363(2)(B) which reads as under:—

"Ruler includes the Prince, Chief or other person recognised before such commencement by His Majesty or the Government of the Dominion of India as the Rulers of any Indian State," should also be deleted.

I would also suggest that the Bill be introduced regarding the privileges enjoyed by former rulers. I would like to know when this Bill will be introduced?

SHRI MADHU LIMAYE (Monghyr): In the last winter session resolution was passed in Rajya Sabha which reads as under:

"The House is of opinion that Government should take all legal and other steps for the abolition of privy purse and privileges of ex-rulers before the presentation of the general budget in the forthcoming February session of the Parliament."

But the resolution has not been implemented. So these delaying tactics needed to be condemned.

The Constitutional objections raised in the House are baseless. A reference has been made of the Gorakh Nath case but the majority judgement has said that Parliament has no right to abridge the fundamental rights but it can amend other articles of the Constitution.

Therefore objections raised by the hon. Member are quite baseless. It has been mentioned that right of privy purse is a right of property. But I do not agree with this.

It has been said that the Bill introduced by Shri George Fernandes earlier and Bill introduced now are one and the same and therefore there is no need of introducing new Bill. But in my opinion both are separate Bills and there should be no objection on its introduction.

विधि तथा समाज-कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : 20 फरवरी, 1970 को राष्ट्रपति ने संसद की दोनों सभाओं के समक्ष दिए गए अभिभाषण में कहा था कि निजी थैलियों और भूतपूर्व नरेशों को दिए जाने वाले विशेषाधिकार सामाजिक परम्परा के विरुद्ध हैं। इसी लिए सरकार ने इनको समाप्त करने का निर्णय किया है और इस सम्बन्ध में विधेयक पुर:स्थापित किया जाएगा। इसी आदेश की पालना गृह-कार्य मंत्री ने विधेयक को पुर:स्थापित करके की है। यह विधेयक अनुच्छेद संख्या 117 के अन्तर्गत आता है न कि अनुच्छेद संख्या 110 के, क्योंकि इसमें केवल वित्तीय उपबन्ध मात्र नहीं है। अत: इसे राज्य सभा में पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता और इसी लिए लोक सभा में इसे पुर:स्थापित किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य निजी थैलियों की अदायगी को समाप्त करना है। यह कहना कि सदन को अनुच्छेद संख्या 291, 362, 366 (22) को निकालने का अधिकार नहीं है सदन की प्रभुसत्ता की निन्दा करना है। सदन को संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार है और इसीलिए संविधान का पहला, चौथा और सत्रहवां संशोधन पारित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार है। परन्तु बाद में गोलकनाथ मामले के बारे में बहुमत निर्णय में यह कहा गया कि संसद को इस मूल अधिकारों को छीन लेने अथवा कम करने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन सदन को संविधान के सभी अन्य अनुच्छेदों में संशोधन करने का पूरा अधिकार है।

सदन के माननीय सदस्य को यह विशेषाधिकार होना चाहिए कि वह सदन के विशेषाधिकारों और अधिकारों की रक्षा करें।

निजी थेलियों और चन्द भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों का समर्थन करना उसके लिए उचित नहीं। यह कहना बिल्कुल निस्सार है कि इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की इस पर चर्चा करने की और विधेयक को पारित करने की वैधानिक क्षमता सदन के पास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।'

जो माननीय सदस्य इस विधेयक के पक्ष में है वे कृपया 'हां' कहें।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य इस विधेयक के विपक्ष में है, वे कृपया 'नहीं' कहें।

कई माननीय सदस्य : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : समर्थन पक्ष विजयी है। अनुमति दी जाती है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

रेलवे अभिसमय समिति के संबंध में संकल्प
RESOLUTION RE : RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा संकल्प करती है कि लोक सभा द्वारा 28 नवम्बर, 1968 को स्वीकृत संकल्प के अनुसरण में रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में इस समय देय लाभांश की दर तथा सामान्य वित्त के सम्बन्ध में रेलवे वित्त विधेयक अन्य संगत मामलों की समीक्षा करने और उनके बारे में सिफारिशें करने के लिय नियुक्त संसदीय समिति के सदस्यों में अध्यक्ष महोदय द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले इस सभा के चार और सदस्य सम्मिलित किये जायें।"

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur) : Mr. Speaker, Sir, the Railway Minister has sought to increase the membership of the Railway Convention Committee. This Committee is not a newly set up one. It has been functioning since a very long time. I fail to understand why the membership is increased. The Railway Minister has not mentioned any reason for that. Mr. Speaker, Sir, you are appointing the members of the Committee. Has the Railway Minister suggested any reason to you for increasing the membership ?

MR. SPEAKER : This is a matter of his own concern.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : यह पहला अवसर है जब इस तरह का एक प्रस्ताव सदन में आया है। सबसे पहले एक समिति का गठन किया जाता है और उसकी सदस्य संख्या य तो वे खुद ही निश्चित करते हैं या अध्यक्षक से सलाह लेकर निश्चित करते हैं। उसके बाद,ा तत्सम्बन्धी, एक संकल्प सदन में रखा जाता है और वह यहां पारित किया जाता है पहले अवसरों में यही परम्परा कायम रही थी।

अब, यकायक उनके मन में यह विचार आया कि समिति में चार सदस्यों को और शामिल किया जाये। आप जानते हैं कि इन समितियों के मामलों में हम ने दफा के आधार पर कभी भी काम नहीं किया है। इस संबंध में मतैक्य लाने के लिए हम सब ने भरसक प्रयत्न किया है। जब ऐसी परम्परा के रहते, मुझे कोई कारण दिखाई न देता कि आप उन्हें इस प्रकार के एक प्रस्ताव लाने और उसे पारित करने को आग्रह करने की अनुमति क्यों दें।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि समिति के सदस्यों में बीच में वृद्धि क्यों की जाती है। समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो बात समझ में

आती। अगर यह बात होती कि समिति के सदस्यों की संख्या बहुत कम है और इसीलिए उचित ध्यान सभी विषयों पर नहीं लगाया जा सकता, तो संख्या बढ़ाने का कारण समझ में आता। मगर यह समिति पूर्ण रूप से नामजद की हुई है, जिस की सदस्य संख्या को अंतिम रुप से आप स्वीकृति देते हैं। प्रायः सभी दलों के प्रतिनिधि इस में शामिल हैं। तो इस प्रकार के संकल्प का क्या उद्देश्य है? और किन को आप सदस्य बना रहे हैं? जब तक आप इन सारी चीजों का स्पष्टीकरण नहीं करते इस संकल्प का विरोध किया जाना चाहिए।

SHRI RABI RAY (Miryalguda): Mr. Speaker, Sir I would oppose the resolution moved by the Railway Minister. The Minister has not mentioned any reason as to why such a resolution became necessary, when the Committee is already functioning and its work is not completed. The hon. Speaker should not allow the Minister to increase the membership in an arbitrary manner.

श्री स० कुण्दू (बालासौर) : श्रीमान्, मैं इस समिति का सदस्य हूं। अब तक तीन-चौथायी काम खत्म हो चुका है। पता नहीं, इस समय इस प्रकार का एक संकल्प क्यों लाया जाता है। समिति के सारे सदस्य पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। चार और सदस्यों को अगर इस में लिया जाएगा, तो समिति बहुत भारी भरकम हो जाएगी।

SHRI SHEO NARAIN (Basti): Mr. Speaker, Sir, I am rather surprised as to why the Minister Mr. Nanda, who is an experienced man, is moving such a resolution to increase the membership of the Committee. We were also members in this Committee. Why he is breaking the conventions?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur): This Committee was set up in pursuanc of a resolution adopted by Lok Sabha on 28-11-1968. This has been functioning till now. The Railway Minister should give reasons as to why he is increasing the membership now.

श्री नन्दा : जैसाकि माननीय सदस्यों को मालूम है, रेलवे वित्त और सामान्य वित्त के आपसी संबंधों की समीक्षा करने का कार्य दोनों सभाओं के सदस्यों की एक समिति को सौंप दिया गया है। उक्त समिति लोक सभा में 28-11-69 में और राज्य सभा में 16-12-68 में पारित किये गए संकल्पों के अनुसरण में बनाई गई है। समिति की पहली बैठक 27-1-1969 में हुई जिस में समिति के निदेश-पदों और प्रश्नावलियों को अंतिम रूप दे दिया गया निदेश-पदों में अन्तर्निहित विषयों और प्रश्नावलियों के उत्तर रेल मंत्रालय द्वारा तैयार किये गए। इस के दौरान में समिति ने न केवल 14-5-1969 और 16-7-1969 को हुई बैठकों में प्राप्त कुछ ज्ञापनों पर प्राथमिक तथा आम विचार किया बल्कि उन्होंने मद्रास, सिकन्दराबाद और बम्बई के रेल प्रतिष्ठानों का दौरा भी किया। समिति की सिफारिशें जितनी जलदी प्राप्त होंगी, प्रशासन के लिए उतनी ही अच्छी होगी जो चौथी योजना में भारतीय रेलवे के वित्तीय ढांचे का आधार बनेंगी।

विभिन्न परिवर्तनों के कारण, जैसी समिति आज है। इस में वित्त मंत्री या रेल मंत्री शामिल नहीं हैं। व्यवहारिक और सार्थक निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए, संबद्ध मंत्रियों की सदस्यता समिति के कार्य-संचालन के लिए अनिवार्य है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अब तक की अभिसमय समितियों में वित्तमंत्री और रेल मंत्री सदस्य रहे हैं।

अत: मैं अनुरोध करता हूं कि मैंने सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर देने विषयक संशोधन संकल्प पेश किया। वह स्वीकार किया जाए। सदस्यों की संख्या बढ़ाने से, समिति कम से कम समय में अपना विचार विमर्श पूरा कर सकेगी जिससे उसकी सिफारिशें निकट भविष्य में संसद को प्राप्त हो जाएगी और सरकार संसद की सहमति के लिए एक संकल्प प्रस्तुत करेगी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: वर्तमान समिति का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है? क्या कार्यकाल समाप्त हो गया है?

श्री नन्दा: जी नहीं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: कितने महीने बाकी हैं?

श्री नन्दा: यह एक स्थायी समिति है हम चाहते हैं कि कम से कम समय में काम पूरा हो जाए।

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): Why you are increasing the member by four? Why can't you increase it by two?

अध्यक्ष महोदय: मैं आप के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि सिवाय इस के कि चुनाव अध्यक्ष के सुझाव के आधार पर हो, इन समितियों के संबंध में अध्यक्ष कुछ नहीं करते।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम): आप के द्वारा केवल नामजद किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: जहां तक इस संकल्प का संबंध है, उनके द्वारा पेश किया गया है। सदन इस को स्वीकार या छोड़ सकता है। मैं इस में क्यों दखल दूं।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: You could have prevented him from moving this resolution. Let Shri Nandaji clarify the necessity of bringing such a resolution. If he is willing himself to be a member of the Committee we can understand it. But he cannot fill the Committee with his men only.

श्री नन्दा: मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं। मैं उनके सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

SHRI KANWAR LAL GUPTA: We admit the proposal that the Finance Minister and the Railway Minister shall be the members in the Committee. But he wants six members to be added to the Committee. Why he wants to add the additional 4 members? My suggestion is that only two members shall be included in the Committee.

श्री नन्दा: मैं इस सुझाव, कि चार की बजाए दो सदस्य शामिल किये जाएं, को मानने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय: इस सभा में से तीन सदस्य और राज्य सभा में से एक सदस्य रहे या राज्य सभा में से तीन और इस सभा में से एक सदस्य रखा जाए।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: जी नहीं, रेल मंत्री ने जो तर्क पेश किया, वह स्पष्ट रूप से यह सूचित करता है कि वे इस में मंत्रियों का केवल सहयोग ही चाहते हैं। अत: मैं यह

सुझाव पेश करता हूं कि इस संकल्प का संशोधन इस तरह से किया जाए जिस से रेल मंत्री और वित्त मंत्री इस समिति के पदेन सदस्य रहें। अन्य किसी भी सदस्य को इस में न रखा जाए ।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: My proposal is that this resolution should not be moved to-day. You are the authority which is to nominate the members. How can Shri Nanda say that the Railway Minister and Finance Minister must be included in the Committee which is under your jurisdiction.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसे कल ले आएं। मैं देर तक इस के लिए बैठ नहीं सकता। आप कृपया संशोधित संकल्प कल लाइए। समिति में दो सदस्यों को शामिल किया जाएगा।

श्री नन्दा : जी हाँ श्रीमान्

अध्यक्ष महोदय : अब हम कार्य सूची की मद संख्या 19 पर विचार करेंगे।

तेलंगाना के प्रश्न के सम्बन्ध में चर्चा

DISCUSSION RE: TELENGANA PROBLEM

SHRI SHRICHAND GOYAL (Chandigarh): Mr. Speaker, Sir, the problem of Telangana has become a very serious one. This problem has two major aspects. One is the economic backwardness and the other is the mounting unemployment.

I would like to say that in both these respects, the Government has shown discrimination towards Telengana. This areas has been kept in constant backwardness. The Governor promised to improve the living conditions of the people there. But the promise has proved to be a futile one. The people of Telangana have been suffering for the last fourteen years. But neither the Central Government nor the State Government have adopted any measure to ameliorate the condition of the people there. This Government is consipiring with the Andhra State Government and plays all types of political manouverings (Shri K. N. Tiwari in the Chair). Now Telangana is on the verge of a volcano. It can erupt at any moment.

The States Reorganisation Commission had recommended that Telengana should be treated separately for five years for its manifold developments. But Pantji was not in favour of this. Therefore it did not materialise. Now if there is no strong sentiment of nationalism in the minds of the people of Telengana, they cannot be blamed for that. When we go deeper into this problems of Telengana, we see some serious economic problems an involved in this. The State Government has been neglecting continuously this region. Even the revenue collected from Telengana region was not spent for their development programmes. It was spent in other regions. I am not encouraging regionalism. But nationalism doesn't mean that a particular region should be kept in constant backwardness.

Under, Nizam's rule, Hyderabad was developed to a greater extent. But all the other areas had been neglected constantly. India has developed to a certain extent. But it is not as much as it was aimed. Similarly Telengana also has developed in some respects. But when we compare it with other areas in Andhra, we will have to admit sadly that it is far below the level.

Telengana has not received its due share in jobs. The people of Telengana are deprived of their employment opportunities. Bhargava Committee and Wanchoo

Committee had submitted their reports long back. These two Committees had admitted frankly that 4,328 job opportunities, which is the due share of Telengana have not been given to them. This is the open violation of the promise given to the people of Telengana. This is quite unwarranted act.

The representatives of the non-gazetted staff have come to Delhi. The grades list is not yet prepared. The common list, which should have been prepared much earlier, is not hither to prepared. The Government is adopting a policy of evading the problems. But they had confirmed the services of those officers who were appointed on ad-hoc basis. Those people protested against it. The Government then decided to withdraw the confirmation. But again they came under pressure of vested interests and were forced to review the decision. The others filed a writ in the High Court against it and the High Court gave its verdict in their favour. But hitherto the Government did not pay any heed to implement the High Court verdict. "If it were to be implemented 5 Chief Engineers, 18 Superintending Engineers, 137 Executive Enginers and 265 Assistant Engineers of Andhra region would face reversion." It is a matter of regret and shame that the Central Government is also losing the line of Brahmanand Reddy regime in this respect.

Regarding the regional development, the Government has a large member of reports of various Committees before then. Mr. Kumar Lalit has commented that out of Rs. 64 crores, which is the revenue income collected from Telengana region, not even a single pie is spent for the development of the region. He has recommended that Rs. 46 crores should be spent there for its manifold development programmes. But no effort was done in this direction.

The demand for a separate Telengana is the after effect of its century-long economic backwardness. In this context I would suggest that a high powered Commission should be set up to go into the problems of various backward regions in India and suggest remedial measures to ameliorate the condition of these areas. The Fazal Ali Commission also had recommended that Telengana should be made a separate state just as Himachal Pradesh, for a prescribed time and expedite its developmental programmes. It is a fact that since Himachal Pradesh and Haryana were made separate states, they could leap towards economic prosperity.

If the Government is thinking that for effective administrative functioning, bigger units must prevail, then they should think over the demand for separate states which is gathering momentum, and adopt apt remedial measures. Hence the Central Government should take up this matter and fix a target date within which the development programmes can be carried out.

Until the Government takes effective steps in this direction, this problem cannot be solved at all. Unfortunately the policy of the Central Government is such that unless and until, the people take to violent means, they will not pay any heed to the problems of the people. They must devise some measures and implement them expeditiously. The appointmnt of a high powered Commission will be a right step in this direction.

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : गृहमंत्री ने गतवर्ष 8 जून को जब हैदराबाद का दौरा किया था उन्होंने मान लिया था कि तेलंगाना का प्रश्न बहुत अधिक गंभीर और उलझा हुआ है । उन्होंने कहा था कि इस को हल करने के लिये केन्द्रीय सरकार को बहुत अधिक ध्यान देना होगा । उन्होंने कहा था कि तेलगांना समस्या का

उचित एवं न्यायपूर्ण हल निकाला जायेगा । बाद में जब अक्टूबर में गृहमंत्रालय की परामर्श-दात्री समिति की बैठक हुई, उस में सर्वसम्मिति से प्रस्ताव पारित हुआ जिस में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया था कि सभी दलों के नेताओं को एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित कर तेलंगाना समस्या के हल का कोई उपाय निकाला जाय । मैं गृहमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ऐसा कोई सम्मेलन आयोजित किया है ? उनका यह मत भी था कि इस समस्या पर विचार करने के लिये एक सर्वदलील समिति की बैठक होनी चाहिए जिसमें आन्ध्र प्रदेश और तेलगांना के नेताओं का प्रतिनिधित्व हो ।

30 मार्च 1969 में आन्ध्रप्रदेश मंत्रि- मंडल की बैठक में सर्वसम्मिति से एक निर्णय लिया गया और केन्द्रीय सरकार से अपील की गई कि तेलंगाना की जनता अपने संवैधानिक अधिकारों के लिये आंदोलन कर रहे हैं, अत: यदि इस की रक्षा नहीं की जा सकती, तो इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला जा सकता । आगे जब 28 अप्रैल को मुख्य मंत्री दिल्ली आये, तब भी उन्होंने यही मत व्यक्त किया । मगर इस हल के लिए अब तक क्या कदम उठाया गया ?

8 अप्रैल, 1969 में स्वतंत्र दल ने विजयवाड़ा में एक बैठक में एक सर्व सम्मत प्रस्ताव पास किया और पृथक तेलंगाना की मांग का समर्थन किया ।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : श्रीमान्, गृहमंत्री सदन के बाहर जा रहे हैं। कौन जवाब देगा ? अगर वे जवाब नहीं देंगे तो मैं विरोध में सभा का बहिष्कार कर रहा हूं ।

डा० मेलकोटे सदन के बाहर चले गए ।

Dr. Melkote then left the House.

श्री एम० नारायण रेड्डी : मैं गृहमंत्री द्वारा जो वचन दिये गये थे, उन का जिक्र कर रहा था । इस समय उन्हें हाजिर होना चाहिये था । इससे तेलंगाना के प्रति केन्द्रीय सरकार का रवैया स्पष्ट होता है ।

भारतीय क्रॉति दल की राष्ट्रीय कार्य कारिणी समिति ने 28 मई को तेलंगाना की मांग का समर्थन किया था। संयुक्त समाजवादी दल और प्रजा समाजवादी दल ने भी हमारा समर्थन किया था । साम्यवादी दल ने राष्ट्र- पति, प्रधान मंत्री आदि को ज्ञापन देकर तेलंगाना की मांग का समर्थन किया । मार्क्स- वादी दल, जनसंघ आदि सभी दलों ने हमारी मांगों का समर्थन किया था । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सभी दलों ने पृथक तेलंगाना का समर्थन किया था । मगर सरकार ने इस को स्वीकार नहीं किया ।

यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने जो आठ- सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था । उससे तेलंगाना की समस्या का हल होगा । गहराई सेदेखा जाए तो पता चलेगा कि यह कोई कार्य-क्रम भी नहीं, किसी प्रकार के हल का सहायक भी नहीं, यह केवल तेलंगाना की जनता को धोखा देना है । 19 जनवरी, 1969 को जो सम्मेलन हुआ और उस में प्रधान मंत्री ने जो प्रस्ताव किया, वह मुख्यमंत्री से सलाह लेके किया । उन्होने तेलंगाना के किसी भी नेता

से बात नहीं की थी । श्री नाथपाई और श्री मधुलिमये ने उसी दिन कहा था कि यह प्रस्ताव एक पक्षीय है। यह केवल एक कांग्रेस सम्मेलन बन के रह गया । हम समझ सकते हैं कि किस स्थिति में इस प्रकार सम्मेलन आयोजित हुआ और अनुमान लगा सकते हैं कि इस समस्या को हल करने में केन्द्रीय सरकार कहां तक ईमानदारी से कार्य कर रही है । यह एक अवैध योजना है और संविधान और अन्य परिनियत उपबन्धों का खुले आम उल्लंघन है । तेलंगाना के हितों की रक्षा के लिये संविधान में एक विशेष अनुच्छेद याने अनुच्छेद 371 जोड़ दिया गया । इस के आधार पर तेलंगाना क्षेत्रीय समिति का गठन किया गया । 19 जनवरी 1965 के सार्वजनिक सम्मेलन की सिफारिश के अनुसरण में अतिरिक्त धन राशि पर विचार करने के लिये ललित कुमार समिति को नियुक्त किया गया जिसने 12 मार्च, 1969 को अपनी रिपोर्ट पेश की । उक्त प्रतिवेदन क्षेत्रीय समिति के विचारार्थ रखा गया । चूंकि इस समिति के सारे सदस्य मुख्यमंत्री के समर्थक थे । अत: सिफारिश दी कि अतिरिक्त धन राशि 108 करोड़ रुपये है । यह प्रतिवेदन मंत्रिमंडल के विचारार्थ भेज दिया गया जब मुख्य मंत्री और उनके साथियों को लगा कि अतिरिक्त धनराशि बहुत अधिक है, तो उन्होंने आन्ध्र प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंककर भागर्व समिति को नियुक्त किया । यह समिति अवैध है । इसको राष्ट्रपति के आदेशों के अन्तर्गत नहीं नियुक्त किया गया । मंत्रिमंडल को इस पर निर्णय लेना चाहिये था । अगर वे क्षेत्रीय समिति की सिफारिशों से सहमत न हुए तो इस मामले को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये था और उनका निर्णय अंतिम मान लिया जाना चाहिये था । श्री वांचू के नेतृत्व में नियुक्त समिति ने कहा कि यह नहीं किया जा सकता । तीन जूरिस्टों को इस पर विचार करने के लिये नियुक्त किया गया उस समिति और एक उच्चाधिकार प्राप्त विकास समिति की कोई आवश्यकता नहीं थी । क्षेत्रीय समिति में पांच समितियां शामिल हैं—विकास कार्यणी समिति, शिक्षा की समिति, स्वास्थ्य की समिति, स्थानीय शासन की समिति आदि । मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक विकास समिति अनावश्यक है । कोई मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री क्षेत्रीय समिति का सदस्य नहीं रह सकता । वे केवल समिति में भाषण दे सकते हैं । उन्हें मतदान का कोई अधिकार नहीं है ।

कानून के हितकर प्रावधान को तोड़ कर उन्होंने क्षेत्रीय समिति आदेश का उल्लंघन किया और मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक विकास समिति की स्थापना का गठन किया । एक अन्य कार्यन्वयन समिति थी । इस का अर्थ यह हुआ कि क्षेत्रीय समिति के सभी सदस्य व्यर्थ के व्यक्ति थे, वह कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसीलिये कर्मचारियों, नौकरशाही तथा मंत्रियों आदि की समितियां इनकी देखभाल करेगी । यह आशा की गई उच्च शक्ति समिति से कोई बहुत बड़ी वस्तु प्रतिध्वनित होगी परन्तु वास्तव में इस की नियुक्ति करके केवल कानून का उल्लंघन किया गया है और इससे किसी उद्देश्य की उपलब्धि की संभावना भी नहीं है । यदि कोई व्यक्ति इन समितियों की नियुक्ति की उच्च न्यायालय में जाकर चुनौती दे तो इन समितियों की नियुक्ति संबंधी आदेश पूरी तरह से अवैध घोषित हो सकते हैं । परन्तु इससे भी समस्या का कोई समाधान नहीं होता । क्षेत्रीय समितियों की शक्ति के विस्तार के बारे में यह नियम है की इनकी कार्यवाही पूर्णतया गोपनीय रहेगी । इसीलिये भूतकाल में क्षेत्रीय समिति के प्रतिवेदन को प्रकाशित नहीं किया गया ।

27 अक्तूबर 1969 को जो क्षेत्रीय समिति की बैठक हुई उस में मुख्य मंत्री के ही सहयोगी गृह मंत्री श्री बैंगल ने ही यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि केन्द्रीय सरकार को क्षेत्रीय समिति आदेश संशोधन कर इस धारा को हटा देना चाहिये। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इसी वर्ष की 7 मार्च को क्षेत्रीय समिति के 1958 के आदेश को रद्द कर दिया और इस के साथ एक विस्तृत व्यवस्था यह जोड़ दी कि यदि मंत्रिमंडल और क्षेत्रीय समिति में मतभेद हो जाये तो मुख्य मंत्री और समिति के अध्यक्ष आपसी कार्यालय द्वारा उसका समाधान खोजेंगे। राज्यपाल को इसका कोई उल्लेख नहीं किया जायगा। इस धारा ने क्षेत्रीय समिति बिलकुल कमजोर बना दिया है।

यह सभी समितियां व्यर्थ साबित हुई है। उन के पास इन समितियों के कार्य की देख-रेख के लिये कोई समय भी नहीं है वह तो अपनी ही राजनीति में खोये हुए हैं। उन्हें प्रत्येक कार्य के लिये नौकरशाहीं (ब्युरो- क्रेटेस) पर निर्भर करना पड़ता है जिन पर मुख्य मंत्री का बहुत प्रभाव रहता है। इस सभा ने 8 अप्रैल, 1969 को सर्वसम्मति से यह निर्णय किया था कि संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जायें। परन्तु अभी तक इसे नहीं किया गया। श्री चव्हाण ने श्री बाजपेयी से अपनी मांग वापस लेने का अनुरोध कर यह आश्वासन दिया कि इस विषय पर विरोधी दलों से विचार विमर्श किया जायेगा।

मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि हमारी पृथक तेलंगाना की मांग एक पृथक तेलंगाना मात्र के लिये नहीं है। हम ऐसा नहीं समझते हैं। कि प्रार्थक्य कोई अच्छी बात है। परन्तु आज आंध्र में प्रभुत्व प्राप्त दल तेलंगानावासियों के साथ जो भेदभाव बर्त कर जो शोषण कर रहा है ऐसी व्यवस्था में हमारा रहना असंभव है। वर्तमान व्यवस्था में भेदभाव और शोषण को रोकना संभव नहीं है। इस समस्या का समाधान तो केवल उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर ही किया जा सकता है। यही हमारी मांग है परन्तु इसे पूरा नहीं किया जा रहा। इस समस्या का हल करने के लिए सरकार और क्या करना चाहता है? क्या वह 1972 तक समस्या को यूं ही लटकाये रखेगी।

इस समस्या पर कभी गम्भीर रूप से विचार ही नही किया गया कि तेलंगाना के लोगों की क्या मांगें हैं और सरकार ने उनके बारे में अभी तक क्या कार्यवाही की है। वास्तविकता यह है कि केन्द्रीय सरकार ने किसी भी प्रकार की कार्यवाही करते समय तेलंगाना के किसी भी नेता से परामर्श नहीं किया चाहे वह कार्यवाही की गई या करने का विचार ही क्यों न हो। सच तो यह है, सरकार को राज्य सरकार के प्रति विश्वास नहीं है, वह केवल राज्य सरकार से परामर्श ही करना चाहती है। इन परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार तथा गृह मंत्रालय की सारे नेताओं तथा विरोधी नेताओ का अलग-अलग एक गोल-मेज़ सम्मेलन बुला कर इस समस्या पर विचार करना चाहिये इसी से समस्या का कोई रचनात्मक समाधान संभव है।

SHRIMATI LAKSHMIKANTAMMA (Khamman): A lot has been said about Telengana issue by former speakers and I am not going to repeat anything. But I would like to refer to opinion poll as a solution suggested for Telengana issue. I think it is a dangerous solution of the problem. Has this principle been accepted in our Constitution? According to Constitution, Parliament has the power to divide any state and it should be done by the Parliament alone. If it is not done and State is organised on some other basis, everything will be upset. The Telengana Issue is not an issue of a State, but it is an issue relating to the Constitutional responsibility of the Parliament. Therefor, the Parliament can not shirk its responsibility and thrust the issue to somebody else.

Those who plead for a opinion poll, should also be aware of the dire consequences of the solution. If the Home Minister is prepared for a opinion poll on Telengana issue, tomorrow there will be a similar demand for Kashmir also.

There are some people who are demanding an equal status for Telengana as that of Maghalaya. But there can not be a comparison between Meghalaya and Telengana. Meghalaya is having a number of languages and cultures where as position in Telengana is quite reverse. There is uniformity of language and culture.

I may make it clear the Telangana problem is not at all a political problem. It is only a problem relating to economy and development. Therefore my political solution of the problem is not going to serve any purpose. Immediate steps should be taken for the development of the State. More funds should be ear-marked for the backward areas of this State in Five Year Plans.

Now the position is some what clear. The Prime Minister has shown some interest in the matter. She has issued a statement and suggested an 8 point plan for solving the Telengana issue. We should give her some time so that she can implement her plan.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी): श्रीमान जी तेलंगाना समस्या पर विचार करने के लिये हमें बहुत व्यापक अध्ययन करने की आवश्यकता है । यदि हम संम्पूर्ण भारत के सभी क्षेत्रों पर दृष्टिपात करें तो प्रत्येक राज्य से यही शिकायत मिलेगी कि उसका शोषण हो रहा है । इस का प्रमुख कारण यह है कि स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के प्रत्येक क्षेत्र ने अपने आपको विकसित करने का भरसक प्रयास किया है । इसी उदाहरण के लिये उत्तर प्रदेश को ही लीजिये । भारत के तीनों प्रधान मंत्री इसी क्षेत्र से हुए हैं परन्तु फिर भी यह अपने आपकों पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानता है । अत: आज एक ऐसा आदोलन सा चल रहा है कि हर क्षेत्र बहुत आगे जाना चाहता है । इससे देश के राजनीतिक विचारों में एक गतिरोध उत्पन्न हो गया है ।

जहां तक तेलंगाना का सम्बंध है इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक तथा प्रशासनिक दोनों ही दृष्टियों से शोषण हुआ है । मैं इसके कई ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं ।

20 फरवरी 1956 को जो समझौता हुआ था वह आज कहां है ? योजना मंत्री तेलंगाना का शोषण समाप्त करने के लिये जो आठ सूत्री कार्यक्रम लाना चाहते हैं यह तथ्य केवल इसी बात की पुष्टि करता है कि इन सभी वर्षों में तेलंगाना की उपेक्षा की गई है । इसके साथ ही आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री ब्रह्मानंद रेड्डी का यह कहना कि तेलंगाना में जितनी भी प्रगति हुई है, वह उन के शासन के दौरान ही हुई है, पुनः इसी तथ्य की पुष्टि करता है कि तेलंगाना का शोषण किया गया है ।

अभी तेलंगाना के अराजपत्रित कर्मचारियों के संघ ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन पेश किया है जिस में अनेक ऐसे मामलों की जानकारी दी गई है जहां तेलंगाना के लोगों का शोषण किया गया है । सिविल सहायक सर्जनों का ही उदाहरण लीजिये । 107 व्यक्तियों की सूची में से, 107 वें व्यक्ति की पदोन्नति केवल इसी लिये की गई कि वह तेलंगाना का नहीं था । इसी प्रकार की विभिन्न घटनायें ही सारे तेलंगाना संकट के पीछे काम कर रही है ।

जब विशाल आंध्र का निर्माण किया गया था जो उस समय लोगों के विचारों से यह पता चलता है उनके दिलों में एकता की कोई भावना नहीं थी । फजल अली ने अनुभव किया था कि दोनों क्षेत्र अलग-अलग है और जब तक केन्द्रीय सरकार इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं लेगी तब तक कुछ भी नहीं किया जायेगा । परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इसमें क्या किया ? केन्द्रीय सरकार ने तेलंगाना क्षेत्र में रहने वाली जनता के कल्याण के किसी भी मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली । यहां तक कि श्री चव्हाण और प्रधान मंत्री ने हैदराबाद का दौरा तभी किया जबकि वहां गाड़ियां जला दी गई ।

परामर्शदात्री समिति में श्री सुरिन्दरनाथ द्विवेदी ने यह सुझाव दिया कि कम-से-कम दोनों क्षेत्रों के नेताओं का एक गोल-मेज़ सम्मेलन बुलाया जाना चाहिये जिस से समूची समस्या का हल खोजा जा सके । परन्तु सरकार ने इस गोल-मेज़ सम्मेलन के बारे में क्या किया है ? वह इस के बारे में बिलकल मौन बैठी है । अब तेलंगाना क्षेत्र के लोग न केवल वहां की राज्य सरकार के प्रति ही विश्वास खो रहे हैं जिसने कि खुले आम उनका शोषण किया है प्रत्युत केन्द्रीय सरकार के प्रति भी उनका विश्वास नहीं रहा । परन्तु क्या यह केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि वह देश के अल्प भाग के विकास से संबद्ध समस्याओं पर ध्यान दें ? इसीलिये मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक है कि सरकार गोल-मेज़ सम्मेलन अविलम्ब बुलाये । इसके साथ ही वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक संसदीय शिष्टमंडल को भी उस क्षेत्र का दौरा करना चाहिये ।

श्री जी० एस० रेड्डी (मिनियाल गुडा) : मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिनका यह विश्वास है कि भारतवर्ष के भाषायी विभाजन से हमारे देश का अहित हुआ है क्योंकि हमारा समाज विभिन्न जातियों सांप्रदायों और मतों में बंटा हुआ है । आज जो एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य विभिन्न प्रकार के आंतरिक संघर्ष हो रहे हैं उनसे यही स्पष्ट होता है कि भाषायी ढांचे के आधार पर देश का बंटवारा एक बहुत बड़ी गलती थी । क्षेत्रीय देशभक्ति का महत्व राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व प्राप्त करती जा रही है । इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि फ्रांसिसियों, अंग्रेजों और मुगलों से हमारी हार

का कारण हमारी संकुचित क्षेत्रीय देशभक्ति ही थी । हमें यह जान लेना चाहिये कि जब तक इसमें एकता नहीं होगी हमारा पतन निश्चित है । अतः अब समय आ गया है कि हमारे देश के नेताओं को अपने संकुचित दृष्टिकोण और निजी स्वार्थों को त्याग कर संपूर्ण देश के बारे में सोचना चाहिये ।

जहां तक तेलंगाना की समस्या का संबंध है इसमें कोई संदेह नहीं कि इस क्षेत्र की बहुत समय तक उपेक्षा की जाती रही है । परन्तु तेलंगाना के पिछड़ेपन, बेरोजगारी और अल्प-रोजगारी का क्या समाधान है ? क्या प्राथक्य से यह समस्यायें सुलझाई जा सकती हैं ? पिछड़ेपन का सब से बड़ा चिन्ह शिक्षा की कमी है । इससे मुक्ति पाने के वहां अधिक से अधिक स्कूल तथा कालेज खोलने की आवश्यकता है ।

तेलंगाना में काफी भूमि है परन्तु सारी बंजर है । वहां के किसान भी पिछड़े हुये हैं उनके पास पूंजी का अभाव है । वहां उर्वरक आदि की कोई व्यवस्था नहीं है । परन्तु अब स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया है । तेलंगाना के किसान भी आंध्र क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक बेहतर फसलों की उपज करने से समर्थ हो गये हैं । जमींदार भला इसके लिये आज ईर्ष्या करते हैं । वह सोचते हैं कि वह सस्ते दामों पर यह भूमि खरीद सकते थे । एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर प्रतिभा का यह बहाव कौन रोक सकता है ? इस को रोकने के लिये किसी प्रकार की कृत्रिम बाधायें नहीं डाली जा सकती । अतः समग्र रूप से आन्ध्र प्रदेश के समूचे विकास के लिये अपना धन और प्रतिभा लगाने वाले आंध्र भाइयों को क्यों ईर्ष्या होती है ? क्या विलय के बाद हैदराबाद ने प्रगति नहीं की है ? वहां नये कारखाने लगे हैं, नये उद्योग स्थापित हो गये हैं । वहां की भारी बंजर भूमि में आज हरियाली ही हरियाली देखने को मिलती है । क्योंकि वहां के नवाबों और जमींदारों ने अपनी बंजर और व्यर्थ पड़ी जायदाद बेच दी । हमारे जागीरदारों ने अगर उसे खरीद कर यदि आमदनी प्राप्त कर ली तो इस में क्या हानि है ? हमारे लोग हैदराबाद जाकर बस सकते हैं और वहां के लोग आंध्र में आकर अपना धंधा स्थापित कर सकते हैं । इन प्रदेशों के लोगों में जो वैवाहिक संबंध होते हैं उन्हें भला क्या रोका जा सकता है ? मैं सोचता हूं कि हैदराबाद की प्रगति हम सबके लिये गौरव का विषय है ।

अतः हमें पृथक्करण की भावनायें पैदा नहीं करनी चाहिए । यह हम सब के लिए घातक है । एक समय था जब हमारे तेलंगाना के नेताओं यथा के० वी० रंगा रेड्डी और डा० चेन्ना रेड्डी आदि ने पृथक्करण के लिए संघर्ष किया था । उस समय हम सब ने उन का साथ दिया था । परन्तु अब हम यह अनुभव करने लगे हैं कि पृथक या भाषायी राज्य मूल-रूप से अच्छे नहीं हैं । मैं जिला परिषद् के अध्यक्ष के रूप में यह बात और भी दावे से कह सकता हूं कि अब लोग एकता चाहते हैं । प्राथक्य केवल कुछ स्वार्थी लोग चाहते हैं जो एक नया मुख्य मंत्री, नया मन्त्रीमण्डल तथा विभिन्न नये पद बनाने के पक्ष में हैं । वह यह सब अपने स्वार्थ की खातिर चाहते हैं । साधारण तथा पिछड़े हुए लोग जो वास्तव में समस्या का मूल हैं उन पर इस प्रकार के प्राथक्य को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है । हमारी जिला परिषद् में एक इसी प्रकार का व्यक्ति था । वह परिषद् का अध्यक्ष था । हम जिला परिषद् के सभी सदस्यों ने आपस में मिलकर उसके विरुद्ध एक अविश्वास

प्रस्ताव पास किया और उसके स्थान पर एक ऐसा व्यक्ति ले आये जो हम में एकता लाने का इच्छुक था ।

श्री अ० त्रि० शर्मा (भंजननगर) : श्रीमानजी, यह आन्दोलन क्यों और किस प्रकार आरम्भ हुआ मैं इसका सम्पूर्ण चित्र आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । पहले पहल यह आन्दोलन 1969 में आरम्भ किया गया । परन्तु कुछ ही महीनों के पश्चात् भूतपूर्व मंत्रियों डा० चैना रेड्डी, श्री कोडा लक्ष्मण आदि भी इस में सम्मिलित हो गये जिसके फलस्वरूप आन्दोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। लगभग 16 लाख स्कूल तथा कालिज विद्यार्थियों ने स्कूल-कालेजों का बहिष्कार कर दिया । 200 बार गोली चली और 300 के लगभग लोग मौत के घाट उतार दिये गये। परन्तु अभी एक न्यायिक जांच भी नहीं की गई है ।

तेलंगाना हैदराबाद राज्य का एक भाग था । जब हैदराबाद को भारतीय गणतन्त्र में सम्मिलित किया गया तो इस राज्य के तीन भाग थे---भराथक्डा, कर्नाटक और तेलंगाना। 1956 में आयोग ने यह सिफारिश की कि मराठवाड़ा महाराष्ट्र के साथ और कर्नाटक मैसूर के साथ मिला दिया जाये और तेलंगाना आन्ध्र प्रदेश के साथ मिलाया जाना चाहिये । क्योंकि तेलंगाना के लोग बहुत सीधे सादे हैं । आन्ध्र प्रदेश के लोग बहुत सशक्त और चतुर हैं । तेलंगाना के लोगों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए आयोग ने तेलंगाना के लिए अलग राज्य की मांग की । यह है इसका पूर्ण इतिहास । परन्तु आन्ध्र प्रदेश के नेताओं ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया कि हम तेलंगाना के लोगों के हित सुरक्षित रखेंगे । गृहमन्त्री श्री पंत के साथ आन्ध्र के लोगों का समझौता हो गया जिस की प्रमुख शर्तें यह थीं : (क) तेलंगाना के लोगों के लिए सरकारी नौकरियां सुरक्षित की जायेंगी । (ख) तेलंगाना की आय तेलंगाना के विकास पर ही व्यय की जायेगी । (ग) एक क्षेत्रीय परिषद् बनाई जायेगी। (घ) उपमुख्य मंत्री तेलंगाना का ही होगा आदि । परन्तु इन सभी शर्तों को कभी कार्यान्वित नहीं किया गया । आज तेलंगाना में जो असन्तोष दिखाई देता है उसका कारण यही है कि तेलंगाना के लोगों का निरन्तर शोषण होता रहा है । इसलिए तो वह आन्दोलन पर आन्दोलन कर रहे हैं ।

आजकल तेलंगाना में पुलिस राज्य चल रहा है । लोगों को कोड़ों से मारा जा रहा है । असंख्य बार पुलिस की गोलियां चल चुकी हैं । परन्तु इतना होने पर एक बार भी सरकार ने किसी प्रकार की जांच का आदेश नहीं दिया । आखिर वह लोग भी तो हमारे ही भाई हैं । सरकार उनके साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार क्यों कर रही है ? मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमें अपने उन भाइयों के साथ सहानुभूति करनी चाहिये ।

अब समस्या का समाधान कैसे हो सकता है ? दोनों ही प्रदेशों के लोग तेलुगू भाषा बोलते हैं । केवल उनके व्यवहार और दृष्टिकोण में अन्तर है । वह एक परिवार की तरह रहना चाहते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि उन्हें जो आश्वासन दिये गये हैं उन्हें क्रियान्वित किया जाना चाहिये । उनके धन का उपयोग उनके क्षेत्र के लिए ही किया जाना चाहिये । मैं किसी प्रकार के अलग राज्य की मांग का कड़ा विरोध

करता हूं । मैं केन्द्रीय और राज्य सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इस समस्या को दलगत राजनीति के ढंग से नहीं सुलझाना चाहिये । जब मानवीय जीवन का प्रश्न हो तो दलीय नीति बीच में नहीं आनी चाहिये । तेलंगाना के लोग चाहते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरियों में पूरे संरक्षण दिए जाएं । अतः सरकार को इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों से परामर्श करके इस समस्या को हल करना चाहिये ।

श्री को० सूर्यनारायण (एल्लूरू) : सभापति महोदय, तेलंगाना समस्या पर जो चर्चा हुई है उसके फलस्वरूप समस्या का कोई समाधान सामने नहीं आया । आज जबकि देश के सम्मुख विभिन्न अन्य गम्भीर समस्यायें हैं मैं सोचता हूं कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और तेलंगाना के नेताओं की एक सम्मिलित बैठक करके समस्या का एक ऐसा समाधान खोजना चाहिये जो सभी को मान्य हो । ऐसा करना आन्ध्र क्षेत्र तथा तेलंगाना क्षेत्र दोनों के ही हित में होगा । हमारे देश में केवल तेलंगाना ही एक पिछड़ा क्षेत्र नहीं है वरन कितने ही ऐसे क्षेत्र हैं जो पिछड़े और अविकसित हैं । इस क्षेत्र के पिछड़ेपन का प्रश्न विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थों के कारण ही उठाया जा रहा है । मैं यह भी कह दूं कि केवल हम लोग ही जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं । हमारे साथ विधान सभा के सदस्य भी तो जनता के प्रतिनिधि हैं । मैं समझता हूं कि उनका इस समस्या से और भी अधिक निकट का सम्बन्ध है । अतः यदि इस प्रश्न पर आन्ध्र प्रदेश विधान सभा में ही विस्तृत विचार किया जाये तो कहीं अधिक अच्छा होगा ।

यदि हम तेलंगाना आन्दोलन का सूक्ष्म अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि पृथक तेलंगाना की मांग को केवल राजनीतिक स्वार्थवश ही भड़काया जा रहा है । इसका एकमात्र उद्देश्य यदि यही है कि राज्य में मन्त्रियों की और अधिक संख्या हो सके, अधिक राजनीतिक लोग सत्ता प्राप्त कर अपनी स्वार्थ सिद्धि कर सकें । इसके अतिरिक्त इस आन्दोलन का और कोई उचित कारण नहीं है । निकट भविष्य में आन्ध्र प्रदेश में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव होने वाले हैं । एक सच्चे लोकतन्त्र राज्य में ऐसी समस्याओं का परीक्षण चुनावों पर ही होता है । अतः हमें अपने दलगत विचार और भेदभाव एक ओर रख कर, इस ज्वलंत समस्या को जनता के समक्ष रखना चाहिये और इसे उनके फैसले पर छोड़ देना चाहिये । आज जब हम स्वर्गीय श्री प्रकाशन के नेतृत्व में आन्ध्र प्रदेश को चाहते थे तो विधान सभा के सातों सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया था । फिर इसी आधार पर वे पुनः निर्वाचित हुए थे । अब फिर यही किया जाना चाहियें । संसद् में चर्चा की अपेक्षा इस विषय का समाधान खोजने के लिए यह अधिक उपयुक्त रास्ता होगा ।

यदि कोई नगरों और गांवों के विद्युतीकरण और शिक्षा के सम्बन्ध में आंकड़ों पर ध्यान दे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि तेलंगाना के साथ कोई भी अन्याय नहीं किया गया । 1956-57 में यदि बिजली 3.2 प्रतिशत लोगों के पास थी तो 1967-68 में वह 30.20 प्रतिशत लोगों को उपलब्ध की गई । इसी प्रकार शिक्षा के आंकड़ों में भी 40.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई । जब राज्य में निजाम का शासन था तब हैदराबाद और सिकन्दरा-

बाद के जुड़े हुए नगरों को छोड़ कर, हैदराबाद रियासत में बिजली और स्कूलों की कोई व्यवस्था नहीं थी ।

आज यदि आन्दोलनकारी यह सोचते हैं कि वह मेरी या श्री संजीवैया रेड्डी की कार रोक कर तथा आन्दोलन की अन्य चालों के द्वारा अपना प्रयोजन सीधा कर लेंगे तो यह उनकी भूल है । हिंसात्मक आन्दोलन से केवल जनजीवन को ही हानि होती है समस्या का समाधान इससे नहीं होता । यदि हम समस्या का हल ढूंढ़ने के लिए सच्चे दिल से इच्छुक हैं तो हम में सर्वप्रथम आदान-प्रदान की भावना होनी चाहिये । उसके लिए पहले उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाय और फिर जनमत तैयार किया जाये । इसीलिए मैं सभी दलों से यह अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि समस्या का शीघ्र ही एक शान्तिपूर्ण हल खोजा जा सके ।

श्री एस० कण्डप्पन (मैंटूर) : मेरे से पहले वक्ता ने यह मत व्यक्त किया कि यदि इस समस्या पर संसद् की अपेक्षा विधान सभा में विचार-विमर्श किया जाये तो अच्छा है । मैं भी मानता हूं कि यह ठीक है परन्तु ऐसा करने के लिए हमें राज्यों को अधिक संवैधानिक शक्तियां देने की आवश्यकता है ।

माननीय सदस्य श्री जी० एस० रेड्डी ने भाषायी राज्यों की आलोचना की है । मेरे विचार से भाषाई राज्यों का निर्माण करने के परिणाम अच्छे ही रहे हैं । यदि कुछ अन्य कारणों से कहीं कठिनाई उत्पन्न हुई है तो इस का दोष भाषाई राज्यों पर थोपने से कोई लाभ होने वाला नहीं है । यदि हम राज्य पुनर्गठन आयोग की सभी सिफारिशों के अनुसार चलते तो आज सम्भवतः तेलंगाना समस्या न होती । मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं । अगर आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा परिचालित पुस्तिका पर विश्वास किया जाये तो उससे तो आंध्र के साथ रहने की अपेक्षा तेलंगाना के लिए अलग राज्य की मांग का पक्ष ही अधिक सशक्त होता है । मुझे तेलंगाना से किसी निजी स्वार्थ की सिद्धि नहीं करनी और न ही मेरे दल ने निकट भविष्य में वहां से चुनाव ही लड़ना है । मैं तो केवल तथ्यों के आधार पर ही स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं ।

इस बात से सभी सहमत हैं कि तेलंगाना में कम-से-कम 300 से अधिक लोग मारे गये और 200 से अधिक बार गोलियां चलीं । परन्तु पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की इन अनेक घटनाओं में किसी एक की भी न्यायिक जांच नहीं कराई गई । इतना ही नहीं यह आन्दोलन तेलंगाना वासियों ने स्वयं ही आरम्भ किया था और यह अभी तक जारी है । यद्यपि इसमें कुछ सीधापन अवश्य आ गया है । हिंसा की घटनायें तो अभी तक हो रही हैं और न ही ऐसी ही कोई गारण्टी दी है कि भविष्य में वहां शान्तिपूर्ण वातावरण बना रहेगा । इन परिस्थितियों में तेलंगाना समस्या की किसी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि सदन के लोगों में आपसी आदान-प्रदान की भावना का पूर्णतया अभाव है । यदि आन्ध्र प्रदेश का नाम आन्ध्र तेलंगाना रखने से तेलंगाना के लोगों को संतोष हो जाता है तो हमें इसके लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । आज तेलंगाना में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिए केन्द्र सरकार

पूरी तरह से दोषी है। सरकार की प्रवृति ही कुछ ऐसी बन गई है कि जब तक आन्दोलन नहीं होता, हिंसा नहीं भड़कती सरकारी सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुंचाई जाती सरकार के कान पर जूं नहीं रैंगती। इतना ही नहीं जब समस्या चरम सीमा पर पहुंची जाती है तब भी सरकार कोई अन्तिम निर्णय न लेकर स्थिति को वैसे ही चलने देती है। भारत सरकार को अब और अधिक देरी किये बिना शीघ्र ही एक गोल-मेज सम्मेलन बुलाना चाहिये था फिर इस मामले पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये और इस समय जबकि तेलंगाना में शान्तिपूर्ण वातावरण है, समस्या का समाधान खोजना अधिक कठिन नहीं है।

SHRIMATI LAXMI BAI (Medak): Mr. Chairman, the Telangana problem is not only the problem of Telengana but it is the problems relating to country as a whole. The motion was accepted for discussion after great efforts and the time allotted for discussion is too little.

The M.Ps. from Andhra Pradesh did not know what the Telengana agitation stood for. They said in Rajya Sabha that there should not be separate Telengana because the language and the mode of living was the same. The position was that large contingents of police had been posted in various localities of Telengana for the last 16 months and I think an estimated expenditure is of Rs. 50,000 to Rs. 80,000 is being spent on these establishments. It is really very painful that Chief Minister of Andhra Pradesh did not honour the popular demand of Telengana and wrongly apprised the Centre of the serious situation existing in the State.

Some time back, in a well known Reddi Bhai Hartal in old Hyderabad, police comitted atrocities on students which resulted in serious injury to several of them. Government should take a serious note of it and the demand for a judicial enquiry should be acceded to.

Some hon. Members have pleaded that there should not be a separate State for Telengana. It should not be separated from Andhra Pradesh. I would like to ask my friends as to whether the people of Andhra were not better educated and better off when they were in Madras? It is a well known fact that educated percentage of Madras was higher. The Telengana got its political life in 1946 when Congress party was formed. In 1947 Telengana Committee was formed and after the election of 1952, Telengana people joined the politics. Telengana was having only one B.T. College whose strength was only 200. After the formation of Andhra Pradesh, one college was added in Telengana whereas 9 colleges with strength of 500 were opened in Andhra Pradesh. That means that no adequate educational facilities had been provided in Telengana. The people of Telengana were comparatively economically poor.

Now take the case of land. The price of one acre land in Andhra Pradesh is from ten thousand to twenty-five thousand whereas in Telengana it ranges from rupees 50 to 100 only. The people of Andhra sell their land at higher price and purchase land in Telengana with even half the capital. Thus lot of people have settled in Telengana. The doctors, advocates and teachers they all belong to Andhra Pradesh. There is hardly any blame of Telengana people to enter into any respectable profession. This state of affairs will definitely lead to discontentment.

There is disparity even in realm of law. No land reforms have been introduced there. In Telengana area, the land revenue was Rs. 24 per acre whereas in Andhra region, it was Rs. 12 per acre. After an agitation to equalise it, it

was raised to Rs. 36 in Telengana area whereas it was raised to Rs. 18 in Andhra area.

Whosoever visits Telengana tries to give a sermon to us but nobody wants to have an actual study of the circumstances. Now, I feel that it is the high time when Government should appoint a Committee. It should be sent to Telengana area to study the condition of people there. It has been said that industries with an investment of Rs. 2 crores had been established in Telengana but the fact is that people of Telengana have not been benefited by them. All these facts should be studied by the Committee. If my allegations are proved false I am liable for any punishment but if these are correct, I will request the Government to take immediate steps to form a separate State of Telengana.

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : सभापति महोदय, हम सभी देख रहे हैं कि तेलंगाना के हमारे सदस्य काफी चिंतित और क्षुब्ध हैं। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो घटनायें घटी हैं वह निश्चय ही हम सब के लिए चिंता का विषय है। तेलंगाना के लोगों की अपनी न्यायिक मांगों के लिए पुलिस की लाठियों और गोलियों का शिकार बनना पड़ा। यह निश्चय ही खेद का विषय है। आन्दोलन को कुचलने के लिए बल का प्रयोग इतनी निर्दयता से नहीं किया जाना चाहिये। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय जब आन्ध्र प्रदेश का विशाल राज्य बना तो उस क्षेत्र के लोगों की बड़ी बड़ी आशाएं थीं। आंध्र प्रदेश को समृद्ध देखने के लिए लोगों की बड़ी-बड़ी आशाएं थीं। जब यह राज्य गठित हुआ तो वहां पर तेलंगाना और रायलसीमा जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े प्रदेश थे। तेलंगाना के विकास के लिए विशेष उपाय बरते गये जो उचित प्रतीत होते हैं और इस प्रकार का प्रबन्ध किया गया कि इन प्रदेशों से जो राजस्व वसूल किया जाये, उसे उसी क्षेत्र के विकास के लिये व्यय किया जाये और उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने पर भी विशेष ध्यान दिया जाय।

लेकिन उस राज्य में कांग्रेस शासन के अनेक वर्षों के पश्चात् भी ये सभी आशाएं झूठी सिद्ध हुई हैं। वस्तुतः पंच- वर्षीय योजनाओं के सन्दर्भ में इस देश में हमने अविकसित प्रदेशों को विकसित बनाने और इस देश में औद्योगीकरण लाने आदि पर बार बार बल दिया है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने के पश्चात् हम सदैव इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लोगों के स्तर को ऊंचा उठाने में और पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने में बहुत कम कार्य किया जा सका है। यह एक विशाल राज्य है और संसाधन भी यहां पर्याप्त हैं परन्तु प्रति व्यक्ति आय और दूसरी चीजों को ध्यान में रखते हुए शायद यहां विकास का निम्नतम स्तर है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार और आंध्र सरकार दोनों को दोषी ठहराया जायेगा। केन्द्रीय प्राधिकारियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे तेलंगाना की मदद करें ताकि उस क्षेत्र का औद्योगिक दृष्टि से विकास हो सके और उसके पिछड़ेपन को दूर किया जासके। यह राष्ट्रीय समस्या है और इसी दृष्टि से इसका हल भी करना है।

इस निराशा से आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ। इस क्षेत्र को विकसित करने में गत कई वर्षों से केन्द्रीय सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया;

अपना कर्तव्य निभाने में वे बुरी तरह से अयोग्य सिद्ध हुए । तेलंगाना के लोगों को जो वचन दिये थे, उनमें से कई पूरे नहीं किये गये । यह जो कुछ मैंने कहा है, सत्य है ।

पृथक तेलंगाना बना देने से ही तेलंगाना के लोगों की समस्याएं हल नहीं हो जायेंगी । जो मुख्य समस्या है वह है विषमताओं को समाप्त करने की और इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह एक सामूहिक सस्मस्या है जिसका हमें मिलकर समाधान करना है । अत: सब को कंधे से कंधा मिलाकर अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ना है और अपने दमनकारी का साहस से मुकाबला करना है ।

तेलंगाना के लोग अपने कटु अनुभवों को आसानी से नहीं भुला सकते हैं । यदि हम भाषायी राज्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटते हैं और उनके छोटे-छोटे टुकड़े करना चाहते हैं तो इससे समस्या हल नहीं हो जायेगी । भारत में अधिक राज्यों के बनाने से समस्या हल नहीं हो पायेगी क्योंकि राज्यों का गठन युक्तियुक्त वैज्ञानिक सिद्धान्त के भाषायी राज्यों के आधार पर हुआ है । कुछ लोगों का विचार है कि राज्यों का विभाजन भाषायी आधार पर उचित नहीं है क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचता है । वे लोग सोचते हैं कि देश को प्रदेशों में बांट देना चाहिये । परन्तु उससे कठिनाइयों में वृद्धि ही होगी । अत: इन राज्यों को अखंड ही रखना होगा । यदि दुर्भाग्य से भविष्य में आन्ध्र प्रदेश राज्य का विभाजन होता है, तो इससे समस्याएं सुलझने की अपेक्षा बढ़ जायेंगी, जिसकी कि आज हम कल्पना नहीं कर सकते । अत: लोगों और नेताओं को आन्ध्र प्रदेश के उस हिस्से की ओर शान्तिपूर्वक विचार करना चाहिए ।

मुख्य आधार अत्यन्त स्पष्ट है और वह है बिना राज्य विभाजन के इसका कोई समाधान किया जाना चाहिए । इस क्षेत्र की प्रगति के लिये आवश्यक उपाय तत्काल किये जाने चाहिएं तथा इस क्षेत्र के विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी जाये ।

केन्द्रीय सरकार को इन क्षेत्रों की सहायता स्वयं करनी चाहिए ताकि ये क्षेत्र तीव्र गति से विकास कर सकें । यदि ऐसे कदम उठाये गये और उनकी समस्याओं का मूल रूप से समाधान किया जाये, विशेषकर बेरोजगारी की समस्या, औद्योगीकरण की समस्या, कृषि सम्बन्धी सुधार तथा लोगों को सामन्तों के दमन से छुटकारा दिलाना आदि, तो इन समस्त समस्याओं को हल किया जा सकता है ।

दुर्भाग्यवश, कोई नहीं कह सकता कि केन्द्रीय सरकार का आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए वास्तविक मार्ग का अनुसरण किया है । समस्याओं को इन्होंने और जटिल बना दिया है । नवीन प्रयास के रूप में इन्हें राज्य के दलित मजदूर वर्ग के पास जाना चाहिए और उन्हें संगठित करना चाहिए । उनकी समस्याओं पर गौर किया जाना चाहिए तथा आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्थानों पर इसके लिए आन्दोलन चलाये जाने चाहिए। इससे समस्या राज्य की समस्याओं

को सुलझाने के लिये सरकार को समाधान मिलेंगे और सारा राज्य संकट से सुरक्षित किया जा सकेगा। आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना की समस्याओं का एकमात्र हल यही है।

SHRI G. VENKATSWAMY (Siddipet): Mr. Speaker, Sir, many members have participated in the discussion which is going on about the problem of Telengana. There seems to be some secret behind every movement. Why this movement was started and who is responsible for it? The present trouble in Telengana has started because the Gentleman's Agreement has not been fulfilled. It is a mass movement in Telengana and the agitation is not incited by political leaders as some members say. I would like to say that I was the chairman of the Integration Committee and I faced the leaders of Telengana courageously.

This movement has been started by the public and students. The will of the people counts very much in a democracy. Therefore it is necessary that the wishes of Telengana should be ascertained through an opinion poll. Under the Prevention Detention Act more than 200 people were arrested within a period of nine months and more than 300 people were shot down. It is our fundamental right to raise our voice against injustice.

The police is behaving in abnormal way and is perpeutating cruelties on the people. The Prime Minister had said a year ago that first peace should be restored and then certainly something could be done. Why no action has been taken in this regard?

For the development of Telengana due attention has not been paid as promised in the Gentleman's Agreement. In Government Services also due representation has not been given to the people of Telengana. Therefore, the people of Telengana have lost faith in the Andhra people. It is not desirable and wise to keep them together under compulsion.

An agreement had been signed between the Madras Government and the Hyderabad Government about lift canal project which was in Telangana. Late Shri Jawahar Lal Nehru laid the foundation stone. But this project has been set up in Andhra region and the people of Telengana are deprived of it. That is how the interests of the people of Telengana are being ignored. Though the students of Telengana are qalified for the posts but they are not taken in service.

The demand for a separate State has been supported by all sections of the people in Telengana. The Government should find solution to the problem in time. We also want that this matter may be solved in a peaceful manner. It is not possible to suppress this popular movement. But the youth of Telengana is not going to become naxalite.

This is a unanimous demand of all the section of Telengana. The Government would have to grant a separate Telengana. There is no other alternative. We wish to live in peace with the people of Andhra. But if we could not live then the proper way is to live separately otherwise there will be quarrel and the respect for one another will be lost. Therefore a separate state should be allotted for Telengana.

SHRI RABI RAY (Puri): In this House the question of Telengana has come up for discussion for the fourth or fifth times. It is not a question of only 1.5

crores people of Telengana but it has now taken the shape of a national problem and should be solved at national level.

We are not looking up this problem seriously and our views have become narrow minded. Article 371(a) of the Constitution says that:

"Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, by order made with respect to the State of Andhra Pradesh provide for the Constitution and functions of regional committees of the Legislative Assembly of the State. for the modifications to be made in the rules of business of the Government and in the rules of procedure of the Legislative Assembly of the State and for any special responsibility of the Governor in order to secure the proper functioning of the regional committees."

It is the prime duty of the Central Government. It is a matter of regret that the Central Government has not fulfilled its responsibility in this matter. It is dereliction of duty on the part of the Central Government and the Government do not want to induce unity.

Last year, while discussing this issue in the House, a suggestion was made that a Parliamentary Committee should visit Andhra Pradesh to make an on-the-spot study of the Telengana problem. At that time, it appeared that the Government was inclined to accept the suggestion. But in the meanwhile, the Chief Minister of Andhra Pradesh came to New Delhi and advised the Government for not accepting the suggestion. As a result the suggestion was finally turned down. What is the position in Telengana? It is a fact that Section 144 is continuously imposed there for the last sixteen months. This is a strange thing.

Is it not a fact that the Government has made a plot in the appointment of Bhargava Committee? A committee under the chairmanship of Mr. K. Lal visited Andhra Pradesh and came to the conclusion that Telengana has a surplus of Rs. 100 crores. Afterwards, Bhargava Committee went there to re-examine the issue. In fact, this committee was appointed to reduce the surplus of Telengana. Hence, it is apparent that the Government has made it a political question and has neglected the demand of the people of the Telengana.

The people of Telengana feel that injustice has been done in the matter of development. Moreover, there is wide disparity in the economic development of the two regions of Andhra Pradesh, the coastal region and hinter land. The people of the undeveloped area felt it and launched an agitation. It has become a question of policy for the Parliament and should be decided as such. Then, steps should be taken to remove the disparity.

Last year Prime Minister called us for discussion and at that time I made it clear that the Bill for amendment of the constitution about Maghalay should be dealt carefully. In order to solve this problem and to develop the backward area of Telengana, it is necessary that a sub-State of Telengana like Meghalay is created in Andhra Pradesh. A judicial inquiry Committee may be appointed for those persons who martyr for this movement.

श्री के० रमानी (कोयम्बत्तूर) : मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा दल पृथक तेलंगाना की मांग नहीं करता है । अत: यह अच्छी बात है कि तेलंगाना क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य पृथक तेलंगाना राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं । लेकिन

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने तेलंगाना की सरकार को जो कुछ संरक्षणों का आश्वासन दिया था वे निश्चय ही पूर्णरूप से कार्यान्वित किये जाने चाहियें इसके लिए सभी व्यवस्था, चाहे वह सांविधिक या गैर-सांविधिक हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी चाहिए ।

गत 20 वर्षों से कांग्रेस दल की सत्ता रही है और आंध्र राज्य में इसका शासन रहा है ।

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]

[Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

तेलंगाना में ऐसी समस्या क्यों उठी जिसमें कई लाख किसानों, मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों ने भाग लिया और शूरवीरता से लड़ें ? इस संघर्ष को विद्रोह की संज्ञा देना, मैं स्वीकार नहीं करता ।

इस संघर्ष को उन दिलचस्पी लेने वाले व्यक्तियों से प्रेरणा मिली जिन्होंने इन व्यक्तियों का रोष अतिराष्ट्रीय में बदलना चाहा । इस संघर्ष में 300 से अधिक व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी और सम्पत्ति की अपार क्षति हुई । आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि 52 करोड़ रुपये के मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई । कांग्रेस नेताओं ने अपनी सत्ता और स्थिति को बनाए रखने के लिए तेलंगाना और दूसरे क्षेत्रों में विभिन्न दल बनाए और आपस में एक दूसरे से लड़े । यदि तेलंगाना के लोग अपने अधिकारों के लिये आंध्र के लोगों से मिलकर लड़ते तो तेलंगाना वासियों की समस्याएं शासकों द्वारा गौर की जातीं । तेलंगाना की वास्तविक समस्या जमींदारों और बड़े-बड़े पूंजीपतियों द्वारा लोगों का शोषण करने की है । केवल तेलंगाना क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में भी यह बात हो रही हैं । आंध्र के लोगों को जो तेलंगाना, हैदराबाद या इन नौ जिलों में कहीं भी हैं, बाहर निकालना समस्या का कोई समाधान नहीं है । तेलंगाना की जनता को इस मामले में शांतिपूर्वक विचार करना चाहिये । हमें तेलंगाना की जनता, तेलंगाना के दलित और पीड़ित लोगों के प्रति पूर्ण सहानु-भूति है । निजाम शासन के अन्तर्गत तेलंगाना के वीर लोगों ने कई वर्षों तक रजाकारों के विरुद्ध संघर्ष किया । साम्यवादी दल ने इस संघर्ष का नेतृत्व किया । 6,000 व्यक्तियों को प्राणों से हाथ धोने पड़े और लगभग दो हजार गांवों में भूमि पर अधिकार कर लिया गया लेकिन जमींदारों ने पुनः इसको छीन लिया । मैं लोगों का दमन करने, उन पर हमला करने, गोली चलाने और छात्रों की हत्या करने तथा स्त्रियों और बच्चों का बध करने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के रवैये की घोर निन्दा करता हूं ।

इन खतरनाक आन्दोलनों में कई बड़े भूमिपतियों और बड़े व्यापारियों का हाथ रहा है । इसके अतिरिक्त विदेशी एजेंसियां भी वित्तीय सहायता प्रदान करके इन आन्दोलनों को बढ़ावा देती हैं । तेलंगाना आन्दोलन के प्रति वास्तविक कारण यही है । पृथक तेलंगाना बना देने से ही समस्या सुलझ नहीं जायेगी । इस बात की कोई गारंटी नहीं कि श्रमिक वर्ग और कृषिक वर्ग सत्ता अपने हाथ

में ले लेंगे और भू-स्वामी तथा दूसरे शोषकों द्वारा इन पर हमला नहीं किया जायेगा। यह तभी हो सकता है जब तेलंगाना के लोग और आंध्र के लोग सामूहिक रूप से एकत्रित होकर पूंजीवाद और जमींदारी से लड़ें और इनसे सत्ता को हथिया लें और शोषक वर्ग को दूर हटा दें।

यह कहा गया है कि भाषायी राज्यों के सिद्धान्तों को स्वीकार करना ही गलत था। इस विचार का अन्धाधुन्ध प्रचार किया जा रहा है। सिद्धान्त को स्वीकार करना गलत नहीं है। हमारे विकास के लिए भाषायी राज्यों का बनना आवश्यक है। प्रगति की दृष्टि से आन्ध्र प्रदेश सरकार को तेलंगाना की जनता की समस्या की खोजबीन करनी चाहिए; यदि आवश्यक हो तो आन्ध्र तटीय क्षेत्र के विकास को छोड़कर तेलंगाना क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए। आन्ध्र सरकार को तेलंगाना क्षेत्र के लिए अधिक धन, अधिक शिक्षा, अधिक रोजगार की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए।

जब आंध्र के लोग पृथक आंध्र राज्य के लिए लड़ रहे थे तो तमिलनाडु के लोगों ने इस आन्दोलन का समर्थन किया क्योंकि ये उचित लोकतांत्रिक आन्दोलन था : आज आंध्र के लांखों लोग मद्रास शहर में बसे हुए हैं और वहां पर नौकरी पर लगे हुए हैं। उनसे हम घृणा नहीं करते हैं और न ही उन्हें निकाल रहे हैं। वे हमारे भाई हैं।

तेलंगाना और आन्ध्र के लोगों को मध्य-वर्गी भू-स्वामी के शासन से छुटकारा पाना चाहिये जो लोगों को युद्ध में लड़ा कर लूट में भाग लेना चाहते हैं। लोगों के रोष को गलत दिशा दिखाई गई है और आन्दोलन गलत मार्ग पर अग्रसर हुआ है। उससे केन्द्रीय सरकार और उससे अधिक घृणित राज्य सरकार को उनको दबाने के लिए गोली चलाने के कार्य में संलग्न होकर, पुलिस और सेना को वहां भेज कर लोगों की हत्या करने का अवसर दे दिया है। अतः उनको इस खतरे से सतर्क रहना चाहिए।

तेलंगाना के अल्प विकसित क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये और उसे दिये गये आश्वासनों को शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये। उस क्षेत्र से एकत्रित राशि उसके विकास के लिए खर्च की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो तेलंगाना क्षेत्र के विकास के लिए आन्ध्र की जनता के विकास कार्यों को छोड़कर आंध्र प्रदेश से अधिक धन राशि व्यय की जानी चाहिये। ऐसा करने से ही इस तरह की विघटनकारी प्रवृत्ति और विभाजन तथा खण्ड-विभाजन को छोड़ा जा सकता है और भाषायी राज्यों का वास्तविक और स्वस्थ्य विकास सम्भव हो सकता है। प्रतिक्रियावादियों को हटा कर जनता की सरकार स्थापित करनी चाहिये जिससे सच्चे अर्थों में लोगों के हितों की रक्षा हो। वही केवल सम्भव समाधान है।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : मैं दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। वन रेंजरों और इंजीनियरों के मामले में जिनको उद्धृत किया गया है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिये हैं। फिर भी अभी इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है। तथ्य तो यह है कि प्रधान मन्त्री द्वारा आठ-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा करने के पश्चात्

ही यह हुआ है। सभी प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के बाद ये निर्णय दिये गये हैं लेकिन आज तक उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है। प्रधान मंत्री ने 11-4-1969 को आश्वासन दिया था और निर्णय 21-8-1969 को दिया गया, तब से लेकर अब तक रेंजरों और लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों के मामले में कुछ नहीं किया गया है।

जब आन्दोलन चल रहा था तो प्रधान मंत्री और गृह मंत्री दोनों ने कहा कि एक बार स्थिति के सामान्य हो जाने पर ही पृथक तेलंगाना के बारे में विचार विमर्श किया जायेगा। लेकिन ज्यों ही स्थिति सामान्य हुई तो इस सब पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और अब पृथक तेलंगाना का कोई मामला ही नहीं है। यह बिल्कुल उचित बात नहीं है।

कांग्रेस के विभाजन के परिणामस्वरूप मुख्य मंत्री की स्थिति सुदृढ़ हुई है। पुलिस कानून को हाथ में ले रही है। हम विशेषाधिकार को समाप्त करके समतावादी समाज की बात करते हैं। क्या यही समतावादी समाज है जो हम बनाने जा रहे हैं ?

पिछड़ेपन के विषय में काफी कुछ कहा गया है। हैदराबाद राज्य में प्रशासन भारतीय भाषा में चलाया जा रहा है और विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम भी भारतीय भाषा है। प्रत्येक राज्य में पिछड़ापन है। पृथक तेलंगाना की मांग का मेरे पास भिन्न कारण है। यदि पिछड़ेपन की कोई समस्या न हो तो भी पृथक तेलंगाना होना चाहिए। अत: विशेष प्रकार के लोगों का किसी विशेष स्थान पर केन्द्रित हो जाना भी देश की एकता के लिये खतरा है। भाषायी राज्यों को बनाने के कारण क्या हैं ? हमने सीमा निर्धारित कर दी है और उस सीमा के अन्दर सजातीय जनसंख्या है। उन भाषायी राज्यों में, भाषा है, धार्मिक संस्कृति है और विशिष्ट सीमा है।

चारों ओर से मांग की जा रही है कि राज्यों को अधिक सत्ता दी जाये। केन्द्र का राज्यों पर दिन प्रतिदिन नियंत्रण कमजोर पड़ता जा रहा है। केन्द्र दो तरह से नियंत्रण करता है, वित्तीय रूप से और सेना द्वारा। वित्त आयोग के पास वित्त संबंधी शक्तियां हैं और उसके लिए कतिपय नियम निर्धारित है। क्या कोई देश केवल सेना द्वारा नियंत्रण कर सकता है विशेष रूप से जब विदेशी सत्ता इसमें दिलचस्पी दिखाती हो। अत: स्थिति से अनुचित लाभ उठाना किसी विदेशी सत्ता के लिये सुगम है। अत: सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। देश की एकता और अखंडता के हित में इतने अधिक राज्य होने चाहिये जितने कि संभव हों और इसके अन्तर्गत भाषायी सिद्धान्त भी लागू होता है। छोटे-छोटे राज्यों के साथ भाषाओं को अधिक अवसर मिलेगा। हम भाषायी राज्यों के विरुद्ध नहीं हैं, हम केवल बड़े राज्य बनाने के विरुद्ध हैं। एक ऐसे विशाल क्षेत्र में जहां केवल एक भाषा भाषी जनता रहती है, इसे पृथक किया जा सकता है। मेरा समूचा मामला पृथक तेलंगाना के बारे में यह है कि देश भर में पृथक छोटे राज्यों के मामले हैं। समस्या इतनी बड़ी और जटिल है कि इसकी जांच करने के लिए कम से कम एक जन-निकाय की स्थापना की जानी चाहिये।

भारत सरकार ने जो वायदा किया था उसे पूरा नहीं किया है। यदि गृह-मंत्री समझते हैं कि दृढ़ शस्त्र दांव पर्याप्त होंगे तो वह भूल में हैं क्योंकि तेलंगाना एक ऐसा क्षेत्र है जहां

साम्यवादी आन्दोलन है और रजाकार साम्यवादी विरोधी हैं । भारत सरकार इस आन्दोलन को केवल राजनीतिक समाधान द्वारा ही रोक सकती है और तेलंगाना में शान्ति लाई जा सकती है । यह भी संभव है कि युवक वर्ग नक्सलवादी मार्ग अपना ले अथवा कोई दूसरा मार्ग चुन लें । अत: छोटे राज्य बनाये जाना आवश्यक है । पृथक तेलंगाना की मांग जनता की मांग है । तेलंगाना से एक ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी कि अनेक छोटे-छोटे राज्य बन जायेंगे और वे एक संयुक्त भारत बनाने में सहायक होंगे ।

श्री क० नारायण राव (**बोब्बली**) : सदन के समक्ष मैं तथ्य रखना चाहता हूं ताकि देश को सही स्थिति का पता चल सके । आंध्र सरकार ने तथ्य और आंकड़े अब प्रस्तुत किये हैं जिनका खण्डन नहीं हुआ है । 1953 में किन परिस्थितियों में आंध्र राज्य अस्तित्व में आया, यह देखना है । संविधान को बनाते समय यह भावना रही कि राज्यों का किसी युक्तिपूर्ण ढंग से विभाजन होना चाहिये । इसीलिये अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्यों का पुनर्गठन संसद द्वारा विधान बना कर किया जा सकता है । पुनर्गठन के समय कुछ क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश में निश्चय ही आना चाहिये था किन्तु ऐसा नहीं हुआ और इसके लिये आंध्र के लोगों ने आन्दोलन नहीं किया । अब आंध्र प्रदेश को और आगे विभाजित करने के लिये आन्दोलन हो रहा है ।

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि आन्ध्र प्रदेश के लोग उपेक्षित रहे हैं । उस क्षेत्र में दो प्रकार की विकास पद्धतियां हैं । जहां तक नौकरियों का सम्बन्ध है, निजाम को स्थानीय आन्ध्र के लोगों में विश्वास नहीं था । वे बाहर से लोगों को ले आते थे । उद्योग में भी लोगों को बाहर से लाया जाता था । इसलिये स्थानीय आन्ध्रवासियों को विकास के लिये कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया । यही कारण है कि आन्ध्र के साथ एक हो जाने से आन्ध्र के लोगों ने अनुभव किया कि सैंकड़ों वर्षों के पश्चात् वे इकट्ठे हुए हैं ।

समूचे आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में नई जागरूकता आई है । इसके साथ हीं वहां कुछ निहित स्वार्थों के नेतृत्व में वृद्धि हुई है । परिणामस्वरूप वहां आन्दोलन हो रहे हैं । कुछ लोगों ने गलत तरीके से लोगों को उकसाया है और वहां हिंसा की घटनायें भी हुई हैं । आन्दोलन काफी अधिक समय तक होता रहा है और इसे इतने अधिक समय तक जारी नहीं रखा जा सकता जब तक कि कुछ निहित स्वार्थों द्वारा धन न दिया जाये । फिर भी सभी ने आंध्र सरकार को दोषी ठहराया है और अन्तत: आन्ध्र सरकार इसे नियंत्रित भी नहीं कर सके । अब स्थिति सामान्य हो गई है ।

इस सब आन्दोलन के बावजूद आन्ध्र और तेलंगाना के बहुत से लोगों में अभी तक एकता है । उन लोगों के मध्य भी, जो एकीकरण के विरुद्ध तर्क देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं और उनको पहचानना बहुत ही कठिन है । ऐतिहासिक प्रक्रिया चल रही है और लोग अपने आप को समय के अनुरूप ढाल रहे हैं । हमें यह विश्वास है और आशा करते हैं कि संयुक्त आंध्र प्रगति करेगा ।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : सर्वप्रथम संविधान की रचना करते समय भाग क और भाग ख के राज्य थे परन्तु बाद में भाग ख के राज्यों को खत्म कर दिया गया । यदि हम

प्रशासनिक प्रतिरूप को देखें तो एक ओर उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य है और दूसरी ओर हमने नागालैंड राज्य को बनाया । हाल में हमने एक दूसरा प्रयोग किया और राज्य के अंदर राज्य बनाया जो मेघालय के नाम से जाना जाता है। कतिपय ऐतिहासिक कारणों से पांडिचेरी और गोआ पृथक-पृथक बनाये । इससे लोगों के दिलों में आशायें जागृत हुई और उन्होंने ऐसा सोच लिया कि वे भी पृथक राज्य के लिये मांग कर सकते हैं और अपनी कठिन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं ।

अब आन्ध्र के संसद्सदस्य कह रहे हैं कि तेलंगाना पृथक नहीं होगा । लेकिन क्या उन्हें स्मरण है कि भाषा के मामले पर ही नहीं, अपितु तुलनात्मक विकास के मामले पर भी उन्होंने मद्रास से पृथक होने की मांग की थी ।

1956 में यह कर लेने के पश्चात् वे स्थिति से परिचित थे उन्होंने एक भद्र समझौता किया और इस समझौते के अन्तर्गत तेलंगाना को कुछ लाभ हुए ।

परन्तु जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया वे इस भद्र करार को भूल गये । वस्तुतः यह समझना मुश्किल है कि किस प्रकार तेलंगाना बौद्धिक क्षमता में इतने निम्न स्तर पर पहुंच गया कि इन कई वर्षों से वह ऊपर न उठ सका ।

चाहे भार्गव समिति हो अथवा अन्य समिति हो और चाहे उन्होंने 40 करोड़ का अथवा 108 करोड़ रुपये का नियतन किया हो, यह सभी स्वीकार करते हैं कि आंध्र ने तेलंगाना को धन की राशि का उतना हिस्सा नहीं दिया जिस के वह हकदार हैं । इस विशेष परिस्थिति में केन्द्रीय सरकार को अत्यन्त कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । केन्द्रीय सरकार जो अधिक से अधिक कर सकती है वह है संविधान का सहारा लेना क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत सरकार कह सकती है कि हम राज्यों को बना सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं । यदि वे इससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनकी याचिका अमान्य होगी ।

एक और भी बात है जिससे वे प्रभावित हो रहे हैं। वह है कांग्रेस दल का विभाजन और इससे दिन-प्रतिदिन देश में उनका प्रभाव कम होना । हमें पता चला है कि राज्य नेता यह कहते हैं कि कार्य-कारिणी समिति को इस मामले में कुछ नहीं करना है । वस्तुतः वे धमका रहे हैं। संसद तथा भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और तब वर्तमान परिस्थितियों में जो आवश्यक है वह करना चाहिये और निरर्थक बातों की ओर ध्यान न देकर लोगों को ठीक सलाह देनी चाहिये ।

तेलंगाना का प्रश्न इस सभा में कई बार चर्चा का विषय रहा है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि संबंधित क्षेत्रों के लोगों को पिछड़े क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी लेनी चाहिये । चौथी योजना भी यही संकेत देती है कि योजना में जो निरर्थक बातें ह उनसे इन पिछड़े क्षेत्रों के स्तर का विकास विकसित क्षेत्रों के स्तर के बराबर करने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया है यद्यपि कितने ही वायदे किये हैं ।

गृह मंत्री के कोरे आश्वासनों से कोई हल नहीं निकलने वाला है। भारत सरकार को भी समझ लेना चाहिये कि अब संविधान के कारण तथा दल के झगड़े के कारण उनकी याचिका मान्य नहीं होगी अत: स्थिति के प्रति वे जागरूक रहें और ठीक रास्ता अपनायें।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यवश मैं वाद-विवाद के प्रारंभिक चरणों में उपस्थित नहीं हो सका अत: माननीय सदस्यों के कुछ भाषण मैं नहीं सुन सका। फिर भी मैं उठाये गये कुछ मामलों से परिचित हो गया हूं।

मई या जून 1969 में जब मैंने आंध्र प्रदेश की यात्रा की तो मैंने आंध्र की समस्या का अनुमान लगाया था और तब मैंने यहां यह कहा था कि यह जनता का आंदोलन है। मैंने सदैव ही कहा है कि यह दुष्कर समस्या है जिस पर ध्यानपूर्वक मनन करने की आवश्यकता है।

इसमें कोई शक नहीं है कि तेलंगाना के लोगों की जो शिकायतें हैं उनमें से दो शिकायतें औचित्यपूर्ण हैं; इनमें से एक तो सेवाओं में उनके अंश की शिकायत है और दूसरी शिकायत उनकी विकास समस्याओं के विषय में है। इन दोनों मामलों के बारे में भारत सरकार का कोई संदेह नहीं है और मेरे विचार से आंध्र सरकार या स्वयं मुख्य मंत्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने भी इन दोनों स्थितियों को मानने से इन्कार नहीं किया है।

अब प्रश्न यह है कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाये। इस मामले के बारे में दो दृष्टिकोण हैं। कुछ लोगों की यह मान्यता है कि आन्दोलन करके पृथक तेलंगाना राज्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाये। दूसरा मार्ग यह है कि इस क्षेत्र की समस्याओं का पता लगाया जाय और उनका समाधान किया जाये और यह देखा जाय कि तेलंगाना वासियों को आगे फिर शिकायत का मौका न मिले। हमें साधनों और उपायों के बारे में विचार करना चाहिये और कार्यक्रम बना कर इन्हें क्रियान्वित करना चाहिये। यदि मार्ग में कतिपय कठिनाइयां और अड़चनें आती हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये। दोनों पहुंच-मार्गों या दृष्टिकोणों में यही आधार-भूत वैभिन्नय है।

समस्या के अत्यन्त गंभीर होने पर तत्काल ही प्रधान मंत्री ने तेलंगाना के सभी अग्रगण्य राजनैतिक सदस्यों को दिल्ली में आमंत्रित किया। यहां क्रमश: चर्चा हुई और कुछ उपाय अपनाये गये। बेरोजगार की समस्या, सेवाओं की समस्या और तेलंगाना के विकास की समस्या और अन्य कई पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। भारत सरकार ने 18 फरवरी को प्रेस विज्ञप्ति निकाली जिसमें सभी समस्याओं का ब्यौरा और अपनाये गये उपाय तथा नियुक्त की गई समितियों का ब्यौरा दिया गया।

देश के विभिन्न राज्यों में पिछड़े हुए प्रदेश हैं। इसका हल क्या है ? प्रादेशिक विकास की समस्या गंभीर समस्याओं में से एक है जिसे योजना आयोग को आगामी वर्षों में विचार करना है।

सभी भाषायी राज्यों में कुछ क्षेत्र अधिक विकसित होते हैं और कुछ दूसरे क्षेत्र कम विकसित । इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन का कारण भौगोलिक, आर्थिक और ऐतिहासिक रहा है। अत: हमें इन मामलों पर गहराई से मनन करना होगा । तेलंगाना के साथ भी यही स्थिति है और कुछ ऐतिहासिक कारणों से कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं और कुछ अधिक विकसित हैं । उदाहरण के लिये आंध्र प्रदेश का तटीय प्रदेश अधिक विकसित है और रायालसीमा पिछड़ा हुआ है । अत: इन समस्याओं की पहचान करके इसके आर्थिक कारण पता लगाने होंगे और इन क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष योजना का रवैया अपनाना पड़ेगा ।

यह राष्ट्रीय समस्या है जो केवल किसी विशेष प्रदेश से ही संबंध नहीं रखती है । प्रादेशिक विकास और प्रादेशिक असंतुलन से इस देश में विभिन्न आकार दिखाई देते हैं । राजनीतिक पहलू भी एक है और राज्य स्तर पर जिम्मेदार नेताओं को तेलंगाना से सबक लेना चाहिये । गरीब लोग स्वभावत: महसूस करते हैं कि उनकी उपेक्षा की जा रही है । अत: केवल प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने से ही समस्या सुलझने वाली नहीं है । आदिवासियों की ओर से भी मांगें हैं । कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनजातियों का प्रभुत्व है लेकिन वे क्षेत्र पिछड़े हुए हैं । अत: सामाजिक कारणों से भी कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं । अत: योजना और विकास के प्रश्न को पूर्ण रूप से विभिन्न दृष्टिकोण से देखना बेहतर होगा । अत: छोटे राज्यों के किसी सिद्धांत से देश की एकता को खतरा पहुंचता है ।

सेना की शक्ति से ही वर्तमान एकता बनी हुई है, इस सिद्धांत को हम स्वीकार नहीं करते क्योंकि यह सिद्धांत काल्पनिक ही नहीं अपितु वर्तमान दशाओं में मूल रूप से दूषित है । यद्यपि देश में कुछ कठिनाइयां हैं तो भी हमारे देश के लोगों ने मिल जुल कर रहने का निर्णय लिया है । हमें देश की एकता में तनिक भी संदेह नहीं है ।

सभी राज्यों में किसी एक दल का ही शासन नहीं रहा है जो वर्तमान स्थितियों में अत्यन्त स्वाभाविक दिखाई देता है । लेकिन इसका यह आशय नहीं कि केन्द्रीय सरकार ने देश की एकता को बनाये रखने के लिये अपनी शक्ति खो दी है ।

तेलंगाना के लोगों की इच्छा है कि राज्य की राजनीति में उनका अधिक योगदान हो और यही वहां की समस्या है । यही आधार-भूत बात है । हम आशा करते हैं कि देश के सभी राजनीतिक दल यह प्रयास करेंगे कि वहां के लोगों की यह आकांक्षा अन्ततोगत्वा पूरी हो सके ।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये मैं सभी नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वे अधिक रचनात्मक मार्ग अपनाये और आंदोलन के द्वारा तेलंगाना के पृथक करने का विचार छोड़ दें । आखिर-कार हमें एक साथ मिलकर कार्य करना है, अत: इस समस्या का एक सर्वसम्मत समाधान खोजना है ।

जहां तक केन्द्रीय आरक्षण पुलिस का संबंध है, यह हमारी आकांक्षा नहीं है कि केन्द्रीय आरक्षण पुलिस तेलंगाना के लोगों की जनतंत्रीय इच्छाओं का दमन करे । किसी राजनीति दल की सहायता करने के लिये केन्द्रीय आरक्षण पुलिस वहां नहीं भेजी गई है ।

राज्यों की कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिये और उनकी सहायता हेतु केन्द्रीय आरक्षण पुलिस भेजी जाती है । हैदराबाद जैसे शहर में कई दिनों तक व्यापार ठप्प रहा । विश्वविद्यालय बन्द रहे जिससे शिक्षा की सुविधाओं से कई मेधावी युवकों को वंचित रहना पड़ा ।

हमें इस आंदोलनकारी दृष्टिकोण को छोड़ देना चाहिये । हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि आंध्र के लोगों और तेलंगानावासियों के बीच कोई भेदभाव है । तेलंगाना के निर्धन लोगों और आन्ध्र के निर्धन लोगों की एक ही प्रकार की समस्याएं हैं लेकिन इस मामले में राजनीति की सत्ता हथियाने के कारण कठिनाई हो रही है ।

हमें अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये ताकि तेलंगाना के लोगों की समस्याएं वास्तविक रूप से हल की जा सकें । इस मामले में, हम आश्वासन दे सकते हैं कि भारतीय सरकार का प्रयास सहयोग की भावना और तेलंगाना के लोगों के समुचित विकास के लिये स्थिति पैदा करना है ।

केवल गोल-मेज़ सम्मेलन बुलाना ही कोई अर्थ नहीं रखता क्योंकि सम्मेलन के बाद प्राय: यह कह दिया जाता है कि हम इससे असहमत हैं । व्यावहारिक प्रशासक की दृष्टि से मैं सम्मेलन बुलाना आवश्यक समझता हूं क्योंकि सम्मेलन तभी बुलाये जाने चाहिये जब उनसे कोई ठोस परिणाम निकलने की संभावना हो । पर यहां तो लोगों के दृष्टिकोण में ही भारी विभिन्नता है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न मंगलवार 19 मई 1970/26 वैशाख 1892 शक तक के लिये स्थगित कर दी गई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday the 19*th May* 1970/*Vaisakha* 29, 1892 (*Saka*).

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speaches etc. in English/Hindi.]

शुद्धि-पत्र

लोक-सभा वाद-विवरण का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

18 मई, 1970 । 28 वैशाख , 1892 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
xviii	पैक्ति 6 , `पुर्न: स्थापित `के स्थान पर `पुर:-स्थापित `पढ़िये ।
14	नीचे से पैक्ति 6, `जीवेयर `के स्थान पर `जैवियर `पढ़िये ।
87	पैक्ति 2 , `पापड़िया `के स्थान पर `तापड़िया `पढ़िये ।
115	पैक्ति 8 , वेपोशंकर `के स्थान पर `वेणि शंकर `पढ़िये ।
135	नीचे से पैक्ति 9 , ` Bansi ` के स्थान पर ` BANSH पढ़िये ।
175	नीचे से पैक्ति 12 , `वीरेश्वर `के स्थान पर `धीरेश्वर `पढ़िये ।
209	पैक्ति 25 , (Shri K.N. Tiwari in the Chair) के ~~पैक्ति 25 से नीचे इस प्रकार पढ़िये~~ : `श्री क .ना.तिवारी पीठासीन हुए ` Shri K.N. Tiwary in the Chair '
232	पक्ति 18 तथा 19 को इस प्रकार पढ़िये : `इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार 19 मई, 1970 । 26 वैशाख , 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।